देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115
June 2023
Vol.-17, Issue-6(2)

Impact Factor
7.523

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

विशेषांक सम्पादक :
डॉ. विकास शर्मा

सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 17 **ISSUE-6(2)** **(जून 2023)** **ISSN : 2395-7115**

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

विशेषांक सम्पादक :

डॉ. विकास शर्मा

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल
विभागाध्यक्ष हिन्दी एवं शोध निर्देशक
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर-335001 (राज.)

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

प्रो. राधेमोहन राय
पूर्व उप प्राचार्य,
राजकीय स्नातकोत्तर महा.,
अलवर, राजस्थान।

डॉ. राजेन्द्र गोदारा
परीक्षा नियंत्रक,
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर, राजस्थान।

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुन्द्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

माई मनीषा महंत
किन्नर अधिकार ट्रस्ट
भूना, जिला कैथल, हरियाणा

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि. रोहतक

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. विनोद कुमार
हिन्दी विभाग, लवली प्रोफेशनल
यूनिवर्सिटी, पंजाब

डॉ. मो. रियाज़ खान
बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरू

डॉ. वनिता कुमारी
च. दादरी (हरियाणा)

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी
संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. राजकुमारी शर्मा
नेपाल

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. पायल लिल्हारे
अमरशहीद चंद्रेशेखर आजाद
शा.स्ना.महा. निवाड़ी, मध्यप्रदेश

श्री राकेश शंकर भारती
यूक्रेन।

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. मनमीत कौर
राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. रीना उन्नीयाल तिवारी
शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. शबाना हबीब
त्रिवन्तपुरम, केरल

डॉ. शिवकरण निमल
राजस्थान

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
वाराणसी

डॉ. मानसिंह दहिया
हरियाणा

डॉ. नीलम आर्या
उत्तर प्रदेश

डॉ. रवि सुण्डयाल
जम्मू कश्मीर

प्रो. नरेन्द्र सोनी
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. रोहतास
डी.एन. कॉलेज, हिसार।

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य, कैलिफोर्निया।

डॉ. इस्पाक अली
प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरू

प्रो. रेखा रानी
गवर्नमेंट कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. के.के. मल्हौत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. संजीव कुमार विश्वकर्मा
शासकीय महाविद्यालय,
लवकुश नगर, मध्य प्रदेश

डॉ. परमानन्द त्रिपाठी
एचओडी एजुकेशन, एल.एन.डी.
कालेज, मोतिहारी, बिहार

डॉ. करमजीत कौर
प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकेरिया, पंजाब

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

शोध-पत्र प्रकाशन के लिए निर्देश मंजूषा

गुगनराम सोसायटी (पंजीकृत) द्वारा शोधार्थियों व अध्येताओं के शोध/अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतू बोहल शोध मंजूषा ISSN 2395-7115 नामक बहुभाषिक अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी, प्रबंध, प्रौद्योगिकी, विधि, भूगोल, शिक्षा, पत्रकारिता पर केन्द्रीत इस शोध पत्रिका को विषय विशेषज्ञों तथा मनीषी विद्वानों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त है। पत्रिका का वार्षिक शुल्क 1100 रु. है।

आप अपना शोध पत्र कम्प्यूटर से मुद्रित फोन्ट साईज 14, कृतिदेव-10, कृतिदेव-21 में व अंग्रेजी के Arial, Times New Roman में पेज मेकर या माइक्रोसोफ्ट वर्ल्ड में हमारी Email ID : grsbohal@gmail.com पर भेजें। शोध पत्र प्रेषित करने से पूर्व दिये गये सन्दर्भ, मात्रा आदि की पूर्णतया जाँच कर लें।

नोट :- उर्दू, पंजाबी आदि भाषा के शोध पत्र पेपर साईज 7x9.5 पर टाईप कराकर JPG या PDF फाईल हमारी ईमेल आई.डी. पर भेज सकते हैं।

हमारी पत्रिका में शोध पत्र लेखक के फोटो सहित प्रकाशित किये जाते हैं। इसलिए आप अपने शोध पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सम्पर्क सूत्र : टेलीफोन, मोबाईल नं., ई-मेल तथा पिनकोड सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता (हिन्दी व अंग्रेजी) कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवाकर भेजें।

★ शोध पत्र 2000-2500 शब्दों (4-6 पेज) से अधिक नहीं होनी चाहिए, यदि शब्द सीमा अधिक होती है तो सम्पादक को अधिकार होगा यथा स्थान संक्षिप्तीकरण कर दें। अस्वीकृत शोध पत्र की वापसी संभव नहीं है।

★ पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ शोध पत्र को हमारी सोसायटी/पत्रिका की ओर से बहुउपयोगी श्रीमती गिना देवी शोधश्री सम्मान प्रदान किया जायेगा।

★ शोध पत्र में व्यक्त विचार लेखकों के स्वयं के विचार हैं। उनसे सम्पादक, प्रकाशक की सहमति आवश्यक नहीं है। शोध पत्र में प्रयुक्त किए गए तथ्यों के प्रति संबंधित लेखक उत्तरदायी होगा। पत्रिका में शोध आलेख प्रकाशन के लिए भेजने से पहले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लेखक का दायित्व है। प्रत्येक विवाद का न्यायक्षेत्र भिवानी (हरियाणा) होगा।

★ सम्पादकीय पद अव्यावसायिक और अवैतनिक हैं। पत्रिका में केवल शोध पत्र ही प्रकाशनार्थ भेजें। शोध पत्र का प्रकाशन योजना एवं व्यवस्था के अनुसार यथा समय व प्रकाशित समस्त शोध पत्रों का सर्वाधिकार समिति/सम्पादक के पास सुरक्षित होगा।

नोट :

सहयोग/सदस्यता राशि 1100/- रू. का ड्राफ्ट/चैक/आई.पी.ओ. 'गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी' के नाम भेजें तथा ऑनलाईन बैंक में सहयोग जमा राशि की रसीद की फोटोप्रति अपने आलेख के साथ हमें मेल कर सूचित करने का कष्ट करें ताकि समय पर रसीद भेजी जा सके। ऑनलाईन सहयोग राशि के साथ 50/- रू. अतिरिक्त अवश्य जमा करवायें। प्रकाशन सहयोग शुल्क वापिस देय नहीं।

बैंक का नाम	:	पंजाब नैशनल बैंक, हालु बाजार, भिवानी (हरियाणा)
खाता धारक का नाम	:	गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी
बैंक खाता संख्या	:	1182000109078119
IFSC Code	:	PUNB0118200
MICR CODE	:	127024003

जून 2023

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. विकास	9–9
2.	आधुनिक हिंदी कविता और वैकल्पिक सौन्दर्यबोध की पहल	डॉ. अरूण प्रसाद रजक	10–14
3.	भारत पर पाकिस्तान प्रायोजित साइबर हमला	डॉ. अतुल चंद	15–19
4.	समकालीन कविता का स्वरूप	भारती आपुम	20-24
5.	किशोरों के अपराध को कम करने के लिये मूल्य आधारित शिक्षा का योगदान	डॉ. चन्द्रशेखर सिंह	25–29
6.	राजस्थान में दीर्घकालीन कृषि में भूजल प्रबंधन की भूमिका	डॉ. हरलाल मील	30–34
7.	प्रसाद के नाटकों में गाँधी दर्शन	डॉ. कान्ती देवी	35–37
8.	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं लैंगिक समानता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डॉ. महेश नावरिया	38–50
9.	नीली अर्थव्यवस्था	डॉ. (श्रीमती) मंजुलता कश्यप	51–58
10.	बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि (50 प्रतिशत आरक्षण पश्चात्)	मल्लिका दास	59–61
11.	भारत–नेपाल सम्बन्धों की छांव–धूप (रामकथा के विशेष सन्दर्भ में)	डॉ. नीरज कुमार द्विवेदी	62–67
12.	भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति	निखिल कुमार	68–72
13.	स्थानीय खाद्य पदार्थ की आदतें स्वास्थ्य एवं पोषण लाभ	निक्की कुमारी	73–77
14.	जीएसटी कर रिसाव और अपवंचन पर अंकुश प्रावधान : एक अध्ययन	डॉ. निजहत परवीन	78–84
15.	India as an Educational Hub for Nepal : Impact of India's Development assistance in Nepal's Education Sector and their Challenges and Opportunities	Dr. Poonam Panghal	85-92
16.	निराला की कविताओं में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता बोध	श्रीमती पूनम सिंह	93–98
17.	आधुनिक कविता में अभिव्यक्त अर्थतंत्र के विविध परिदृश्य	प्रीति गुप्ता	99–101
18.	भारत और नेपाल के मध्य भाषिक और साहित्यिक सम्बन्ध	डॉ. प्रिया सिंह	102–105
19.	सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में सरकारी नीतियों का योगदान	डॉ. राजेन्द्र कुमार	106–109
20.	भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	डॉ. राजेश मौर्य, प्रोफेसर डॉ. दिलीप कटारे	110–119

21.	मूलनिवासी और विस्थापन का ज्वलंत प्रश्न	डॉ. राम शेख पंडित	120–126
22.	ENVIRONMENT PROTECTION LAWS IN INDIA AND NEPAL : COMPARATIVE STUDY	Dr. Reena Uniyal Tiwari	127-131
23.	नारी अस्मिता के विविध आयाम : मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के संदर्भ में	डॉ. रम्या एल.	132–136
24.	मोहन राकेश के नाटकों में द्वंद्व की अवधारणा	रूचि कुमारी	137–140
25.	प्रेम रस के परिपेक्ष्य में दिनकर के काव्य का विवेचन	डॉ० स्नेहा कुमारी	141–147
26.	महिला सशक्तिकरण भारत और नेपाल	डॉ. सुमन कौशिक	148–151
27.	ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन-देन से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन	सुनील कुमार	152–159
28.	EFFECT OF HOME ENVIRONMENT ON TEENAGER'S LIFE CHOICES	Dr. Vinita Swarnkar	160-162
29.	A COMPARATIVE STUDY OF INDIVISUAL TAXETION IN INDIA AND NEPAL	Prof. Anurag Agarwal	163-168
30.	हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श	अनीता शर्मा	169–173
31.	मैथिलीशरण गुप्त की "भारत-भारती" में स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश प्रेम का जीवंत दर्शन	आपी लंकाम	174–178
32.	A STUDY OF ROLE OF ICT IN NEP-2020 FOR UPPER PRIMARY EDUCATORS	Vishal Kumar Rajenderasing Parmar	179-184
33.	Indo-Nepal Politics, Education and Literature	Dr. Ajaypal Singh	185-191
34.	A COMPARATIVE STUDY OF ACADEMIC ACHIEVEMT AND LEVEL OF ASPIRATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS	Dr. Vineeta Chaudhary	192-196

सम्पादक की कलम से.....

प्रिय पाठकों,

हमें गर्व है कि हम आपको बोहल शोध और विचार की मंजूषा जर्नल के माध्यम से नवीनतम और महत्वपूर्ण ज्ञान की पेशकश कर रहे हैं। हम नेपाल अंक में विशेष रूप से आपका स्वागत करते हैं।

हमारी मंजूषा जर्नल अग्रणी शोध और विचार के क्षेत्र में अपूर्व गहराई और व्यापकता के साथ नेपाल के अंदरूनी और बाहरी पाठकों को ज्ञान का आदान–प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य है कि आपको सबसे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करने के साथ–साथ नवीनतम और अद्यातनित ज्ञान भी प्रदान करें, ताकि आप अपनी उच्चतम प्रज्ञा को विकसित कर सकें।

इस माह के नेपाल अंक में, हमारी टीम ने विभिन्न विषयों पर गहन शोध किया है और आपके लिए रोचक और महत्वपूर्ण विचारों को पेश किया है। इस अंक में हम नेपाली संस्कृति की महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित कर रहे है। हमारा उद्देश्य यहां नेपाली साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, और तकनीकी विषयों सहित विभिन्न मुद्दो को प्रस्तुत करना है। इसलिए, इस अंक में हमने विविध विषयों पर ध्यान केंद्रित किया है जो आपकी रुचि को प्रभावित करेंगे।

इस अंक की खासियत है, हमने नेपाली साहित्य, संस्कृति को गहराई से छूने का प्रयास किया है। हम आपको विभिन्न लेखकों, कवियों और उपन्यासकारों के साथ परिचय करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने नेपाली साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमने आपके लेखों के माध्यम से उनकी कहानियों के संग्रह, कविताएं और उपन्यासों का परिचय प्रस्तुत किया है।

यह सेमिनार गुरू विद्यापीठ के नवाचारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है जहां हम विभिन्न क्षेत्रों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। गुरू विद्यापीठ का लक्ष्य है कि इस सेमिनार के माध्यम से हम स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं को एक साथ जोड़करं और उनके अनुभवों और विचारों का आदान–प्रदान किया तथा नवीनतम शोध के क्षेत्र में साझा ज्ञान विकसित किया।

सेमिनार अंक कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसेकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जीवविज्ञान, भूगर्भिकी, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के बहुत से पहलुओं को छुआ है।

इसके अलावा, हमने इस अंक में नेपाली संस्कृति, धर्म और परंपराओं के विषयों पर विस्तारपूर्वक लेख शामिल किए हैं। आशा है यह अंक आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा।

–डॉ. विकास

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 10-14

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

आधुनिक हिंदी कविता और वैकल्पिक सौन्दर्यबोध की पहल

डॉ. अरूण प्रसाद रजक

साहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, गोरुबथान गवर्नमेंट कॉलेज, कलिम्पोंग।

शोध सार :-

आज पूंजीवाद के डिजिटल सौन्दर्य से कविता बुरी तरह ग्रसित है। बल्कि यूँ कहें कि आज की कविता भयानक ढंग से 'मेट्रोपोलिटन' सौन्दर्यबोध की कविता बन चुकी है। पूंजीवाद के विजयोत्सवों के बीच 'विचारधारा का अंत', 'इतिहास का अंत' के साथ 'कविता का अंत' की भी घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। यही कविता की जिन्दगी और जरूरत की बुनियादी शर्त है। पूंजीवादी युग के शुरुआत से ही जनचेतना एवं मानवीय सौन्दर्यबोध के पक्षधर आधुनिक कवियों की एक धारा भी है जो लगातार संघर्षरत है और संकटों में मानवीय सौन्दर्य की भूमि तलाश रहे हैं। ऐसे ही कवियों की अदम्य ऊर्जा एवं विराट साहस के बल पर हम कह सकते हैं कि पूंजीवाद कविता का व्यवसायीकरण करने के अपने घिनौने साजिश में नाकाम साबित होगा।

बीज शब्द :- कविता, सामाजिकता, पक्षधरता, सौन्दर्य, श्रम, संघर्ष, प्रतिरोध।

आलोचना :-

हिन्दी साहित्य का आधुनिक काल सन् इस्वीं की 19वीं शताब्दी से आरम्भ से माना जाता है। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार– ''साहित्य में आधुनिकता का वाहन प्रेस है और उसके प्रचार के सहायक हैं : यातायात के समुन्नत साधन।''[1] इसके फलस्वरूप भारतीय समाज में मूल बदलाव आया। प्रेस के बिना स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय असंभव थे। आधुनिक शिक्षा असंभव थी। समाचार पत्र असंभव थे। प्रेस ने यह सब संभव बना दिया। पुस्तकों को असंख्य पाठक दिये। पहल रामायण, महाभारत, रामचरित मानस धार्मिक ग्रंथ माने जाते थे। अब वे स्वतंत्र पुस्तकें बन गये। इस औद्योगिक पूंजीवाद में मूल्यों का संबंध धर्म से नहीं रह गया, वह एक स्वायत्त मामला हो गया। इसी समय समाज और साहित्य में ईश्वर की जगह 'मनुष्य' स्थापित होता है। 19वीं शताब्दी में बौद्धिक एवं सामाजिक गतिशीलता के कारण संदेह मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी। मनुष्य के मन में प्रश्न जन्म लेने लगे। समाज में तर्क का बोलबाला बढ़ रहा था। सत्य, तथ्य और बौद्धिक स्तरों पर चीजों को तोला जाने लगा। 19वीं सदी के नवजागरण के साथ मानव के बोधपक्ष और तर्कपक्ष के जो आग्रह प्रकट हुए, उससे सौन्दर्यबोध की एक नयी दृष्टि की पहल होने लगी। इससे सौन्दर्य के तार्किक, बुद्धिगम्य एवं वस्तुनिष्ठ रूपों की तलाश होने लगी। सौन्दर्यशास्त्र की दृष्टि से तर्क और बुद्धि को सांस्कृतिक धरातल पर स्थापित करने के लिए जरूरी हो गया कि भाव, हृदय एवं सौन्दर्य की कसौटियों को बोध, मस्तिष्क और वस्तुनिष्ठता के वर्चस्व

के अधीन लाया जाय। इसी प्रक्रिया की परिणति आधुनिक कविता में वैकल्पिक सौन्दर्यबोध की स्थापना के रूप में होती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार भारतेन्दु ने ''हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया।''[2] भारतेन्दु का सौन्दर्यबोध जीवन के व्यापक यथार्थ से जुड़ा है। उन्होंने जीवन और साहित्य को जोड़ा। वे आधुनिकता के पक्ष में खड़े थे, परन्तु अपनी जातीय– सांस्कृतिक विरासत खोने के पक्ष में नहीं। वे मानते थे कि भारत को आधुनिक होने के लिए उपनिवेशवाद जरूरी नहीं है। अंग्रेजी राज का पर्दाफाश करते हुए भारतेन्दु कहते हैं :–

"कल के फल बल छलन सो छले इते के लोग।
नित– नित धन सो घटत है बाढ़त है दुख सोग।
मारकीन मलमल बिना चलत कहू नहिं काव,
परदेशी जुलहान के मानो भए गुलाम।
वस्त्र कांच कागज कलम चित्र खिलौने आदि।
आवत सब परदेश सो नितहिं जहाजनि लादि।
इत की रूई सींग औ चरमहि तित लै जाय,
ताहि स्वच्छ कटि वस्तु बहु भेजत इतहि बनाय।
तिनहीं को हम पाइकै साजत निज आमोद,
तिन बिन छिन तृन सकल सुख स्वाद विनोद प्रमोद।।[3]

वे समझ गये थे कि यहीं के कच्चे माल को सस्ते दाम पर खरीद कर अंग्रेज स्वदेश ले जाते हैं और वहां के मशीन द्वारा बहुत–सा सामान बनाकर यहाँ के बाजारों में ऊंचे दरों पर बेचते हैं। भारतेन्दु को औद्योगिक पूंजीवाद और बाजार की अच्छी समझ थी। वे देख रहे थे कि बाजार अंग्रेजी मालों से पटा है, पर समाज बेरोजगारों से भरा है – ''तीन बुलाये तेरह आवै/निज निज विपदा रोई सुनावै/आँखों फूटै भरा न पेट/क्यों सखि साजन नहीं ग्रेजुएट।''[4] भारतेन्दु का सौन्दर्यबोध इतना तेज एवं पैना है कि वे अपने युग के कटु यथार्थ एवं पीड़ा को वाणी देते हैं। यह काव्य–सौन्दर्य की दुनिया में तर्क और बुद्धि की गंभीर पहल है। द्विवेदीयुगीन काव्य सौन्दर्यबोध के नवीन धरातलों का विकास है। यथार्थ की कुरुपताओं के विरुद्ध संघर्ष इस सौन्दर्यबोध का अनिवार्य तत्व है। द्विवेदीयुगीन काव्य में नारी विलास की वस्तु नहीं, नर की गामिनी के रूप में प्रतिष्ठित है। हाशिये पर खड़ी नारी को 'प्रियप्रवास', 'साकेत', 'यशोधरा' में सर्वप्रथम महत्त्व दिया गया। हरिऔध 'रसकलश' में देश– प्रेमिका जन्मभूमि प्रेमिका, लोकसेविका आदि के रूप में नायिकाओं का चित्रण करते हैं। देश प्रेम ही उनका सौन्दर्यमूल्य था।

इतिवृतात्मकता में ही सही, मैथिलीशरण गुप्त ने 'भारत– भारती' में कृषक वधु का यथार्थ चित्रण किया हैकृ ''गोबर उठाती, थापती हैं, भोगती आयास वे,/कृषि काटती लेतीं परोहे, खोदती हैं घास वे/गृह कार्य जितने और हैं करती वही सम्पन्न हैं,/तो भी कदाचित ही कभी भरपेट पाती अन्न हैं।''[5] महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी 'बैल' कविता में बैलराज के माध्यम से कृषि संस्कृति की चर्चा की है। हिन्दी के महान आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की इसी दौर के मुताबिक यह धारणा बनी कि सौन्दर्य की कसौटी 'लोकमंगल' है। उनकी इस धारणा का प्रतिफलन समाज के लिए प्रतिबद्ध या संघर्ष की भावभूमि के वैकल्पिक सौन्दर्यबोध के रूप में होता है। तुलसी

के राम लोकमंगल हेतु की गयी संघर्षशीलता की तेजस्विता के कारण 'सुन्दर' की कोटि में प्रवेश करते हैं। यह वैकल्पिक सौन्दर्यशास्त्र की तलाश की पूर्व भूमिका है। संघर्ष के भावभूमि पर जन्म लेने वाली तेजस्विता का सौन्दर्य मस्तिष्क और हृदय दोनों को संतुष्ट करता है।

प्रत्ययवादी विचारक भौतिक तत्वों को चेतना का प्रतिरूप मानते हैं। छायावादी कवि प्रकृति एवं मानव–दृष्टि के सौन्दर्य दर्शन में इसी विचारधारा से प्रेरित है। प्रसाद 'कामायनी' के 'लज्जा सर्ग' में कहते हैं– ''उज्ज्वल वरदान चेतना का/सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं/जिसमें अनन्त अभिलाषा के/सपने सब जगते रहते हैं।''[6] सौन्दर्य के केवल कोमल पक्ष की स्वीकृति रहने के कारण छायावादी कवियों की सौन्दर्य–चेतना में उस जीवतंता का अभाव है, जो संघर्षशील कर्म–सौन्दर्य और लोकमंगल की स्थापना के लिए आवश्यक है। छायावादी कवि उस आभिजात्य वर्ग के व्यक्ति की तरह प्रकृति को देखते हैं, जिसकी दृष्टि उसके ललित रूपों पर ही पड़ती है। इस काल में देश का 90 प्रतिशत लोग गांव में रहते थे, पर ये कवि गांव की प्रकृति का सहज स्वाभाविक सौन्दर्य नहीं देख पाते। पंत ने 'ग्राम्या' में ग्रामीण प्रवृत्ति के सौन्दर्य के अंकन का प्रयास किया है, पर गांव के लोगों के सुख–दुःख में रची–बसी प्रकृति जैसा कि आगे के कवि केदारनाथ अग्रवाल और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य में मिलती है, इनके काव्य में नहीं है।

निराला की 'तोड़ती पत्थर' कविता में चर्म सौन्दर्य नहीं, कर्म सौन्दर्य है। ''कोई न छायादार/पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार;/श्याम तन, भर बँधा यौवन/नतनयन, प्रिय–कर्म–रत मन/गुरु हथौड़ा हाथ/करती बार– बार प्रहार/सामने तरु–मालिका अट्टालिका, प्रकार... सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार/एक क्षण के बाद वह कापी सुघर/ ढुलक माथे से गिरे सीकर लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहाकृ/ 'मैं तोड़ती पत्थर''[7] कर्म में है श्रम और पसीना। चर्म में प्रसाधन और मॉडलिंग। निश्चित रूप से श्रम और पसीने का सौन्दर्यशास्त्र 'पसीने का दुश्मन' वाले पाउडरों एवं लक्स के विज्ञापन के सौन्दर्यशास्त्र से भिन्न तो होगा ही, जन–सामान्य सापेक्ष भी होगा। 'कत्थई दाँतों की मोटी मुस्कान'[8] के कायल नागार्जुन कहते हैं– ''ओ, हे, युगनंदिनी विज्ञापन सुन्दरी/गलाती है तुम्हारी मुस्कान की मृदु मद्धिम आँच/धन–कुलिश हिय–हिम कुबेर के छौनों का।''[9] श्रम के बदले हुए दृष्टिकोण और क्षेत्र से नागार्जुन का काव्य तादात्मय है। यही बात त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कही जा सकती है। श्रम पर सबसे अधिक कविताएं केदार ने लिखी है। यथा ''आसमान की ओढनी ओढ़े/धानी पहने/फसल घँघरिया/राधा बनकर धरती नाची/नाचा हँसमुख/कृषक सावरियाँ।''[10] यहाँ लोकजीवन की गहरी पैठ है।

शमशेर के लिए सौन्दर्य यथार्थ है और यथार्थ वह सब कुछ है जो मनुष्य के जीवन में घटित होता है। उनकी केन्द्रीय चिन्ता मनुष्य और मनुष्यता के लिए हैं– ''समय के/चौराहों के चकित केन्द्रों से/उद्भूत होता है कोई : 'उसे व्यक्ति कहो' :/कि यही काव्य है/आत्मतम।''[11] शमशेर जब व्यक्ति को, उसके संघर्ष को अपनी अनुभूति का अंग बना लेते हैं, तभी उसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उनके काव्य में यह धारणा विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। नंदकिशोर नवल का कथन है– ''मार्क्सवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था यदि जड़ है तो सौन्दर्य पुष्प प्रस्फूटन। गोर्की ने भी इस बात पर बल दिया है कि जनता की स्वतंत्रता और सौन्दर्य की आकांक्षा ही सर्वहारा संस्कृति के लिए निर्णायक होती है... इस प्रकार सौन्दर्य से प्रगतिशील चेतना का विरोध नहीं बल्कि घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह कवि के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सूचक है। सौन्दर्य मनुष्य का हो या प्रकृति का उसकी बहुत ही

गहरी और सूक्ष्म अनुभूति शमशेर की कविताओं में मिलती है।''[12] वैसे भी सदैव शमशेर का जोर इस तथ्य पर रहता है कि अनुभूति अपनी ओर से सच्ची हो उस सच्ची अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति ही कविता को सच्चा बना पाती है। सर्वेश्वर जीवन के विभिन्न प्रसंगों की असंगतियों का चित्रण करते हुए कहते हैं– ''जब भी/भूख से लड़ने/कोई खड़ा हो जाता है तो/सुन्दर दिखने लगता है।''[13] सौन्दर्य की उपज जीवन की अनुभूति ही है।

आधुनिक हिन्दी कविता में एक दौर ऐसा आया जहां 'अनुभूति की प्रामाणिकता' के नाम पर वैकल्पिक सौन्दर्यबोध के विद्रूपीकरण की कुचेष्टा की गयी, लेकिन उसके समानान्तर एक नये सौन्दर्यशास्त्र की संवेदनशीलता और जीवंतता प्रखर होती गयी है। मुक्तिबोध ने जीवन और समाज के व्यवस्थागत अंधेरे का अहसास कराकर काव्य के नये सौन्दर्यबोध का इजहार किया। भाववादी विचारक सौन्दर्यानुभूति और जीवनानुभूति को भिन्न मानते हैं, लेकिन मुक्तिबोध के लिए ''सौन्दर्यानुभव और वास्तविक जीवनानुभव इन दो का सार स्वरूप एक ही है।''[14]

निष्कर्ष :–

आज के समाज में कविता संकटों का सामना कर रही है। यह संकट न अचानक आया है और न अकारण। यह लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। सभ्यता के विकास के साथ समाज से कविता का संबंध बदलता रहा है। पूंजीवाद के एक खेमे से कहा गया कि कविता स्वभावतः सरल, सुन्दर और प्राकृतिक जीवन में बसती है तथा उसे धारण करती है। इसलिए ऐसे समय और समाज में कविता करना सुगम नहीं, जहाँ जीवन जटिल हो। इसका एक अर्थ यह भी है कि आज के जटिल जीवन में सरल, सुन्दर और प्राकृतिक जीवन का क्षय हुआ है। यह पूंजीवाद का प्रचार है कि सहजता और सौन्दर्यशास्त्र अप्रासंगिक हो चुका है और अब इस विषय की कोई जरूरत ही नहीं। पूंजीवादी समाज ने सौन्दर्य का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है और जिसका व्यवसायीकरण नहीं कर पाया है वो कविता है। हमेशा से कविता एक प्रतिरोधक शक्ति के तरह खड़ी होकर पूंजीवाद के अमानवीय चेहरे की वीभत्सता को उजागर करती रही है।

संदर्भ सूची :–

1. द्विवेदी, हजारी प्रसाद, 'हिन्दी साहित्य : उद्‌भव और विकास', राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, छठी आवृत्ति, 2004, पृ. 193
2. शुक्ल, आचार्य रामचन्द्र, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', अशोक प्रकाशन, दिल्ली, 2006, पृ. 267
3. भारतेन्दु, बाबू ब्रजरत्न दास (सं.), 'भारतेन्दु ग्रंथावली', दूसरा भाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, द्वितीय संस्करण, 2010, पृ. 735–36
4. भारतेन्दु, बाबू ब्रजरत्न दास (सं.), 'भारतेन्दु ग्रंथावली', दूसरा भाग, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, द्वितीय संस्करण, 2010, पृ. 810
5. गुप्त, मैथिलीशरण, 'भारत भारती', साकेत प्रकाशन, झांसी, आठवां संस्करण, 2008, पृ. 89
6. प्रसाद, जयशंकर, लज्जा सर्ग, 'कामायनी', अनुपम प्रकाशन, पटना, 2007, पृ. 50
7. निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, 'तोड़ती पत्थर', डॉ. रामविलास शर्मा (सं.), 'राग– विराग', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2011, पृ. 118

8. नागार्जुन, 'घिन तो नहीं आती', शोभकांत मिश्रा (सं.), 'नागार्जुन रचनावली–1', राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2011, पृ. 351
9. नागार्जुन, 'विज्ञापन सुन्दरी', शोभकांत मिश्रा (सं.), 'नागार्जुन रचनावली–1', राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2011, पृ. 351
10. अग्रवाल, केदारनाथ, 'फूल नहीं रंग बोलते हैं', साहित्य भंडार, इलाहाबाद, 2009, पृ. 31
11. सिंह शमशेर बहादुर, 'चुका भी हूँ नहीं मैं', राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली, 1975, पृ. 13
12. नवल, नंदकिशोर, 'दस्तावेद', 13–14, पृ. 129
13. सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल, 'भूख', वीरेन्द्र जैन, 'सर्वेश्वरदयाल सक्सेना खण्ड– दो', वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 2004, पृ. 106
14. मुक्तिबोध, गजानन, माधव, 'नयी कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध', विश्व भारती प्रकाशन, नागपुर, द्वितीय संस्करण, 1977, पृ. 3

पता : 20, पी. बी. एम. रोड
चांपदानी, पो.– बैद्यबाटी
जिला– हुगली, प. बंगाल
पिन– 712222 मो. 7003098240
ई मेल: arunrajak28@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 15-19

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत पर पाकिस्तान प्रायोजित साइबर हमला

डॉ. अतुल चंद
पूर्व प्रभारी प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट।

पाकिस्तान भारत से जन्मजात शत्रुता रखता रहा है और यह तथ्य वह भली–भांति समझ चुका है कि वह भारत से आमने–सामने की सीधे लड़ाई नहीं जीत सकता है। इसलिए वह प्राक्सी वार का सहारा ले रहा है। कभी वह आतंकवादियों से सेना पर हमला करवाता है। कभी जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करता है तो कभी जम्मू कश्मीर के युवाओं को उत्कोच और प्रलोभन देकर उन्हें देशद्रोही कार्य करने के लिए भड़काता रहता है। अब वह तकनीकी का सहारा लेकर के भारत के विरुद्ध साइबर वार छेड़ दिया है और इसमें उसका साथ चीन और तुर्की दे रहे हैं चीन सीधे–सीधे ना लीड करके पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अपने स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है। चीन पाकिस्तान को उपकरण और तकनीकी भी मुहैया करा रहा है। वही तुर्की ट्रेनिंग देने की कोशिश में है और भारत के विभिन्न वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत हैकरों का एक साफ्ट टारगेट रहा है।

इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2019 से 2021 की रिपोर्ट में बताया कि पिछले 3 सालों में साइबर आक्रमण के मामलों में 3 गुना वृद्धि हुई है।[1] जहां 2019 में 394499 मामले दर्ज किए गए वहीं 2020 में बढ़कर 1158208 हो गए और 2021 में 1402809 हो गए।[2] 5 सालों में साइबर अटैक की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है[2] जोकि 5.3 से बढ़कर 14 लाख से अधिक हो गई है 2022 में विश्व में जितने भी साइबर हमले हुए उसमें से 60 प्रतिशत से अधिक भारत के सिस्टम पर हुए हैं।[3] साइबर सिक्योरिटी फर्म स्पेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में सबसे अधिक साइबर हमले हुए हैं। 2019 में साइबर सिक्योरिटी के लगभग 3.57 लाख मानव निर्मित मामले रिपोर्ट किए गए किंतु 2020 में भारत में 1110 में 600000 मामले आए संसद में सरकार ने एक रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 3000 से अधिक साइबर सिक्योरिटी के मामले भी आए हैं।

पाकिस्तान का तुर्की के साथ समझौता[4] :–

पाकिस्तान ने तुर्की के साथ एक समझौता किया है जिसमें तुर्की पाकिस्तान को साइबर सेना बनाने में मदद कर रहा है। यह समझौता साइबर अपराध के खिलाफ आपसी सहयोग पर एक विपक्षी समझौता इमरान खान और तुर्की के आंतरिक मंत्री सुलेमान सोयूकू द्वारा किया गया किया गया दिखाने के लिए यह एक द्विपक्षीय समझौता था किंतु इसमें गुप्त एजेंडा को शामिल किया गया और इसे छुपाया गया। तुर्की के सोयलू साइबर स्पेस

में ट्रोल और साइबर बॉटसेना चलाने के लिए कुख्यात रहे हैं। 13 अक्टूबर 2022 को एक टीवी को साक्षात्कार देते हुए सोयलू ने अपने इस गुप्त अभियान के बारे में सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति दी। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि एक ऐसा देश जो कि तुर्की से लगभग 6 घंटे की उड़ान पर है। उनका यह संकेत पाकिस्तान के लिए ही था। सोयलू 2014 में लोगों की नजरों से छुपा कर गुप्त रूप से एक ट्विटर टीम की स्थापना की थी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध करने वाले लोगों को और राजनीतिक हस्तियों को अपमान करने और निशाना बनाने के लिए कार्य करती थी। संस्कृति कार्ड में भी इसका उल्लेख प्राप्त हो रहे हैं कि उन्होंने लगभग 6000 टोल सेना को नियंत्रित किया था। वह यहीं नहीं रुके बल्कि साइबर पुलिस विभाग को भी विपक्ष को दबाने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के भीतर विरोध करने वाले असंतुष्ट और आलोचकों को बदनाम करने और विपक्ष की धार को कम करने की मशीनरी में साइबर पुलिस विभाग को बदल दिया था। साइबर यूनिवर्सिटी में साइबर यूनिट की टीमें वास्तविक साइबर क्राइम जांच करने के बजाय विरोधियों को ईमेल और सोशल मीडिया के खाते को हैक कर रहे थे और उनसे प्राप्त जानकारी को समय–समय पर असंतुष्ट और विरोधियों को दबाने धमकाने डराने और ब्लैकमेल करनेमें कर रहे थे। इस समझौते के द्वारा तुर्की पाकिस्तान को साइबर सेना को गुप्त रूप से स्थापित करने में मदद करेगा। पाकिस्तान जनता की राय को अपने लक्ष्य के अनुसार आकार देने दक्षिण पूर्व एशिया में मुसलमानों के विचारों को प्रभावित करने और अमेरिका और भारत पर हमला करने आदि का कार्य लिया जाएगा।

पाकिस्तान चीन गठजोड़ :–

चीन भी पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों का मोहरा बना रहा है जबकि चीन में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इंटरनेट का सीमित उपयोग है ट्विटर फेसबुक नहीं चला जा सकते हैं चीन की अधिकांश आबादी हिंदी अंग्रेजी नहीं जानती है। ऐसे में चीन पाकिस्तान का उपयोग कर रहा है और उसे वह एक प्राक्सी प्लेटफार्म के रूप में विकसित कर रहा है। चीन पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी और उपकरण उपलब्ध करा रहा है और पाकिस्तान उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। चीन को पाकिस्तान की जरूरत है। इसलिए वह उपकरण प्रौद्योगिकी और उपकरण आसानी से उपलब्ध करा दे रहा है। चीन आवश्यक प्रौद्योगिकी ओर सामग्री नहीं उपलब्ध कराता तो पाकिस्तान इन साइबर हमलों में सफल नहीं हो पाता यही नहीं चीन पाकिस्तान का उपयोग कर खुद पर लगने वाले आरोप और प्रत्यारोप से भी बच जा रहा है। पाकिस्तान के साथ सहयोग चीन की रणनीतिक साझेदारी का एक हिस्सा है। रूस की साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई ने 2022 में वित्तीय संगठनों के लिए साइबर धमकी में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि भारत एशिया प्रशांत के 5 लक्ष्य में से एक है। जिस पर सर्वाधिक साइबर हमले हो रहे हैं उसमें चीन और पाकिस्तान गठजोड़ पर भी संदेह जताया है। चीन ने पाकिस्तान के साथ साइबर सहयोग को हाल के वर्षों में बढ़ाया है जो कि चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए दीर्घकालिक योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत पर साइबर अटैक के कुछ महत्वपूर्ण मामले :–

1. 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और जम्मू–कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित राज्य में संगठित किया गया तब भारत पर चार लाख साइबर हमले हुए।
2. पाकिस्तान स्थित ट्विटर हैंडल नियमित रूप से जून 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक झड़प से संबंधित भ्रामक खबरों के साथ–साथ भारत के सैन्य तैयारियों के बारे में भी अफवाह फैलाते रहा है। भारत की कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम सीईआरटीइन अपने एकत्रित किए गए डेटा के आधार पर कहा कि अगस्त महीने में लगभग 7 लाख हमले भारत पर किए।
3. अक्टूबर 2020 में डॉ. लाल पैथ लैब्स के लाखों ग्राहकों का डाटा हैक कर लिया गया और उन सभी को अमेजॉन वेब सर्विस पर पोस्ट किए जाएं किए गए पूर्णतया असुरक्षित स्टोरेज बकेट में डाल दिया गया[5]।

4 नवंबर 2020 में ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर बिग बास्केट के 2 करोड़ से अधिक ग्राहकों उपयोगकर्ताओं का डाटा हैक कर लिया गया और इसे डार्क वेब पर 40000 डॉलर से अधिक धनराशि में बिक्री के लिए ओपन कर दिया गया रिलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस पर भी है क्रो ने अटैक किया और रैली गियर के 5000000 से अधिक लोगों का की व्यक्तिगत जानकारियों को बेच दिया गया जिनमें रैली गियर के कर्मचारी भी शामिल थे [6–7]।

नए मेल वेयर का प्रयोग :–

साइबर अटैक और एक नए तरह का मिलवेयर का प्रयोग कर रहे हैं। जिसके द्वारा विक्टिम के कंप्यूटर पर आसानी से नजर रख सकते हैं। हैकर्स रिमोट एक्सेस ट्रोजन को आर.ए.टी. इंस्टॉल कर रहे हैं इन अटैककरो ना भारत में लक्षित 2 मिन यूआरएल का प्रयोग किए। इस साइबर अटैक को सबसे पहले ब्लैक लोटस लैब की सिक्योरिटी टीम ने रिपोर्ट किया और कहा कि हैकर्स ग्रुप्स आईपी ऐड्रेस को पाकिस्तान की मोबाइल डाटा ऑपरेटर कैम पाक लिमिटेड इस पाकिस्तान में जोंग 4जी के नाम से जाना जाता है जोकि चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कारपोरेट का हिस्सा है। ब्लैक लोटस के हेड माइकल बेंजामिन ने इंडिया टुडे टीवी से बातचीत में कहा कि कई बहुत से ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं। यह अटैकर्स भारत की पावर कंपनियों के साथ–साथ सरकारी कार्यों को भी निशाना बना रहे हैं उन्होंने कहा कि भारत की बिजली क्षेत्र और एक सरकारी संगठन को नए मेल वेयर रिमोट एक्सेस ट्रोजन का प्रयोग कर निशाना बनाया[8]।

एपीटी 36 मैलवेयर[9] :–

भारत में ट्रेनों की आवाजाही डिफेंस मूवमेंट सहित भारतीय रेल प्रणालियों से संग्रहित डाटा को चुराने हेतु एपीटी36 का प्रयोग किया गया और इन सूचनाओं को देश से बाहर भेजा जा रहा है ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम भारतीय रेलवे के चार सिस्टम एपीटी36 मैलवेयर से प्रभावित हुए। समाचार एजेंसी आई आई एन एस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह मैलवेयर रेलवे के साथ–साथ रक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रीय पुलिस संगठन आदि के लिए भी खतरा बना हुआ है। वायरस के खतरे को देखते हुए संबंधित विभागों को चेतावनी भी जारी की गई विभागों से कहा गया कि वे अपने ऑनलाइन सेवाओं का पासवर्ड बदलने और प्रभावित कंप्यूटरों

के हार्ड डिस्क का बैकअप ले लें साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम और अनावश्यक सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल करें।

कापरा रेट[10] (capraRAT) :–

एक नए हैकिंग सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेट नाम का मेल वेयर का प्रयोग हैकरों द्वारा किया गया जिससे एंड्रॉयड डिवाइस को भी हैक किया जा सकता है। यह रिमोट एसेस ट्रोजन है जो यूजर की लोकेशन कांटेक्ट नंबर कॉल हिस्ट्री सहित पर्सनल डीटेल्स को चोरी कर सकता है। हैकर्स इसे यूजर्स के फोन के कैमरा और माइक्रोफोन को भी एसेस कर सकता है। यह सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी ट्रेड माइक्रो ने पहचाना फर्म ने भी बताया कि एपीटी का प्रयोग करहैकर्स ने इसके द्वारा सेना अधिकारियों के व्हाट्सएप पर इम्प्लाटकिया गया उसको हैक कर खुफिया सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की गई।

भारत पर पाकिस्तान लगातार साइबर आक्रमण करने की कोशिश में लगा हुआ है। जहां–तहां जब भी अवसर प्राप्त होता है। भारत की साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करता है। भारत–पाकिस्तान के इस दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही को समझ चुका है और पाकिस्तान सहित विभिन्न देशों से होने वाले साइबर आक्रमणों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाने की व्यवस्था की गई और यह भी व्यवस्था की गई की एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो 24 घंटे साइबर सुरक्षा की दिशा में कार्य करें। इस हेतु नेशनल इनफार्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर की स्थापना की अवधारणा रखी गई जो कि एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य कर सकें।

भारत सरकार द्वारा साइबर खतरे का अनुमान लगाने हेतु उसका विश्लेषण करने और चेतावनी देने हेतु एक नोडल एजेंसी कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम को बनाया गया है। जो हर तरफ से आने वाले साइबर खतरों पर नजर रखती है और चेतावनी भी जारी करती है। साइबर वार का खतरा आभासी नहीं है बल्कि वास्तविक है। यह बात विश्व के सभी देश समझ चुके हैं और इसके लिए वह तैयारी में लगे हुए कई देशों में अपनी साइबर सेना का भी निर्माण किया है। भारत भी इन तथ्यों को समझ रहा है और आने वाले साइबर खतरों को निपटने हेतु योजनाबद्धढंग से कार्य कर रहा है और इसके लिए कई तरह के सेफ्टी नियम भी बनाए जा रहे हैं और समय–समय पर खतरों के प्रति चेतावनी भी जारी कर रही है।

फिशिंग और रैमसेमवेयर का अटैक लगातार जारी है। इससे बचने हेतु समय–समय पर चेतावनी भी जारी किया जाता है। पाकिस्तान सहित सभी सभी साइबर आक्रमणकारियों के प्रति भारत सरकार को अलर्ट रहना होगा तभी हम इससे होने वाले भारी नुकसान से बच सकते हैं। हमारा सुझाव है कि भारत को भी साइबर आर्मी बनानी चाहिए जोकि शत्रुओं से होने वाले साइबर आक्रमणो का मुंहतोड़ जवाब दे सके। सभी स्कूलों कालेजों और विश्वविद्यालयों में एक अनिवार्य विषय के रूप में साइबर आक्रमण, साइबर अपराध आदि के प्रति जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए इससे जागरूकता बढ़ेगी और संपूर्ण देश एक साइबर जनआर्मी के रूप में उभरेगा जिससे सभी देश भारत के प्रति आक्रमण करने पर खौफ खाएंगे क्योंकि आने वाले समय में तकनीकी युद्ध ही ज्यादा होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Cyber attacks triple in last three years, But security funds not utilized Dec.4,2022, https://m-economic times.tec
2. पूरे एशिया में सबसे ज्यादा भारत पर हुए साइबर हमले साइबर क्राइम पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने Februry 08, 2023www.abplive.com
3. Chaterji Anupriy , Sal 2022 cyber hamlo ke lihaj se bura raha December 30, 2020 www.Hindi the print .in
4. Anand Nisha, 'Pakistan set up cyber army against India with Turkey's help: Report' https://www.hindustantimes.com/india-news Oct. 27, 2020
5. Dr. Lal Path Labs Failed to Secure Millions of Patients Data, Including COVID-19: Reporthttps://dynamicciso.com
6. Pakistan cyber-attack, December 5, 2020 www. India .com
7. Mehrotra kartikeya and Turton william, 'CNA Financial Paid $40 Million in Ransom After March Cyber attack' http://bloomberg.com May 21 2021
8. Kumar Ankit, Pakistan-based hackers targeted power sector.govtorganization in India this year July. 13, 2021www.indiatoday.in
9. APT-36 Uses new TTPs and new tools to Target Indian governmental organizations November 03, 2022. www.zscaler.com
10. Lakshmanan Ravie New Capra RAT Android malware targets Indian Government and Military Personnel Feb 07, 2022 www. thehackernews .com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 20-24

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

समकालीन कविता का स्वरूप

भारती आपुम
Assistant Professor, Indira Gandhi Govt. College, Tezu, District – Lohit

सार :–

समकालीन कविता से तात्पर्य उन कविताओं से है जो अपने परिवेश के प्रति तथा सभी परिस्थितियों में भी प्रासंगिक लगती है। हिन्दी साहित्य की विशाल कड़ी में 'आधुनिक युग' के अंतर्गत 'समकालीन कविता' आती है। यह व्यापक एवं बहुआयामी शब्द है। अंग्रेजी में यह 'कोंटेमपोरेरी' शब्द का पर्याय है। समकालीन कविता अर्थात जो सभी पक्षों में समकालीन लगे, वैसी कविता जिसे पढ़ने के बाद लोगों को अपने ही परिवेश जैसे लगे, ऐसी कविताएँ समकालीन कविता के अंतर्गत आएंगे। इसकी मुख्य विशेषता इसी में है की ये किसी परिवेश या कालक्रम के भीतर बंधा हुआ नहीं होते। इसीलिए यह समकालीन भी होते है। हिन्दी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया गया जिसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आते है। आधुनिक काल के अंतर्गत साहित्य लिखने की भिन्न–भिन्न पद्धतियाँ आती गई। फलस्वरूप इसके भीतर भी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता, अकविता आदि पद्धतियाँ शामिल हुई। इसी क्रम में समकालीन कविता लिखने की पद्धति सामने उभर कर आए। इसके अंतर्गत जो भी कविताएँ आते गए वे समकालीन कविता कहलाए। 'समकालीनता' तथा समसामयिकता के तत्वों से परिपूर्ण एवं आधुनिकता के आधार तत्व लिए हुए जो कविताएँ हैं वहीं समकालीन कविता कहलाए।

आधुनिक चेतना से मिश्रित समकालीन कविता मानवीय स्तरों को स्पर्श करते हुए जीवन मूल्यों को दर्शाती है। समकालीन कविता में सामाजिक बोध अपने समय एवं परिवेश की माँग के अनुरूप उभरती है और अपने दायित्व निर्माण में भी सफल साबित हुए है। यह युगीन यथार्थ की अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कविता लिखने का ऐसा दौर जहाँ कवियों ने बेझिझक होकर समाज से संबन्धित किसी भी विषय पर यथार्थता को बनाए रखते हुए कविताएँ लिखना प्रारम्भ कर दिए और आज भी यह सभी के लिए उतनी ही पठनीय और अपने लगते है जितना उस समय था, आज भी ऐसा लगता है की यह परिवेश यहीं–कहीं से लिया गया है, यहीं इसकी सफलता भी है जो इसे सदैव समसामयिक बनाए रखते है।

बीज शब्द :– समकालीन, समसामयिक, परिवेश, यथार्थ, प्रासंगिक, जीवन मूल्य।

समकालीन कविता अपने समय तथा वर्तमान समय के साथ सीधा साक्षात्कार करता है। हरेक कविता में समसामयिकता इसमें शुरू से बनी रहती है। इन कविताओं को देखकर ऐसा लगता है मानों यह आज ही लिखी हुई है। इसमें लोक जीवन का यथार्थ चित्रण दिखाई पड़ता है। समकालीन कवियों की रचनाओं के माध्यम से इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए समकालीन कवियों की रचनाओं पर पुनः ध्यान की

आवश्यकता पड़ती है। आगे इन्हीं कवियों की रचनाओं के आधार पर समकालीन कविता के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। समकालीन कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता 'बात बोलेगी' में उन्होनें वर्तमान युग में अभिव्यक्ति हेतु शब्दों को अनावश्यक माना है क्योंकि 'कथनी' से अधिक 'करनी' होती है। उनके अनुसार परिस्थिति स्वयं सब कुछ बयां करती है। अतः शब्दों की आवश्यकता नहीं :–

"बात बोलेगी,
हम नहीं।
भेद खोलेगी
बात ही।"

इसके लिए वे आगे कारण भी बताते है कि किस वजह से अभिव्यक्ति हेतु शब्दों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो कुछ भी दिख रहा है उसे देखने वालों की नजर झूठी है, ऐसे में दिखें तो भी क्या देखें। यही स्थिति रह गई है :–

"सत्य का मुख
झूठ की आँखें
क्या देखें!
सत्य का रुख़
समय का रुख़ है
अभय जनता को
सत्य ही सुख है
सत्य ही सुख।"

कविवर शमशेर आगे यह भी बताते है कि जब स्थिति इतनी क्रूर हो जाए, ऐसे में सत्य का क्या रंग हो सकते है। अतः वे सबको एकत्व की कड़ी में बंध जाने का आग्रह करते है जिससे जनता कठिन–से–कठिन परिस्थिति से भी बाहर उभर सकते है :–

"दैन्य दानव; काल
भीषण; क्रूर
स्थिति; कंगाल
बुद्धि; घर मजूर।
सत्य का
क्या रंग ?
पूछो
एक संग।"

उपरोक्त पंक्तियाँ समकालीन कविता के परिवेश को दर्शाने में निश्चित रूप से सफल हुए है। हालांकि इसी कविता के आधार पर उन्हें 'सपाटबयानी कवि' भी कहलाए क्योंकि उस समय की माँग कुछ ऐसे ही थे और वर्तमान युग भी इसी की माँग करती है।

समकालीन कविता में सामाजिक चेतना के साथ–साथ शोषण, गरीबी, आर्थिक रूप से असंतुलित समाज का चित्र दिखाई पड़ता है। ये समस्याएँ कोई नई समस्या नहीं है। ये तो तब भी थे, अब भी है और शायद कल भी रहेंगे अगर समय रहते इसका निवारण नहीं कर पाए तो। समकालीन कवियों में जैसे केदारनाथ अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, कुँवर नारायण, श्रीराम वर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता आदि आते हैं। इन सभी कवियों ने अपनी कविताओं में समसामयिकता बनाए रखे है। वे कहीं–न–कहीं समाज से जुड़ी विषयों एवं समस्याओं को अपने कविताओं में प्रस्तुत करती है। इस काल के कवियों ने सत्ता और व्यवस्था द्वारा जनता की स्वतन्त्रता पर लगाए गए अंकुश के प्रति खुलकर वार किए है। ऐसा करने में वे कत्थई हिचकिचाते नहीं है। उदाहरण के लिए भूखमरी जैसी क्रूर स्थिति का यथार्थ चित्रण करने में वे कत्थई घबराते नहीं है। कविवर नागार्जुन की कविता 'अकाल और उसके बाद' की यह पंक्ति इसी की ओर इंगित करती है :–

"कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास,
कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास,
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त,
कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।"

जब अनाज घर पर आ जाते हैं तो मानों सबकी आँखें चमक उठती है। मनुष्य से लेकर जीव–जन्तुओं में भी भूखमरी का असर दिखाई पड़ता है :–

"दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद
धुआँ उठा आँगन से ऊपर कई दिनों के बाद
चमक उठीं घर भर की आँखें कई दिनों के बाद
कौए ने खुजलाई पांखे कई दिनों के बाद!"

कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की यह पंक्ति उसी भुखमरी का परिणाम दिखाते है –

"गोली खाकर
एक के मुँह से निकला – 'राम'।
दूसरे के मुँह से निकला – 'मारो'।
लेकिन तीसरे के मुँह से निकला – 'आलू'।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है
कि पहले दो के पेट
भरे हुए थे।"

ये कविताएँ समकालीन प्रवृत्तियों से ओत–प्रोत है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा भी समसामयिक विषयों से संबन्धित कविताएँ उस वक्त लिखे गए जो आज भी प्रासंगिक है। इसी कड़ी में धर्मवीर भारती जैसे प्रसिद्ध कवि 'लघु मानव' की श्रेष्ठता अपनी कविता 'टूटा पहिया' के जरिए दर्शाती है –

"मैं
रथ का टूटा पहिया हूँ

लेकिन मुझे फेंको मत !
क्या जाने कब
इस दुरूह चक्रव्युह में
अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ
कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाय!"

कविवर आगे यह भी बताते है कि किस प्रकार विपत्ति आने पर यहीं लघु मानव किसी को बचा भी सकते है। अतः इनका निराधर मत कीजिए –

"मैं रथ का टूटा पहिया हूँ
लेकिन मुझे फेंको मत
इतिहासों की सामूहिक गति
सहसा झूठी पड़ जाने पर
क्या जाने
सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले!"

लोकतंत्र सुनने में कितना अच्छा लगता है परंतु वास्तविकता में देखा जाए तो आज के लोकतंत्र का जो नक्शा है। इसमें हमें स्वतन्त्रता तो प्राप्त हुए है लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अब भी नहीं हो पाई है। हमें बोलने की आजादी दी रखी है परंतु उस आजादी का क्या महत्व रह जाती जब जी चाहे समय आने पर व्यवस्था के तले ये आवाज दब जाती है या इसे दबा दिए जाते है। आजाद देश में रहकर भी पराधीनता का शिकार हुए जा रहे है। कविवर धूमिल की कविता 'बीस साल बाद' की ये पंक्ति उसी आजादी के प्रति प्रश्न करता नजर आता है :–

"बीस साल बाद और इस शरीर में
सुनसान गलियों में तोते की तरह गुजरते हुए
अपने – आप से सवाल करता हूँ
क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों के नाम हैं
जिन्हें एक पहिया ढोता है
या इसका कोई खास मतलब भी होता है।"

उपरोक्त पंक्ति समकालीन कविता के अंतर्गत आते है। यह हमारी अपनी स्थिति को दर्शाती है। आजाद देश में रहते हुए भी आजाद रहने का कोई मतलब नहीं होना यह आज की समस्या है, न केवल उस वक्त की जिस समय इसे लिखा गया। समकालीन कविता के कवियों की रचनाओं में हमें समकालीन कविता के स्वरूप मिल जाते है। तत्कालीन समय जिस प्रकार परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण दिखाई पड़ते है वे अब भी इसी परिवेश के उपज लगते है। यहीं समसामयिकता एवं समकालीनता इन कविताओं में दिखाई पड़ते है। कविवर धूमिल की अन्यतम कविता 'मोचीराम' इसी परिवेश का ही पात्र है जो सच्चाई बताने में कतराते नहीं है –

"बाबूजी सच कहूँ – मेरी निगाह में
न कोई छोटा है

न कोई बड़ा है
मेरे लिए, हर आदमी एक जोड़ी जूता है
जो मेरे सामने
मरम्मत के लिए खड़ा है।"

इस तरह से देखा जाए तो समकालीन कविता उन तमाम मसलों को सामने उभरकर लाते है जो समाज में घटित हो रहा है या हो गया है। ये कोई नया आविष्कार नहीं है। ये तो इसी परिवेश के भीतर मौजूद उन तमाम बेजुबान शब्दों की अभिव्यक्ति है जिसके सहारे लोग अपना प्रतिबिम्ब देखता है, अपनी दशा देखती है। समकालीन कविता की यहीं प्रवृत्ति आज भी इसे प्रासंगिक बनाए रखते है। समकालीन परिवेश से ओत–प्रोत ये कविताएँ आज भी लोगों के दिलो–दिमाग में बस गए है, लोगों के कंठस्थ हो गए की इसे भुलाए नहीं भूल पाते। इसके अलावा कविता लिखने की जितनी भी पद्धतियाँ आई, उनमें कहीं–न–कहीं कोई विशेष प्रवृत्ति की मजबूत पकड़ रही है जिसके कारण वे बाकी पद्धतियों से बिलकुल अलग दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, अकविता आदि अपने अलग परिवेश में लिखी हुई कविताएँ है। परंतु समकालीन कविता उस समय की लिखी हुई रचना होते हुए भी वर्तमान परिवेश से मिलती–जुलती है, यहीं इनकी खासियत भी है जो उन्हें समसामयिक एवं समकालीन बनाते भी है। अतः समकालीन कविताओं को हम एक ही समय–सीमा में बांधकर नहीं रख सकते। यह तो मिलों दूर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें लोक जीवन के यथार्थ रूप दिखाई पड़ती है। अपनी वैशिष्ट्यता से सबको आह्लादित करने वाले समकालीन कविता हिन्दी साहित्य की अनुपम उपलब्धियों में से एक है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. अलका गडकरी जाधव, समकालीन हिन्दी कविता : विविध विमर्श, 2017
2. अवनीश कुमार अस्थानी, समकालीन हिन्दी कविता : नया परिप्रेक्ष्य, 2019
3. जगजीवन शर्मा, समकालीन कविता में ग्रामीण बोध, 2010
4. लोकेन्द्र कुमार, समकालीन हिन्दी कविता में युगबोध, 2023
5. परमानन्द श्रीवास्तव, समकालीन कविता : नए प्रस्थान, 2018
6. राधा वर्मा, समकालीन हिन्दी कविता के बदलते सरोकार, 2010
7. संजय राठोड, समकालीन हिन्दी कविता का बदलता परिदृश्य, 2014
8. सत्यनारायण स्नेही, समकालीन कविता में लोक चेतना, 2012

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 25-29

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

किशोरों के अपराध को कम करने के लिये मूल्य आधारित शिक्षा का योगदान

डॉ. चन्द्रशेखर सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ।

सारांश :-

आधुनिक प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया की स्थापना के साथ पूरे पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं भारतीय समाज के साथ–साथ किशोरों के सभी दौर के विकास में। पर्याप्त की अनुपस्थिति में पर्यवेक्षण, मोबाइल, टेलीविजन और इंटरनेट की आदत तनाव, ईर्ष्या, अवसाद को बढ़ा रही है और किशोरों के बीच त्वरित प्रतिक्रिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की दर के अनुसार कानून के साथ संघर्ष में किशोरों के खिलाफ पंजीकृत मामलों में अपराध 82.28 प्रतिशत तक बढ़ गया है 2005 से 2023 तक। NCRB से यह भी पता चलता है कि किशोरों द्वारा बलात्कार की संख्या बढ़ गई है जो 345 हो गई है 2002 से 2023 शत–प्रतिशत। बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है लेकिन उनके पास नहीं है उनके आवश्यक अधिकारों, मूल्यों, नैतिकता और मानवता का ज्ञान। रुकने या कम करने की बहुत आवश्यकता है भारत में किशोर का अपराध। मूल्य आधारित शिक्षा और स्कूल का वातावरण उचित को प्रभावित करता है बच्चों का विकास। इस शोध लेख में शोधकर्ताओं ने कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया स्कूल स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा। स्कूल स्तर पर सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों और वीबीई की सगाई आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, सहयोग और सार्वभौमिक भाईचारे की स्वतंत्रता की क्षमता विकसित करें। शोधकर्ताओं ने किशोरों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का भी वर्णन किया। मीडिया, सहकर्मी प्रभाव, समाज और परिवार से बहिष्करण किशोरों के मानसिक, सामाजिक और के महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कारक हैं शैक्षिक विकास। VBE के बारे में शिक्षकों की योग्यता बदलने के लिए महत्वपूर्ण कारक है किशोरों का व्यवहार।

मुख्य शब्द :- किशोर, मूल्य आधारित शिक्षा, कालेज, शिक्षक, सहयोग और यूनिवर्सल ब्रदर हुड।

प्रस्तावना :-

युवा देश के भविष्य हैं जिनका विकास कालेजों के पर्यावरण में होता है जो इनके भविष्य का निर्माण करता है ये देश के निर्माण में एवं विकास में सहायक होते है मूल्य आधारित शिक्षा और स्कूल पर्यावरण के उचित विकास को प्रभावित करते हैं बालक। आधुनिक तकनीक और सामाजिक मीडिया पूरे भारतीय पर नकारात्मक प्रभाव डालता है समाज के साथ–साथ ऑल–राउंड डेवलपमेंट में किशोरों की। जैसे मूल्य, सहनशीलता, साहस,

आत्म–प्रेरणा, कड़ी मेहनत और सामाजिक और मानव मूल्य तेजी से घट रहे हैं वर्तमान समाज में किशोर की गिरावट किशोरों के बीच सामाजिक मूल्य एक नकारात्मक का नेतृत्व करेंगे निर्माण, बनावट और सामाजिक पर प्रभाव भविष्य के समाज का पर्यावरण। घटना किशोर के अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं इंडियन सोसाइटी के रूप में निर्भया बलात्कार केस (दिसंबर 2012, दिल्ली), एक निर्दोष बच्चे की हत्या की हत्या वर्ष 2019 में हैदराबाद के बहुचर्चित दिशा रेप हत्याकांड एवं केस नं0 2 श्रेया चटर्जी 1 जनवरी 2023 दिल्ली के सुल्तान पुरी इलाके में घटना शटिकेस नं0 31 जनवरी 2016 की घटना बरेली के नवाबगंज में दोहराया गया। जैसे कई मामलों की संख्या के खिलाफ पंजीकृत किया गया था किशोर 18939 (NCRB 2015) थे। मामले के साथ संघर्ष में किशोर के खिलाफ पंजीकृत 2015 में कानून 33433 (NCRB 2017) था। 2016 में, इन मामलों की संख्या 35849 (NCRB 2017) थी।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार रिपोर्ट 2017, किशोर के मामलों के तहत अपराध की दर भारत में कानून के साथ संघर्ष में वृद्धि हुई है किशोर अपराध एक गंभीर मुद्दा बन गया है समाज के लिए। डेटा से पता चलता है कि अपराध की दर के तहत संघर्ष में किशोर के खिलाफ पंजीकृत मामले कानून बढ़ाकर 89.28 प्रतिशत कर दिया गया है 2005 से 2016 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड का डेटा ब्यूरो (NCRB) से पता चलता है कि बलात्कार की संख्या किशोर द्वारा बढ़ाकर 143 प्रतिशत कर दिया गया है 2002 से 2012 तक। इसी अवधि में, संख्या नाबालिगों द्वारा की गई हत्याओं में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि महिलाओं के अपहरण के मामले और नाबालिगों द्वारा लड़कियों ने 500 के बड़े पैमाने पर बदलाव तक पहुंचा प्रतिशत। रुकने या कम करने की बहुत आवश्यकता है भारत में किशोर का अपराध। इस महत्वपूर्ण समय में, भूमिका समाज और स्कूल अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं किशोर के अपराधों को कम करने के लिए अन्य संस्थानों की तुलना में। डेटा से यह भी पता चलता है कि समाज को अपनाने की आवश्यकता है स्कूल स्तर पर एक मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली किशोरों के लिए।

सैंडर, जानयबी (2010) ने पाया कि अकादमिक उपलब्धि में बहुत महत्वपूर्ण विचार अपराधऔर अपराध का क्षेत्र। अध्ययन से पता चलता है यह विफलता अधिक से अधिक अपराधी के साथ जुड़ी हुई है व्यवहार क्या सफलता एक सुरक्षात्मक की है कारक। स्कूल की विफलता या ड्रॉप आउट एक रहा है बड़ा कारण यह है कि सभी किशोरों और वयस्कों का 80 प्रतिशत से अधिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश किशोर अपराधियों के पास है विशेष रूप से पढ़ने में कम शैक्षणिक कौशल। लेकिन समस्या व्यापक लगती है क्योंकि कोई नहीं हो सकता है किशोर के अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों का ठीक से अध्ययन करें अपराधी। मैरी इटग्रेनन (1957) ने सुझाव दिया कि कुछ बच्चे अपने स्कूल के कारण अपराधी हैं अनुभव लगभग पूरी तरह से विफलताओं में हुए। स्कूल को इनको अवसर प्रदान करना चाहिए सफलता का आनंद लेने के लिए बच्चे। उसने आगे सुझाव दिया सभी बच्चे अपने बड़े से प्रभावित हैं और व्यावहारिक रूप से बड़े होने और जानना चाहते हैं कड़ी मेहनत का महत्व। स्कूल को लेना चाहिए विद्यार्थियों के लिए अवसरों की जांच करने के लिए एक पहल ताकि बच्चे घर, स्कूल में योगदान दे सकें और उनकी क्षमता और क्षमता के साथ समुदाय समाज की बेहतरी के लिए।

वे बच्चे एक महत्वपूर्ण बनाने की सुविधा होनी चाहिए अतीत में योगदान एक उदाहरण स्थापित करेगा वर्तमान बच्चों को प्रेरित करने के लिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह भी उजागर किया है कि केवल परिस्थितियों

की तरह गरीबी और माता–पिता की देखभाल की कमी किशोर को प्रेरित करती है कानून के साथ संघर्ष में आओ। उन्होंने यह भी कहा है कि केवल पुनर्वास उपाय और मूल्य आधारित शिक्षा ऐसी घटनाओं को रोकने में मददगार हो सकता है। (हिन्दू, 22 जुलाई 2017) रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा–निर्देश किशोर अपराध (दिसंबर 1990, रियाद दिशा–निर्देश) ने उस शिक्षा की सिफारिश की है सिस्टम को माता–पिता, समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए संगठनों और एजेंसियों से संबंधित युवा व्यक्तियों की गतिविधियाँ। सिस्टम की जरूरत है युवा व्यक्तियों की देखभाल और अधिक ध्यान दें जो समाज द्वारा उपेक्षित हैं। विशेष रोकथाम कार्यक्रम और शैक्षिक सामग्री, पाठ्यक्रम, दृष्टिकोण और उपकरण विकसित किए जाने चाहिए और पूरी तरह से संबंधित से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है समस्या।

शिक्षक और अन्य पेशेवर हो सकते हैं रोकने और निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये समस्याएं। स्कूलों को कई प्रदान करना चाहिए सुविधाओं की तरह चिकित्सा, परामर्श और अन्य युवा व्यक्तियों को सेवाएं, जो अपमान जनक से पीड़ित हैं टिप्पणी, समाज की उपेक्षा रवैया, के रूप में साबित हुई पीड़ित और समाज द्वारा शोषण किया गया। विद्यालय प्रणाली उच्चतम से मिलने और बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए पेशेवर और शैक्षिक मानकों के साथ पाठ्यक्रम, शिक्षण और सीखने के तरीकों का सम्मान, दृष्टिकोण और भर्ती और प्रशिक्षण योग्य शिक्षक। इसे योजना पर ध्यान देना चाहिए और अतिरिक्त–कार्यात्मक गतिविधियों का कार्यान्वयन सहयोग में युवा व्यक्तियों के लिए रुचि के साथ सामुदायिक समूह।

उद्देश्य :–

1. मूल्य आधारित शिक्षा की भूमिका को समझने के लिए स्कूल स्तर पर।
2. किशोर को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाने के लिए।

बाल अपराधी :–

अपराध एक ऐसी क्रिया है जो उस समूह की दृढता की विरोधी है जिसे व्यक्ति अपना समझता है। आवारागर्दी, भीख मांगना, बुरे इरादे, शैतानी करना और उदंडता बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं।

एक किशोर अपराधी उम्र के बीच एक नाबालिग है 10 और 18 में से जो कानून प्रणाली के खिलाफ कार्य करते हैं। इन कृत्यों को श्अपराधी अधिनियम' कहा जाता है, लेकिन अगर कोई वयस्क करता है इन कृत्यों को अपराध माना जाएगा। किशोर को एक दृष्टिकोण और निंदा प्राप्त होती है उन अवैध कृत्यों के लिए। आमतौर पर एक अपराधी कार्य दो श्रेणियां हैं। पहले प्रकार का अपराधी अधिनियम एक किशोर को विशेष रूप से एक अपराधी के रूप में मानता है उनके गंभीर अपराध। इन मामलों में कुछ क्षेत्राधिकार बच्चों को वयस्कों के रूप में विचार करें।

दूसरा प्रकार अपराधी अधिनियम एक है जो एक पर विचार नहीं करता है परिस्थितियों के आधार पर एक अपराध के रूप में वयस्क का प्रयास। वे आमतौर पर उम्र से संबंधित या आँकड़े के रूप में जाने जाते हैं अपराध के दौरान स्कूल से अनुपस्थिति तात्कालिकता और कर्फ्यू सबसे आम उदाहरण हैं उम्र से संबंधित अपराधों की। स्कूली शिक्षा और किशोर स्कूली शिक्षा कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किशोरों की अपराध दर। यह के व्यवहार को आकार देता है विभिन्न प्रकार के सह–पाठ्येतर के माध्यम से किशोर गतिविधियाँ। कुछ मनोरंजन कार्यक्रम, सॉर्ट, नृत्य, नाटक, कराटे, गेंदबाजी, चढ़ाई और कला किशोरों के लिए स्कूल द्वारा समय पर आयोजित

किया जाता है। प्रभावी सगाई और की भागीदारी इन गतिविधियों में किशोर कम करने में सहायक होते हैं किशोरों की अपराध दर की भागीदारी समुदाय आधारित कार्यक्रम में किशोर एक सुरक्षित सामाजिक में बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है पर्यावरण। लड़कियों की भागीदारी के समान स्काउट, बॉयज स्काउट और एक समुदाय में स्वयं सेवक है सामाजिक व्यवहार को सकारात्मक रूप से आकार देने के लिए सहायक किशोर का। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि गुणवत्ता शिक्षा को कम करने में भी महत्वपूर्ण कारक है किशोरों की अपराध दर। अकादमिक रूप से अच्छा किशोरों ने अपराध में संलग्न नहीं किया लेकिन जो लोग अकादमिक रूप से गरीब हैं वे शामिल हैं आपराधिक गतिविधियों में। समुदाय के तीन पहलू आधारित कार्यक्रम, गुणवत्ता शिक्षा और को क्यूरिक गतिविधियाँ प्रभावी रूप से सहायक हैं किशोर की अपराध दर में कम करना।

मूल्य आधारित शिक्षा :–

मूल्य आधारित शिक्षा सामाजिक, नैतिक प्रदान करती है, अखंडता, चरित्र, आध्यात्मिकता और कई और। यह विनम्रता, शक्ति और के गुणों का निर्माण करता है छात्रों में ईमानदारी। टइम बेहतर नागरिक बन जाते हैं एक देश का। उच्च नैतिक मूल्यों वाले छात्र होंगे दूसरों को कभी धोखा मत दो। छात्रों को सहयोग करना सिखाया जाता है एक दूसरे के साथ। वे अपने जीवन को खुश करते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करें। किशोर को प्रभावित करने वाले कारक मीडिया : कई शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि किशोर हिंसा देखते हैं और एक प्रवृत्ति रखते हैं विशेष रूप से अधिक आक्रामक या हिंसक व्यवहार करें जब वे किसी के द्वारा उकसाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से है 8 से 16 साल के लड़कों की विशेषता जो अधिकहैं इस तरह के प्रभावों के लिए कमजोर। टेलीविजन और मीडिया समाज के लिए प्रामाणिक और प्रगतिशील जानकारी का प्रतिनिधित्व करके अधिक प्रभावी और रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। सहकर्मी प्रभावः किशोरों की अपराध के लिए सहकर्मी प्रभाव एक और महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों के लिए सहकर्मी स्कूल कार्यक्रमों की एक बड़ी आवश्यकता है जो उन्हें सकारात्मक आत्म–अपापर में संलग्न करते हैं, संघर्ष से निपटते हैं, और आक्रामकता को नियंत्रित करते हैं। ये कार्यक्रम किशोरियों को उनके अवैध व्यवहार के विकल्पों को खोजने में भी मदद करते हैं। इन कार्यक्रमों को किशोरियों के सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के साथ संलग्न होना चाहिए जो संघर्ष से बचने और आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं।

बहिष्करण :–

समाज द्वारा किशोरियों का बहिष्करण भी किशोरों की अपराध के लिए एक जिम्मेदार कारक है। किशोरों के समाज से प्रतीकात्मक बहिष्करण जिन्होंने मामूली अपराध किया है, उनमें नाजुक कैरियर के विकास के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है। अध्ययनों से पता चलता है कि लेबलिंग के कार्य से एक अपराधी छवि को अपनाने का नेतृत्व किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में अपराधी गतिविधियाँ होती हैं। किशोरों की अपराध दर में सुधार में समाज एक रचनात्मक भूमिका निभाता है। स्थानीय समुदाय, युवा लोगों और किशोरियों को समाज की रचनात्मक गतिविधियों में एक साथ भाग लिया जाना चाहिए।

परिवार :–

परिवार किशोर के मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण और जिम्मेदार कारक है। अध्ययनों से पता चलता है कि किशोर जो पर्याप्त माता–पिता की देख–रेख करते हैं, वे आपराधिक गतिविधियों

में संलग्न होने की संभावना कम हैं। डिस फंक्शनल पारिवारिक सेटिंग्स–संघर्ष अपर्याप्त माता–पिता नियंत्रण, कमजोर आंतरिक लिंकेज और एकीकरण और पूर्व–परिपक्व स्वायत्तता द्वारा विशेषता किशोर अपराध के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। माता –पिता की नियमित पर्यवेक्षण और अवलोकन किशोर के सकारात्मक विकास के सकारात्मक पहलू हैं। मूल्य आधारित शिक्षा और स्कूल उपरोक्त घटनाओं और एन.सी.आर.बी. डेटा से पता चलता है कि मूल्य किशोरों के बीच दिन दर दिन तेजी से घट रहे हैं।

इस प्रकार, स्कूल में वीबीई के प्रभावी कार्यान्वयन की बहुत आवश्यकता है। प्रभावी मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली किशोरियों के बीच व्यापक क्षमताओं, दृष्टिकोण और कौशल को बढ़ावा देती है। VBE के माध्यम से शिक्षित करने की प्रक्रिया किशोरों के महत्वपूर्ण और प्रभावी सोच, तर्कसंगत विकल्प और जिम्मेदार व्यवहार को प्रेरित कर रही है। सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच संबंध और वीबीई किशोरों के बीच मूल्यों में भी सुधार करता है। सह–पाठयक्रम गतिविधियाँ किशोरों को लाभ प्राप्त करने में मदद करती हैं आत्मविश्वास, शर्म और हीनता से छुटकारा जटिल और उनकी संभावित क्षमताओं में वृद्धि और कौशल। सह पाठयक्रम गतिविधियों की सगाई और स्कूल स्तर पर वीबीई स्वतंत्रता की क्षमता विकसित करता है आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास, सहयोग की और सार्वभौमिक भाईचारा। शिक्षकों की योग्यता वीबीई के बारे में बदलने के लिए महत्वपूर्ण कारक है किशोरों का व्यवहार। शिक्षक एक भूमिका के रूप में कार्य करते हैं स्कूल में छात्रों के लिए मॉडल और एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं छात्रों के बीच नैतिक व्यवहार विकसित करने में।

सुझाव :–

मूल्य उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया। समाज कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए स्कूलों की सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के माध्यम से। अभिरुचि विकसित करने की बहुत आवश्यकता है मूल्य आधारित शिक्षा के संबंध में शिक्षकों की समुदाय आधारित कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए स्कूलों के साथ।

निष्कर्ष :–

मूल्य आधारित का प्रभावी कार्यान्वयन स्कूली स्तर पर किशोरों के लिए शिक्षा आवश्यक है भारत में जहां किशोरों के अपराध बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। VBE के लिए एक सकारात्मक फोकस प्रदान करता है किशोरों के अनुचित व्यवहार को पुन निर्देशित करना। यह एक सहयोगी और सामंजस्य पूर्ण स्कूल बनाने में मदद करता है समुदाय जो किशोरों की समस्याओं का पता लगाता है और उन्हें प्रभावी ढंग से हल करने की कोशिश करता है। यह गुणवत्ता को बढ़ाता है शिक्षण, छात्रों की अधिक देखभाल करना चाहता है, बनाता है छात्र अधिक सहिष्णु, सहकारी और जिम्मेदार अपने लक्ष्य की ओर और छात्र–शिक्षक बनाता है रिश्ता भरोसेमंद। मूल्यों और समुदाय के साथ पाठ्य सहगामी गतिविधियों का जुड़ाव आधारित कार्यक्रम स्वतंत्रता की क्षमता का विकास करते हैं आत्म अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास और सार्वभौमिक किशोरों के बीच भाईचारा।

सन्दर्भ सूची :–

1. कपूर वीरेन्द्र सिंह ''अपराध निरोध एवं समाज सुधार''।
2. गुप्ता रामप्रसाद ''क्राइम एंड पनिसमेंट''।
3. परांजपे एन0 बी0 ''अपराध शास्त्र एवं दण्ड शास्त्र''।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 30-34

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

राजस्थान में दीर्घकालीन कृषि में भूजल प्रबंधन की भूमिका

डॉ. हरलाल मील

स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, भूगोल, एस.एस.जी. पारीक पी.जी. कॉलेज, जयपुर, राजस्थान।

सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान भू–गर्भीय जल की कमी वाला राज्य है। यहाँ पर राष्ट्रीय जल संसाधन का मात्र एक प्रतिशत जल ही उपलब्ध है। भारतीय संस्कृति में जल को देवता और जीवन का पर्याय माना जाता हैं। सम्पूर्ण जीवधारियों यानि कि मनुष्य, पशु–पक्षियों एवं पेड़ पौधों के शरीर का 90 प्रतिशत भाग पानी का ही बना होता हैं। जीवन की समस्त आवश्यक क्रियाओं के लिए जल नितान्त आवश्यक है, जिसके अभाव में ना तो सृष्टि की रचना सम्भव है और न कृषि का विकास। विडम्बना ही है कि पृथ्वी का लगभग तीन चौथाई भाग जल से ढ़का होने तथा महासागरीय पानी से भरे होने के बावजूद पीने व खेती हेतु जल उपलब्धता अत्यल्प हैं। जल एक ऐसा प्राकृतिक बहुमूल्य संसाधन हैं, जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है तथा जल है तो कल है। पृथ्वी का 97 प्रतिशत जल समुद्र में मौजूद हैं, परन्तु वह पानी अत्यधिक लवणयुक्त होने के कारण कृषि उपयोग के योग्य नहीं है। पृथ्वी का शेष एक–चौथाई भाग, जो कि भूमि से ढ़का हुआ है। भूमि पर कुल पानी की मात्रा का लगभग 4 प्रतिशत भाग उपलब्ध है। पानी की यह मात्रा बर्फ से ढ़के पहाड़ों पर नदियों में भू–जल के रूप में, तालाबों व झीलों में वायुमण्डल में वाष्प के रूप में मौजूद रहती है।

भूमि पर उपलब्ध पानी की सबसे अधिक मात्रा बर्फ के रूप में पहाड़ों पर उपलब्ध है, उससे कम पानी की मात्रा भू–जल के रूप में मौजूद रहती है। जल एक राष्ट्रीय धरोहर है और अगला विश्वयुद्ध मजबूती बनाने या भू–भाग व तेल पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए नहीं, बल्कि पानी के लिए लड़ा जाएगा। कारण स्पष्ट है, जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि, पशुपालन, उद्योग धन्धों एवं पीने के पानी की माँग बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या के कारण वन सिमटते जा रहे हैं, जिस कारण वर्षा जल रूककर धरती में समा नहीं पाता, परिणामस्वरूप धरती का जलस्तर 1–1.5 मीटर प्रति वर्ष निरन्तर नीचे गिरता जा रहा हैं, जिससे आगामी दो–तीन दशकों में कृषि को मिलने वाले जल के अनुपात में 10–15 प्रतिशत कमी आने का अनुमान किया गया है। भू–जल के उपरी जल स्त्रोत सूख रहे हैं। अतः पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भू–जल के निचले एवं गहरे जल स्त्रोतों का दोहन किया जा रहा हैं, जिनमें पानी अधिकांशतः लवणीय गुणवत्ता का मिल रहा है जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य खराब होने के कारण फसलोत्पादन एवं मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही, पानी के भूमि से निकालने की लागत बढ़ने से फसल की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। अतः घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्र में जल की मांग दिन–प्रतिदिन बढ़ने के कारण जहां एक और सिंचित

क्षेत्र की कमी हो रही है। वही दूसरी और जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की मांग निरंतर बढती जा रही है। अतः वर्तमान में जल की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखकर उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन की नितान्त आवश्यकता है।

भूमिगत जल :–

वर्षा से प्राप्त हुए जल की कुल मात्रा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। इसका कुछ भाग (लगभग 60 प्रतिशत) मिट्टी की उपरी सतह तक पहुँचता है तथा शेष जल धरातल के नीचे प्रवेश्य स्तर तक पहुंचता है। जिसे बाद में कुंए व नलकूप आदि खोदकर पुनः प्राप्त किया जाता हैं। इस जल को भूमिगत जल या भू–जल कहा जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में कुल अपूर्मिय भौम जल क्षमता लगभग 430 अरब घन मीटर में है। इसका 92 प्रतिशत भाग सिंचाई के लिए निकाला जाता है। भूमिगत जल ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी पीने के मुख्य स्त्रोत के रूप में योगदान दे रहा है। देश में भूगर्भिक जल का वितरण काफी असमान है। क्योंकि इस जल की स्थिति पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति की दशा आदि तत्वों का प्रभाव पड़ता हैं। राज्य स्तर पर भूमिगत जल संसाधन की क्षमता की दृष्टि से बहुत विषमताएं पायी जाती है। यह पंजाब में 98.3 प्रतिशत है तो जम्भू–कश्मीर में केवल 1.07 प्रतिशत हैं। राज्यों में भूमिगत जल में यह अंतर जलवायु में अंतर के कारण पाया जाता हैं। जिन राज्यों में वर्ष की मात्रा कम है, इसकी परिवर्तनशीलता अधिक होती है और धरातलीय जल का अभाव हैं।

शुष्क क्षेत्र (ड्राई जोन) :–

जमीन में पानी विभिन्न परतों में रहता है जिन्हें एक्वाफर लेयर कहते हैं। भूजल निकालने के लिए दो लेयर उपलब्ध हैं। पहली लेयर में 9 में 120 फीट तक पानी है और दूसरी में 180 से 270 फीट तक होती है। पहली लेयर का पानी खत्म होने पर गहराई से बोर कर दूसरी लेयर से पानी निकाला जा सकता है। यदि दोनों लेयर्स सूख जाय तो पानी नहीं निकलता, ऐसे स्थान को ड्राई जोन माना जाता है। खेती से जुड़ी प्राकृतिक आपदाओं में सूखा एक ऐसा नाम हैं, जो हमें तभी याद आता हैं जब यह दबे पांव आ धमकता है। जब तक मानूसन मेहरबान रहता है तब तक हम आमतौर पर सूखे का जिक्र करना भी नहीं चाहते परन्तु अगर पिछले दशक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो सूखे का प्रकोप जब–तब होता ही रहता है। सूखे ने कृषि विशेषज्ञों और जल विशेषज्ञों को फसल–प्रणाली पर सोचने पर मजबूर किया हैं। वर्तमान समय में यह देखा गया है कि सूखा पड़ने का क्रम अतीत में जो पहले कम समय के लिए व काफी दिनों के अंतराल पर आता था। अब वह क्रम टूट रहा है। अब सूखा जल्दी–जल्दी व कम अंतराल में आने लगा है। यदि सूखा जोर पकड़ता है तो हमें शुष्क भूमि कृषि को अपनाना चाहिए।

शुष्क भूमि कृषि :–

देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत भाग शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। शुष्क क्षेत्र मुख्य रूप से 6 राज्यों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में फैला हुआ है। शुष्क मरूस्थलीय क्षेत्रों की मुख्य विशेषता यह होती हैं कि यहां वर्षा की मात्रा 500 मि.मी. से कम होती है तथा सूर्य का तापमान 400–500 कैलोरी प्रति वर्ग से.मी. प्रति दिन होता है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसान ज्यादातर ज्वार, बाजरा, शुष्क दलहन आदि मोटे अनाजों एवं दालों की खेती करते हैं, जो उनकी मजबूरी होती

है। अतः जलवायु के अनुकूल खेती के तरीकों में परिवर्तन करके, शुष्क क्षेत्रों में बागवानी फसलों की खेती निश्चित ही सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। अतः इन क्षेत्रों में ऐसे वृक्षों तथा प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जिन्हें जल की आवश्यकता कम होती है तथा जिनकी वृद्धि, पुष्पन और फलन ऐसे समय पर होता है जब जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके अलावा इन वृक्षों तथा प्रजातियों की जड़ें गहरी जाती हों, क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो, सूखा अवरोधी हो। लवणीय क्षारीय जल के प्रति सहिष्णु हो तथा आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से लाभकारी हो। कम पानी चाहने वाली वैकल्पिक फसलों और किस्मों की बुआई की जा सकती है। अनेक फसलों की ऐसी किस्में भी उपलब्ध हैं, जो सूखे को आसानी से सह लेती है या कम अवधि में तैयार होकर पूरा उत्पादन देती है।

भारत में जल संकट के प्रमुख कारण :–

1. **जल का अत्यधिक अपव्यय :–** वर्तमान समय में पानी का अत्यधिक अपव्यय हो रहा हैं। नतीजा, भू–जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा हैं। आज भी हम वर्षा के पानी का समुचित उपयोग नहीं कर पाते है। भारत देश में जितनी वर्षा होती हैं उसका सिर्फ 15 प्रतिशत पानी रोककर संग्रहण या उपयोग हो पाता हैं। जबकि अधिकांशत 85 प्रतिशत पानी, खेती, सड़कों, बस्तियों, शहरों से बहकर नदी नालों में से समुद्र में मिल जाता है। पानी की सप्लाई के दौरान भी काफी पानी बर्बाद हो जाता है। बड़े शहरों में लगभग 40 प्रतिशत पानी सप्लाई के दौरान व्यर्थ बह जाता है। संग्रहण क्षमता का हमारे यहां अभाव है। संग्रहण क्षमता इतनी कम है कि हम 30 दिन के बराबर ही बारिश का पानी संग्रहित कर सकते है। वर्षा जल संग्रहण के प्रति जागरूकता का अभाव ही प्रमुख वजह हैं। जल के प्रति कुप्रबन्धन के कारण भी पानी का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है।

2. **खेती में बढ़ती जलमांग :–** कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषिगत कार्यों में पानी का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। खेती में बढ़ती जलमांग के प्रमुख कारण इस प्रकार है :–

(क) अधिक पानी चाहने वाली फसल प्रजातियों का प्रादुर्भाव :– फसलों की नवीनतम बौनी प्रजातियों एवं संकर प्रजातियों में सिंचाई जल की अधिक आवश्यकता होती है। इन प्रजातियों में अधिक उत्पादन हेतु अधिक मात्रा में पोषण तत्वों की आवश्यकता होती हैं, जिसकी पूर्ति रासायनिक उर्वरकों द्वारा की जाती है, जिसके कारण अधिक सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। अधिक सिंचाईयों का तात्पर्य अधिक मात्रा में भू–जल का दोहन या नदियों एवं नहरों के पानी का प्रयोग हैं, जो कि भू–जल स्तर नीचे गिरने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं।

(ख) अधिक पानी वाली नकदी फसलों की बुवाई :– वर्तमान में, कृषि के मूलभूत सिद्धान्त 'फसल चक्र' को अपनाना ही भूल गए हैं। अतः कृषक केवल धन अधिक मात्रा में अर्जित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष अधिक पानी चाहने वाली फसलों व नकदी फसलें जैसे आलू, गन्ना, धान, गेहूँ इत्यादि को अधिक उगा रहे हैं, जिनमें अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता हेतु अधिक मात्रा में भू–जल का दोहन किया जाता हैं जिसके कारण भू–जल तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है।

(ग) क्यारी सिंचाई विधि का प्रयोग करना :– आजकल कृषि के यन्त्रीकरण के कारण भू–जल का दोहन बहुत ही सरल हो गया हैं, क्योंकि पम्पसेट या ट्यूबवेलों द्वारा कम लागत में कम समय में अधिक पानी की मात्रा को भूमि से बाहर निकाला जा सकता है। जिसके कारण कृषक कृषि फसलों में बाढ़ सिंचाई विधि का प्रयोग करते है। इस सिंचाई विधि में अधिक पानी की मात्रा की आवश्यकता होने के कारण अधिक मात्रा में भू–जल का दोहन

किया जाता है। परिणामस्वरूप भू–जल स्तर नीचे की तरफ तेजी से गिर रहा है।

(घ) खेती में जीवांश खादों का अभाव होना :– वर्तमान में अधिकांश किसान जीवांश खाद के प्रयोग को छोड़कर फसलोत्पादन के लिए केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते है। रासायनिक उर्वरकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से भूमि जीवांश पदार्थ की कमी तथा खारे पानी की मात्रा बढ़ जाने से मृदा स्वास्थ्य में लगातार ह्रास हो रहा हैं। मृदा की जलधारण क्षमता घट जाने से फसलों में अधिक सिंचाइयां करनी पड़ती है। अतः अधिक मात्रा में सिंचाई जल का दोहन भूमि से किया जाता हैं जोकि भू–जल स्तर को प्रभावित करता है।

(ङ) खेती के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करना :– कुछ राज्यों की राज्य सरकारें कृषि कार्यों के लिए निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करा रही हैं। जिसके कारण कृषक अनियन्त्रित रूप से भू–जल का दोहन कर उसका अपव्यय करते हैं। अतः भू–जल का कोई मूल्य न होने के कारण उसका अपव्यय कर भू–जल स्तर को प्रभावित करता है।

3. तेज औद्योगिक विकास :– भारतीय अर्थव्यवस्था में उभार की वजह से देश में पानी की कमी आई हैं एवं लगातार मांग बढ़तीय जा रही है। उद्योगों से निकलने वाले भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थो की वजह से पानी के क्षेत्र प्रदूषित हो रहे हैं या होते है।

4. बदलती मानवीय जीवन शैली :– हमारे देश में पिछले तीन दशकों से भारत की शहरी आबादी दोगुनी हो गई है। अब कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है। शहरों में रहने की वजह से लोगों की लाइफ स्टाइल बदली हैं। बदलती हुई लाइफ स्टाइल भी पानी की बर्बादी का कारण बना है। शहरों में रहने के कारण वाशिंग मशीन व लश टॉयलेट से शहरी आदतों की वजह से पानी की खपत में बढ़ोतरी हुई है।

5. भू–जल का का रिचार्ज न किया जाना :– देश में जल विकास की स्थिति 55 प्रतिशत हैं अर्थात् 100 लीटर भू–जल के दोहन के उपरान्त जल स्त्रोत को मात्र 55 लीटर जल पुनः लौटाया जा रहा हैं। इससे स्पष्ट है कि भू–जल को रिचार्ज न किया जाना भी भू–जल स्तर के नीचे गिरने का प्रमुख कारण है।

6. जलवायु परिवर्तन एवं जल संकट :– ग्लोबल वार्मिंग की वहज से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। फलतः वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष घटती जा रही हैं, परन्तु कृषि फसलों, मानव व पशुओं तथा उद्योगों के कार्यों के लिए भू–जल का उपयोग प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। और मानव, पशुओं एवं उद्योगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं, जबकि भू–जल की रिचार्जिंग के लिए वर्षा का जल अनुपात में कम उपलब्ध हो रहा है। फलतः भू–जल स्तर निरन्तर घटता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान कार्बनडाइऑक्साइड का हैं, जो कि दिनोंदिन बढ़ रही है।

7. विश्व तापन का बढ़ता कहर एवं जल संकट :– वायुमण्डल का औसत तापक्रम प्रदूषण के कारण लगातार बढ़ता जा रहा हैं और परिणाम स्वरूप हिमनद सिकुड़ते चले जा रहे हैं। जिससे नदियों में पानी का बहाव कम होता जा रहा है। भारतीय मानसून की प्रकृति बदल रही हैं, जिसके लिए भी विश्व तापन जिम्मेदार है।

भू–जल स्तर के गिरने से होने वाली प्रमुख हानियाँ :–

1. भू–जल स्त्रोत के सूखने का खतरा :– भारत में 15 प्रतिशत भू–जल स्त्रोत सूखने लगे हैं या सूखने की स्थिति में है। यदि 1.0 से 1.50 मीटर प्रतिवर्ष की दर से भू–जल स्तर नीचे गिरता रहा, तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे सारे जल स्त्रोत पूर्णतः सूख जायेंगे या इतने नीचे गहराई में होंगे कि वहां, से कृषि फसलों के उगाने,

पशुपालन एवं मानव, उपयोग के लिए भू–जल दोहन करना असम्भव होगा। ऐसी स्थिति में मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा।

2. कृषि फसलों का लागत मूल्य बढ़ने की सम्भावना :– भू–जल स्तर के गिरने के कारण अधिक गहराई से भू–जल दोहन में अधिक धन व्यय करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर फसलों की लागत मूल्य पर पड़ेगा, जिसके कारण धान, गेहूँ, जौ, गन्ना, सब्जियों इत्यादि को उगाना अलाभकारी होगा साथ ही पर्याप्त मात्रा में सिंचाई भी नहीं हो पायेगी।

3. हरे चारे की समस्या व दुग्ध उत्पादन में घटोत्तरी की सम्भावना :– वर्तमान में लोगों की खान–पान की आदतों में तेजी से बदलाव आ रहा है तथा पशु आधारित भोजन की मांग लगातार बढ़ रही हैं। परन्तु जब हम भारतीय पशुधन की कम उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण करते है तो पशुओं के लिये हरे चारे का उपलब्ध न होना एक बड़े कारण के रूप में उभर कर सामने आता है। अधिक जलमांग वाली फसलों के कारण ज्यादा पानी देना पड़ता हैं। जिससे भू–जल स्तर के नीचे गिरते जाने से दाना एवं चारा अधिक महंगा हो जाएगा, जिससे अधिकांश कृषक दुधारू पशुओं की संख्या कम कर देगें, जिससे दूध का उत्पादन प्रभावित होगा साथ ही दूध की कीमत बढ़ जाएगी।

4. भू–जल संकट और कृषक आत्महत्या :– भारत मूलतः कृषि प्रधान गाँवों का देश हैं, आज भी यहां 72 प्रतिशत आबादी गाँवों में ही बसती हैं, जिसका मुख्य पेशा खेती ही है। राजनीतिक पार्टियों के वादों और ढ़ेरों सरकारी दावों के बावजूद आज भारतीय किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। आज धरती पुत्र किसान अन्नदाता की जगह विपन्न और असहाय हो गया है। अनिश्चिमत मौसम की मार तथा सूखे से परेशान हाल कृषकों की आत्महत्या के समाचार अक्सर मिलते रहे हैं।

संदर्भ सूची :–

1. राजस्थान का भूगोल – एच.एस शर्मा (पंचशील प्रकाशन, जयपुर)
2. राजस्थान का भूगोल एवं दृश्य – डॉ. पवन शर्मा (पारीक पब्लिकेशन)
3. राजस्थान का इतिहास – एच.एस सक्सेना (राव पब्लिकेशन)
4. भारत का भूगोल एवं क्षेत्रीय समस्याएँ – डी. आर. खुल्लर (कल्याणी पब्लिकेशन)

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 35-37

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्रसाद के नाटकों में गाँधी दर्शन

डॉ. कान्ती देवी

असि0 प्रोफेसर (हिन्दी), काशीराम मैमोरियल कॉलेज मानपुर, बहेड़ी (बरेली)

जयशंकर प्रसाद के नाट्य लेखन और उनके युग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए सार रूप से यह कहा जा सकता है, कि काल प्रत्येक दृष्टि से आतंक और अवसाद का युग या देश के नेता क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी सभी अपने–अपने स्तर से सामाज्यवादी ताकतों से लड़ रहे थे, एक तरफ यह संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद से था, तो दूसरी तरफ सामन्तवाद के चुके हुए मूल्यों जर्जर अमानवीय व्यवस्थाओं के विरोध में भी था। यानि संघर्ष के आयाम दोहरे थे और संकट तो दोहरा था ही नेताओं और बुद्धिजीवियों के समाने यह समस्या थी कि किस तरह दमनकारी शोषक साम्राज्यवादी सत्ता उखाड़ फेंकी जायें कि इस कार्य के लिए स्वयं को किस रूप में तैयार किया जायें। पहले महायुद्ध नेताओं और जनता तज्जन्य निराशा से ग्रस्त थी। भारतीय नेताओं और जनता ने अंग्रेज पक्ष की सहायता करते हुए इस आशा में भारी जन–माल का नुकसान उठाया कि युद्ध समाप्ति के बाद अंग्रेज भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देंगे किन्तु भारतीय जनमानस का यह सपना अंग्रेज शासको ने न केवल तोड़ दिया बल्कि जन भावनाओं को दवाने के लिए उसने दमन कानूनों और राजनीतिक आतंकवाद का सहारा भी लिया। ब्रिटिश राज्य और उसकी नीतियो को विरोध करने वालों को जेल शोषण यंत्रंणा और निर्वासन का शिकार होना पड़ा।

इन विषम परिस्थितियों के वाबजूद कांग्रेस के इस प्रकार अपने–अपने तरीके और तार्किक विवेक से राष्ट्र मुक्ति के इस महान यज्ञ में देश के हर वर्ग के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया यहाँ तक कि भारतेन्दु के समय से साहित्यकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। साहित्यकार जो जन भावनाओं का प्रतिनिधि होता ही है, फिर जयशंकर प्रसाद और उनकी धारा के राष्ट्रहितैषी युगीन समस्याओं एवं परिवर्तनों से वेखबर कैसे रह सकते थे? युगप्रवर्तक प्रसाद आतंक और अवसाद के उस युग में अतीत के पुनरूत्थान के माध्यम से नवनिमार्ण का दर्शन लेकर आए क्योकि उनकी मान्यता थी कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति कों अपने आदर्श संगठित करने के लिए अत्यन्त लाभदायक है। प्रसाद जी भारत के स्वर्ण कालीन इतिहास के गौरवमय पृष्ठों का दिग्दर्शन करा कर खोए हुए सांस्कृति बोध को जगाने का प्रयास किया।

स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में संकट और संघर्षों से जूझती भारतीय संस्कृति प्रसाद जी के द्वारा प्रदत्त इतिहास–चेतना के माध्यम से केवल स्वंय को ठीक–ठीक पहजानने में समर्थ हुई वल्कि अपनी संस्कृति राष्ट्रीयता और एकता को भी सुरक्षित रख पाई। जों कार्य राष्ट्रीय स्तर पर अन्य नेता और संगठन कर रहे थे, साहित्य क्षेत्र में वही कार्य प्रसाद जी ने किया। प्रसाद जी ने इतिहास पुराणों का न केवल गहन अनुशीलन किया था, बल्कि

उनकी शक्ति और सम्भावनाओं को भी पहचाना था, इतिहास की गाथाओं में छिपी इस जीवनी शक्ति को लेकर राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय दायित्व, राष्ट्रीय संकट बोध की प्रखर अभिव्यक्ति उनके प्रायः सभी इतिहासिक पौराणिक नाटकों में हुई है। इतिहास हमें सिखाता है कि किस प्रकार विषम व प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए मनुष्य मानव–मूल्यों की उच्चतम स्थिति को उपलब्ध किया। किस प्रकार मनुष्य के क्रूर निर्णय के आगे भी सिर नहीं झुकाया और किस प्रकार भाग्य के निर्णय को भी उसने अपने अदम्य साहस और अथक प्रयासों से पलट दिया।

प्रसाद की भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था थी, गोस्वामी तुलसी के बाद यदि किसी कवि के सांस्कृतिक बोध सर्वाधिक विस्तृत गहन और प्रखर रूप में व्याप्त है तो वह प्रसाद जी में है इसके अलावा प्रसाद अपने युग में महान चिन्तक से भी प्रभावित थे। प्रसाद जी ने प्रायः अपने युग के महान चिंतक राजनीतिज्ञ महात्मा एवं राष्ट्र भक्त स्वतंत्रता सेनानी गाँधी जी के चिन्तन से भी प्रभावित थे। प्रसाद जी ने प्रायः अपने सभी नाटकों में सांस्कृतिक बोध के साथ साथ युगीन परिवेश और गांधीवादी मूल्यों को संश्लिष्ट रूप में रचा है; सांस्कृतिक –चेतना से सम्पन्न जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में क्षमा, सेवा त्याग, शौर्य, करूणा की प्रतिमूर्ति के रूप में नारी को आदर्श रूप में चिन्तित किया है।

प्रसाद जी का साहित्य केवल देश सेवा का साधन मात्र था। साहित्य सेवा उनका प्रथम उद्देश्य नहीं जान पड़ता। अतएव उनके नाटकों में केवल साहित्य को देखना उनके प्रति अन्याय करना है, अपने नाटकों में वे इस आदर्श में पूर्ण सफल हुए हैं और इनके द्वारा जो देश सेवा उन्होने की है, वह कोई भी हिन्दी संसार में नहीं कर सकता। गांधी जी ने क्रियात्मक देश सेवा के क्षेत्र में जो कुछ किया है। प्रसाद जी ने वही साहित्य के क्षेत्र में किया और इस रूप में प्रसाद जी का स्थान हमारे राष्ट्रीय नेता से किसी प्रकार कम नहीं। तात्पर्य यह है कि जो काम गांधी जी ने राजनीति और समाज के क्षेत्र में किया वहीं प्रसाद जी ने साहित्यक क्षेत्र में किया। गांधी दर्शन की प्रखर अभिव्यक्ति उनके नाटकों में हुई है। गांधी दर्शन मानवतावादी मूल्यों पर आधारित है और यह क्षमा, सेवा, सत्य, अहिंसा के साथ हृदय–परिवर्तन तथा लोकसेवा का उत्तम दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राजश्री नाटक में राजश्री का जीवन चरित्र गाँधीवादी, अहिंसा, दया, क्षमा, विश्व–बंधुत्व एवं लोक सेवा के लिए सर्वस्व अर्पण का भाव व्यक्त करने वाला है, अपने प्रति अपराध करने वाले शान्ति देव से बना विकट घोष सबकी दुष्वृत्तियों का प्रक्षाल करके उनका हृदय परिवर्तित कर देती है और हर्ष के प्रति हिंसा के मार्ग से हटा कर लोक सेवा एवं त्याग के मार्ग पर प्रशस्त करती है, गांधी दर्शन भी इन्हीं मानवीय मूल्यों पर केन्द्रित है।

आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश की न्याय व्यवस्था, पुलिस–प्रशासन दण्ड विधान और आर्थिक नीतियों पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ है। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण की प्रवृति, स्वार्थलोलुप एवं सत्तालोलुप लोगों के बढ़ते वर्चस्व के आज भी भारतीय प्रशासन की कमीवेश वही स्थिति है, जो ब्रिटिश शासनकाल में थी। शोषण का स्वरूप बदला है, शोषण की तकनीक बदली है, शोषण का चेहरा बदला है, लेकिन शोषण, अन्याय, उत्पीड़न, अपराधीकरण अपनी जगह आज भी मौजूद है–नई सज धज के साथ नए मुखौटों के साथ। ऐसी स्थिति में प्रसाद के इन नाटकों की अंर्तवस्तु समसामयिक सन्दर्भों में और अधिक जीवंत, प्रासंगिक और अर्थवान हो उठती है। नाटककार प्रसाद का यह एक रूप है जो विद्रोही क्रान्तिकारी प्रगतिकारी–सा प्रतीत होता है, भारतेन्दु के पश्चात् प्रसाद अकेले एक ऐसे नाटककार के रूप में उभरते हैं जो शोषक, अन्यायी और अत्याचारी के चेहरे को बेनकाब करते हुए जन आक्रोश को वाणी देते हैं साहित्यकार यदि जनसामान्य भी भावना के साथ

तादात्मय कर उसे अभिव्यक्ति करता है तो यहाँ यह कहना होगा कि यथार्थ स्थितियों के प्रति सजग, नाटककार प्रसाद ने अत्याचार और अन्यायपूर्ण शासन के प्रति जन आक्रोश के मिथकितहास द्वारा वाणी प्रदान की है। प्रसाद बनारस में रहकर भी अपनी खुली आँखों से देख रहे थे कि जिस ब्रिटिश शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसी शासक का प्रथम महायुद्ध में कद छोटा होना शुरू हो गया था। विश्व रंगमंच पर पहला विश्वयुद्ध (1914–1918) अपने आप में एक अद्‌भुत घटना थी। भारत के लिए यह विश्व युद्ध बहुत कुछ मायने में न भूतों न भविष्यति जैसा साबित हुआ महायुद्ध जब समाप्त हुआ और अपने वायदे के मुताबिक अंग्रेजी हुकुमत भारत को आजाद करने से मुकर गई, तो लोकमान्य तिलक और गांधी जी के नेतृत्व में सोये हिन्द महासागर ने एक जोरदार अंगलाई ली। यह अंगड़ाई अन्ततः ऐसी गूंज रूस में उभरी कि फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को आलोड़ित करती हुई राष्ट्र मुक्ति के आकांक्षी सम्पूर्ण भारत–वासी का पाथेय बन गई प्रसाद के राजश्री (1915) से ध्रुवस्वामिनी (1933) तक का नाट्य कार्य इसी काल के संघर्ष का परिणाम कहा जा सकता है।

इस प्रकार प्रसाद जी ने इतिहास पुराणों का न केवल गहन अनुशीलन किया था बल्कि उनकी शक्ति और सम्भावनाओं को भी पहचाना था। प्रेम, युद्ध, शौर्य एवं साहसिक जीवन रूमानियत से भरे चरित्रों, घटना, स्थितियों, के मध्य गाँधी दर्शन और चिन्तन के क्रियाशील रूप को प्रतिपादित करके नाटककार ने परिवेशगत जागरूकता का परिचय दिया है। इस तरह इतिहास के रोमानी तत्वों के भीतर से युग सत्य को पकड़ने में पर्याप्त सफल रहे हैं।

सन्दर्भ :–

1. राजश्री।
2. ध्रवस्वामिनी।
3. विशाख।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 38-50

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं लैंगिक समानता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. महेश नावरिया

विभागाध्यक्ष एवं अस्टिेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एस.एस.जी. पारीक पी.जी. कॉलेज, बनीपार्क, जयपुर

सारांश :-

महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज में महिलाऐं दीर्घ काल से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही है, शनैः–शनैः महिलाओं का पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशील और अर्थपूर्ण सहयोग जाना जाने लगा है, परन्तु कुछ दशक पूर्व तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में अत्यधिक योगदान दिया इनमें से कतिपय व्याहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाये गये कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के विस्तार और महिलाओं की बढती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हो रही है, इन्हें शारीरिक हिंसा हो रही तथा अपहरण तथा बलात्कार की शिकार हो रही है।

संकेतक शब्द :- घरेलू हिंसा, नारी, लैंगिक समानता, महिला सरंक्षण अधिनियम, महिलाओं के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अधिनियम, संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के समक्ष सर्वोच्च प्राथमिकता समाज पुनः निर्माण की थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ साम्राज्यवाद का अन्त होने लगा। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ एक ऐसा समाज सामने आया जो विकसित देशों के आधुनिक समाज से बहुत अधिक पिछड़ा था। भारत भी इन्हीं में से एक था जो यद्यपि सांस्कृतिक धरोहर को बनाये हुए था किन्तु शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि महत्त्वपूर्ण पहलुओं में पिछड़ा था, विश्व समाज में अपना उचित स्थान बनाने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं का विकास करना आवश्यक था। यहां ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज फिर भी इस स्थिति में था कि युग की धारा केसाथ चलने को तैयार हो सकता था, किन्तु ग्रामीण समाज अत्यधिक पिछड़ा था इसलिए समाज पुनः निर्माण के कार्य क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण विकास को माना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की 87.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी और वह मूलतः कृषि एवं सहयोगी व्यवसायों पर निर्भर करती थी इसलिए भी ग्रामीण विकास हमारी प्रथम आवश्यकता बन गई।

ग्रामीण विकास एवं महिलाएं :-

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याण समिति के तहत महिलाओं को लक्ष्य

बनाने का रहा है। 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं संबंधी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलू पर बल दिया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण की बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोड़ा गया जिसमें उनके स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास को मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने को आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्नि क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलायें वंचित न रहे। इस प्रकार 'विकास' की बजाय महिलाओं को 'अधिकार' प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा कई विशेष नीतियां महिलाओं के लिये अपनाई गई। योजनागत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवष्रीय योजना में बढ़कर लगभग 20 करोड़ रूपये हो गया।

सरकार द्वारा नियोजन के अतिरिक्त किये गये प्रयासों द्वारा भी महिलाओं के उत्थान, विकास एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किये गये। भारत में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों, संसाधन एवं अधिकार वितरण पद्धतियों और श्रेणीबद्ध समानीकरण की की प्रक्रिया के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठाये। स्वतंत्र रूप से महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की गई। महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों से संबंध मामलों पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान दशक की सबसे शानदार उपलब्धि है 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक, जिनके माध्यम से सभी ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है और चेयरमैन के एक तिहाई पद महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं।

वस्तुतः महिला विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है किन्तु वे स्वयं बहुआयामी पिछेड़पन की शिकार है। नगरों की तुलना में ग्रामीण महिलाएं अधिक पिछड़ी है। जातीय आधार पर उच्च जाति वर्ग की महिलाओं से निम्न जातियों की महिलाऐं निम्न स्थिति में हैं। इसको आधार मानकर कहा जा सकता है कि धनी अपेक्षा निर्धन परिवारों की महिलाए भी पिछड़ी कही जा सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से उच्च समझे जाने वाले व्यवसायों की तुलना में नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं को अधिक पिछड़ा माना जाता है। परिवार के भीतर पुरूष की तुलना में महिला और विशेषकर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व मिलता है। अतः विकास की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व मिलता है। अतः विकास के लिए महिला को ऐसी स्थिति में लाना होगा जिसमें वह स्वयं उपरोक्त स्थितियों की चुनौतियों के समक्ष खड़ी होने की क्षमता प्राप्त कर सके।

संक्षेप में जब तक महिलाओं को स्वयं विकास कर्ता के रूप में आगे नहीं लाया जाता है तब तक ग्रामीण समाज के किसी भी पहले (सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक) का विकास सम्भव नहींस्वतंत्रता के पश्चात् भारत के समक्ष सर्वोच्च प्राथमिकता समाज पुनः निर्माण की थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ साम्राज्यवाद का अन्त होने लगा। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ एक ऐसा समाज सामने आया जो विकसित देशों के आधुनिक समाज से बहुत अधिक पिछड़ा था। भारत भी इन्हीं में से एक था जो यद्यपि सांस्कृतिक धरोहर को बनाये हुए था किन्तु शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि महत्त्वपूर्ण पहलुओं में पिछड़ा था, विश्व समाज में अपना उचित स्थान बनाने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं का विकास करना आवश्यक था। यहां ग्रामीण समाज

की तुलना में नगरीय समाज फिर भी इस स्थिति में था कि युग की धारा के साथ चलने को तैयार हो सकता था, किन्तु ग्रामीण समाज अत्यधिक पिछड़ा था इसलिए समाज पुनः निर्माण के कार्य क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण विकास को माना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की 87.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी और वह मूलतः कृषि एवं सहयोगी व्यवसायों पर निर्भर करती थी इसलिए भी ग्रामीण विकास हमारी प्रथम आवश्यकता बन गई।

ग्रामीण विकास एवं महिलाएं :-

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याण समिति के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है। 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं संबंधी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलू पर बल दिया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण की बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोड़ा गया जिसमें उनके स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास को मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने को आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्नि क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलायें वंचित न रहे।

इस प्रकार 'विकास' की बजाय महिलाओं को 'अधिकार' प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा कई विशेष नीतियां महिलाओं के लिये अपनाई गई। योजनागत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर लगभग 20 करोड़ रूपये हो गया।

सरकार द्वारा नियोजन के अतिरिक्त किये गये प्रयासों द्वारा भी महिलाओं के उत्थान, विकास एवं समस्याओं के निस्तारण के प्रयास किये गये। भारत में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों, संसाधन एवं अधिकार वितरण पद्धतियों और श्रेणीबद्ध समानीकरण की की प्रक्रिया के बारे में कुछ बुनियादी मुद्दे उठाये। स्वतंत्र रूप से महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना की गई। महिलाओं संबंधी राष्ट्रीय परिदृश्य योजना तैयार की गई। महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों से संबंध मामलों पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान दशक की सबसे शानदार उपलब्धि है 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन विधेयक, जिनके माध्यम से सभी ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है और चेयरमैन के एक तिहाई पद महिलाओं के लिये सुरक्षित कर दिये गये हैं।

वस्तुतः महिला विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है किन्तु वे स्वयं बहुआयामी पिछेड़पन की शिकार है। नगरों की तुलना में ग्रामीण महिलाएं अधिक पिछड़ी है। जातीय आधार पर उच्च जाति वर्ग की महिलाओं से निम्न जातियों की महिलाऐं निम्न स्थिति में हैं। इसको आधार मानकर कहा जा सकता है कि धनी अपेक्षा निर्धन परिवारों की महिलाए भी पिछड़ी कही जा सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से उच्च समझे जाने वाले व्यवसायों की तुलना में नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं को अधिक पिछड़ा माना जाता है। परिवार के भीतर पुरूष की तुलना में महिला और विशेषकर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व मिलता है। अतः विकास की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व मिलता है। अतः विकास के लिए महिला को ऐसी स्थिति में लाना होगा जिसमें वह स्वयं उपरोक्त स्थितियों की चुनौतियों के समक्ष खड़ी होने की क्षमता प्राप्त कर सके।

संक्षेप में जब तक महिलाओं को स्वयं विकास कर्ता के रूप में आगे नहीं लाया जाता है तब तक ग्रामीण समाज के किसी भी पहले (सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक) का विकास सम्भव नहीं स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के समक्ष सर्वोच्च प्राथमिकता समाज पुनः निर्माण की थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ साम्राज्यवाद का अन्त होने लगा। औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के साथ एक ऐसा समाज सामने आया जो विकसित देशों के आधुनिक समाज से बहुत अधिक पिछड़ा था। भारत भी इन्हीं में से एक था जो यद्यपि सांस्कृतिक धरोहर को बनाये हुए था किन्तु शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि महत्त्वपूर्ण पहलुओं में पिछड़ा था, विश्व समाज में अपना उचित स्थान बनाने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं का विकास करना आवश्यक था। यहां ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज फिर भी इस स्थिति में था कि युग की धारा केसाथ चलने को तैयार हो सकता था, किन्तु ग्रामीण समाज अत्यधिक पिछड़ा था इसलिए समाज पुनः निर्माण के कार्य क्षेत्र का केन्द्र बिन्दु ग्रामीण विकास को माना गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की 87.7 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण थी और वह मूलतः कृषि एवं सहयोगी व्यवसायों पर निर्भर करती थी इसलिए भी ग्रामीण विकास हमारी प्रथम आवश्यकता बन गई।

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याण समिति के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है। 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं संबंधी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलू पर बल दिया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण की बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोड़ा गया जिसमें उनके स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास को मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवीं पंचवषीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने को आवश्यकता महसूस की गई ताकि विभिन्नि क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलायें वंचित न रहे। इस प्रकार 'विकास' की बजाय महिलाओं को 'अधिकार' प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा कई विशेष नीतियां महिलाओं के लिये अपनाई गई। योजनागत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवषीय योजना में बढ़कर लगभग 20 करोड़ रूपये हो गया।

वस्तुतः महिला विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है किन्तु वे स्वयं बहुआयामी पिछेड़पन की शिकार है। नगरों की तुलना में ग्रामीण महिलाएं अधिक पिछड़ी है। जातीय आधार पर उच्च जाति वर्ग की महिलाओं से निम्न जातियों की महिलाऐं निम्न स्थिति में हैं। इसको आधार मानकर कहा जा सकता है कि धनी अपेक्षा निर्धन परिवारों की महिलाए भी पिछड़ी कही जा सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से उच्च समझे जाने वाले व्यवसायों की तुलना में नीचे समझे जाने वाले व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं को अधिक पिछड़ा माना जाता है। परिवार के भीतर पुरूष की तुलना में महिला और विशेषकर लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व मिलता है। अतः विकास की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व मिलता है। अतः विकास के लिए महिला को ऐसी स्थिति में लाना होगा जिसमें वह स्वयं उपरोक्त स्थितियों की चुनौतियों के समक्ष खड़ी होने की क्षमता प्राप्त कर सके। संक्षेप में जब तक महिलाओं को स्वयं विकास कर्ता के रूप में आगे नहीं लाया जाता है तब तक ग्रामीण समाज के किसी भी पहले (सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक) का विकास सम्भव नहीं।

नारी का मानव की सृष्टि में ही नहीं, वरन् समाज निर्माण में भी महत्वपूर्ण स्थान है। नारी और पुरूष

मिलकर परिवार का निर्माण करते है। अनेक परिवारों से समुदाय और अनेक समुदायों से मिलकर एक समाज निर्मित होता है। यदि हम विश्व इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें यह पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम नारी को ही दिया जाता है। परन्तु नारी की प्रस्थिति सभी समाजों में एक–समान नहीं है। जिस तरह परिवार में नारी व पुरूष के कार्य व स्थान भिन्न–भिन्न होते है, उसी तरह समाज में भी नारी और पुरूष के कार्यों व स्थान में भिन्नता पाई जाती है। किसी समाज में यदि नारियों को पुरूषों के बराबर का दर्जा दिया जाता है तो किसी समाज में उन्हें पुरूषों की तुलना में बहुत कम अधिकार प्राप्त होते है। भारतीय नारी की सामाजिक प्रस्थिति और समस्याओं का अध्ययन अपने में एक बड़ा जटिल विषय है। एम. एन. श्रीनिवास ने उचित ही लिखा है कि इसके अनेक स्वरूप हैं और सामान्यीकरण करना प्रायः असम्भव है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में, नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न वर्गों में, विभिन्न धर्मों और जाति समूहों में नारी की सामाजिक प्रस्थिति और उससे जनित समस्याएं बहुत भिन्नताएं रखती है। इतना ही नहीं, वरन् आदर्श और व्यवहार में भी बहुत अन्तर है। एक ओर यदि नारी को 'गृहस्वामिनी', 'अर्द्धांगिनी', 'देवी' कहा जाता है तो दूसरी ओर वह सदैव ही पर–निर्भरता की स्थिति में बताई जाती है। विभिन्न शास्त्र परस्पर विरोधी आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसलिए उनकी समस्याओं पर विचार करना कठिन हो जाता है। फिर भी, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे हमारे समाज की नारी पीड़ित है।

भारत में प्राचीनकाल में किसी प्रकार का लिंगभेद नहीं था, लेकिन धीरे–धीरे सांस्कृतिक पतन के कारण लिंग के आधार पर भेद किया जाने लगा। पुरूषों को महिलाओं से उच्च स्थान प्राप्त हो गया तथा महिलाओं का स्थान समाज में गौण हो गया। इसमें मुसलमानों के आक्रमण एवं अनेक कुप्रथाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धीरे–धीरे महिलाओं का स्थान बद से बदतर होता गया। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारी सरकार का ध्यान महिलाओं की स्थिति सुधाररने की ओर गया और इसके लिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गये। अनेक योजनाएं एवं कानून भी महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए बनाई गई।

लैंगिक समानता पर हाल में में श्री चतरसिंह मेहत्ता द्वारा प्रकाशित लेख 'मानव विकास और महिलाएं' महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार, ''विश्व की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, पर उन्हें पुरूषों के समान अवसर प्राप्त नहीं हैं। विश्व के गरीबों में 70 प्रतिशत और निरक्षरों में दो–तिहाई महिलाएं ही है। वे केवल 14 प्रतिशत प्रशासनिक पदों पर हैं और 10 प्रतिशत संसद विधानसभा सदस्य है। कानूनी दृष्टि से यह असमानता है। उन्हें पुरूषों से अधिक समय काम करना पड़ता है तथा उनके अधिकांश कार्य की कोई कीमत ही नहीं आंकी जाती है।'' समाज में महिलाओं को पुरूषों के बराबर अवसर प्राप्त नहीं है। महिला–पुरूष में प्रकृति द्वारा ज्ञान, व्यवहार, प्रकृति आदि आवश्यक स्थितियों में अन्तर होता है। पुरूष लैंगिक असमानता में मुख्य भूमिका अदा करता है। लगभग सभी समाजों में पुरूष जीवन के हर पहलू में अपना निर्णय सर्वोपरि रखता है। पुरूष को यह जिम्मेदारी महिला को भी सौंपनी चाहिए कि महिला पुरूष जीवनसाथी के रूप में निजी एवं सार्वजनिक जीवन में एक समान ही ऐसा करने पर ही लैंगिक समानता में सुधार होगा और परिवार एवं सामाजिक जीवन के आनन्द में वृद्धि होगी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि विश्व के सभी देखों में लैंगिक असमानता व्याप्त है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार काफी तेजी से हुआ है, परन्तु आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी है। विश्व में 130 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिसमें 70

प्रतिशत महिलाएं है। यह श्रम बाजार एवं परिवार में उनकी निम्न स्थिति को इंगित करता है। यद्यपि महिला साक्षरता दर में दो–तिहाई वृद्धि हुई है लेकिन श्रमिकों में इनकी वृद्धि केवल 4 प्रतिशत ही हुई है। महिलाएं बैंकों की श्रण सुविधा से भी पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पातीं, क्योंकि ऋणाधार के लिए, उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं होती। मजदूरी में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। महिला मजदूरी एवं पुरूष मजदूरी में अन्तर रखा जाता है। महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा तीन–चौथाई मजदूरी ही मिलती है। सभी स्थानों पर महिला बेरोजगारों की संख्या भी अधिक होती है। महिला मजदूरी के सन्दर्भ में 55 देशों का सर्वेक्षण करने पर उपरोक्त तथ्य सामने आए हैं। इन 55 देशों में कोई महिला संसद सदस्य भी नहीं है और यदि है तो 5 प्रतिशत से भी कम। इन देशों में गरीब एवं उच्च आय दोनों प्रकार के देश शामिल है। गरीब देश हैं – भूटान एवं इथियोपिया तथा उच्च आय वाले देश हैं – ग्रीस, कुवैत, कोरिया गणतन्त्र एवं सिंगापुर।

महिलाएं प्रारम्भ से ही किसी न किसी रूप में आर्थिक रूप में अपना योगदान देती रही है। शिकारी अवस्था में महिलाएं शिकार करने नहीं जा सकती थीं तो घर में अनेक आर्थिक धन्धे, जैसे– बांस की चीजें बनाना, अनाज साफ करना आदि कार्य किया करती थीं। पशुपालन युग में पशु की देखभाल, दूध से अनेक वस्तुएं बनाना, कपड़ा बुनना इत्यादि कार्य महिलाओं द्वारा किये जाते थे। कृषि युग में भी महिलाएं पुरूषों को कृषि कार्य में सहायता पहुंचाती रही है। औद्योगिक क्रान्ति के बाद महिलाओं को घर से बाहर धन्धे के अधिक अवसर मिलने लगे है।

जनगणना तथा अन्य आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं कृषि कार्य में ही संलग्न है। यहां भी वे अकुशल श्रमिक के रूप में कार्यरत दिखाई पड़ती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण की मात्रा इतनी कम है कि उच्च पद की नौकरी बहुत कम महिलाएं ही प्राप्त कर पाती हैं। अल्वा मिर्डल तथा वयोला क्लयान ने अपनी पुस्तक 'वीमेंस टू रोल्स' में लिखा है – ''प्रशिक्षण प्राप्त तथा व्यावसायिक ऐसे सब धन्धों की परिधि में कार्य का विवरण लैंगिक आधार पर हुआ हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। महिला स्वातंत्र्य का केवल इतना प्रभाव दिखाई पड़ता है कि जो महिलाओं के क्षेत्र गिने जाते थे, उसमें अकुशल के बदले कुशल एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को स्थान दिया जा रहा है। परम्परा से, जो व्यवसाय पुरूषों के व्यवसाय के रूप में अलग माने जाते थे, उन्हें छेड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। यद्यपि इधर कुछ समय से परम्परागत पुरूष क्षेत्र में महिलाओं का छुटपुट अस्तित्व दिखाई पड़ता है।''

बांग्लादेश की सरकार और इस्लामी कटमुल्लेपन की शिकार, इस्लाम विरोधी करार दी गई, जान से मार डालने और देश निकाले के फतवे से नवाजी गई प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन का यह कथन कि– ''मैं बांग्लादेश में फर्जी राष्ट्रवाद की शिकार बनाई गई हूं। औरत की आजादी, उसकी निजी जिंदगी की पीड़ा, पुरूष के साथ उनके रिश्ते और शारीरिक समझौते की वास्तविकता का जब मैने अपनी किताओं में खुलासा किया, तो कट्टरपंथी मुल्लाओं ने मुझे इस्लाम विरोधी करार दे दिया। एक औरत के रूप में मेरे लेखन को इस्लाम और इस्लामिक राष्ट्रवाद पर हमलों का मामला बना दिया। वे मेरे खिलाफ संगठित हो गए। उन्हें यह गवारा नहीं था कि एक औरत सैक्स और स्त्री–पुरूष के विवाहेतर संबंधों पर मुंह खोले। जब मैंने उनके इन कारमानों पर अपनी लेखनी से हमला करना शुरू किया, तो मुझे काफिर घोषित कर, देश निकाले का फतवा जारी कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने मुझे वेश्या और गंदी गली का बदनाम औरत कहना शुरू किया, तो मुझे लगा

कि मेरा लिखना सार्थक हो रहा है। मुल्लाओ के इस काम ने मुझे साहस दिया। यही मेरी सफलता है। यह सच है कि मैने अपनी किसी भी किताब मे इस्लाम के बारे में गलत बात नहीं कही। बांग्लादेश में नारी पीडा के बारे में सिर्फ पुरूष को ही लिखने की आजादी है। अपनी आत्मकथा के पहले खंड 'मेरे बचपन के दिन' में मैने जब खुलकर लिखा, तो उन्हें लगा कि हम पुरूष समाज को बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैने महज अपने साथ हुई बेईमानी के लिए उन लोगों के नाम लिये थे, जो आकाश से चांद और तारे तोडकर मेरे चरणों में पेश करना चाहते थे।'' तसलीमा ने गंभीरता से कहा – ''जिसे जुड़ने का अहसास नहीं, उसे टूटने का संताप नहीं होता। प्यार एक अनुभूति का नाम है, वह हमेशा देता है कुछ मांगता नहीं।''

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का वर्गीकरण इस प्रकार हो सकता है :

– अपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण, हत्या।

– घरेलू हिंसा जैसे दहेज के कारण मृत्यु, पत्नि को प्रताडना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं और या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार एंव अपमान इत्यादि।

– सामाजिक हिंसा जैसे पत्नि/पुत्रवधु को मादा भ्रुण की हत्या के लिये बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़, सम्पति में महिलाओं को हिस्सा देने से इंकार करना, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिये बाध्य करना, पुत्र–वधु को और अधिक दहेज हेतु बाध्य करना।

– घरेलु हिंसा की जड़ें हमारे समाज तथा परिवार की गहराई तक जम गई। इसे व्यवस्था का समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के विरूद्ध यदि कोई महिला आवाज एक करती है तो इसका तात्पर्य परिवर्तन की बात करना। प्रायः देखा यह जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले निरंतर बढते जा रहे है। परिवार में हिंसा की शिकार मात्र महिलाएं ही नहीं बल्कि वृद्ध और बच्चें भी बन जाते है। प्रकृति ने महिला और पुरूष की शारीरिक सरंचनाएं जिस तरह निर्मित की है। उनमें महिला सदैव कोमल और निर्बल रही है। वही हमारे देश में यह माना जाता रहा है कि पति को पत्नि पर हिंसा का अधिकार विवाह के पश्चात् ही मिल जाता है। इसी तारतम्य से वर्ष 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों को कतिपय राहत अवश्य मिल गई।

घरेलू हिंसा :–

पुलिस–महिला वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश प्रकरणों में दहेज प्रताडना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।

राज्य महिला आयोग ने स्वीकारा है कि कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला सरंक्षण अधिनियम 2005, उसे घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहयता का अधिकार प्रदान करता है।

आधारशिला (एल.जी.ओ.) परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट धमकी देना तथा उत्पीडन घरेलू हिसां की श्रेणी में आते है। इसके अतिरिक्त लैंगिक हिंसा मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा सरंक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक 1975–85 के दौरान एक पृथक पहचान मिली थी। सन् 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। विश्व के अधिकांश देशों में पुरूष प्रधान समाज है। पुरूषों के साथ में रहने के कारण सदैव ही पुरूषों ने महिलाओं को सम्मान नहीं

दिया हैं यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज महिलाओं के प्रति अपराध को महत्व देने तथा उनका शोषण करने की भावना बलवती रही है। ईरान एवं अफगास्तिान की तरह अमेरिका जैसे विकासशील देश में भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह नियम है कि यदि एक परिवार में मां और बेटा है तो वे एक शयन कक्ष के हकदार होंगे इससे स्पष्ट है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है।

दिल्ली की एक सामाजिक संस्था के अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पांच करोड महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामाना करना पडता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवायी है।

परिवार में बच्चों के पालन पोषण में भी भेदभाव होता है इसलिए पुत्री को दुर्बल तथा पुत्र को साहसी माना जाता है। पुत्री के स्वतंत्रत व्यक्तित्व को जीवन के प्रारम्भिक अवस्था में ही कुचल दिया जाता है।

घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण निम्न जाने जाते है :-

– समान शिक्षा व्यवस्था का अभाव।

– महिला के चरित्र पर संदेह करना।

– पुरूषों को शराब की लत, इलेक्ट्रानिक मीडिया का दुष्प्रभाव महिला को स्वावलम्बी बनने से रोकना।

घरेलू हिंसा का दुष्प्रभाव :-

– महिलाओं तथा बच्चों पर घरेलू हिंसा के शारीरिक मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव पडते है। इसे महिलाओं के कार्य तथा निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रभाव पडता है।

– घरेलू हिंसा के कारण दहेज मृत्यु एवं आत्महत्याऐं बढी है।

– महिला की सार्वजनिक भागीदारी भी बाधित होती है। उनकी कार्य क्षमता घटती है। हिंसा के कारण प्रताड़ित महिला मानसिक रोगी भी बन जाती है।

– पीड़ित महिला की परिवार में सम्मानजनक स्थिति नहीं रहती है।

दहेज के कारण हत्याएं :-

यद्यपि दहेज निषेधाज्ञा कानून, 1961 (डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961) ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दी है, परन्तु वास्तव में कानून केवल यही स्वीकार करता है कि समस्या विद्यमान है। वास्तविक रूप से यह कभी सुनने में नहीं आता कि किसी पति या उसके परिवार पर दहेज लेने पर आग्रह को लेकर कोई मुकदमा चलाया गया हो। यदि कुछ हुआ है तो यह कि गत वर्षों में दहेज की मांग और उसके साथ–साथ दहेज को लेकर हत्याएं बढी है।

पत्नि पर बल प्रयोग :-

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विवाह के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जबकि पति, जिसके लिये यह समझा जाता है कि वह अपनी पत्नि से प्रेम करेगा और उसे सुरक्षा प्रदान करेगा उसे पीटता है। एक स्त्री के लिये उस आदमी द्वारा पीटा जाना जिस पर वह सर्वाधिक विश्वास करती थी, एक छिन्न–छिन्न करने वाला अनुभव होता है। हिंसा चांटे और लात मारने से लेकर हड्डी तोडना, यातना देना, मार डालने की कोशिश और हत्या तक हो सकती है। हिंसा कभी–कभी नशे के कारण भी हो सकती है परन्तु हमेशा नहीं। भारतीय संस्कृति

में हम विरले ही पत्नी द्वारा पुलिस से पीटने के मामले की शिकायत करने की बात सुनते है। वह मौन रहकर अपमान सहती है और उसे अपना भाग्य मानती है। यदि वह विरोध करना भी चाहती है तो नहीं कर सकती क्योंकि उसे डर होता है कि उसके अपने माता–पिता भी विवाह के बाद उसे अपने घर में स्थाई रूप से रखने को मना कर देंगे।

विधवाओं के विरूद्ध हिंसा :–

सब विधवाएं तक ही प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करती। एक विधवा ऐसी हो सकती है जिसके कोई बच्चा न हो और जो अपने विवाह के एक या दो वर्षों में ही विधवा हो गई हो, या वह ऐसी हो सकती जो पांच से 10 वर्ष के पश्चात् विधवा होती है और उसके एक या दो बच्चे पालने के लिये हों, या ऐसी हो जो 50 वर्ष की आयु से अधिक है। यद्यपि इन तीनों श्रेणी की विधवाओं को सामाजिक, आर्थिक, और भावात्मक असंजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

पुलिस की भूमिका :–

घरेलू हिसां के प्रकरणों में कई बार पुलिस प्रकरण की पंजीकरण नहीं करती वह सोचती है कि इन प्रकरणों की संख्या मे वृद्धि हो जायेगी इसलिए वह एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं करती। कई बार पुलिस पति द्वारा प्रताडित करने पर उसे गम्भीरता से नहीं लेती और परिजनो को यह परामर्श देती है कि पति ने ही तो पीटा है। पीटा है तो प्यार भी तो करता है। यह कहकर वह प्रताड़ित महिला को टाल देती है। थाना स्तर पर संवेदनशील लोग नहीं है पुलिसकर्मी रिश्वत लेकर प्रताड़ित महिला को समझौते के लिये विवश करते है।

98 मामलों में पुलिस बिना किसी प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता को सलाह देती है अथवा समझौता करा देती है न तो इस समझौते में घटना का ब्यौरा होता है और न ही पति से यह लिखाया जाता है कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा।

परिवार व अन्य अदालतें :–

महिलाओं को उत्पीडन से मुक्ति दिलाने अथवा दोषियों को उपयुक्त सजा दिलवाने के लिए पारिवारिक अदालतों का गठन सन् 1984 में किया गया था। तब यह माना था कि जब महिला को घरेलू हिंसा से राहत मिल जाएगी।

इन अदालतों में कहा जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है पर सारे कागज वकील ही बनाते है और हर समय जज यहीं कहते है कि तुम्हारा वकील कहा है? उनको लाओ। यह एक बडा विरोधाभास है, इन अदालतों की कथनी और करनी में।

सोचा गया था कि इन अदालतों में मामले जल्दी निबट जाएंगे पर इनमें भी समय बहुत लगता है।

पुजारी भक्तों के आदेश हो जाते है पर उनका पालन नहीं होता।

इन अदालतों में गवाहों पर बहुत जोर रहता है। पीड़ित के लिए गवाह जुटाना मुश्किल होता है।

अदालत में जो काउंसलर लगे हुए हैं उनके चयन में पारदर्शिता नहीं है। वे अपने विषय के विशेषज्ञ भी नहीं है।

महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 :–

हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2005 में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा अधिनियम

2005 लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं को कई अधिकार प्रदान किये गये। जैसे कि अगर किसी भी महिला को उसके परिवार में पति अथवा पिता या अन्य सदस्यों के द्वारा मानसिक, शारीरिक प्रताड़ित किया जाता है तो वह महिला किसी भी थाने व परिवार अदालतों में अपनी गुहार दे सकती है।

भारत देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून बनाये गये है।

दिन के अंत में, सब कुछ जज के फैसलें पर निर्भर करता है। मामले में महिला के लिए एक प्रभावशाली वकील नियुक्त करने में सक्षम है वह मामला जीतने के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है आजकल धन और बाहबल के लिए लगभग इन इच्छाओं को कुछ भी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

कुछ महिलाओं के जो भी अपने लाभ के लिए इन कानूनों का उपयोग करें और सब है कि वे पति और उसके परिवार से मिल रहे है फिर, यह भी न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करता है अगर फैसला गलत व्यक्ति के पक्ष में पारित हो जाता है, तो सही व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए उच्च न्यायालय में दुबारा से अपनी अर्जी पेश कर सकता है।

महिला आयोग का हस्तक्षेप :-

महिला आयोग का महिला हिंसा के संबंध में संदेश सरकार को मिलना चाहिये। वह ताकतवर है, यह संदेश नहीं जा रहा है। वह अपने ही निर्णय को लागू नहीं करवा पा रहा है, यह स्थिति बदलनी होगी। महिला आयोग को नितिगत स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिये। जैसे महिला निजी कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। महिला विकास कार्यक्रम की क्या उपादेयता है। उसे कैसे सार्थक बनाया जा सकता हैं ऐसे कौनसे निर्णय एवं कार्य है जो महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाल रहे है। इन सब पर आयोग को नजर रखनी चाहिए और समय–समय पर हस्तक्षेप करते रहना चाहिए।

मूल्यांकन :-

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन विपना में 1993 में पहला मानवीय अधिकार हिंसा को लिंगीय हिंसा का रूप माना उसी सत्र 1993 में यूनाईटेड नेशन ने घोषणा की कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा भी लिंगीय हिंसा का परिणाम है जो शारीरिक, लिंगीय एवं मानसिक प्रताडना के रूप में महिलाओं को डराना, बलपूर्वक अधिनता, स्वेच्छा, स्वतंत्रता एवं छिंनता जो महिला प्राथमिकता एवं सामाजिक जीवन में प्रकट होती है। राधिका कुमारी स्वामी ने यूनाईटेड नेशन्स की 1995 की विशेष रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न प्रकारों को बताया है।

शारीरिक लिंगीय एवं मनोवैज्ञानिक हिंसा, परिवार में प्रकट होती है। जिसमें मारपीट बालिका शिशु से दुव्यवहार दहेज के लिए हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, महिला और परम्परागत प्रकारों के रूप में महिलाओं पर अत्याचार शामिल है। हिंसा पतन की ओर ले जाती है।

हम जनसंख्या समंकों पर दृष्टि डालें तो पाते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट में जहां ''पुरूषों की साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 64.60 प्रतिशत है। राजस्थान पुरूषों की साक्षरता 79.9 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता 20.10 प्रतिशत है।'' इस प्रकार महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी भी क्षेत्र, राज्य, समाज का देश के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। फ्रांस के किसी आदमी ने कहा था कि ''किसी देश की स्थिति को

देखने का श्रेष्ठ उपाय उस देश की स्त्रियों की स्थिति का पता लगाता है।'' मेरे विचार में यह ठीक है। भूतकाल के कई उदाहरणों के बाद भी यह कहना सत्य होगा कि भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों से महिलाओं की स्थिति कानूनी सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं रही।

हाल ही के वर्षों में राजनैतिक व मानवीय गतिविधियों के अन्य क्षेत्रों में उन्होंने प्रगति की है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी संसद ने भी हाल ही में कुछ विधान पारित किये है, जिन्होंने महिलाओं को कानूनी रूप से कई बन्धनों से मुक्ति दे दी है, तथा इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति को अच्छी बनाने में मदद पहुंचाई है फिर भी अभी कई बाधाएं है जिन्हें दूर करना है।'' स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के उत्थान एवं विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए, तमाम प्रकार के कानूनी अधिकार प्रदान किये गए जिनसे महिलाएं समाज में सुरक्षित तथा अधिकार संमन्न बनी रहें। वर्तमान समय में देश की संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लम्बित है। कुछ राजनैतिक पार्टियां इसके पक्ष में थी तो कुछ इसका विरोध कर रहीं थी। भारतीय संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 15 नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करते हुए लिंग, जाति, धर्म, भाषा, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव को नकारता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से पिछड़े वर्गों विशेषतः महिलाओं, बच्चों तथा श्रमिकों को समुचित संरक्षण प्रदान करने का निर्देश देता है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 66 वर्षों बाद भी हम समाज में व्याप्त इस भेदभाव को मिटाकर समानता लाने में असफल रहे हैं।

राजस्थान में महिलाओं की भूमिका यहां के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश में महत्वपूर्ण होने के कारण उनके उन्नयन की और विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

अधिकांश राजस्थान में पुरूष वर्ग अप्रवास कर मैदानी क्षेत्रों में रहते है। गांवों में उनक घर–परिवार की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को ही निभानी पड़ती है। ऐसी दशा में महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ को अछूता नहीं छोड़ा जा सकता।

हांलाकि राजस्थान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव जैसे पदों पर महिलायें पदासीन हुयी और हैं लेकिन फिर भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है।

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, ज्ञान, कौशल तथा क्षमताओं का विकास होता है। इन गुणों से व्यक्ति में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढ़लने की शक्ति तथा लचीलापन उत्पन्न होता हैं। शिक्षा समाज में व्यापक और सूक्ष्म आर्थिक परिवर्तनों का प्रभावशाली माध्यम है। विशेष रूप से मजबूत लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तथा न्यायसंगत समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समुचित योगदान के लिए प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा के माध्यम से वांछित परिवर्तनों को लाया जा सकता है। राजस्थानवासियों, विशेष रूप से महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना के लिए भी शिक्षा आवश्यक प्रतीत होती है। चाहे किसी भी क्षेत्र की महिलाएं हों, साक्षरता उनके जीवन के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन राजस्थान की महिलाओं के साथ यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि राजस्थान की सामाजिक–आर्थिक संरचना में महिलाओं का अतुलनीय योगदान है और राजस्थान महिला साक्षरता में केवल बिहार से ऊपर है किसी समाज अथवा क्षेत्र का विकास तभी संभव है जबकि विकास

एवं नियोजन के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी की समुचित व्यवस्था हो। वर्तमान सामाजिक–आर्थिक परिवेश में आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण महिलाओं में आत्मशक्ति और आत्मविकास उत्पन्न करके उन्हें जागरूक नागरिक अथवा आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। किन्तु जब तक महिलाओं को साक्षर नहीं बनाया जा सकेगा तब तक उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। ''नारी–वर्ग में अशिक्षा ही सम्भवः उनकी अशक्तता के लिए जिम्मेदार है और उनकी अशक्तता ही भारतीय समाज की अशक्तता के लिए जिम्मेदार है।''

राजस्थान में पुरूष तथा महिला साक्षरता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि महिला साक्षरता की स्थिति अभी भी सोचनीय है। ''निरक्षरता के के अभिशाप से ग्रस्त अतीत की ऊर्जस्विनी नारी आज शक्तिहीन एवं दयनीय है। निरक्षरता एवं अपने अधिकारों से अपरिचय के कारण वह शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषित है, पुरूष के समकक्ष श्रमशील एवं कर्मठ होने के बावजूद दलित एवं उपेक्षित है। जरूरत है पिछड़े क्षेत्रों में नारी शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं उसके समग्र उत्थान की।'' यदि हम राजस्थान के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करें तो पाऐंगे कि उनके द्वारा समाज में किए जाने वाले कार्य नगण्य एवं गौण समझे जाते है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, विद्युत आदि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यहां की महिलाएं मोहताज है।

महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और केन्द्र प्रायोजित, राज्य सरकार के कार्यक्रमों, प्रयासों को पिछले दशकों में आवश्यक तेजी मिली है राजस्थान सरकार के 2009 के सात सूत्री कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार (1996 से), वर्ष 2000 की महिला नीति, जननी सुरक्षा योजना (2005), 2005 से जेंडर बजरिंग, वर्ष 2008 में महिला वित्तीय सशक्तिकरण एवम् नारी समृद्धि योजना, 1996 से शुरू हुये सामूहिक विवाह अनुदान नियमों में 2009 व 2013 में किये गये बदलाव, वर्ष 2013 में घोषित बालिका नीति नवीनतम प्रयास में 2013 से लागू महिला (अत्याचार निवारण) अध्यादेश प्रमुख है।

इतने प्रयासों के बावजूद उपयुक्त परिणाम ना मिल पाना चिंताजनक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. प्रकाश नारायण नाटाणी – कन्या भ्रुण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बुक एक्वल एस. एस. टावर, धामाणी स्टेट, चौडा रास्ता, जयपुर।
2. राम आहुजा, 2002, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
3. एल. मेनन, 1957, 1964 वुमेन इन इण्डिया एण्ड अब्रांड तारा अभी बेग (स) वुमेन ऑफ इण्डिया, दिल्ली पब्लिकेशन डिवीजन।
4. विमला मेहता 1979, एटीव्यय ऑफ एजुकेटेड वीमेन दुवर्डस सोश्य इशूय दिल्ली नेशनल।
5. लिन्डसे मेकी एण्ड पाली पटुलो विमेन एट वर्क लन्दन ट्रा, विस्फोट, 1977
6. हेजल. डी, 1983 भिमावोमोशन लोकल गवस्मेन्ट दिल्ली कोन्सेप्ट पब्लिसिंग कम्पनी ।
7. गिरीजा खन्ना एण्ड मरिम्मा 1978, ए वरगीज इण्डियन विभिन्न डूडे विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली।
8. प्रमिला. कयूर, 1970, मैरिज एण्ड वर्किग विमेन इन इण्डिया दिल्ली, विकास पब्लिकेशन।
9. के. एम. कपाडिया, 1959 ''दी मेमिल इन ट्रान्जिशन सोशियों लॉफी कल बुलेटन 8 सितम्बर।

10. प्रमिला. कयूर, 1978, मैरिज एण्ड वर्किंग विमेन इन इण्डिया दिल्ली, विकास पब्लिकेशन।
11. रमा. कपूर, 1967, रोल काम्पलिफट आयोग एम्पलॉयड हाउस वाईफ, इण्डियन जनरल ऑफ इंडट्रीयल रिलेशन्स।
12. उषा, तलवार. 1984, सोशल प्रोफाइल ऑफ इण्डियन विमेन, जोधपुर जैन ब्रदर्स।
13. सीमल. एलवर्ट, डिपेन्डेट एण्ड इन्डीपेन्टड इन द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्श, वाईल्ड।
14. कमला नाथ अरबन वुमेन वर्क्स 1965, ए प्रेलिमिनटी स्टडी द इकोनोमिक वीकली।
15. विजय एन्यू एलीट 1979, विमन इन इण्डियन पोलिटिक्स दिल्ली विकास पब्लिकेशन।
16. एरेन्ज होनेकर 1979 वुमेन इन जी.डी.आर फेक्ट्स एण्ड फिगर स्टार स्वीरिंग 1975 करन फीन्सटॉन – वर्किंग वुमेन एण्ड फेमिलीय सेग ईयर बुक्स इन वुमेन्स पोलिसी स्टीडी भाग– 4 लन्दन सेज पब्लिकेशन.
17. प्रमिला कपूर 1970, मेरिज एण्ड वर्किंग वीमेन ऑफ इण्डिया नई दिल्ली विकास।
18. तारा, अली. 1975, वेग इण्डियाज वीमेन पावर दिल्ली एस चन्द।
19. महावीर कुमार जैन – दलित समाज : मुद्दे एवं समस्याएं राजस्थान एण्ड जनरल ऑफ सोशियॉलाजी वॉल्यू 2 अक्टूम्बर 2010 बुलेटिन जनरल ऑफ राजस्थान सोशियोलॉजीकल एसोसियशन।
20. बलवीर सिंह स्वपना मीणा – लिगानुपात भेदभाव : कतिपय आयाम राजस्थान एण्ड जनरल ऑफ सोशियोलॉजी वॉल्यूम 2 अक्टूम्बर 2010 बुलेटिन जनरल ऑफ राजस्थान सोशियाल्जीकल एसोसियशन।
21. महिला सशक्तिकरण में घरेलू हिंसा 2006, 2012
22. घरेलू नक्शा रूविला 2011
23. महिलाओं के विरूद्ध अपराध, राम आहूजा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
24. फिल्कलर डविड, गोलेश रिचार्ड, हॉटलिन मेरार्ल, 1983, दी डास्क साईड ऑफ फैमिलिस, सेज पब्लिकेशन।
25. समानता की नीवं, दिल्ली हाईकोर्ट 2 जूलाई 2009
26. महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र जयपुर (दक्षिण और उत्तर) की रिपोर्ट, 2002–2011

Email.Com :- m.nawria@gmail.com
Mobile N0. 09461280093, 09928580093

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 51-58

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

नीली अर्थव्यवस्था

डॉ. (श्रीमती) मंजुलता कश्यप

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर (छ.ग.)

सारांश :-

सागर और उसके तटीय क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हमेशा समृद्धि के द्वार रहे है। जब तक पूर्वी और पश्चिमी तट पर बने बंदरगाहों का वैश्विक व्यापार पर कब्जा रहा, तब तक भारत दुनिया का सबसे समृद्धिशाली देश रहा। पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में चिटगांव (रंगून) तक लगभग 153 बंदरगाहों और उनसे जुड़े करीब 70 डाकयार्ड ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 1761 ई. तक पूरी दुनिया के आयात–निर्यात के साथ वैश्विक व्यापार पर अपना साम्राज्य जमाए रखा।

पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा स्त्रोत महासागर ही है। मनुष्य ऊर्जा, भोजन, मनोरंजन, सैन्य और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महासागरों का दोहन करती आ रही है। वर्तमान में विश्व का लगभग 80 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। हिन्द महासागर के तटीय क्षेत्र में आर्थिक और टिकाऊ विकास के मुद्दे बहुत चुनौती पूर्ण है।

महासागरों के संसाधन :- समुद्री व्यापार के आर्थिक विकास की भौतिक बुनियादी सुविधाएं, समुद्री व्यापार से जुड़े साधन सुविधाएं और तटीय प्रबंधन सेवाएं, आर्थिक प्रगति और स्थिरता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की समग्र योजना के भाग है।

हिन्द महासागर में खनिजों के विशाल भंडार विद्यमान है। तटवर्ती अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 40 लाख से अधिक मछुवारे और तटीय कस्बे आते है। भारत को मछली उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त है। जहाज निर्माण और जहाजरानी भी नीली अर्थव्यवस्था के मुख्य पक्ष है।

सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची (2030 तक प्रस्तावित SDG-14) लघु द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों को मात्स्यिकी, जल जीवों और पर्यटन के स्थायी प्रबंधन सहित समुद्री संसाधनों के सतत् प्रयोग के आर्थिक लाभों में वृद्धि के कारण महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण, स्थिरता और प्रयोग के संबंध में ''नीली अर्थव्यवस्था'' वह आर्थिक गतिविधि है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महासागरों और समुद्रों मे उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में महासागर और स्थल आधारित गतिविधियों के अंतर्गत संचालित होती है। ''नीली अर्थव्यवस्था'' में आर्थिक वृद्धि, रोजगार और अर्थव्यवस्था की निर्भरता में तेजी लाने की व्यापक क्षमता है। यह खाद्य सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण के प्रबंधन और संरक्षण, रोजगार, सृजन, मानव कल्याण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षा में सहयोग प्रदान करती है।

21वीं सदी में नीली अर्थव्यवस्था पर विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही है।

विश्व बैंक के अनुसार – नीली अर्थव्यवस्था समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों का सतत् विकास है। भारतीय संदर्भ में यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र है। जिसमें देश के कानूनी अधिकार क्षेत्र के अंदर महासागरों, समुद्री और तटवर्ती तटीय क्षेत्रों में महासागर संसाधन प्रणाली और मानव निर्मित आर्थिक आधारभूत संरचना सम्मिलित है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और आजीविका के संरक्षण को प्रोत्साहन देना है।

समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों एवं समुद्री सागरिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना नीली अर्थव्यवस्था कहलाता है।

नीली अर्थव्यवस्था में महासागर, उससे जुड़ी नदियां, जलाशयों और तटवर्ती क्षेत्रो में संसाधनों और परिसंपत्तियों के इस प्रकार विकास करने से संबधित व्यापक आर्थिक गतिविधियां सम्मिलित है कि समानता, समग्रता, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। नीली अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास लक्ष्यों (SDG) का अभिन्न अंग माना जाता है।

नीली अर्थव्यवस्था की भारत की अवधारणा बहुआयामी है। देश के समुद्री व्यापार से जुड़े व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

हिन्द महासागर की नीली अर्थव्यवस्था वैश्विक, आर्थिक कारीडोर का रूप ले चुकी है।

मुख्य शब्द : नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, नीली अर्थव्यवस्था का महत्व, ब्लू इकानॉमी पालिसी, चुनौतियां, भावी रणनीति।

अध्ययन का उद्देश्य : –नीली अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना।
–नीली अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्व को जानना।
–ब्लू इकानॉमी पालिसी का अध्ययन करना।

अध्ययन विधि : द्वितीयक समंको पर आधारित।

प्रस्तावना :–

भारत की तटीय सीमा काफी लम्बी है। भारत हिन्द महासागर में स्थित प्रमुख देश है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। वर्तमान में महासागरों के आर्थिक उपयेाग के लिए ''ब्लू इकानॉमी'' अथवा ''नीली अर्थव्यवस्था'' शब्द का उपयोग किया जाता है। नीली अर्थव्यवस्था का विकास न केवल जल निमग्न संसाधनों का दोहन करते हुए बल्कि विशेषकर स्थल पर अवसरो की सीमितता के बीच महासागरों में अवसंरचना विस्तार के लिए एक आधार के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, साथ ही यह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा को बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटर पौली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ''द ब्लू इकानॉमी – 10 इयर्स, 100 इनोवेशन्स, एण्ड 100 मिलियन जॉब्स'' मे प्रस्तुत किया गया था। यह सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास में एकीकरण पर जोर देती है।

भविष्य में जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमीनी संसाधन पर्याप्त नहीं होगे। इसलिए आज

मनुष्य महासागरों में जीवन के नए संसाधनों की खोज कर रहा है। भारतीय समुद्री तट की कुल लम्बाई 7516. 6 किलोमीटर है। जिसमें मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6300 किलोमीटर तथा द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार 1216.6 किलोमीटर है।

नीली अर्थव्यवस्था :–

महासागर विश्व के सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र है, साथ ही इनका विस्तार पृथ्वी के तीन चौथाई हिस्से में है। महासागर वैश्विक GDP में 5 प्रतिशत का योगदान देते है। लगभग 350 मिलियन व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त होती है। इस संदर्भ में ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आजीविका, वाणिज्य तथा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संभावनाएं एवं चुनौतियां उत्पन्न करते है।

विश्व बैंक के अनुसार – महासागरों के संसाधनों का उपयोग जब आर्थिक विकास, आजीविका तथा रोजगार एवं महासागरीय पारिस्थितिक तंत्रो को ध्यान में रखकर किया जाता है तो वह नीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। नीली अर्थव्यवस्था के अन्य नाम है – मरीन अर्थव्यवस्था, तटीय अर्थव्यवस्था, महासागरीय अर्थव्यवस्था।

नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और परिवहन के लिए समुद्री संसाधनों के सतत् उपयेाग के साथ ही समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को संदर्भित करती है।

नीली अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि, रोजगार वृद्धि की क्षमता है। नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका हेतु समुद्री संसाधनो के उपयोग और सागरीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से है।

नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र –

1. **जलीय कृषि** – वर्तमान में विश्व में उपभोग किए जाने वाली कुल मछलियों में से 58 प्रतिशत जलीय कृषि से उत्पादित की जाती है। जलीय कृषि के अंतर्गत मछली के विभिन्न प्रकार के जलीय जीवों एवं वनस्पतियों को नियंत्रित पर्यावरण में विकसित किया जाता है। इससे इनकी उत्पादकता एवं उपयोगिता में वृद्धि होती है।
2. **अलवणीकरण के माध्यम से ताजे पानी की प्राप्ति :–** भारत के कई तटीय क्षेत्र ऐसे है जहां जल स्त्रोतों की कमी है। ऐसे में समुद्री खारे पानी को अलवणीकरण प्रक्रिया द्वारा ताजे जल में परिवर्तित कर उपयोग करते है। वर्तमान में चेन्नई में जल की कमी ने ऐसे प्रयासों की ओर विचार करने को प्रेरित किया है।
3. **मत्स्य कृषि :–** भारत की तटीय लम्बाई लगभग 8000 किलोमीटर है। जिसके कारण भारत में मछली उत्पादन, तटीय क्षेत्रों में रोजगार के रूप में विकसित है। भारत के लगभग 1.5 मिलियन व्यक्ति इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करते है। कृषि क्षेत्र में मछली उत्पादन का 6 प्रतिशत का योगदान है। भारत की तटीय आबादी के लिए भोजन एवं पोषण के मुख्य साधन के रूप में मछली का ही उपयोग किया जाता है। भारत में यदि इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह भारत के पोषण स्तर को सुधारने का एक सस्ता स्त्रोत हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह निर्यात प्रोत्साहन में भी सहायक है।
4. **मरीन जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव संभावना :–** समुद्रों की जैव विविधता का विभिन्न क्षेत्रो जैसे – दवाओं, भोजन सामग्री, सजावट आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत समुद्रों में जैव संभावना को तलाश कर अपने आर्थिक लाभ में वृद्धि कर सकता है।

5. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन** :– महासागर के तटीय क्षेत्रों का नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोत के रूप मे उपयोग किया जा सकता है। INDC (Intended Nationally Determined Contributions) में भारत ने वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 33–35 प्रतिशत तक कम करने की बात कहीं है। इस संदर्भ में भारत को अपने नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। महासागर–ज्वारीय, तापीय, तटीय, पवन ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

6. **बंदरगाह सेवाएं** :– 80 प्रतिशत वैश्विक व्यापार समुद्री मार्गो से होता है। भारत में मात्रा के संदर्भ में 95 प्रतिशत तथा मूल्य के रूप में 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्गो से होता है। इस तथ्य के अनुसार भारत अपने बंदरगाह की क्षमता में वृद्धि कर रहा है। साथ ही सागरमाला परियोजना द्वारा बंदरगाहों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है।

7. **कार्बन पृथक्करण में उपयोगी (ब्लू कार्बन)** :– विश्व जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के विभिन्न प्रयासों पर कार्य चल रहा है। समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कार्बन को नीले कार्बन अथवा ब्लू कार्बन की संज्ञा दी जाती है। यह अवशोषण जीवभार और अवसाद के रूप में मैंग्रोव, दलदलीय क्षेत्रों, समुद्री घास तथा शैवालों द्वारा किया जाता है। महासागरों की कार्बन अवशोषण क्षमता भूमि पर स्थित परितंत्र के मुकाबले पांच गुना अधिक होती है। यदि सागरों का उपयोग जलवायु शमन में किया जाता है। तो यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार हो सकते है।

8. **पर्यटन** :– अभी भी भारत अपनी जैव विविधता का उपयोग पर्यटन के दृष्टिकोण से नहीं कर सका है। भारत में कई तट एवं द्वीप (अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, गोवा, गुजरात आदि) ऐसे है जिसका विकास समुद्री पर्यटन के दृष्टिकोण से किया जा सकता है।

ब्लू इकानॉमी पॉलिसी :–

भविष्य की आवश्यकताओं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में समुद्री संसाधनों की सहभागिता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक 'ब्लू इकानॉमी पालिसी' ड्राफ्ट तैयार किया हैं। इसका उद्देश्य भारत के GDP में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान को प्रोत्साहन, तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना, समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना, समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है।

ब्लू इकानॉमी पालिसी को भारत सरकार के ''विजन ऑफ न्यू इंडिया 2030'' के अंतर्गत तैयार किया गया है। राष्ट्रीय विकास के 10 प्रमुख आयामों में से अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। नीति की रूपरेखा भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रो में नीतियों पर जोर देती है।

इस नीति में सात विषयगत क्षेत्र निम्नलिखित है :–

1. ब्लू इकानामी और ओसियन गवर्नेस के लिए राष्ट्रीय लेखा ढांचा।
2. तटीय समुद्री स्थानिक योजना और पयर्टन।
3. तटीय और गहरे समुद्र में खनन एवं अपतटीय ऊर्जा।
4. सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. समुद्री मत्स्य पालन, जलीय कृषि और मछली प्रसंस्करण।
6. विनिर्माण उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी सेवाएं और कौशल विकास।

7. आधार भूत संरचना का विकास।

उद्देश्य :-

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में नीली अर्थव्यवस्था के योगदान में वृद्धि करना।

1. तटीय समुदायों के जीवन में सुधार करना।
2. राश्ट्रीय समुद्री क्षेत्रो और संसाधनों की सुरक्षा।
3. समुद्री जैव विविधता का संरक्षण।

नीली अर्थव्यवस्था का महत्व -

भारत की नीली अर्थव्यवस्था परिवहन के माध्यम से 95 प्रतिशत व्यवसाय का समर्थन करती है सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानित 4 प्रतिशत का योगदान करती है शिपिंग उद्योग का विस्तार संभावित है। भारत में अपतटीय पवन और सौर उर्जा विकसित करने की संभावनाएं है जो देश की बढ़ती उर्जा आवश्यताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। नीली अर्थव्यवस्था एक्वाकल्चर और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हो यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत् विकास लक्ष्यों (SPGS) विशेष रूप से SDG14 जल निमग्न जीवन का समर्थन करता है।

यह तटीय क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। घरेलू और क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है प्रचुर मात्रा में समुद्री संसाधनों का दोहन करता है। परिवहन के अधिक कुशल, सस्ते और विश्वसनीय साधन पर ध्यान केन्द्रित करता है। जैव विविधता को प्रोत्साहन देता है। पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देता है।

महासागर एवं तटीय पर्यटन रोजगार और आर्थिक संवृद्धि का सृजन कर सकते है। भारत की आर्थिक संवृद्धि हेतु हिन्द महासागर क्षेत्र रणनीतिक महत्व रखता है। अधिकांश कच्चा तेल और गैस समुद्र के माध्यम से आयात किया जाता है। खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। व्यापार की अपार संभावनाएं है। नीली अर्थव्यवस्था स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने और नवीकरणीय स्त्रोतों के नियोजन पर आधारित होती है।

नीली अर्थव्यवस्था भारत की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देश की GDP में योगदान देती है। नीली अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है।

नीली अर्थव्यवस्था में ऐसे आर्थिक लाभ भी सम्मिलित है जिनका विपणन नहीं कियाजा सकता जैसे– कार्बन भंडारण, तटीय संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्य और जैव विविधता।

यह एक उभरती अवधारणा है जो हमारे समुद्री संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है।

नीली अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए प्रयास :-

सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिए प्रयास किए है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सागर माला परियोजना भारत की बंदगाह अवसंरचना के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों तक संयोजकता में सुधार पर आधारित है।

सरकार द्वारा नीली अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :-

1. **डीप ओशन मिशन :-** गहरे महासागरों से जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करना।

2. सतत् विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नार्वे कार्यबल :– वर्ष 2020 में विकसित।

3. **सागर माला परियोजना** :– बंदरगाहों के आधुनिकीकरण हेतु आईटी सक्षम सेवाओं के व्यापक उपयोग के माध्यम से बंदरगाह विकास के लिए पहल।

4. **ओ स्मार्ट** :– अम्ब्रेला योजना है जिसका उद्देश्य सतत् विकास के लिए महासागरों और समुद्री संसाधनों का विनियमित उपयोग करना है।

5. **एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन** :– तटीय और समुद्री संसाधनों के संरक्षण तथा तटीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों में सुधार पर केन्द्रित।

6. **राष्ट्रीय मत्स्य नीति** :– ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय मत्स्य नीति बनाई गई।

7. **नाविक** :– नाविकों के जीवनस्तर में सुधार पर केन्द्रित।

19 फरवरी 2020 को भारत ने नार्वे के साथ मिलकर नीली अर्थव्यवस्था पर भारत नार्वे टास्क फोर्स स्थापित किया जो दोनों देशों के सतत् विकास को प्रोत्साहन देगा। महासागर आधारित उद्योगों में स्थायी मूल्यनिर्माण और रोजगार को प्रोत्साहन देना है।

भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोडमैप पर सहमति प्रदान की है। वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान देंगे। अपनी प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान–प्रदान करने, चल रहे और भविष्य के योजनाओं पर समर्थन करने के लिए एक वार्शिक द्विपक्षीयवार्ता की योजना बनाई गई। प्रदूषण की बड़ी घटनाएं रोकने, चोरी छिपे मछली पकड़ने की अनाधिकृत गतिविधियों की रोकथाम करने में भारतीय तटरक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्री सुरक्षा नीली अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए जरूरी है। समुद्री सुरक्षा अब केवल सेना और परम्परागत खतरों से बचाव तक सीमित न होकर गैर परम्परागत सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने से जुड़ गई है।

चुनौतियाँ :–

इस क्षेत्र से संबंधित कानून विनियम वर्षो पुराने है। नीली अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए एकीकृत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। संसाधनों का उचित मात्रा एवं तकनीक से दोहन न करने से महासागरों की जैव विविधता को संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से महासागरों के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। जिससे महासागरों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जल स्तर में वृद्धि से सबसे बड़ा संकट SIDS देशों के समक्ष उत्पन्न होगी। भारत के कुछ तटीय क्षेत्र इससे प्रभावित हो सकते है। तापमान वृद्धि से मानसून में परिवर्तन आने से प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) के लिए संकट उत्पन्न होगा। क्योंकि इन्हे एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। मछलियों का मुख्य भोजन प्रवाल होता है, इनकी उपलब्धता में कमी आने से मछलियों पर संकट आयेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समुद्री खाद्य श्रृंखला पर पड़ेगा, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पोषण एवं रोजगार पर पड़ेगा।

महासागरों के प्रदूषण, जहाजों से होने वाला तेल रिसाव का प्रभाव समुद्री जैव विविधता पर पड़ेगा।

भारत के कई तटीय क्षेत्रो में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य अवसंरचनाओं की कमी है, जिससे आर्थिक गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में कठिनाई आती है। भारत के तटीय जल क्षेत्र में ''ओवर फिशिंग'' एक बड़ी चुनौती है। इसका मत्स्य ग्रहण उद्योग और नीली अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रो पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हिन्द महासागर के तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से विकासशील देश है। ये अपने जीवनयापन, खाद्य सुरक्षा के लिए समुद्री संसाधनों पर ही निर्भर है। जिससे हिन्द महासागर के संसाधनों पर प्रदूषण, जीवो के सुरक्षित रहने लायक न बचने और जरूरत से अधिक शोषण दोहन के कारण दबाव बढ़ रहा है।

भावी रणनीति :–

नीली अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये जा सकते है –

1. **सतत् संसाधन प्रबंधन :–** समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना, ओवर फिशिंग एवं अन्य प्रकार के संसाधनों के अतिदोहन को रोकने के लिए विनियमन प्रवर्तित करना, समुद्री संसाधनो और उन पर निर्भर उद्योगों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करना।
2. **अवसंरचना में निवेश :–** बंदरगाहों, हवाई अड्डों, अन्य सुविधाओं में निवेश से आर्थिक गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में सहयोग मिलेगा।
3. **अनुसंधान एवं विकास :–** जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कमकरने में सहायता मिलेगी।
4. **भागीदारी एवं सहयोग :–** ज्ञान एवं विशेषता के आदान प्रदान और विभिन्न परियोजनाओं एवं पहलों पर सहयोग करने के लिए अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ कार्य करना नीली अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करेगा।

भारत को अपने महासागरों को केवल जल निकायों के रूप में नहीं देखकर निरन्तर आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के एक वैश्विक मंच के रूप में देखना चाहिए।

निष्कर्ष :–

महासागर मनुष्य के लिए अक्षय संपदा के भंडार होते है। जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करता आ रहा है। वर्तमान में भी विभिन्न देश महासागरीय संसाधनों का उपयोग अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कर रहे है। भारत भी नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर बल दे रहा है जिससे महासागरीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। परन्तु जलवायु परिवर्तन से लेकर महासागरीय संसाधनों का अनुचित दोहन तथा विनियामक ढांचे की कमी प्रमुख चुनौती बने हुए है। भारत यदि कुशल अवसंरचना के विकास द्वारा महासागरीय संसाधनों का धारणीय उपयोग करने में सक्षम होता है। तो यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने में प्रमुख योगदान दे सकता है।

नीली अर्थव्यवस्था की भारत की अवधारणा बहुआयामी है। देश के समुद्री व्यापार से जुड़े व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की नीली अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत के लगभग योगदान है। आशा है कि व्यवस्था तंत्र मेंसुधार के बाद यह और बढ़ेगा।

नीली अर्थव्यवस्था के स्थायी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में समुद्री परिवहन और सूचना प्रणालियों में आई क्रांति बंदरगाहों और जहाजरानी के विकास, खनिजों की खोज और उनका खनन, समुद्री पर्यावरण के लिए बढ़ते खतरों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नई नई चुनौतियों से देश के भविष्य का मार्ग तय होगा।

संदर्भ :–

From Internet –

1. नीली अर्थव्यवस्था –Drishti IAS Mhtml

2. नीली अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभ को बढ़ाना।
3. Blue Economy - Wikipedia
4. ब्लू इकॉनामी अर्थात् नीली अर्थव्यवस्था– रोजगार सृजन का उभरता क्षेत्र –डॉ.ए.एस. निनावे।
5. नीली अर्थव्यवस्था क्या है?
6. सतत् नीली अर्थव्यवस्था।
7. नीली अर्थव्यवस्था –सामाजिक लाभ का संसाधन।
8. नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति।
9. नीली अर्थव्यवस्था पर उद्योग हितधारक परामर्श।
10. ब्लू इकॉनामी (नीली अर्थव्यवस्था) पर भारत–नार्वे टास्कफोर्स
11. चौथी आसियान – भारत नीली अर्थव्यवस्था कार्यशाला 2022
12. नीली अर्थव्यवस्था – आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय संधारणीयता
13. नीली अर्थव्यवस्था और भारत के लिए इसका महत्व
14. ब्लू इकानॉमी किन दो देशों की संयुक्त पहल है?
15. नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्त्रोत होने जा रही है।
16. ब्लू इकानॉमी पालिसी पर एक नजर।
17. नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन।
18. ब्लू इकानामी पॉलिसी ड्रॉफ्ट पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा सुझाव आमंत्रित।
19. ब्लू इकानामी नीति का मसौदा।
20. नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर भारत फ्रांस रोडमैप।
21. नीली अर्थव्यवस्था – इतिहास।
22. नीली अर्थव्यवस्था और कृषि निर्यात नीति।

पत्रिका –

योजना

1. **नवम्बर** 2015
   - i) आंतरिक जल परिवहन – चुनौतियां व संभावनाएं – अरविन्द कुमार सिंह, पृ.क्र. 13
   - ii) सागरमाला – समृद्ध अतीत की नीवं पर बेहतर भविष्य की तस्वीर – विवेक भटनागर, पृ.क्र. 39
2. **नवम्बर** 2022
   - i) तटीय सुरक्षा के बहुमुखी आयाम – बी. रंजन, पृ. क्र. 7
   - ii) अंतर्राश्ट्रीय समुद्री परिवहन – डॉ. राजू बालाजी, पृ. क्र. 15
   - iii) तटीय भूक्षरण – शरद चन्द्र, पृ. क्र. 17
   - iv) नीली अर्थव्यवस्था – महावीर सिंह, पृ. क्र. 29
   - v) राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, पृ. क्र. 40
   - vi) विकास के वाहक बंदरगाह, पृ. क्र. 43
   - vii) भारतीय तटीय समुदाय – असीर रमेश, डी, अमलीइन्फैटिना, जे, पृ. क्र. 45

मो.नं. 9584895167, Email – kashyapmanju6@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 59-61

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधि

(50 प्रतिशत आरक्षण पश्चात्)

मल्लिका दास

शोध छात्रा (पी0 एच0 डी0) सामाजिक विज्ञान विभाग, पूर्णियां विश्वविद्यालय, पूर्णियॅा, बिहार।

प्रस्तावना :–

कहा जाता है कि ''आज की महिलाएं काफी उन्नत जागरूक व सचेत होती है''। आज का जमाना बदल गया है डिजीटल बन गया है बावजूद भारत जैसे विशाल देश में पुरूषों के अधिपत्य उनका महिलाओं के उपर दबदबा कही न कही आज भी बरकरार है।

वर्तमान समय में नारी पुरूषों के समरूप हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, सरकारी कर्मचारी, सेवा क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र से लेकर चुनावी रणभूमि तक महिलाएं अत्यन्त प्रभावी प्रतिद्वन्दी बन खड़ी है। सत्ता चला भी लेती है और सत्ता गिरा भी देती है अपनी चरम पराकाष्ठा पर तेजस्वी की प्रकाश उज्वलीत करने की अदा अपने में समाहित रखती है।

लेकिन क्या? क्या यह भारत के प्रत्येंक महिला पर अमल होता है? क्या सभी वर्गों की महिलाओं को यह अवसर समाज के अन्यत्र क्षेत्रों में मिल पाती है। और क्या शासन दल की शासक प्रतिनिधित्व पाकर भी सत्ता खुद पर महफुज रख पाती है? और शासन संचालन एवं न्यायिक पृष्ठभूमि को प्रतिपादित करने की क्षमता स्वयं नियंत्रण कर पाती है? यह सभी प्रश्न तो उठते है। जिसका जबाव तो मेरे पास नही है लेकिन एक उदाहरण प्रस्तुत कर विषय रचना का मूल उददेश्य अभिव्यक्त कर सकती हूँ।

जहां बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में श्री विनोदानन्द झा के प्रयास से 'बिहार ग्राम पंचायतराज अधिनियम 1947' पारित कर गांव–गांव में पंचायत का गठन प्रारंभ कर दिया गया। वही 2006 में राज्य बिहार पंचायतीराज व्यवस्था को अपने राज्य में सूचारू रूप से चलाने एवं महिलाओं को 50 प्रतिशत की आरक्षण देने वाला देश का अम्बल राज्य कहलाया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत ने पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा दिलाने में भारतीय विचारकों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो इस प्रकार है–महात्मा गांधी, दादाभाई नौरोजी, सुरेन्द्र नाथ बेनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय, विपिन नन्द रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि जिनमें बापुजी अर्थात महात्मा गांधी ने पंचायतीराज द्वारा ग्रामीण स्वशासन स्थापना पर सर्वाधिक जोर डाला। जब संविधान का प्रारूप बाबूजी को दिखाया गया तो बापूजी ने उसे देख कर लौटा दिया और कहा इसमें तो पंचायतों की व्यवस्था है ही नहीं... यदि भारत को नष्ट नहीं होना है तो हमे सबसे निचले स्तर से काम आरम्भ करना होगा। अन्यथा उच्च तथा मध्य

का तंत्र लड़खड़ाकर गिर जाएगा स्वराज का अर्थ कुछ लोगो के हाथ में क्षमता नही है बल्कि बहुमत के हाथ में वह शासक को नियंत्रित कर सके अर्थात विकेन्द्रीकरण ही भारत के तंत्र का समाधान है।

पूज्यनीय बापूजी का प्रसिद्ध कथन :–

''अगर हिन्दुस्तान के हर गांव में कभी पंचायतीराज कायम हुआ,
तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकुंगा जिसमें सबसे
पहला और सबसे आखिरी दोनो बराबर होंगे या यो कहिये।
कि न तो कोई पहला होगा, न आखिरी।''

''पंचायतीराज' संविधान के 40वें अनुच्छेद और अनुसूची के भाग 11 में 29 विषय के साथ वर्ष 1992 में 73वे संविधान द्वारा जोड़ा गया, 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था बनाया गया। इसी संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति को उनके आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया साथ ही महिलाओं के लिए सम्पूर्ण सीटों का 1/3 भाग आरक्षण सुनिश्चित किया गया लेकिन वर्तमान समय में बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और केरल में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

बिहार पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरदाण का प्रावधान 2006 में पारित किया गया।

2006 बिहार पंचायत चुनाव में चयनित महिला प्रतिनिधि की तालिका –

संस्थाएं	कुल पद	महिलायें
ग्राम पंचायत मुखिया	8463	3784
ग्राम पंचायत सदस्य	115876	54260
ग्राम कचहरी सरपंच	8463	4013
ग्राम कचहरी पंच	115878	54448
पंचायत समिति सदस्य	11566	5371
जिला परिषद सदस्य	1162	5371
प्रमुख	531	237
जिला परिषद अध्यक्ष	38	18

श्रोत – राज्य निर्वाचन आयोग, पटना बिहार

2006 इसी प्रकार 2011, 2016 एवं 2021 में हुए चुनावों के नतीजों के मद्देनजर महिलाएं 50 प्रतिशत प्राप्त है वहां तो वो चुन कर आयी ही है साथ ही वो पद जिन पर किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है वहां भी वो चुनी जा रही है।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि 2006 के आरक्षण व्यवस्था में आए परिवर्तन ने तो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांति ला डाली। जहां इससे इनके राजनीतिक सहभागिता को सुलभ एवं शसक्त बनाती है वही सत्ता के मंच पर महिलाओं के प्रवेश की पहली सीढ़ी रूपी भी मानी जा सकती है।

किन्तु बिहार के सामाजिक संकल्पना की ढ़ांचा कुछ और ही बताती है राज्य बिहार के किशनगंज जिले

के संदर्भ में पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत महिला प्रतिनिधियों को जिले से ग्रामीण स्तरो में किये गये एक अध्ययन से यह बात सामने आती है वह है ''मुखियांपति''।

मुखियांपति :–

यह एक प्रथा के रूप में शुरू हुई जहां महिलाएं अपने पतियों की ओर से प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ती है। यह प्रथा सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए नही वरन पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य पदो में भी पदासीन होते पाया गया है। सरकारी कागजातो में तो पद महिलाओं के नाम पर पदासीन होता है। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही होता है। उदाहरण स्वरूप टेलिविजन में प्रसारित एक धारावाहिक ''निमकी मुखियां'' नामक एक रचना जो बिहार के गांव विशेष से संदर्भित छाया प्रति से आभास ले सकते है।

निष्कर्ष :–

महिला प्रतिभागी को भारत के संविधान एवं राज्यों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त सिटो के आवंटन में आंरक्षण महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके जीवन स्तर को समृद्ध करने के उद्देश्य से है। इसका दुरूपयोग न्यायविरूद्ध अन्यायपुर्ण विचारधारा है। समाज के प्रत्येंक व्यक्ति को यह समझना आवश्यक है कि स्वतः स्वार्थ की भावना को परित्याग कर महिलाओं को विकासन्मुख करे तथा उनके अधिकारों को अग्रिम रख कर अपने पुरूषार्थ को प्रासंगिक बनाए।

संदर्भ :–

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बिहार में ग्राम पंचायत, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना बिहार।
2. डॉ. सवलिया बिहारी वर्मा, ग्रामीण पंचायत संस्थाएं, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।
3. राज्य निर्वाचन आयोग, पटना बिहार।
4. डॉ0 सीताराम सिंह, बिहार में ग्राम पंचायत एवं सूशासन, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना, बिहार।
5. स्टारभारत प्रसारण 'निमकी मुखियां' (www.hotstar.com)
6. भागीदारी एवं उत्तरदायित्व पंचायतों की जवाबदेही, बिहार राज्य संसाधन संस्था, पंचायतीराज विभाग, बिहार सरकार।
7. https://indiaspendhindi.com

Mollika Das W/o- Vijay Kumar

At- Subhash Pally, Kabir Chowck, Near- Insan School Road,

Post/Dist - Kishanganj, State- Bihar, Pin- 855107

Mob: 9563485270/ 8250204491

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 62-67

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत–नेपाल सम्बन्धों की छांव–धूप

(रामकथा के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. नीरज कुमार द्विवेदी

सहायक आचार्य – हिन्दी विभाग, दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई, जालौन (उ0प्र0)

भारत–नेपाल के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध वैश्विक समुदाय के लिए एक नज़ीर है। दोनों ही देशों के मध्य प्राचीन काल से ही मधुर बने हुए हैं क्योंकि दोनों ही देश भौगोलिक रूप से हिमालय की गोद में स्थित हैं, जिसके कारण दोनों के सम्बन्ध कूटनीतिक या राजनैतिक कम अपितु सांस्कृतिक व धार्मिक अधिक रहे है। भगवान रामचंद्र जी की कथा विश्व में कई देशों में प्रचलित रही है। वरन इसके संदर्भ में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है। इन देशों में रामकथा से सम्बंधित विभिन्न प्रकार के साहित्य भी उपलब्ध है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बनी में हुआ तो निर्वाण भारत के कुशीनगर में। इस प्रकार दोनों धार्मिक दृष्टि से एकात्मक देश हैं। नेपाल और भारत के धार्मिक केंद्र जैसे–पशुपतिनाथ का मंदिर, जनकपुर, अयोध्या, बोधगया, लुम्बनी, पावानगर, कुशीनगर आदि दोनों देशों के परस्पर वैश्विक मतावलंबियों को आकर्षित करते रहे हैं। धार्मिक व सांस्कृतिक मान्यतायें, संस्कृत अभिलेख इस बात को प्रमाणित करते रहे हैं। दोनों वर्तमान देश (संगौली संधि 1816 ई०) अत्यंत प्राचीन काल से ही आस्था और मान्यताओं में परस्पर जुड़े हुए हैं। हाल के दशकों में भारत नेपाल सम्बन्धों की मिठास में कुछ कमी अवश्य आयी है परन्तु यदि भारत कूटनीतिक तरीके से अपने पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक संबंधों को पुनर्जीवित करता है तो राजनीतिक, आर्थिक अन्य क्षेत्र में विगत कुछ दशकों मे उत्पन्न विवादों को हल किया जा सकता है।

नेपाल भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है। यह चीन और भारत के मध्य एक बफर राज्य है, इसलिए न चीन इससे रिश्ता बिगाड़ने का जोखिम लेता है न ही भारत। भारत ने आजादी के बाद सन 1950 ई० में भारत–नेपाल शांति और मित्रता संबंध करके अपनी विदेश निति के सिद्धांत पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व–पहले पड़ोसी की नीति एवं सौहार्द आदि को सिद्ध किया।[1] भारत तथा नेपाल के मध्य खींचतान 1960–1978 ई० के बीच देखने को मिली। इसका मूल कारण नेपाल नरेश द्वारा नेपाल में लोकतान्त्रिक शक्तियों के हाथों में शक्ति न देना था । नेपाल नरेश का मत था कि नेपाल में लोकतान्त्रिक शक्तियों को भारत से सहायता व समर्थन मिल रहा है। लोकतान्त्रिक शक्तियां भारत की ओर प्रेरणा के लिए देख रही थी (विशेषतः बी०पी० कोइराला)। फलस्वरूप नेपाल नरेश उन सभी ताकतों से दोस्ती करते रहे जो भारत विरोधी थे। नेपाल का चाइना के साथ मित्रता तथा पाकिस्तान के साथ निकटता इसी तथ्य का उदाहरण है। अप्रैल 1990 में नेपाल में बहुदलीय लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना ने भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के नए युग का सूत्रपात किया। दोनों देशों

के बीच संबंधों को मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए भारत ने सदैव प्रयास किये है। नेपाल के 2008 ई० में निर्मित संविधान में भी भारत की भूमिका अहम् रही है।[2]

दक्षिण एशियाई संस्कृति के हिस्से होते हुए, नेपाल और भारत सांस्कृतिक परम्परा में विशेष निकटता, समानता और एकता देखने को मिलती हैं। वे सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक परम्परा से इतने निकट और दृढ़ता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग करने की कल्पना नहीं की जा सकती है। दोनों ने इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में अहम् योगदान दिया है। नेपाल में पैदा हुए भगवान बुद्ध ने न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे विश्व में अपने पद चिन्ह छोड़ दिए हैं। नेपाल की बेटी सीता, जिसका विवाह भारत में अयोध्या में हुआ था, ने दुनिया में कहीं भी रहने वाले हिन्दुओं के दिलों में खास जगह बनाई है। भारतीय दार्शनिकों और संतों ने नेपाल स्थित हिमालय की कंदराओं में चिंतन और साधना कर समाज को समृद्ध किया है।[3]

नेपाल और भारत बीच सांस्कृतिक संबंधों के कई पहलू हैं। धर्म शायद सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और इन दोनों देशों क सांस्कृतिक संबंधों को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह सर्वविदित है कि नेपाल वैश्विक समुदाय का एकमात्र हिन्दू राष्ट्र है। तीर्थयात्रा के लिए एक दूसरे के देशों का दौरा करने वाले दोनों देशों के पर्यटकों की बड़ी संख्या से यह प्रकट होता है।[4] हर साल हजारों नेपाली नागरिक भारतीय तीर्थस्थलों की यात्रा करते हैं। नेपाली हिन्दू धर्म के अनुयायीयों के लिए चारधाम यात्रा, भारत में चारधामों की यात्रा, अर्थात् उतराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, तमिलनाडु में रामेश्वरम और गुजरात में द्वारका, उनकी जीवन–आकांक्षा है। भारत में कई ऐसे स्थल हैं, जिन्हें नेपाली समाज द्वारा पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थलों में हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, गया, वैष्णोदेवी सहित अनेक तीर्थ शामिल हैं। इसी तरह नेपाल में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, जो बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और भारतीय नागरिकों के लिए धार्मिक आस्था के केन्द्र हैं जिनमें काठमाण्डू में पशुपतिनाथ, रूपमंडी जिले में लुम्बनी, जनकपुर में राम–जानकी मंदिर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

नेपाल–भारत पुस्तकालय 1951 ई० में काठमांडू में स्थापित किया गया। यह किसी भी देश द्वारा नेपाल में स्थापित प्रथम पुस्तकालय है, जिसका उद्देश्य भारत–नेपाल के मध्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों की प्रगाढ़ता को कायम रखना है। पशुपतिनाथ मंदिर के संरक्षण के लिए दोनों देशों में बातचीत चल रही है। नेपाल फाइन आर्ट एवं ललित कला अकादमी के मध्य भी अभी हाल ही में समझौता हुआ है। नेपाल–भारत के मध्य सहयोग का एक और घटक सिनेमा और संगीत है। नेपाल में भारतीय फिल्में लोकप्रिय हैं; और ऐसा ही भारतीय संगीत भी है। इसी तरह नेपाली सिनेमा और संगीत भारत में लोकप्रिय है, विशेष रूप से नेपाली मूल के लोगों की सघनता वाले स्थानों में, मुख्य रूप से उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। इसके अलावा दोनों देश कई भाषाओं को भी साझा करते हैं। नेपाल और भारत के बीच कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य और खेल के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारों, व्यक्तियों और लोगों के समूहों का आदान–प्रदान समय–समय पर होता रहता है।[5]

जिस प्रकार हिन्दी साहित्य में रामकथा का मूलाधार बाल्मीकि रामायण है उसी प्रकार नेपाली रामकथा का भी मूल श्रोत संस्कृत में विरचित बाल्मीकि रामायण है। रामकथा की लोकप्रियता से प्रभावित होकर बौद्धों तथा जैनियों ने भी इसे अपनाया। बौद्ध साहित्य के तीन जातकों में रामकथा मिलती है। ईसा की आठवीं शताब्दी में

विद्यमान जैन कवि स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा में 'पउमचरिउ' नामक रचना में रामकथा का विस्तृत वर्णन किया। चौदहवीं शताब्दी में रामानन्द ने उत्तर भारत में जाति बंधन को चुनौती देकर सर्व साधारण में भक्ति का संचार किया। मध्यकाल में तुलसीदास की रचनाओं द्वारा चिरस्थायी जीवन और साहित्य का एक अंग बन गयी। तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के माध्यम से अपनी प्रतिभा के प्रकाश से रामकाव्य को आलोकित कर दिया।

दयाराम श्रेष्ठ तथा मोहनराज शर्मा समग्र नेपाली साहित्य में इस काव्य–धारा के प्रर्वतक के रूप में, यदुनाथ पोखरेल को मानते हैं तो इतिहासकार घनश्याम नेपाल, भानुभक्त आचार्य को मूल या प्रतिनिधि कवि मानते हैं। नेपाली साहित्य में इस परंपरा के प्रबल स्तंभ वस्तुतः भानुभक्त आचार्य है। उनके अध्यात्म रामायण का प्रभाव केवल नेपाल के जनजीवन पर ही नहीं बल्की समस्त नेपाली समुदाय पर पड़ा। समग्र नेपाली साहित्य में राम काव्य के रचनाकारों के रूप में रघुनाथ, पोख्रेल, भानुभक्त आचार्य, पतंजली गजुरेल, रामदास आदि का नाम प्रमुख है।

रघुनाथ पोखरेल का जन्म काठमाण्डू में सन् 1811 में पिता चक्रधर पोखरेल तत्कालीन महाराजधिराज के दरबार में राज्याश्रित कवि थे। इनके पिता संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, जिसका प्रभाव रघुनाथ पर पड़ा। उन्होंने पिता से घर पर ही संस्कृत की सामान्य शिक्षा ग्रहण की थी। वे स्वभावतः धनसंचयी नहीं थे अपितु अपने फक्कड़ स्वभाव के कारण व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाते थे अतः पिता के देहान्त के बाद उन्होंने अपनी ससुराल को ही अपना आश्रय बना लिया। सन् 1858 में पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने ससुराल को भी त्याग दिया और काशी की ओर प्रस्थान किया। उनका अन्तिम समय काशी में ही बीता और मृत्यु भी काशी में ही सन् 1861 में हुई।

काशी में रघुनाथ पोखरेल हिन्दी साहित्य एवं ब्रज के विद्वानों के संपर्क में आ गए, जिनका प्रभाव उनके कवि व्यक्तित्व पर पड़ा और वे काव्य–सृजन में प्रवृत्त हुए। उन्होंने कई फुटकर रचनाएँ की जिनमें नेपाल की तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। अपनी फुटकर रचनाओं नेपाल में हो रहे हत्याकांड व जंगबहादुर राणा की क्रूर नीतियों पर भी व्यंग्य किया गया है। भारत में उस समय तुलसी रचित 'रामचरितमानस' का बोलबाला था। सारी हिन्दू जनता के मन में इस कृति के प्रति अगाध श्रद्धा भाव देखकर रघुनाथ के मन में एक ग्रन्थ प्रणयन की प्रेरणा जगी। रघुनाथ की रामायण मूलतः संस्कृत रामायण का पद्यानुवाद ही है, फिर भी रघुनाथ ने इसे अपनी मौलिक रंग में ढाल कर नेपाली स्वरूप प्रदान किया है। इसमें संस्कृत की छंद परंपरा के साथ–साथ शैली भी संस्कृत साहित्य की अपनायी गई है। प्रारंभ में मंगलाचरण, स्वस्तिक वचन, सर्गान्त तथा अन्त में समाप्तिसूचक निर्देशात्मक छन्द का प्रयोग किया गया है।

इस प्रकार रघुनाथ पोखरेल की यह रचना 'खण्डकाव्य' के अंतर्गत आती है। भारतभूमि में सृजित होने के कारण कवि की इस कृति पर ब्रज, अवधी, हिन्दी तथा संस्कृत का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। इस कृति के संबंध में बालचंद्र शर्मा का कहना है – ''रघुनाथ ने सुन्दरकांड के प्रारंभ के प्रथम स्वतंत्र छंद में धन्य पद रख कर गोलमटोल ढंग से नमस्कारात्मक मंगलाचरण की पद्धति अपनाई है। रचना के प्रारंभ में अगम पद रखकर एक ओर अध्यात्म रामायण के मूल विषय अध्यात्मवाद की ओर इशारा किया है तो दूसरी ओर वर्णमाला के प्रथम अक्षर और प्रणवनाद की प्रथम ध्वनि ग्रहण करके स्वयं इसी वर्ण से मंगल की सूचना दी है। संस्कृत काव्य परिपाटी में प्रबन्ध–काव्य का सर्गान्त और अंत में प्रसंग का समाप्ति सूचक निर्देशात्मक छंद रखने का

उपक्रम भी किया है। इस प्रकार उनका 'सुन्दरकाण्ड' सम्पूर्ण रामायण का एक अंश होते हुए भी स्वतंत्र मुक्तक रचना के रूप में उपस्थित हुआ है।''[6] एक उदाहरण दृष्टव्य है :–

अगम बल लगाया सिन्धु गोखुर बनाया।
असुरदल जलाया मेरुकाया बनाया।।
राति सातजना ती फेरी आया।
अगम बल लगाया सिन्धु गोखुर बनाया।
असुरदल जलाया मेरुकाया बनाया।।
सुमति गुण चलाया धन्य ती फेरी आया।
कविपति कहलाया रामको प्रेम पाया।।[7]

(भावार्थ :– अगम बल लगाकर सागर में पुल का निर्माण किया। असुर दल जलाकर पर्वत बनाया। इस प्रकार हनुमान अपनी कीर्ति कायम करके वापस आ गए। वे कविपति कहलाए। राम का प्रेम यथेष्ट मात्रा में पाया)।

नेपाली रामकाव्य परम्परा में दूसरा प्रमुख नाम भानुभक्त आचार्य का है। आपका जन्म पश्चिम नेपाल के अन्तर्गत तनहुँ नामक ग्राम में सन् 1814 ई0 में एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम धनंजय आचार्य था। उन पर उनके दादा, जो कि संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और साहित्यिक रूचि वाले थे, श्रीकृष्ण आचार्य का प्रभाव खूब पड़ा। वृद्धावस्था में जब वे काशीवास के लिए भारत आए तो भानुभक्त भी उनके साथ शिक्षा–दीक्षा के लिए काशी आ गए। काशीवास के दौरान भानुभक्त का सम्पर्क कई रचनाकारों और विद्वानों से हुआ। जिसके प्रभावस्वरूप वे बचपन में ही कविताएँ करने लगे। भानुभक्त को साहित्य रचना की प्रेरणा एक घासी (घसियारे) से मिली। प्रसिद्ध नेपाली विद्वान मोतीराम भट्ट ने भानुभक्त के संबंध में एक घटना का उल्लेख किया है कि सन् 1834 में भानुभक्त टहलते हुए एक नदी के किनारे पहुँच गए। वहाँ उन्होंने एक घासी (घसियार) को घास काटते हुए देखा और पूछा कि यह इतना परिश्रम किसलिए कर रहा है? घासी ने हँसते हुए जवाब दिया कि वह घास बेचकर रूपये इकट्ठे कर रहा है। वह उन रुपयों से एक कुआँ खुदवा रहा है ताकि सबको पानी मिले। दुनिया में आकर सबको परमार्थ का कार्य करना चाहिए घासी तो चला गया, मगर उसकी बातें भानुभक्त के मन में घर कर गईं। इस प्रभाव से उनकी अनुभूति निम्न काव्य पंक्तियों के रूप में प्रतिफलित हुई :–

भर्जजन्म घाँसतिर मन् दिई धन कमायो
नाम क्यै रहोस भनेर कुवा खनायो
घासी दरिद्र धनको तर बुद्धि कस्तो
न भानुभक्त धनी मैकन आज यस्तो।।[8]

(भावार्थ : आजन्म घास काटकर धन कमाया
लोक–कीर्ति के लिए कुआँ खुदवाया
घासी दरिद्र धन का पर मन का उँचा
मैं भानुभक्त धनी होकर भी कितना ओछा)।

ये भानुभक्त की प्रथम काव्य पंक्तियाँ थी। उसी दिन से भानु ने परमार्थ के लिए कुछ न कुछ करने का

संकल्प लिया। इसी प्रेरणा से उन्होंने सातकाण्ड रामायण की मौलिक रचना सरल नेपाली भाषा में की। उनकी मृत्यु सन् 1869 में नेपाल में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएँ –सातकाण्ड रामायण (1853), भक्तमाला (1853), वधुशिक्षा (1862), प्रश्नोत्तरी (1855) और रामगीता (1859)। इन कृतियों के अलावा उन्होंने फुटकर कविताएं भी रची हैं। आपका साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है फिर भी भानुभक्त की प्रसिद्धि का प्रमुख आधारग्रंथ 'सातकाण्ड रामायण' ही है। शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप यह एक महाकाव्य है जो सात कांडों में विभाजित है। इस कृति का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसके नायक सहित अन्य पात्र उच्चकुलीन, शील, शक्ति आदर्श और मर्यादा के गुणों से युक्त है। कृति के अंत में रावणत्व पर रामत्व की विजय दिखायी गई हैं। इस कृति में मर्यादा पुरूषोत्तम राम के जन्म से लेकर सीता–परिणय, वनगमन, सीताहरण, वानरों से दोस्ती, लंका दहन, रावण से संग्राम, सीता का उद्धार, अयोध्या वापसी आदि घटनाओं का मर्मस्पर्शी वर्णन है। तत्कालीन नेपाली समाज में व्याप्त छुआ–छूत, उँच–नीच के भेद–भाव को मिटाने का प्रयास भानुभक्त ने रामायण के माध्यम से किया है। अरण्यकाण्ड में भीलनी शबरी राम को जब कहती है–

हे नाथ ! हीन कुलकी स्त्रीजाति में गरीब जान्दिन तिम्रो स्तुति।

(हे नाथ! मैं हीन कुल में जन्मी गरीब स्त्री हूँ तुम्हारी भक्ति के विषय में कुछ नहीं जानती)

इसके उत्तर में श्रीराम कहते हैं –

ऊँच–नीच, स्त्री र पुरुष विचार्दिन म ता खुश हुन्छु भक्ति भया![9]

(मैं उँच–नीच स्त्री–पुरूष कुछ नहीं देखता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है उससे खुश हो जाता हूँ।)

शबरी जैसी भीलनी के जूठे बेर खाकर तत्कालीन समाज में छुआ–छूत के भाव को कायम रखने वाले उँचे वर्ग के लोगों के गाल पर कवि ने करारा थप्पड़ मारा है। सुग्रीव जैसे वानर से मैत्री और वानर सेना को अपनी सैन्य शक्ति के रूप में साथ लेना राम के भेद–भाव के निवारण के उदाहरण हैं।

भानुभक्त प्रत्येक घटनाओं के वर्णन में अपनी काव्य–प्रतिभा से मौलिकता प्रदान करके नेपाली जन–साधारण के लिए बोधगम्य बनाया। रामायण की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका भाषिक पक्ष है। भानुभक्त ने तत्कालीन प्रचलित संस्कृत, हिन्दी, ब्रजभाषा आदि से प्रभावित नेपाली भाषा के स्थान पर शुद्ध एवं सरल नेपाली भाषा का प्रयोग किया जिससे उनकी यह कृति समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में प्रिय हो गई। भारत समय–समय पर विभन्न गतिविधियों को संचालित कर अपने पुराने सांस्कृतिक समभाव वाले पडोसी देश के आमनागरिकों के मन में भारत के प्रति विश्वास के भाव को बनाए रखना होगा। इस प्रकार भारत अपने कूटनीतिक प्रयासों एवं धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धों के माध्यम से वहां के लोगों में विश्वास बहाली के उपाय करके अपने पुराने सम्बंधों को पुनर्जीवित कर सकता है।

सन्दर्भ :-

1. रमाकांत, 1998, नेपाल, चीन और इंडिया, राधा प्रकाशन दिल्ली, पृ० 20
2. लोकमंच; भारत–नेपाल सम्बन्ध – 13 जुलाई 2020
3. फाड़िया, बी0 एल0 1994, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन, कानपुर, पृ० 211–214
4. रावत, पी०सी० 1974 इंडो–नेपाल इकोनॉमिक रिलेशन, साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली पृ० 94

5. शर्मा, के०के०, 2001, भारत–नेपाल सम्बन्ध – एक राजनीतिक अध्ययन, साहित्य भवन प्रकाशन, कानपुर पृ० 50–51
6. नेपाली साहित्य को इतिहास, बालचन्द्र शर्मा, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमाण्डू, पृ. 75
7. भारतीय नेपाली साहित्य को इतिहास–असीत राई श्याम ब्रदर्श प्रकाशन, दार्जिलिंग, पृ0 40
8. भानुभक्तीय रामायण, साझा प्रकाशन, काठमाण्डू, 1993 पृ0 26
9. अरण्यकाण्ड, भानुभक्तीय रामायण, साझा प्रकाशन, काठमाण्डू, पृ0 64

सम्पर्क : 7905531417
E Mail - neerajdwivedi71@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 68-72

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति

निखिल कुमार

शोधार्थी (पीएचडी), राजनीति विज्ञान, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया (बिहार) पिन न० 854203

जनजातियाँ वह मानव समुदाय हैं जो एक अलग निश्चित भू–भाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति–रिवाज, अलग भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सरल अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक अलग वंशज, पूर्वज तथा सामान्य से देवी–देवता होते हैं। ये अमूमन प्रकृति पूजक व प्रकृति को अपना देवता मानते हैं। भारतीय संविधान में जहाँ इन्हें 'अनुसूचित जनजाति' कहा गया है तो दूसरी ओर, इन्हें अन्य कई नामों से भी जाना जाता है मसलन– आदिवासी, आदिम–जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इत्यादि। हालाँकि भारतीय जनजातियों का मूल स्रोत कभी देश के संपूर्ण भू–भाग पर फैली प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड तथा मंगोल जैसी प्रजातियों कोमाना जाता था। इनका एक अन्य स्रोत ने ग्रिटो प्रजाति भी है जिसके वंशज अण्डमान–निकोबार द्वीप समूह में अभी भी मौजूद हैं। गौरतलब है कि अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसी के मूल में निश्चित रूप से भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए अपनी संस्कृ ति के जरिये भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती हैं। वर्तमान में भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनजातियों के साथ–साथ संस्कृति का विविधीकरण देखने को मिलता है। भारत भर में जनजातियों की स्थिति का जायजा उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से समझा जा सकता है।

जनजातियों का भौगोलिक वितरण :–

भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है जैसे–उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में बकरवाल, गुर्जर, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, शौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी, गारो, खासी, जयंति या इत्यादि जनजातियाँ निवास करती हैं। अगर बात करें मध्य क्षेत्र की तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। जहाँभील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। दक्षिणी क्षेत्र जहाँ टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरुला आदि जनजातियाँ बसी हुई हैं। द्वीपीय क्षेत्र में अमूमन अंडमान एवं निकोबार की जनजातियाँ आती हैं। हालिया चर्चा का विषय रहने के कारण यह जरूरी हो जाता है कि हम एक सरसरी नजर

सेंटिनलीज जनजाति पर डाले तो हमें यह जनजाति एक प्रतिबंधित उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली एक नेग्रिटो जनजाति है। 2011 के जनगणना आँकड़ों के अनुसार द्वीप पर इनकी संख्या 15 के आस–पास थी। जहाँ एक तरफ अंडमान द्वीप में चार नेग्रिटो जनजातियों– ग्रेट अंडमानी, ओंगे/ओंज, जारवा तथा सेंटिन लीज का निवास है तो वहीं दूसरी तरफ निकोबार में दो मंगो लॉइड जनजातियाँ मसलन–निकोबारी और शोम्पेन का निवास है। सेंटिन लीज के साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियाँ– ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा तथा शोम्पेन भारत की विशेष रूप से अति संवेदनशील जनजातीय समूहों में शामिल हैं।" आज दुनिया की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा भारत ने हासिल तो कर लिया है लेकिन अब भी एक तबका ऐसा है जो हाशिये पर है। इस तबके के अंतर्गत वे जनजातियाँ आती हैं जो सुदूरवर्ती इलाकों में जीवनयापन कर रही हैं और कई समस्याओं का सामना कर अपने जीवन यापन करने पर विवश हैं।

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित-जनजातियों की समस्याएँ :-

जनजातियाँ ऐसे इलाकों में निवास करती हैं जहाँ तक बुनियादी सुविधाओं की पहुँच न के बराबर है। लिहाजा ये बहुत सारी समस्याओं को झेलकर अपने जीवन को जिने पर विवश हैं, जो कही न कही स्वतंत्र भारत के लिए एक अभिशाप हैं जहाँ एक ओर सम्पूर्ण भारतवर्ष अपने आजादी का अमृत–महोत्सव मना रहा हैं। अगर बात करें सामाजिक समस्याओं की तो ये आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने–आपको सहज महसूस नही कर पाती हैं। इस कारण ये सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना जैसे समस्याओं का महसूस करती हैं। इसी के साथ इनमें शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी सुविधाओं से वंचन की स्थिति भी मिलती है। आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाती हैं। सरकार की कौन–कौन सी योजनाएँ इन तबकों के लिये हैं इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाता है, जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, ऐसे में इनका इस प्रकार का पिछड़ापन इनके भविष्य को संकट की ओर लेजाने को दर्शाता हैं। अगर इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋण ग्रस्तता है।

आज भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवनयापन कर रहा है। माँ–बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा–लिखा नहीं पाते हैं तथा पैसे के लिये उन्हें बड़े–बड़े व्यवसायियों या दलालों को बेच देते हैं। लिहाजा बच्चे या तो समाज के घृणित से घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं अन्यथा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। रही बात लड़कियों की तो उन्हें अमूमन वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है। दरअसल जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है जो उन्हें उनकी बाकी सुविधाओं से वंचित करता है। धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है। इन जनजातियों के अपने अलग देवी–देवता होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआछूत का व्यवहार।

अगर हम थोड़ा पीछे जायें तो पाते हैं कि इन जनजातियों को अछूत तथा अनार्य मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था, सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। आज भी इनकी स्थिति यही है, वही अगर इनकी राजनीतिक स्थिति की बात की जाय तो हमे मालूम

पड़ता हैं की भारतीय संविधान में इनके राजनीतिक रूप से काफी विकास मिला है और उचित भी हैं परन्तु अगर वस्तुस्थिति की बात की जाय तो सिर्फ ये कुछ लोगो तक ही सिमट कर रहने जैसा मालूम पड़ता हैं, क्योंकि जब हम वस्तुस्थिति की ओर अध्ययन करते हैं तो हमे पता चलता हैं कि इतनी सारी सुविधाओं के पश्चात भी कुछ लोगो तक ही सिमट गया हैं जो इनके राजनीतिक शिक्षा के अभाव को दर्शाता हैं।

यही सब पहलू हैं जिसके कारण जनजातियाँ आज भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं का हल ढूंढने के लिये सरकार द्वारा अपनाए गए कुछ विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा करना मुनासिब होगा।

जनजातियों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम :-

संविधान के पन्नों को देखें तो जहाँ एक तरफ अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी तरफ, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थसंबंधी हितों की रक्षा करे। अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा हो, इसके लिये 2003 में 89वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना भी की गई।

संविधान में जनजातियों के राजनीतिक हितों की भी रक्षा की गई है। उनकी संख्या के अनुपात में राज्यों की विधान सभाओं तथा पंचायतों में इनके जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। संवैधानिक प्रावध ानों से इतर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल हैं– सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था मसलन–छात्रावासों का निर्माण और छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना तथा एकलव्य जैसे कई प्रकार के योजनाओं को सरकार के माध्यम से जन जन तक पहुँचाना जिसे अन्य समुदाय के अनुसार इनका भी समुचित रूप से विकास हो सके इत्यादि। इसी के साथ केंद्र तथा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु अलग–अलग विभागों की स्थापना की गई है। जनजातीय सलाहकार परिषद इसका एक अच्छा उदाहरण है।

इन्हीं पहलों का परिणाम है कि जनजातियों की साक्षरता दर जो 1961 में लगभग 10.3 प्रतिशत थी वह 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई। सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों के सदस्यों की आयु सीमा तथा उनके योग्यता मानदंड में भी विशेष छूट की व्यवस्था की गई है। हालिया सरकार ने भी जनजातियों के उत्थान की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किये हैं। मसलन अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू हुई है। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है। वहीं अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये लाभकारी सिद्ध होगी।

इन सराहनीय कदमों के बावजूद देशभर में जनजातीय विकास को और मजबूत करने की दरकार है।

यह सही है कि जनजातियों का एक खास तबका समाज की मुख्यधारा में आने से कतराता है, लेकिन ऐसे में इनका समुचित विकास और संरक्षण भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

अनुसूचित-जनजातियों को आगे ले जाने की राह :-

हालाँकि सरकार अपने स्तर पर जनजातियों की स्थिति को सुधारने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रही है लेकिन शासन के कार्यों में और ज्यादा तब्दीली व पारदर्शिता की जरुरत है। योजनाओं का लाभ जनजातियों तक नहीं पहुँच पाता जिनके कारण इनको इनका लाभ समुचित रूप से नही मिल पाता हैं ऐसे ही रुकावट को दूर करना इनका परम लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही जनजातियों के प्रति मीडिया की उदासीनता को खत्म करने की ओर भी पहल करनी चाहिए आज भी अधिकाश इस वर्ग के लोग मीडिया जनसंपर्क से दूर भागते हैं उन्हें अभी भी इनके बारे में समुचित रूप से मालूम नहीं है। अमूमन देखा गया है कि जब तक जनजातियों से संबंधित कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता है अथवा कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता तब तक प्रायः मीडिया भी सचेत नहीं होती है।

मीडिया को लोक तंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह समाज के हर तबके के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी करे। यहाँ पर राज्यसभा टी.वी. चैनल द्वारा चलाये गए 'मैं भी भारत' कार्यक्रम का जिक्र लाजिमी हो जाता है। जनजातीय जीवन चर्या पर आधारित इस कार्यक्रम ने कुछ हद तक जरूर भारत के जनजातीय समुदाय की पहचान को मुखर करने का काम किया है। वहीं आर्थिक पहलुओं के स्तर पर इनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि देने तथा स्थानांतरित खेती पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। कृषि के अत्याधुनिक तरीकों से उन्हें अवगत कराना भी एक विकल्प है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने हेतु यह जरूरी है कि आदिवासियों के लिये सामान्य शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। स्कूलों में उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। कृषि, पशु–पालन, मुर्गी–पालन, मत्स्य–पालन, मधुमक्खी–पालन एवं अन्य प्रकार की हस्तकलाओं का भी उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिये आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालय, चिकित्सक एवं आधुनिक दवाइयों का प्रबंधन भी जरूरी है। उनके लिये पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाए ताकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके तथा इन समुदाय के लोग मानसिक रूप के साथ–साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत व सशक्त हो सके। जनजातियों की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है– उनका सांस्कृतिक अलगाव। लिहाजा उनकी इस समस्या को हल करने के लिये ऐसे विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की स्थापना पृथक रूप में की जाए जहाँ आदिम ललित कलाओं की शिक्षा का प्रसार एवं इनकी रक्षा की जा सके। जनजातियों के लिये किये जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में हों। इसमें उनकी भाषा संबंधी समस्या का भी समाधान निहित जिनके माध्यम से वे भली–भाँति समझ और परख सके।

रही बात समाज के सदस्यों की तो सभी आम नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे अपने हितों के साथ–साथ जनजातियों के हितों की भी रक्षा करें जिससे सम्पूर्ण मानव समाज का सम्पूर्ण रूप से विकास हो सके अन्यथा मानव समाज का सम्पूर्ण रूप से विकास कल्पना मात्र ही बनकर रह जाएगा। जब ऐसा होगा

तभी हम अनुसूचित–जनजाति जैसे विशेष समूह के मनोविज्ञान को समझ सकेंगे और उनके जीवन में बेवजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे ओर उनके विकास के लिए हम प्रयासरत रह पाएंगे। साथ ही जो जनजातीय समुदाय संपर्क में आने को इच्छुक हैं उनका स्वागत करने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। अगर इस तरह का सोच सभी लोगो के अंदर समाहित हो जाये तो इस समाज ही नही बल्कि सम्पूर्ण मानव समाज का उत्थान होने से कोई नही रोक सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स (गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया–2020)
2. सेंसेक्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया–2011
3. एंड एजुकेशनस् स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स कम्यूनिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
4. मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिकल स्टडीज– 2022
5. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टडीज– 2022

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 73-77

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

स्थानीय खाद्य पदार्थ की आदतें स्वास्थ्य एवं पोषण लाभ

निक्की कुमारी
शोधार्थी, गृह विज्ञान, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया (बिहार)

संकेत शब्द :- स्थानीय खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य, पोषण, विश्वहित।

किसी भी देश के स्वास्थ्य एवं पोषण की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या संस्था की नहीं होती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे समाज एवं सभी वर्गो को एक साथ आना होगा एवं मिलावट के जहर से स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी ।

विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के स्थानीय खाद्य पदार्थ है।

जिससे मानव जाति दूर होता जा रहा हैं। एवं अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहा हैं। महत्वपूर्ण भोजन बोध प्रकृति संस्कृति से सम्बंधित है। स्वस्थ एवं औषौधिये भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा, विटामिन और खनिज लवण मनुष्य एवं प्रत्येक जीव का शरीर तंत्रिका तंत्र को कोशिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। पोषक तत्व को भोजन के रूप ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन 1965 में अपने संविधान को प्रस्ताव में घोषणा कि मानवीय समाज को भूख से मुक्ति सुनिश्चत करना उनके बुनियादी उद्धेश्य में से एक हैं। सम्पूर्ण विश्व का 27 प्रतिशत कूपोषित व्यक्ति भारत में रहते हैं।

स्थानीय भोजन का उपयोग आत्मनिर्भर भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादों और उपभोक्ता को जोड़ना स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार या स्वास्थ्य, पर्यावरण, समुदाय व समाज को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता हैं।

1933 में कृषि समायोजन स्थानीय खाद्य आन्दोलन का पता लगाया गया। अमेरिकी आंदोलन को सोसायटी फॉर न्यूट्रिशन एजूकेशन के 1981 के दिशा निर्देश के प्रस्तावित प्रस्तावो में देखा जा सकता हैं। शिकागों पॉप संस्कृति ने 1964 में मिडवेस्ट में स्थानीय भोजन को एक प्रवृति बना दिया। कृषि योग्य भूमि को कम नुकसान हो इसीलिए स्थानीय उत्पादों में वृद्धि को प्रोत्साहन किया। मानव समाज द्वारा नए युग का आधुनिक कृषि प्रोद्योगिकी तकनीक के कारण मनुष्य के जीवन में कई बदलाव आए हैं खान–पान नई शैली अत्यधिक विकसित हो गया हैं। वर्तमान समय में फास्टफूड के बढ़ते भाग पारम्परिक स्थानीय भोजन के चुनौती दे रहा हैं। लेकिन स्थानीय भोजन को थाली में आने से दूर नही किया जाना चाहिए। एवं स्थानीय खाद्य पदार्थो

में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती हैं।

स्थानीय रूप से उगाये और काटे जाने वाले भोजन को आमतौर पर पौष्टिक सस्ता और सुलभ होता हैं स्थानीय खाद्य पदार्थो के बारे में जागरूक करने के लिए खाद्य पदार्थो की क्षमता एवं आय की क्षमता में सांस्कृतिक विभिन्नता को ध्यान देते हुए सभी आयु वर्ग को शामिल करने के लिए बहुक्षेत्रीय अभिप्रेरित दृष्टि कोण की आवश्यकता है स्वस्थ भोजन सभी उम्र में दी जानी चाहिए। तभी तो शारीरिक और मानसिक विकास सही ढ़ग से होगा। कृषि में रोजगार की कमी बढ़ा पलायन कुपोषण को दूर करना एक समस्या हैं। संतुलित आहार स्वस्थ्य पोषण मातृस्वास्थ्य एवं बाल–स्वास्थ्य एवं पोषण पर ध्यान देने को आवश्यकता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन गैर, मौखिक साधारण आदि के साथ पोषण और स्वास्थ्य का एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रकृति में मौमूद खाद्य पदार्थ जिन्हे मानव स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता हैं। इन्हे नहीं सहेजने पर 10 हजार वर्ष पुराना इतिहास खत्म हो जायेगा।

मोटे अनाज की बात करें तो भारत में कई पारम्परिक अनाज हैं जिन्हे अब "श्री अन्न" के नाम से जाता हैं। भारत सरकार के पहल से 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तराष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष घोषित किया गया। सम्पूर्ण एशिया और अफ्रीका के देशो में 59 करोड़ लोग आज भी परंपरागत रूप से मोटे अनाज का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भूली विसरी भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। एवं गरीबों का खाना कहते हैं। असल में वह गरीबो का खाना नहीं हैं। पोषण और स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। स्थानीय खान–पान को अनदेखी करना सही नहीं है।

1965 में किरल विश्वविद्यालय में कृषि विपणन किशोर–किशोरियों ज्यादातर कॉलेज के छात्र खाने और खराब पोषण जनसांख्यिकीय में से एक हैं। जीवन भर स्वस्थ खाने की आदते शुरू करने के लिए स्कूल के बच्चों को शिक्षा तक पहँच भी होनी चाहिए।

भोजन हमारी भूख को तृप्त करता हैं तथा प्रतिदिन के कार्यो के लिए ऊर्जा प्रदान करता हैं। इसी प्रकार जब हम घर से दूर जाते हैं तो घर के खाने को बहुत याद आता हैं। भोजन जो हमे कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। हर मनुष्य को कार्य आवश्यकता है। कोई भी गतिविधि खेलने–कूदने, चलने–फिरने या कोई की कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यक हैं। भोजन ऊतकों के विकास में मदद करता हैं। मानव शरीर जो छोटी–छोटी कोशिकाओं से बना होता हैं। इनको विकसित करने के लिए नई कोशिका का निर्माण होता हैं। इनके लिए भोजन की आवश्यकता होती हैं। इसलिए भोजन न केवल ऊतकों का सहायता करता हैं बल्कि उनके पुर्ननिर्माण में भी सहायता प्रदान करता हैं एवं भोजन रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आजकल हम देखते हैं कि हमेशा आदमी कोई न कोई रोग से घिरे रहता हैं। भोजन के द्वारा ही हम इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता हैं। "इस प्रकार सही अर्थो में स्वस्थ व्यक्ति वही हैं जो न सिर्फ सही तरीके से भोजन ग्रहण करता हैं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ्य होता हैं। खाना का अर्थ भोजन, लंच, डिनर, शब्द कई उद्धेश्य केवल एक पेट भरना नहीं हैं अभी के

समय में शायद ही कोई जीवित प्राणी हो जिसे खाने की जरूरत न पड़ती हैं। पेड़–पौधे से लेकर पशु–पक्षियों और कीट–पतंगों से लेकर जानवरों तक हर किसी को कुछ ने कुछ खाकर जिन्दा रहना पड़ता हैं।

एक विविध संतुलित स्वस्थ आहार की सटीक बनावट व्यक्तिगत विशेषताओं उम्र, लिंग, जीवन शैली और शारीरिक गतिविधि विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, स्थानीय, रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ और आहार सम्बंधी रीति–रिवाजों के आधार पर अलग–अलग होगी आहार बदलते समय के साथ विकसित होता हैं कई सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी प्रभावित करता हैं।

स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के रक्षा के लिए स्थानीय, व्यापार, खाद्य और कृषि नीतियों सहित–राष्ट्रीय नीतियों के और निवेश योजनाओं में सामंजस्य बनाना। मानसिक मनोवैज्ञानिक, संतुष्टि प्रदान करते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं। उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और इन्ही रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। सामान्यतः भोजन में उपस्थित सामान्य पोषक तत्व हैं :–

1. कार्बोहाइड्रेट
2. प्रोटीन
3. वसा
4. विटामिन
5. खनिज
6. रेशे
7. पानी

और इन पोषक तत्वों को हम भोजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और भोजन में विविधता की आवश्यकता होती हैं। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हैं। और विविधता के कारण शरीर में आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो सके और पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से बचे रहें।

भोजन ऊतको के विकास में मदद करता हैं। मानव शरीर जो छोटी–छोटी कोशिकाओं से बना होता हैं। इनको विकसित करने के लिए नई कोशिका का निर्माण होता हैं। इनके लिए भोजन की आवश्यकता होती हैं। इसलिए भोजन न केवल ऊतको के में सहायता करता हैं बल्कि उनके पूननिर्माण में भी सहायता प्रदान करता है एवं भोजन रोगो से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता हैं। आजकल हम देखते हैं कि हमेशा आदमी कोई न कोई रोग से घिरे रहता हैं। भोजन के द्वारा ही हम इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। भोजन शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में सहायता प्रदान करता हैं। संतुलित भोजन हमें शारिरिक इस प्रकार सही अर्थो में स्वस्थ व्यक्ति वही हैं जो न सिर्फ सही तरीके से भोजन ग्रहण करता हैं बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होता हैं।

आधुनिकीकरण के कारण ही स्थानीय लोगों की पारंपरिक भोजन शैली कम हो गई है। पारंपरिक भोजन जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। जो अब धूमिल होती जा रही हैं। परंपरागत स्थानीय भोजन प्रकृति और पोषण को जीविका से जोड़ना हैं। परंपरागत भोजन घर के बने पौष्ट्रिक आहार पद्धति से मुँह मोड़ लेना उचित नहीं हैं। आजकल भागदौड़ भरी जीवन में पारंपरिक शैली लुप्त होती जा रही हैं। ज्यादातर लोगों को लक्ष्य खाद्य उत्पादकों उपभोक्ता एवं भोगौलिक क्षेत्र से जोड़ना हैं। ताकि आत्मनिर्भरता एवं खाद्य नेटवर्क को बढ़ावा दिया

जा सके स्थानीय अर्थव्यवस्था पर्यावरण स्वास्थ्य समाज को लाभ प्राप्त हो सके बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम्परागत जीवन शैली अपनाना नितांत आवश्यक हैं। वही दूसरी ओर देखे तो सम्पूर्ण पोषण के बजाय स्वाद पर ध्यान केन्द्रिंत किया जाता हैं। पश्चिमी सभ्यता का आहार दुनिया में सबसे अस्वास्थ्यकार आहार माना जाता हैं। इस तरह के भोजन से आबादी का बड़ा हिस्सा–पेट–के कैंसर स्तन कैंसर टाइप–2 मधुमेह और हृदय रोग शामिल है। भारतीय व्यंजनों की बात करें तो इसमें हींग, जीरा, सॉफ, हल्दी, काली, मिर्च और लॉग जैसी सामग्री शामिल हैं। यह स्वस्थ पाचन और रोग प्रतिरोधी क्षेमता को बढ़ावा देने के अलावा चयापचय में सहयता करते हैं। कैंसर और अलजाइमर इत्यादि रोगों से जूझते हैं। आज हम देखे तो हद्रय रोग और मधुमेह क्यो बढ़ रहे हैं। पर पश्चिमीकरण का ही परिणाम हैं। स्वस्थ वर्धक भोजन की कमी व्यायाम की कमी और अनुवांशिक कारण भी स्वास्थ्य के खतरे का योगदान करते हैं। पौराणिक शैली देखे तो हम पाते हैं कि आज की अपेक्षा पहले हम स्वस्थ दीर्घायु और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते है आज की भोजन शैली देखे तो बच्चों से लेकर बुढ़ों तो लगभग सभी वर्ग किसी ने किसी रोग से ग्रसित रहते हैं।

अगर हम सम्पर्ण विश्व की भलाई चाहते है तो विश्व स्तर पर स्थानीय खाद्य पदार्थ का उपयोग को बढ़ाना होगा, तथा अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके। जिससे उस क्षेत्र में बसे व्यक्तियों मे आर्थिक तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ हो सके ज्यादातर उच्च वर्ग के व्यक्ति स्थानीय खाद्य पदार्थ को महत्व कम देते हैं। जो लोकल में मिली वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आज जो सम्पूर्ण विश्व स्वास्थ्य संकट से लड़ रहा हैं जिसका कारण बढ़ी जनसंख्या के कारण बेरोजगारी खाद्य समस्याएँ कुपोषण प्रतिव्यक्ति निम्न आय निर्धनता में वृद्धि और कीमतो में वृद्धि जैसे दिक्कत उभकर सामने आ रहा हैं एवं कृषि विकास में बाधा पूँजी निर्माण में कमी जीवनोउपयोगी सेवाओं पर अधिक व्यय अपराधों में वृद्धि पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी समस्या पैदा हुई हैं। खाद्य सुरक्षा भारत जहाँ वैश्विक भूख सूचकांक में 119 देशों की सूची में 103 वे स्थान पर हैं। तो वही ग्लोबल न्यूट्रिशन रिर्पोट 2018 के मुताबिक भारत में करीब चार करोड़ यह परिणाम इसलिए है कि हम स्वस्थ भोजन को न खाकर फास्टफूड पर ज्यादा बल दे रहे है तो किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं हैं।

खासकर बच्चों को बात करे तो पोषण युक्त भोजन में कभी खर्च नहीं दिखाते लेकिन इनकी स्वास्थ के लिए हमें पौष्टिक भोजन खिलाना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। चाहे वो बच्चे हो या किशोर–किशोरियों एवं बूढ़े हो अगर इनकी स्वास्थ्य की बात करे तो हर आयु वर्ग में पोषण विभिन्न मात्रा में चाहिए होता है जिसे हम संतुलित भोजन ग्रहण कर पूरा कर सकते हैं और इन भोजन के लिए स्थानीय भोजन से बेहतर कोई अच्छा उपाय उपयुक्त नहीं हैं। जो हमें सस्ता सुलभ एवं ज्यादा कठनाई के बिना ही उपलब्ध हो जाती हैं। आज स्थानीय भोजन का महत्व कम हो गया है। क्योकि ज्यादातर लोग विज्ञापनों को देखकर भी जीवन शैली अपनाने लगे है। और स्वास्थ्य को खराब करने लगे हैं। स्थानीय खाद्य पदार्थो को अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो स्वास्थ्य और पोषण की दृष्टि से बेहतर साबित हो सकता है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाड्रेट प्रोटीन वसा विटामीन तथा खनिज लवण जो पोषण प्रदान करते हैं ऊतको को निर्माण एवं मरम्मत प्रदान करते है। यह

शरीर को ऊर्जा और उष्मा प्रदान करते हैं। जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। पोषक तत्वों से युक्त भोजन को प्रत्येक दिन आहार में उचित तरीके से इस्तेमाल करना उचित पोषण न लेने से कुपोषण का शिकार हो जाता हैं। इससे शरीर दुर्बल हो जाता हैं। आवश्यक पोषण का भार समाज राष्ट्र एवं विश्व स्तर पर अनिवार्य है। गर्भवती स्त्री का पोषण मातृ सेवा–सदन पर निर्भर करता हैं। तथा स्कूल जाने वाले बच्चों का पोषण उद्योग–संचालको पर बहुत निर्भर करता हैं। विकास के लिए संतुलित भोजन प्रतिदिन मिलना चाहिए।

हमारा उद्देश्य होना चाहिए स्थानीय खाद्य उत्पादों से जुड़ना स्थानीय खाद्य अभियान से छोटे स्थानीय खाद्य अभियान, छोटे स्थानीय किसानों का समर्थन करने में सफल हो एक सदी से अधिक समय तक गिरावट के बाद छः वर्षो मे 2005 तक छोटे खता की सं0 20 प्रतिशत से बढ़कर 1. 2 प्रतिशत मिलियन हो गई। स्थानीय भोजन खाने के लिए स्वस्थ भोजन पर्यावरण लाभ और आर्थिक एवं सामुदायिक लाभ शामिल है। स्थानीय खाद्य पदार्थ कम दूरी तय करते है। संतुलित भोजन न करने से मनुष्य आज विभिन्न रोगों का चपेट में आते जा रहा हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कर बनाये रखने के लिए स्वास्थ्य नियमित व्यायाम स्वस्थ शैली अपनाना स्थानीयता का महत्व आवश्यक हैं।

संदर्भ :–

1. https://www.mcgill.ca
2. https://www.canr.msu.edu
3. https://www.spadeandplow.com
4. https://www.greenmatters.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 78-84

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

जीएसटी कर रिसाव और अपवंचन पर अंकुश प्रावधान : एक अध्ययन

डॉ. निजहत परवीन
मन्दसौर, मध्यप्रदेश।

प्राक्कथन :–

भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू होने के बाद, यह माना गया कि जीएसटी कर जाल का फैलाव करके सरकार के लिए राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा, केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न करों को और विनिर्माण क्षेत्र को करों के व्यापक प्रभाव से मुक्त करेगा और एक सरल कर में समाहित करके एक समान बाजार बनाएगा। हालांकि जीएसटी सकारात्मक रूप से उन सभी अपेक्षाओं का जवाब देता है, यह कर चोरी और संबंधित धोखाधड़ी की समस्या को रोकने में पूरी तरह से मदद नहीं करता है जो पिछले मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली में प्रचलित थे। इस पत्र में कर चोरी के विभिन्न तरीकों और जीएसटी के नियामक ढांचे में अंतराल का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है जो इस तरह की धोखाधड़ी से निपट रहे हैं। अध्ययन का उद्देश्य ऐसी धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध उपायों को जानना भी है।

कर चोरी और कर धोखाधड़ी हर साल कई अरबों की होती है। इस प्रकार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण और एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग किया जा रहा है। अब करदाताओं द्वारा एकीकृत कर प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि अधिकांश व्यवसाय कर दायित्वों का पालन करते हैं, कुछ अभी निर्धारित नहीं हैं। कर चोरी और कर धोखाधड़ी होती रहती है और यह काफी बड़ी हो सकती है, जो हर साल कई अरबों की राशि होती है। यह न केवल कानून के खिलाफ है और राजस्व की सरकार को धोखा देता है, बल्कि यह अनुपालन करने वाले करदाताओं के लिए एक गैर–स्तरीय क्षेत्र भी बनाता है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

GST में धोखाधड़ी के मुद्दों के आलोक में, यह अध्ययन निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है :–

1. कर अपवंचन के विभिन्न तरीकों का अध्ययन करना।
2. जीएसटी के नियामक ढांचे में अंतराल का अध्ययन करने के लिए जो इस तरह की धोखाधड़ी से निपट रहे हैं।
3. ऐसी धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध उपायों को खोजने के लिए।

शोध प्रविधि :–

इस शोध पत्र में संकलित डेटा माध्यमिक स्त्रोतों के माध्यम से एकत्रित किया गया है जिसके लिये विभिन्न वेबसाइटों, निजी वेबसाइटों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशित आंकड़ों के माध्यम से एकत्रित किया गया है।

आर्थिक अपराध :–

एक अपराध, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिस्टम में खामियों का फायदा उठाकर भोले–भाले लोगों की कीमत पर धन, संपत्ति या अवैध लाभ जमा करना हैय राज्य द्वारा अपने नागरिकों को उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रदान किए गए अवसरों का दुरुपयोग करनाय और स्थापित नियमों और वित्तीय कानूनों का उल्लंघन करके मोटे तौर पर आर्थिक अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

कपटपूर्ण GST इनपुट क्रेडिट धोखाधड़ी :–

जीएसटी अधिकारी फर्जी चालानों के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने और देने के लिए संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2017 से फरवरी 2023 तक जीएसटी चोरी के 57,111 मामले दर्ज किए गए हैं।

GST के बाद, यह धोखाधड़ी प्रथाओं के नए चलन में से एक है।

– कार्यप्रणाली यह है कि व्यापारियों द्वारा नकली बिल खरीदें जो उन्हें आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाता है, जो कभी नहीं हुआ।

– इनपुट टैक्स जीएसटी में विकल्प है जो करदाता को खरीद पर भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है। यह पहला मामला नहीं है, जब से जीएसटी की नई व्यवस्था आई है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं।

कर अपवंचन :–

2017–18 से फरवरी 2023 के दौरान, जीएसटी चोरी की सबसे अधिक राशि महाराष्ट्र (60,059 करोड़ रुपये), उसके बाद कर्नाटक (40,507 करोड़ रुपये), गुजरात (26,156 करोड़ रुपये) और दिल्ली (24,217 करोड़ रुपये) में पाई गई। महाराष्ट्र के लिए वसूल की गई राशि 26,066 करोड़ रुपये थी, इसके बाद कर्नाटक के लिए 9,473 करोड़ रुपये, गुजरात के लिए 8,009 करोड़ रुपये और दिल्ली के लिए 7,057 करोड़ रुपये थे।

इसके अलावा, 9 नवंबर, 2020 से 7 फरवरी, 2023 के दौरान जीएसटी के तहत फर्जी चालान के लिए 7,628 मामले दर्ज किए गए और 742 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जीएसटी के तहत इन फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों में 58,949 करोड़ रुपये की राशि का पता चला, जिसमें से 3,377 रुपये करोड़ की वसूली की गई।

कैग द्वारा बताया गया है कि, चालान मिलान के रोल–बैक ने सिस्टम को आईटीसी धोखाधड़ी के लिए प्रवण बना दिया है और अनुपालन प्रणाली को गैर–कार्यात्मक बना दिया है।

नकली चालान–प्रक्रिया सबसे आम जीएसटी धोखाधड़ी लगती है।

इसमें ITC का दावा करने वाले व्यवसायों को 1–2 प्रतिशत कमीशन के लिए नकली चालान बेचना शामिल है। उदाहरण के लिए, 500 करोड़ रुपये के नकली चालान (माल या सेवा का 18 प्रतिशत जीएसटी को

आकर्षित करता है) बेचकर, कोई 5–10 करोड़ रुपये बना सकता है।

अक्सर नकद में सामान खरीदने वाले पक्के बिल के लिए ठोस मांग नहीं करते।

ये बिल वस्तुओं के निर्यात के कारोबार में संस्थाओं को बेचे जाते हैं। वास्तविक सामान निर्यात करने के बजाय, वे लघु या नकली संस्करण निर्यात करते हैं, इस प्रकार इनपुट क्रेडिट और ड्यूटी ड्राबैक दोनों का दावा करते हैं।

एक अन्य विधि में जीएसटी से बचने के लिए सहायक कंपनियों की परतों का उपयोग करना शामिल है। एक व्यवसाय में समूह की छह कंपनियाँ होती हैं। प्रत्येक दूसरी कंपनी को बेचता है उच्चतम बिक्री वाली कंपनी बंद हो जाती है और गायब हो जाती है।

यह एक वाइंडिंग अप याचिका दायर करता है, जिसकी कीमत सिर्फ 12,000 रुपये है। यदि कर विभाग उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, तो प्रमोटर विभाग को परिसमापक के साथ अपने दावे दर्ज करने के लिए कहता है। यह 12000 रुपये के लिए एक अच्छा कानूनी सुरक्षा उपाय है। यह कर अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

व्यवसाय कुछ ऐसी वस्तुओं और सेवाओं पर क्रेडिट ले रहे हैं जिन पर क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बिक्री संवर्धन की आड़ में उपहारों का श्रेय लेते हैं।

उपहार देने के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर कानून ITC की अनुमति नहीं देता है।

ऐसी 12 वस्तुएं हैं जिनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय व्यक्तिगत व्यय जैसे अवकाश, एलसीडी/एलईडी, एसी को व्यावसायिक व्यय के रूप में बुक करते हैं और फिर इन पर आईटीसी का दावा करते हैं।

GST फ्रॉड – रिफंड :–

1,200 अनट्रेसेबल एक्सपोर्टर्स 350 करोड़ रुपये के रिफंड क्लेम किए।

कस्टम ब्रोकर समुदाय के बीच के जघन्य तत्व इन धोखाधड़ी से जुड़े हो सकते हैं, जिसमें फर्जी संस्थाएं शामिल हैं, जो नकली और मॉर्फ्ड दस्तावेजों के साथ पहचान की चोरी के माध्यम से केवल वर्चुअल स्पेस में मौजूद हैं।

निर्यातकों के केवाईसी एकत्र करने के लिए कस्टम ब्रोकर।

कम से कम 50 सीमा शुल्क दलालों को ऐसी निर्यातक संस्थाओं के साथ व्यवहार करते पाया गया है जो उनके पंजीकृत पते पर अप्राप्य हैं।

एसईजेड को रेडीमेड गारमेंट्स निर्यात करने वाली फर्म ने 9.88 करोड़ रुपये के फर्जी रिफंड का दावा किया।

जीएसटी अधिकारियों ने डेटा एनालिटिक्स–आधारित जोखिम प्रबंधन का उपयोग करते हुए, भौतिक जांच के लिए करदाता का चयन किया, जो तब अपने घोषित पते पर गैर–मौजूद पाया गया था। 195 करोड़ रुपये और जांच से पता नहीं चलने वाले आपूर्तिकर्ताओं की खोज हुई।

राजस्व विभाग पूर्वानुमानित मॉडलिंग की मदद से निर्यातकों के जोखिम मूल्यांकन कर रहा है।

कई कंपनियां आईजीएसटी रिफंड का लाभ लेने के लिए धोखे से बनाई गई थी, किसी ने वास्तव में

आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया है जिस पर निर्यातक द्वारा आईटीसी का लाभ उठाया गया था।

इन कंपनियों को विभिन्न गैर–संदिग्ध व्यक्तियों के पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके बनाया गया था जिनके माध्यम से जीएसटी रिफंड का दावा किया जा रहा था।

जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के समय विभाग को घोषित बैंक खाते आईजीएसटी रिफंड के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को घोषित बैंक खाते से कथित रूप से अलग थे ।

मास्टरमाइंड के कार्यालय परिसर से खरीद दस्तावेज, निर्यात दस्तावेज, चेक बुक, हस्ताक्षरित खाली चेक, एटीएम डेबिट कार्ड और लगभग 50 प्रोपराइटरशिप फर्मों के चेक, एटीएम डेबिट कार्ड और पिन जैसे दस्तावेज बरामद किए गए।

किसी भी आपूर्तिकर्ता ने निर्यातकों को की गई कथित आपूर्ति के लिए अनिवार्य ई–वे बिल तैयार नहीं किया है।

क्षरण – क्यों और कैसे– गिरफ्तारी के प्रावधान :–

धारा 69 चालान के बिना आपूर्ति जैसे गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तारी का अधिकार, ऐसे चालानों पर ITC का लाभ उठाने वाले फर्जी चालान जारी करना और कर का भुगतान नहीं किया गया, जैसा कि धारा l 32(I) (a से d) के तहत सूचीबद्ध है।

जहां कर 5 करोड़ से अधिक शामिल है, गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि ये संज्ञेय और गैर–जमानती हैं (खंड I)

जहां कर 2 से 5 करोड़ शामिल है, गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि ये गैर–संज्ञेय और उपलब्ध हैं। इन मामलों में जमानत DC और AC, जीएसटी (खंड ii) द्वारा दी जानी चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम– जीएसटी धोखाधड़ी :–

केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सीईआईबी) का कहना है कि आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने और प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े पीएमएलए पर विचार किया जा सकता है, जिसका दावा कंपनियों द्वारा जीएसटी के नकली चालान बनाने के लिए किया जाता है।

इन नकली लेन–देन के माध्यम से अर्जित धन वास्तव में काला धन है और शेल कंपनियों का जाल बनाकर संस्थाओं द्वारा शोधित किया जाता है।

फर्जी जीएसटी चालान के माध्यम से आईटीसी धोखाधड़ी जीएसटी अधिनियम की धारा 16 का उल्लंघन है, एक विशिष्ट अपराध ईडी या कोई अन्य एजेंसी पीएमएलए के तहत ऐसी संस्थाओं को बुक कर सकती है और उनकी संपत्तियों और उनके सहयोगियों की संपत्तियों को कुर्क कर सकती है।

राजस्व खुफिया एजेंसियों को अपने मामलों पर रीयल–टाइम डेटा और जांच अपडेट साझा करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधियों और कर चोरी करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की जाती है।

निवारक उपाय – ई–चालान :–

आज एक व्यवसाय को चालान अपलोड करना पड़ता है, माल के परिवहन के समय ई–वे बिल बनाना पड़ता है और साथ ही रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है। प्रभावी रूप से, इसे इन तीनों प्रक्रियाओं को

अलग–अलग करना होगा।

चालान बनाने और इसे सत्यापित करने में लगने वाला समय अंतराल धोखाधड़ी की रोकथाम की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है।

एक इलेक्ट्रॉनिक चालान माल की बिक्री के खिलाफ दायर अलग–अलग रिटर्न और माल के परिवहन के लिए जारी किए गए ई–वे बिल दोनों की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक चालान, यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि नकली चालान उत्पन्न नहीं होते हैं और उनके खिलाफ ITC का दावा नहीं किया जाता है। सिस्टम इस तरह से काम करता है कि चालान एक पोर्टल पर उत्पन्न होता है, और सरकार द्वारा सत्यापित किया जाता है। एक बार चालान सत्यापित हो जाने के बाद, एक यूआईएन जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग खरीदार द्वारा किया जा सकता है।

जीएसटी धोखाधड़ी : टैक्समैन चोरी–रोधी अभियान पर हैं क्योंकि संग्रह सीमित दायरे में बना हुआ है।

'ई–वे बिल जनरेट करने से बचने के लिए, माल की आपूर्ति के बजाय सेवाओं के लिए गुजरात से बिहार को मैनपावर की आपूर्ति दिखाने वाली एक कंपनी।

– व्यवसायों के आधार को यादृच्छिक व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों से जोड़ा जा रहा है, जो तब सभी ओटीपी प्राप्त कर रहे थे।
– एक ही परिसर से कई पंजीकरण, पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए फर्जी दस्तावेजों के साथ।
– कई दक्षिणी राज्यों ने उत्तर–पूर्वी राज्यों में पंजीकरण वाले व्यवसायों की बढ़ती उपस्थिति को उजागर किया, जो भ्रामक निकला।

ये धोखाधड़ी के कुछ उदाहरण हैं जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) शासन के तहत कर अधिकारियों के रडार पर आ गए हैं, जिससे सरकार ने उन्हें शीर्ष स्तर पर चर्चा के बाद 2023–24 में पंजीकरण से जुड़ी धोखाधड़ी के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले जीएसटी दर में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, इसलिए कर अधिकारियों ने राजस्व संग्रह को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में सख्त जांच के लिए पंजीकरण से जुड़े धोखाधड़ी की पहचान की है। अधिकारियों ने कहा कि 30–32 क्षेत्रों के लिए राज्यवार आंकड़ों का विश्लेषण कर चोरी के ऐसे मामलों के लिए किया जा रहा है, जो विशेष रूप से पंजीकरण से जुड़े हैं।

निष्कर्ष :–

इस तरह की धोखाधड़ी और चोरी के मामलों के माध्यम से राजस्व रिसाव के बारे में कई राज्य कर अधिकारियों के बीच भी चिंताएं हैं, खासकर पिछले साल जून में जीएसटी मुआवजा व्यवस्था समाप्त होने के बाद। कारण : वित्तीय वर्ष 2022–23 में मासिक सकल जीएसटी राजस्व औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा है, शेष सीमा 1.4–1.6 लाख करोड़ रुपये के बीच है (अप्रैल 2022 में उच्चतम स्तर 1.67 लाख करोड़ रुपये देखा गया था)। आंतरिक वित्त मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार, जुलाई में किए गए दर संशोधनों के कारण मासिक सकल जीएसटी संग्रह का लगभग 3–4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। पिछले साल की दर में बदलाव के कारण जीएसटी राजस्व में लाभ इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक जारी रहने की उम्मीद है, जब तक कि जुलाई में आधार प्रभाव सामान्य नहीं हो जाता।

कर अपवंचन–रोधी अभियान में, कर अधिकारी मुख्य रूप से करदाताओं के डेटाबेस की पैरामीटर–आधारित जांच, सत्यापन और मार्जन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, अधिकारियों के अनुसार, "पंजीकरण संबंधी धोखाधड़ी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्यवार आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

"विशेष रूप से एकीकृत जीएसटी (IGST) के कारण टैक्स क्रेडिट पूरे देश में घूम रहा है और राज्यों और केंद्र के अधिकारियों के बीच विभाजित प्रशासन के साथ, यह एक चुनौती है। इस मॉडल के लिए बहुत सख्त प्रशासन की जरूरत है।''

सरकारी अधिकारी कर अधिकारियों के मोबाइल एप्लिकेशन के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जिसे बाद में पंजीकरण के बाद सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में लागू किया जाएगा। "दो मॉड्यूल तैयार किए गए हैं और उत्तर प्रदेश के साथ परीक्षण किया गया है। जिसे राज्यवार रोलआउट किया जाएगा। पंजीकरण मॉड्यूल को प्राथमिकता दी जाएगी जो पंजीकरण के बाद के सत्यापन, आधार सत्यापन और पंजीकृत परिसर से फोटो अपलोड करने पर ध्यान केंद्रित करेगा"।

सिक्किम जैसे उत्तर–पूर्वी राज्यों में जीएसटी पंजीकरण के बारे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ दक्षिणी राज्यों द्वारा कुछ उदाहरणों की ओर इशारा किया गया है। "चूंकि यह एक गंतव्य–आधारित कर है, इसलिए खपत का अंतिम स्थान वहां दिखाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर सिक्किम में धोखाधड़ी का पंजीकरण लिया गया है, तो यह पता लगाना मुश्किल है कि यह वहां है या नहीं। विभागीय शक्ति कम है इसलिए सत्यापन प्रक्रिया कठिन हो जाती है।

कुछ मामलों में, व्यवसाय भी माल के बजाय सेवाओं में व्यस्तता दिखा रहे हैं ताकि उन्हें ई–वे बिल नहीं बनाना पड़े, जो कि 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतर–राज्य परिवहन के लिए अनिवार्य है।

सरकार जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जैसे कि जीएसटीआर–1 (मासिक/त्रैमासिक बिक्री रिटर्न) दाखिल करना प्रतिबंधित है, अगर कोई करदाता जीएसटीआर–3बी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए (बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट दिखाने वाला सारांश रिटर्न और कर देय) प्रस्तुत करने में विफल रहता है। विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय जीएसटी रिटर्न और ई–वे बिल के आधार पर विसंगतियों के लिए डिफॉल्ट और जोखिम भरे करदाताओं के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई–आधारित टूल के आधार पर रेड–फ्लैग रिपोर्ट भी तैयार करता है, जिसे कर अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://government.economictimes.indiatimes-com/news/economy/e&commerce&is&fast&becoming&the&default&option&for&shopping&in&india/81504443
2. Chromeextension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.tgct.gov.in/tgportal/staffcollege/DR%20ACTOs%2017-01-2020%20to%2018-02-2020/February%20&%202020%20%20%20PDF's/05-02-2020,%203-%20%20D-Premnath%20Sir,%20Chartered%20Accountant,%20Financial%20Frauds%20and%20their%20Impact%20on%20GST-pdf
3. http://www.gstindia.com/about/
4. http://www.ey.com/in/en/services/ey&goods&and&services&tax&gst

5. http://swarajyamag,com/economy/so&what&is&gst&and&what&are&its&benefits
6. http://www.livemint.com/r/LiveMint/Period1/oldpdf/741e329f&def4&4ce9&a8c3&236721417717.pdf
7. https://www.quora.com/Whats&the&importance&of&GST&bill&in&India
8. http://indianexpress.com/article/explained/gst&most&important&tax&reform&since&1947/
9. https://www.quora.com/Is&there&any&loophole&in&GST&goods&and&service&tax
10. Chrome&extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://www.ijirmf.com/wp&content/uploads/2017/07/201609070.pdf
11. Chrome&extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://gstcouncil.gov.in/sites/default/files/SOP&for&Tackling&Fake&Invoice.pdf
12. https://indianexpress.com/article/business/economy/gst&frauds&taxmen&on&anti&evasion&drive&as&collection&stays&range&bound&8563771/
13. https://taxo.online/latest&news/19&04&2023&gst&frauds&taxmen&on&anti&evasion&drive&as&collection&stays&range&bound/

डॉ. निजहत परवीन
मन्दसौर, मध्यप्रदेश
chhipa.nizhat@yahoo.com
9479988136

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 85-92

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

India as an Educational Hub for Nepal : Impact of India's Development assistance in Nepal's Education Sector and their Challenges and Opportunities

Dr. Poonam Panghal

Assistant Professor, Home Science, Dept. of Human Development

S.S. Jain Subodh Girls P.G. College, Sanganer, Jaipur, Rajasthan, India

Abstract :-

This study aim to explore the role of India as an educational hub for Nepal and the impact of India's development assistance on Nepal's education sector. It highlights the challenges and opportunities presented by India's support in fostering educational cooperation between the two countries.

India has emerged as a significant educational hub for students from Nepal due to its proximity, cultural similarities, and availability of quality educational institutions. Nepalese students benefit from a wide range of educational opportunities in India, including scholarships, exchange programs, and access to renowned universities and colleges. This educational relationship between India and Nepal has fostered cultural exchanges, deepened bilateral ties, and contributed to human resource development in Nepal.

India's development assistance has played a vital role in Nepal's education sector. The assistance encompasses various aspects, such as infrastructure development, curriculum enhancement, teacher training, and scholarship programs. This support has helped address some of the pressing challenges faced by Nepal's education system, including inadequate infrastructure, limited resources, and the need for quality improvement. India's funding and technical expertise have contributed to the expansion of educational facilities, improvement of teaching methodologies, and the overall development of Nepal's education sector.

However, several challenges persist in Nepal's education sector despite India's support. These challenges include disparities in access to education, particularly for marginalized communities, insufficient education funding, inadequate teacher training, and a lack of quality assurance mechanisms.

Additionally, there is a need for greater collaboration between India and Nepal to align educational systems, recognize academic qualifications, and facilitate student mobility.

Nevertheless, the partnership between India and Nepal in the education sector presents significant opportunities. The exchange of students, faculty, and research collaborations can further strengthen the educational ties between the two countries. Efforts to enhance vocational and technical education, promote digital learning, and prioritize inclusive education can lead to more equitable and sustainable development in Nepal. Moreover, leveraging India's expertise in emerging fields such as information technology, healthcare, and entrepreneurship can contribute to Nepal's human capital development and economic growth.

Key Words :- Higher Education, Issues , Challenges. , Institutional.

Introduction :-

India has long been recognized as a significant educational hub, attracting students from all over the world to pursue higher education. This is especially true for Nepal, a neighboring country with historical, cultural, and geographic ties to India. The educational opportunities offered by India have made it an attractive destination for Nepalese students seeking quality education, particularly in the field of research.

In this paper we aim to explore the reasons behind India's status as an educational hub for Nepal, focusing specifically on its role in fostering research collaborations between the two nations. We will delve into the various factors that have contributed to this phenomenon, including historical ties, geographic proximity, language similarities, and the availability of diverse educational institutions and research facilities.

Furthermore, we will examine the impact of India's educational hub status on Nepal's research landscape, shedding light on the opportunities and challenges faced by Nepalese researchers. This analysis will help us understand the extent to which India has served as a catalyst for Nepal's research endeavors and the potential benefits and limitations of such a relationship.

We hope to provide valuable insights into the educational dynamics between India and Nepal, with a specific focus on research collaborations. This knowledge can inform policymakers, educators, and researchers on both sides, enabling them to strengthen existing partnerships and explore new avenues for cooperation. Ultimately, the aim is to foster an environment conducive to knowledge sharing, innovation, and mutual growth in the field of research between these two neighboring nations.

Background of India and Nepal relation :-

India and Nepal share a long history of cultural, economic, and educational ties. The relationship between the two countries in the field of education has been significant and multifaceted. Here is

some background information on the India-Nepal relation in education :

Historical Ties :- India and Nepal have a shared cultural heritage due to their geographical proximity and historical connections. This has facilitated educational exchanges and collaborations between the two countries for centuries.

Scholarly Exchanges :- Many scholars and students from Nepal have traveled to India for higher education. Prominent educational institutions in India, such as universities and research centers, have welcomed Nepalese students for various academic programs. These exchanges have played a crucial role in promoting knowledge sharing and academic development.

Scholarships and Grants :- The Indian government has offered several scholarships and grants to Nepalese students to pursue higher education in India. These initiatives aim to strengthen educational ties between the two countries and provide opportunities for Nepalese students to access quality education.

Academic Collaboration :- India and Nepal have engaged in academic collaborations, including the exchange of faculty members, joint research projects, and academic partnerships between universities and institutions. Such collaborations have facilitated the sharing of expertise, resources, and research outcomes, contributing to the overall development of the education sector in both countries.

Language and Cultural Exchange :- Given the linguistic and cultural similarities between India and Nepal, language and cultural exchanges have been prominent in the educational domain. Indian universities often offer courses in Nepali language and culture, while Nepalese students in India have the opportunity to learn and experience diverse Indian languages and cultures.

Technical and Vocational Education :- India has been actively involved in supporting Nepal's technical and vocational education and skill development initiatives. Various programs have been implemented to enhance the capacity of Nepalese youth in sectors such as information technology, engineering, healthcare, agriculture, and tourism.

Infrastructure Development :- India has also contributed to the development of educational infrastructure in Nepal. This includes the construction of educational institutions, establishment of libraries, provision of educational materials, and assistance in upgrading educational facilities.

Exchange Programs :- Several exchange programs have been organized between Indian and Nepalese educational institutions at the school, college, and university levels. These programs promote student mobility, cultural understanding, and knowledge exchange.

While the India-Nepal relation in education has been generally positive, there have been occasional challenges and issues related to recognition of degrees, visa procedures, and cross-border

mobility. However, both countries have continuously worked towards resolving such matters and strengthening their educational cooperation.

A historical overview of India's development assistance to Nepal :-

India has a long history of providing development assistance to Nepal, its neighboring country. The relationship between India and Nepal has been characterized by close cultural, economic, and political ties. Over the years, India has played a significant role in supporting Nepal's development through various initiatives and assistance programs. Here is a historical overview of India's development assistance to Nepal :

1950s-1960s :-

After Nepal signed the Treaty of Peace and Friendship with India in 1950, India became one of the key supporters of Nepal's development. India provided financial and technical assistance to Nepal in areas such as agriculture, infrastructure, and education.

India helped Nepal in constructing roads, bridges, and other infrastructure projects, including the famous Tribhuvan Highway connecting Kathmandu with the Indian border.

In 1959, India established the Indo-Nepal Treaty of Trade, which aimed to enhance bilateral trade and economic cooperation.

1970s-1980s :-

India continued its development assistance to Nepal during this period, focusing on infrastructure development, irrigation, agriculture, and education.

Several hydropower projects were initiated with Indian assistance, including the Gandak, Kosi, and Tanakpur projects.

India also helped in the establishment of educational and technical institutions in Nepal, such as the B.P. Koirala Institute of Health Sciences and the Institute of Medicine.

1990s :-

In the 1990s, Nepal went through a period of political and economic transition. India supported Nepal in its democratization process and provided assistance to address the challenges of development.

India helped in the construction of the East-West Highway, which is a crucial transportation link in Nepal, connecting the eastern and western regions of the country.

India also assisted Nepal in the agriculture sector by providing technical expertise, seeds, and fertilizers to improve agricultural productivity.

2000s-present :-

India's development assistance to Nepal continued to expand in the 2000s and beyond. Various projects were undertaken to promote infrastructure development, energy cooperation, trade facilitation,

and human resource development.

India has been a major contributor to Nepal's hydropower sector. Projects like the Upper Karnali, Arun III, and Pancheshwar Multipurpose Project have received significant Indian investment and technical support.

India has also supported Nepal in the sectors of education, health, tourism, and rural development through the provision of grants, scholarships, and capacity-building programs.

In recent years, there has been a focus on connectivity projects, such as the construction of cross-border rail links and the development of integrated border infrastructure to enhance trade and people-to-people contacts.

It is important to note that the nature and extent of India's development assistance to Nepal have varied over time, depending on the prevailing political, economic, and strategic considerations. However, India has consistently remained one of Nepal's major development partners, working towards mutual cooperation and the overall development of the region.

Challenges and Opportunities in India and Nepal in Education Sector.

Challenges and opportunities in the education sectors of India and Nepal can vary due to their unique socio-economic and political contexts. However, there are several common factors that influence both countries. Let's explore some of the challenges and opportunities in the education systems of India and Nepal:

Challenges in India :-

- **Access and Equity :-** India faces significant challenges in providing equal access to quality education, especially in rural and economically disadvantaged areas. Disparities exist in terms of gender, caste, and socio-economic backgrounds.
- **Quality of Education :-** Despite significant progress, the quality of education in India remains a concern. There is a need for improved teacher training, curriculum development, and pedagogical methods.
- **Infrastructure and Resources :-** Many schools in India lack basic infrastructure such as classrooms, libraries, laboratories, and sanitation facilities. Insufficient resources, including textbooks and teaching aids, further hinder the learning process.
- **Dropout Rates :-** High dropout rates at various levels of education, particularly in secondary and higher education, pose a challenge. Economic factors, lack of motivation, and social pressures contribute to this issue.
- **Skill Development :-** There is a growing demand for skilled professionals in India. However, the current education system does not adequately address skill development, leading to a gap between

industry requirements and the skills possessed by graduates.

Opportunities in India :-

- **Digital Education :-** India has witnessed a surge in digital infrastructure and internet penetration. This presents an opportunity to leverage technology for expanding access to education, especially in remote areas.
- **Vocational Education :-** Emphasizing vocational education and skill development can help address the demand for skilled workers and promote entrepreneurship.
- **Public-Private Partnerships :-** Collaborations between the government, private sector, and civil society organizations can help address the challenges in the education sector by pooling resources, expertise, and innovative approaches.
- **Teacher Training and Professional Development :-** Strengthening teacher training programs and providing ongoing professional development opportunities can improve the quality of education and pedagogical practices.
- **Inclusive Education :-** Focusing on inclusive education policies and practices can ensure access to quality education for marginalized groups, including girls, children with disabilities, and those from lower socio-economic backgrounds.

Challenges in Nepal :-

- **Access and Equity :-** Nepal faces challenges in ensuring equal access to education, particularly in rural and remote areas. Poverty, geographical barriers, and social norms contribute to disparities in education.
- **Quality of Education :-** The quality of education in Nepal needs improvement. Issues such as outdated curriculum, insufficient teacher training, and inadequate resources hinder effective learning.
- **Infrastructure and Facilities :-** Many schools in Nepal lack basic infrastructure, including classrooms, furniture, libraries, and sanitation facilities. Limited access to electricity and technology further impact the learning environment.
- **Education Governance :-** The governance structure in the education system of Nepal requires strengthening. Issues such as corruption, politicization, and lack of accountability affect decision-making and resource allocation.
- **Outmigration and Brain Drain :-** Nepal faces a challenge of outmigration, where many educated individuals seek opportunities abroad. This brain drain can negatively impact the development of the education sector and overall human capital in the country.

Opportunities in Nepal :-

- **Early Childhood Education :-** Investing in early childhood education can have a significant

impact on a child's learning and development. Expanding access to quality early education can set a strong foundation for lifelong learning.

- **Multilingual Education :-** Promoting multilingual education that incorporates local languages alongside Nepali can help improve learning outcomes, especially for children from marginalized communities.
- **Teacher Training and Professional Development :-** Enhancing teacher training programs and providing continuous professional development opportunities can improve the quality of teaching and learning in Nepal.
- **Technology Integration :-** Leveraging technology in education can help overcome geographical barriers and provide access to quality education in remote areas. E-learning platforms

Conclusion :-

India has emerged as an important educational hub for Nepal, providing Nepalese students with access to quality education and a wide range of academic opportunities. The close proximity, cultural similarities, and historical ties between the two countries have facilitated educational collaboration and exchange programs, enabling Nepalese students to pursue higher education in India.

India's development assistance in Nepal's education sector has played a significant role in improving educational infrastructure, enhancing access to education, and raising the overall quality of education in the country. India's support has included the construction of schools, provision of scholarships and fellowships, training of teachers, and development of educational materials and curricula. These initiatives have contributed to increasing enrollment rates, reducing dropout rates, and improving educational outcomes in Nepal. However, challenges persist in Nepal's education sector despite India's development assistance. One of the key challenges is the inadequate funding allocated to education, resulting in limited resources for infrastructure development, teacher training, and curriculum enhancement. Moreover, the quality of education in Nepal still needs improvement, and there is a need to address issues such as outdated teaching methods, overcrowded classrooms, and a lack of qualified teachers.

Opportunities lie in further strengthening the educational ties between India and Nepal. Collaboration in research, knowledge sharing, and exchange programs can help enhance the academic standards and research capabilities of both countries. The expansion of scholarships and fellowships for Nepalese students to study in India can also provide greater access to quality education. To address the challenges and capitalize on the opportunities, it is crucial for both India and Nepal to continue investing in the education sector. Nepal should allocate more resources to education and focus on curriculum reform, teacher training, and infrastructure development. India, on the other hand, can

further enhance its support by increasing the number of scholarships, providing technical assistance, and promoting academic partnerships.

In conclusion, India's role as an educational hub for Nepal has been instrumental in expanding educational opportunities for Nepalese students. India's development assistance in Nepal's education sector has made a positive impact, but challenges remain. By addressing these challenges and leveraging the opportunities, India and Nepal can further strengthen their educational collaboration and contribute to the overall development of Nepal's education sector.

References :-

- Narayan, Shriman (1971), India and Nepal, Delhi: Hind pocket Books.
- Bhatta, P., Adhikari, L., Thada, M., and Rai, R. (2008) 'Structures of denial: student representation in Nepal's HE', Studies in Nepali History and Society 13(2): 235–263.
- Educational policy research', International Journal of Research and Method in Education 42(1):59–75.
- Regmi, K.D. (2019) 'Critical policy sociology: key underlying assumptions and their implications for educational policy research', International Journal of Research and Method in Education 42(1):59–75.
- Regmi, K.D. (in press) Educational governance in Nepal: weak government, donor partnership and standardised assessment. Compare: A Journal of Comparative and International Education. https://doi.org/10.1080/03057925.2019.1587704
- Nepal's HE', Studies in Nepali History and Society 13(2): 235–263.
- India: The Education Hub of the World" by India Today (2019) Link: https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/india-education-hub-of-the-world-1601941-2019-09-21
- Why India Could be the New Destination for International Students" by The Guardian (2020) Link: https://www.theguardian.com/education/2020/feb/11/why-india-could-be-the-new-destination-for-international-students
- India nducationalub: Prospects and Challenges" by The Diplomat (2020) Link: https://thediplomat.com/2020/10/india-as-an-educational-hub-prospects-and-challenges/
- India Emerges as a Hub for Higher Education" by Financial Express (2021) Link: https://www.financialexpress.com/education-2/india-emerges-as-a-hub-for-higher-education/2236959/
- BN Luniya (1998), Evolution of Indian Culture, Agra: Lakshminarayan Agarwal.
- Rahul ,Ram 1978 ,Himalayas as a frontier, New Delhi: Vikas Publishing House.
- Indo Nepalese Socio cultural Dimensions, KK Mustang edition 2018.

Postal Address : F1, Plot No. 180, BalajiKripa, Vishvesariya Nagar,
Gopalpura Bypass Road, Jaipur RAJASTHAN, INDIA, PIN-302018
Email Address:hscsubodh011@gmail.com
Mobile Number:+91 9166611016

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 93-98

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

निराला की कविताओं में अभिव्यक्त राष्ट्रीयता बोध

श्रीमती पूनम सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स, पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ।

19वीं शताब्दी भारत के लिए संक्रमण का काल रहा है। कारण कि भारतवर्ष पर शासन मुगलों के हाथ से निकल कर अंग्रेजों को हस्तांतरित हो गया तथा भारतीय संस्कृति का संस्पर्श पाश्चात्य संस्कृति से हुआ। पूर्व में मुस्लिम आक्रमणों और सत्ता पर काबिज होने के बाद अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनायी गई जनता में अपने आत्मगौरव और स्वाधीनता के प्रति चेतना का संचार हुआ। पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान का संस्पर्श पाकर भारतीयों की जड़ता भग्न हुई एवं उन्हें इस बात का भान हुआ कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं रुढ़िगत परम्पराओं की वजह से उन्हें विदेशियों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी है और भारत एक उपनिवेश बनकर रह गया है। पाश्चात्य ज्ञान–विज्ञान के संस्पर्श से भारतीय धर्म एवं दर्शन जो कि जड़ता को प्राप्त हो गया था, गतिमयता को प्राप्त हुआ एवं भारत में मध्यवर्ग का उदय हुआ। इन मध्वर्गीय चिंतकों ने भारत में साम्राज्यवादी नीतियों से असंतुष्ट जनता ने 1857 ई0 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जनविद्रोह खड़ा कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। प्रारम्भ में इसका नेतृत्व सेना की टुकड़ियों ने किया किन्तु बाद में इसने एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले लिया और इसमें बहुत सारे किसान दस्तकार, व्यापारी आदि सम्मिलित हुए।

भारतीय जनता में असंतुष्टि का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण और देश के परम्परागत ढांचे का विनाश था। आधुनिक काल से पूर्व भारतीय गाँवों के मूल ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सर चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय गाँवों को लक्ष्य करते हुए लिखा था– "गाँव छोटे–छोटे गणतंत्र थे। उनकी आवश्यकतायें गाँव में ही पूरी हो जाती थीं। बाहरी दुनिया से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ, हिन्दू, पठान, मुगल, सिक्ख, मराठों के राज्य बने और बिगड़े पर गाँव वैसे ही बने रहे।" दरअसल अंग्रेजों ने इन्हें ही तोड़ने का कार्य किया और भारत के उद्योग धन्धों को तबाह किया ताकि उन्हें अंग्रेजों से वस्तुओं की खरीददारी करनी पड़े। डॉ0 रामविलास शर्मा ने लिखा है कि– "हिन्दुस्तान में अंग्रेजीराज सबसे बड़े जमींदार की भूमिका निबाह रहा था। यह नया जमींदार पुराने जमींदारों से कहीं अधिक क्रूर और शोषक था। इसका प्रमाण यह है कि भुखमरी से लाखों किसान मर गये, यह भुखमरी अर्थतन्त्र की विशेषता बन गयी। हिन्दुस्तान की बहुसंख्यक जनता इस स्थिति में नहीं थी कि बड़े पैमाने पर विदेशी माल खरीदे। अंग्रेजों की आमदनी का मुख्य स्रोत थी, जमीन पर किसान की मेहनत। इतना होने पर भी 19वीं शताब्दी में भारत ब्रिटेन का प्रतिद्वन्द्वी बना हुआ था। इसलिए ब्रिटेन ने अपने यहाँ भारतीय माल पर भारी टैक्स लगाया और भारत में ब्रिटिश माल को इस तरह के टैक्स से छूट दी।"

1857 की क्रान्ति ब्रिटिश औपनिवेशिकता से शोषित, पीड़ित जनता की प्रतिक्रिया का परिणाम थी। यही समय है जब साहित्य की भाषा में परिवर्तन लक्षित होता है और खड़ी बोली में साहित्य रचा जाता है। विदेशी शासन के प्रति भारतेन्दु युग से ही कवियों में असंतोष का भाव दिखाई पड़ता है। उस समय के कवियों का अंग्रेजी सत्ता के प्रति विरोध उतना तीव्र नहीं है जितना कि आगे चलकर छायावादी कवि 'निराला' में दृष्टव्य होता है। तत्कालीन साहित्य के केन्द्र में सामाजिक सुधार, परिष्कार, रुढ़ियों से मुक्त साम्राज्यवादी नीतियों की निन्दा भी की जाती रही। भारतेन्दु लिखते हैं कि :–

'अंग्रेज राज सुख साज सजै सब भारी
पै धन विदेश चलि जात इहै अति ख्वारी।'

आधुनिक युग में साहित्य की भाषा परिवर्तन के साथ–साथ कवियों ने गद्य एवं कविताओं के माध्यम से देश की स्वाधीनता का प्रश्न उठाया। भारतेन्दु युगीन एवं द्विवेदी युगीन साहित्य में अभिव्यक्त राष्ट्र चेतना के अग्रिम स्वर संवाहक निराला बने। डॉ0 रामविलास शर्मा का स्पष्ट मत है कि भारतेन्दु युगीन एवं द्विवेदी युगीन नवजागरण को आगे बढ़ाने का कार्य निराला ने किया है। निराला छायावाद (रोमांटिसिज्म) की भावभूमि पर लिखते हुए भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक चिंतन में बहुत प्रगतिशील रहे हैं। निराला के चिंतन के प्रगतिशीलता के विषय में डॉ0 रामविलास शर्मा लिखते हैं कि– "निराला के चिंतन की विशेषता यह थी कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीति, उसके राजनैतिक दांव–पेंच, सांस्कृतिक मामलों में उसके हस्तक्षेप को पहचाना, गहराई से उसका विश्लेषण किया, देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए मार्ग निश्चित किया।" 'सुधा' पत्रिका से जुड़ने पर निराला का राष्ट्र प्रेम और प्रखर रूप में अभिव्यक्त होता है। देश की समसामयिक समस्याओं पर उन्होंने निरन्तर टिप्पणियाँ लिखीं।

अंग्रेजीराज की साम्राज्यवादी एवं आर्थिक नीति पर उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि– "महात्मा जी के आन्दोलन के बाद से इंग्लैण्ड के व्यवसायी भारत से खूब सजग रहते हैं और ये पूंजीपति ही प्रकारान्तर से इंग्लैण्ड के विधाता हैं, इसलिए ये इतने उदार होंगे कि अपनी भलाई भूलकर भारत की भलाई का ख्याल करेंगे, यह बिल्कुल भ्रांत धारणा है। भारत अंग्रेजी माल खपाने का सबसे बड़ा केन्द्र है। यहाँ से कच्चे माल की जितनी पैदावार होती है, उसका अधिकांश वहीं के व्यापारियों के हाथ लगता है, जिससे एक के सैकड़ों वसूल होते हैं।" 'सुधा' पत्रिका में समय–समय पर लिखी गयी ऐसी बहुत सारी टिप्पणियाँ निराला को 'राष्ट्रमुक्ति की अवधारणा' से जोड़ती हैं। निराला की उपरोक्त टिप्पणी के आलोक में अगर उनकी कविता 'बादल राग' की इन पंक्तियों का विश्लेषण करें तो स्थिति अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है :–

'रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष
अंगना–अंग से लिपटे भी
आतंक अक पर काँप रहे हैं
धनी, वज्र गर्जन से बादल।
त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं।
जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर
तुझे बुलाता कृषक अधीर

ऐ विप्लव के वीर।'

दरअसल अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण किसानों को दुहरी मार सहनी पड़ रही थी। डॉ0 रामविलास शर्मा जिसे कहते हैं कि अंग्रेज (यह नया जमींदार पुराने जमींदार से कहीं अधिक क्रूर और शोषक था) अपना कोष भरने के लिए भारत की प्रजा को आतंकित कर रहे थे। इस आतंकित प्रजा को अंग्रेजों एवं सामंतों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए निराला विप्लव गान करते हैं। 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं' की पीड़ा को निराला बहुत बेहतर समझते हैं एवं भारत पर विदेशियों की सत्ता स्थापित होने से जनता के अन्दर उपजे नैराश्य भाव को मेटने और लोगों को जगाने का प्रयत्न करते हैं :–

"जागो फिर एक बार!
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें
अरुण पंख तरुण किरण
खड़ी खोलती है द्वार–
जागो फिर एक बार।"

निराला सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत पाश्चात्य संस्कृति की भारतीय संस्कृति से टकराहट और छिन्न–भिन्न हो रही भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम अतीत की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। निश्चय ही डार्विन की अवधारणा 'योग्यतम की उत्तरजीविता' पर गीता का प्रभाव है :–

"योग्य जन जीता है
पश्चिम की उक्ति नहीं
गीता है, गीता है–
स्मरण करो बार–बार
जागो फिर एक बार।"

'गीता' में अध्याय दो श्लोक (37) में श्रीकृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं :–

'हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः'।।2/37।।

अर्थात् यदि युद्ध में तुम मृत्यु को प्राप्त होते हों तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यदि विजयी होओगे तो पृथ्वी का ऐश्वर्य भोगने को मिलेगा। अतः हे कुन्ती पुत्र अर्जुन तुम युद्ध का निश्चय कर खड़े हो जाओ। निराला अपनी रचनाओं में भारत के स्वर्णिम अतीत को दोहराते हैं और विभिन्न प्राचीन ग्रन्थों की प्रेरणास्पद पंक्तियों को अपनी कविताओं में उद्धृत कर भारत की गौरव विहीन हो गयी जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने का कार्य करते हैं।

निराला की राष्ट्रीय चेतना का प्रखरतम रूप अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में दिखाई पड़ता है। उनका स्पष्ट मानना था कि किसानों की एकजुटता के बगैर स्वतंत्रता की प्राप्ति सम्भव नहीं है। वह भारतीय समाज में नारी की स्थिति, मनुष्य–मनुष्य में भेद, वर्णाश्रम धर्म में आयी विकृति एवं समाज में प्रचलित अन्य सामाजिक समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं से जोड़कर देखने के हिमायती थे :–

'सारी सम्पत्ति देश की हो

सारी आपत्ति देश की बने।'

यही वजह है कि निराला गरीबों, शोषितों एवं पीड़ितों को अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं। उनकी सहानुभूति हमेशा वंचितों के प्रति रही है तभी वह लिखते हैं :–

'आज अमीरों की हवेली
किसानों की होगी पाठशाला।'

मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति मानने वाले निराला स्वयं स्वच्छन्द प्रकृति के हैं और मुक्त जीवन के अभिलाषी हैं। स्वाधीन होने का आत्मिक आनन्द वही महसूस कर सकता है जो समस्त बन्धनों से मुक्त हो गया हो। तभी निराला देश की पराधीनता पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए 'स्वाधीनता' पर शीर्षक कविता में लिखते हैं :–

"मेरे साथ मेरे विचार–
मेरे जाति–
मेरे पददलित–
मौन हैं, निद्रित हैं–
स्वप्न में भी पराधीन!
कितनी बड़ी दुर्बलता!"

निराला देश की गुलामी को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखते हैं। सवाल यहाँ सिर्फ पराधीन होने का नहीं था बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों के कुकृत्यों से भारत के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो गया था। इसीलिए 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नबोधति' को मूल में रखकर वह जनता का आह्वान करते हुए लिखते हैं– "आता जब भूमिकम्प/कौन रोक सकता है उसकी गति?/गरज उठते जब मेघ/कौन रोक सकता है विपुल नाद?/उपलदल/नष्ट जब करते हैं श्यामशस्य/कौन सी व्यवस्था वह/रोक रखती है उन्हें?/समझा मैं/भय ही व्यवस्था का जनक है/निर्भय अपने को/और दुर्बल समाज को/करके दिखाना है/स्वाधीन का ही एक अर्थ निर्भय है। निराला ब्रिटिश हुकूमत एवं सामंती व्यवस्था की जकड़न से भयग्रस्त जनता के भीतर साहस का संचार करते हैं। दरअसल स्वाधीन का ही एक अर्थ 'निर्भय' है कहकर निराला समाज की पारम्परिक रुढ़ियों के प्रति संकेत करते हैं जो राष्ट्र को खोखला कर रही हैं। आज आवश्यकता है इनके प्रति भी निर्भय होकर विद्रोह करने की और उखाड़ फेंकने की ऐसी व्यवस्था को जो व्यक्ति एवं समाज को भयग्रस्त बनाती है। यहाँ व्यक्ति मुक्ति का प्रश्न मुखर हो उठता है।

'कनक शस्य कमल धरे, भारति य विजय करे' की भावना को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करने वाले निराला की रचनाओं में राष्ट्र के प्रति उत्कट प्रेम प्रकट होता है। 'राम की शक्तिपूजा' का कथानक बंगाल के कृत्तिवास रामायण से जरूर लिया गया है किन्तु उसका पूर्ण प्रस्फुटन समसामयिक बोध से भरा हुआ है। रामायण के इस विशेष हिस्से को लेकर एक लम्बी कविता लिखने के पीछे मकसद यही रहा होगा– भारत की स्वाधीनता। 'राम की शक्तिपूजा' में जहाँ रावण अधर्मरत होकर सीता को हर ले गया है और बन्दिनी बना कर रखा है वहीं अंग्रेजों ने भारत भूमि को परतंत्र बना रखा है। दोनों जगह लड़ायी मुक्ति के लिए है, धर्म की विजय के लिए है। वास्तव में कवि जहाँ कहता है कि– 'है अमानिशा उगलता गगन घन अन्धकार' यह पंक्ति सिर्फ राम की मनोदशा को

नहीं दिखलाती बल्कि सम्पूर्ण भारतीय जनता की मनोदशा की प्रतीक है जो गहन निराशा के अन्धकार में डूब गई है। आगे निराला लिखते हैं– 'अन्याय जिधर है उधर शक्ति' यह पंक्ति राम की ही समस्या नहीं बल्कि पूरे युग की समस्या है। इसीलिए अन्याय वृत्ति वालों की पराजय के लिए निराला लिखते हैं–

'शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन।'

और अंत में जय के प्रति आश्वस्त होकर–

'होगी जय होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन।'

'राम की शक्तिपूजा' का फलक अत्यन्त व्यापक है। यह अपनी रचना प्रक्रिया के द्वारा समसामयिक सन्दर्भों से जुड़कर और प्रभाव सम्पन्न हो जाती है। दरअसल वह एक ऐसा समय था जब सीधे विरोध सम्भव नहीं था, जिसके विषय में कभी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था– "है कलम बंधी स्वच्छन्द नहीं/फिर हमें बतावे कौन हन्त?/वीरों का कैसा हो बसन्त।" यही कारण है कि तत्कालीन कवि इतिहास और मिथकों से प्रेरणा लेकर एवं उनका नवीन सन्दर्भों में प्रयोग कर जनता को चेतना से अनुप्राणित करने का प्रयत्न कर रहे थे। चाहे वह मैथलीशरण गुप्त हों या महाकवि जयशंकर प्रसाद। निराला की ऐसी रचनाओं में 'शिवाजी का पत्र' और 'तुलसीदास' जैसी रचनाएँ प्रमुख हैं।

निराला की रचना 'तुलसीदास' भी व्यापक फलक पर रची गयी है। यह एक लम्बी कविता है जिसमें 100 छन्द हैं। 'निराला' की सांस्कृतिक चेतना पर महाकवि तुलसीदास का विशेष प्रभाव है। इसीलिए निराला स्वयं को तुलसीदास में महसूस करते हैं। मध्ययुगीन परिस्थितियों को लक्षित करते हुए 'तुलसी' की चेतना को निाला इस प्रकार व्यक्त करते हैं :–

'देशकाल के सर से विंध
यह जागा कवि अशेष छविधर
इसका स्वर भर भारती मुखर होयेंगी।'

निराला छायावादी भावभूमि में रचना करते हुए भी देशकाल के प्रति सर्वाधिक सजग हैं। समसामयिकता के प्रति उनमें गहरी चेतना है। 'तुलसीदास' कविता में मध्यकालीन सांस्कृतिक पराभव को कवि ने वर्तमानकाल में पराधीनता के फलस्वरूप उत्पन्न सांस्कृतिक ह्रास के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। डॉ0 रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं– "तुलसीदास का प्रबन्ध व्यापक पृष्ठभूमि पर रचा गया है। यहाँ देश के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रश्न हिन्दी के शीर्षस्थ कवि के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से उठाया गया है। चरितनायक के सन्दर्भ में रचना का तात्कालिक परिवेश मुगलकाल है, पर एक भिन्न अर्थ–स्तर पर कविता आधुनिक भारत में प्रक्षिप्त दिखती है, जहाँ तुलसी की भूमिका में जैसे निराला स्वयं अपने को परिकल्पित कर रहे हों। यहाँ कवि दिखाता है कि राजनैतिक पराधीनता तो अपने में कष्टदायक है ही, पर उससे अधिक गहरे तल पर खोखला करने वाली सांस्कृतिक दासता है और इसकी पहचान कहीं अधिक मुश्किल है।" फिर भी निराला सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सन्दर्भ में भारत की विजय के प्रति आश्वस्त होकर लिखते हैं :–

"होगा फिर से दुर्धष समर
जड़ से चेतन का निशिवासर
कवि का प्रतिछवि से जीवन हर, जीवन–भर

भारती इधर, हैं उधर सकल
जड़ जीवन के संचित कौशल
जय इधर ईश हैं, उधर सबल मायाकार।"

इस तरह निराला अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक उत्थान की बात करते हैं। आज ओज और प्रेम के महान कवि हैं जिसमें एक ओर स्वच्छन्द प्रेम का सागर प्रवाहित होता है तो दूसरी ओर राष्ट्र की स्वाधीनता के प्रति विप्लव गान। निराला की रचनाएँ उन्हें 'राष्ट्रमुक्ति की अवधारणा' का स्वप्न देखने वाले लोगो में अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित करती हैं। निराला परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वाधीनता की कामना करते हैं– नव गति नव लय ताल छन्द नव/नवल कण्ठ नव जलद मन्द्ररव/नव नभ के नव विहग वृन्छ को!नव पर नव स्वर दे! निराला पुरातन रुढ़ियों को भग्न कर नवीनता की कामना करते हैं और चाहते हैं कि– प्रिय रव अमृत मंत्र नव/भारत में भर दे।

इस तरह निराला सच्चे अर्थों में राष्ट्र चेतना के स्वर संवाहक थे जो भारत की एकता, अखण्डता और सांस्कृतिक विजय के प्रति आशान्वित थे।

सदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शर्मा, डॉ0 रामविलास : महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 11–12
2. 'सुधा' पत्रिका : सम्पादकीय टिप्पणी, फरवरी 1930
3. शर्मा, डॉ0 रामविलास (सम्पा0) : रागविराग, लोकभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 50
4. किशोर, नन्द 'नवल' (सम्पा0) : निराला रचनावली, भाग–1, पृ0 132
5. चतुर्वेदी, डॉ0 रामस्वरूप : हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, लोकभारती प्रकाशन, पृ0 127
6. त्रिपाठी, सूर्यकान्त 'निराला' : तुलसीदास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 42

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha
June 2023

ISSN : 2395-7115
Page No. : 99-101

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

आधुनिक कविता में अभिव्यक्त अर्थतंत्र के विविध परिदृश्य

प्रीति गुप्ता

सहायक प्राध्यापक, विधि–विभाग, महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मुलाना, अंबाला।

इक्कीसवीं सदी के इस दौर में सामाजिक जीवन के निर्वहन के लिए सबसे जरूरी साधन है 'अर्थ'। कहने को 'अर्थ' का कोई महत्त्व नहीं है और व्यक्ति को इसके लिए उतना ही श्रम करना चाहिए कि जितने में उसकी जरूरत पूरी हो जाए, यथार्थ में परिदृश्य एकदम इसके विपरीत है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था अर्थ केन्द्रित व्यवस्था है। इसमें जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक अर्थ है वह उतना ही समृद्ध और सुरक्षित हैं। अर्थतन्त्र एक ऐसा व्यावहारिक ढाँचा है जिसमें व्यक्ति की जरूरतें और व्यवहार पूरी तरह दिखाई देती हैं।

अर्थ–तन्त्र के विविध परिदृश्य होते हैं। पारिवारिक एवं वैयक्तिक जीवन का अर्थ–तन्त्र मनुष्य को बहुत कुछ सोचने–विचारने के लिए विवश करता है। विद्यालयी जीवन का अपना तन्त्र है। जब आदमी नौकरी आदि की दुनिया में कदम रखता है तो वहाँ की विसंगतियाँ अलग से झेलता है और कभी आगे बढ़ता है तो फिर कभी पीछे मुड़कर अपनी आर्थिक समृद्धि या कंगाली का आंकलन करता है। इन सभी से व्यक्ति का विकास तो होता ही है लेकिन वह खोता भी बहुत कुछ है। सुरेश नायक मानते हैं कि दिन का आना और रात का बीतना जारी रहता है लेकिन सच्चाई यही है कि व्यक्ति अपनी यथास्थिति से दो–चार होता रहता है। रंग आ जाते हैं! संग्रह में सुरेश नायक लिखते हैं :–

'हर नया दिन यही कहता है कि
दिन आ ही जाता है
रात कितनी भी लम्बी लगे
रात बीत ही जाती है।'[1]

अर्थ–तन्त्र और मनुष्य का संबंध इतना उलझा हुआ होता है कि मनुष्य को अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर वर्तमान समय तक सबसे अधिक संघर्ष 'अर्थ' के लिए करना पड़ता है। बचपन से ही मनुष्य को अर्थ की ताकत का अंदाजा लग जाता है। स्कूल जाते हुए बच्चे, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या महानगरीय परिवेश में भी हैं, चाहते हुए भी स्कूल का मुँह नहीं देख पाते हैं। इसके पीछे उनके परिवार की आर्थिक विसंगतियाँ होती हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए विवश करती हैं। यहाँ कभी परिवार आड़े आता है तो कभी व्यक्तिगत जरूरत। इन दोनों स्थितियों की एक झलक शशि प्रभा के काव्य संग्रह बहुत कुछ अनुत्तरित की कविता 'पुष्प की अभिलाषा' में देखने को मिलती है जब वह पूछती हैं :–

"बताओ तो/तुम क्यों जाती नहीं स्कूल?"

बेबस आँख/बोली वह–

"कौन देगा रोकड़ा/बाप को/पीने को शराब?"[2]

एक बार ये प्रश्न किसी का पीछा करते हैं तो सम्पूर्ण जीवन वह अर्थ के पीछे भागते हुए बिताता है। कभी अपनी जरूरतें तो कभी परिवार की जरूरतें उसे श्रम करने के लिए प्रेरित करती हैं तो मजबूर भी। वैयक्तिक एवं पारिवारिक जरूरतों के लिए भटकते मनुष्य से उसके रिश्ते और संबंधी बहुत पीछे छूट जाते हैं, जिसे शुभदर्शन ने अपने कविता संग्रह संघर्ष बस संघर्ष में इस यथार्थ को व्यक्त करते हुए लिखते हैं :–

'पैसे की अंधी दौड़ में
छूट चुका है
रिश्तों का अहसास।'[3]

आज के समय में यदि व्यक्ति के पास रिश्ते हैं तो यह मानकर चला जा सकता है कि उसके पास पर्याप्त आर्थिक उन्नति के अवसर हैं या फिर वह आर्थिक–स्थिति से सम्पन्न हैं। यदि उसके पास पैसे नहीं हैं या उसका अभाव है तो फिर व्यक्ति सम्बन्धों को बहुत दिन तक जीवित नहीं रख सकता। बहुत–से आदमियों के लिए 'भूख' एक बड़ी समस्या बन कर आती है। सब स्थितियों से पार पाया जा सकता है लेकिन 'भूख' वह यथार्थ है जिससे निपटने के लिए आर्थिक स्थिति पर मजबूती जरूरी होती है। उद्योग जगत से लेकर खेती–किसानी तक के हालात ऐसे हैं कि वेबसी और लाचारी का मंजर बढ़ता जा रहा है। उद्योग जगत में बारह घण्टे कार्य करने के बावजूद भी उतना पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है कि व्यक्ति अपनी जरूरतों के साथ–साथ परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। रंग आ जाते हैं! में डॉ. सुरेश नायक अर्थतन्त्र के इस उलझे परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं :–

''आठ–दस बरस के बच्चे/मैले–फटे चीथड़े पहने
हाथ में ढोलक और/ढोलक पर थाप देते
नाचते–गाते/(अपनी) खुशी से नहीं
मुसाफिरों की खुशी/और अपनी तंगी तुर्शी
दूर करने के लिए/खाली पेट उनके
उन्हें गाने के लिए/मजबूर करते हैं।[4]

यह अर्थतन्त्र के उलझे परिदृश्य का ही नतीजा है कि ये बच्चे भूख से विवश होकर गाते–बजाते हैं। यदि भूख का सवाल न हो तो फिर इन्हें इस बाल उम्र में इतना जोखिम क्यों उठाना पड़े? भूख की वेबसी और वैयक्तिक–पारिवारिक जरूरतों के वशीभूत होकर युवा पीढ़ी विदेशों की तरफ गमन कर रही है। सुरेश नायक अपनी एक अन्य कविता में चौकीदारों की यथा–व्यथा को केंद्र में लेकर आने का प्रयास करते हैं। वह 'नेपाली चौकीदार' के बहाने एक नए किस्म के उगते 'अर्थ–तन्त्र' पर प्रकाश डालते हैं। वह रंग आ जाते हैं! में लिखते हैं :–

नेपाली चौकीदार की आहट/गूँजती रही
देर तक आती रही/भौंकने की आवाजें
चाँद अपना सफर/खत्म करता रहा

करवट हर बार/और बोझिल होती गई
वक्त बाकी था/अभी सुबह होने में।[5]

'अर्थ' के अभाव में प्रवास ही एकमात्र विकल्प बचता है। प्रवास उत्तर आधुनिक परिवेश के अर्थ–तन्त्र का एक कड़वा यथार्थ है। जब अपने देश में पर्याप्त रोजगार नहीं मिलते तो आदमी दूसरे देश की तरफ ध्यान लगाता है। यह इक्कीसवीं सदी का ऐसा यथार्थ है जिस पर पंजाब के लगभग सभी कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि घर का घर सूनसान हो गया है। जवान बेटा तमाम विसंगतियों और परेशानियों को सुनकर प्रवास कर जाता है जिसका खामियाजा बुजुर्ग माँ–बाप को भुगतना पड़ता है। यह एक असहनीय पीड़ा होती है जिससे बचने के लिए अधिकांश माता–पिता अपने बच्चों से अपनी परेशानियाँ नहीं कहते हैं। किसी न किसी रूप में छुपा ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही भाव शुभदर्शन की कविताओं में देखने को मिलता है जब वह संघर्ष बस संघर्ष में कहते हैं :–

'उदास न हो मेरे बच्चे/अपने दर्द की दास्तां सुना
तुम पर कोई बोझ नहीं डालूँगा/नहीं बताऊंगा...
पेट की भूख मिटाने को/कितने हंटर खाए
यह भी नहीं कि जिद का मतलब/माँ समेंत
कई दिन तक महरूम रहता/रोशनी की किरण से।[6]

निश्चित रूप से तमाम विसंगतियों को सह लेना ज्यादा उपयुक्त है बनिस्बत कि बेटा विदेशों की शरण ले।इधर के पंजाब का यथार्थ फिलहाल यही बना हुआ है जहाँ मुसीबतों से तंग आकर विदेशों की तरफ रुख किया जाता है। हालाँकि बाद में यही सांस्कृतिक विघटन का कारण भी बनता है लेकिन पहले रोजी–रोटी और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए उसके बाद ही सभी स्थितियाँ कंट्रोल में ली जा सकती है।

देश से लेकर विदेश तक अर्थ–तन्त्र में व्यापक बदलाव प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रवास का नया चेहरा लोकल को वोकल बनाकर प्रस्तुत कर रहा है। वैश्वीकरण के दौर में लोक का गमन हो रहा है और पश्चिमी सभ्यता से लेकर व्यवहार तक को अपनाया जा रहा है। विघटन कभी परिवारों में होता था आज तो पीढ़ियाँ ही संकट में हैं। पंजाब के कवियों को इसकी चिंता है। वे चाहते हैं कि रोजगार के विभिन्न परिदृश्य स्वयं में संतुलन बनाकर रखें लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है। इन सभी के पीछे जो विशेष कारण है वह है– अर्थ लोलुपता का बढ़ता दायरा। इस दायरे ने इक्कीसवीं सदी के लिए बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है।

संदर्भ सूची :–

1. नायक, डॉ. सुरेश, कविता संग्रह रंग आ जाते हैं!. ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचरी पब्लिकेशन, संस्करण 2012, पृ. 43
2. प्रभा, डॉ. शशि. बहुत कुछ अनुत्तरित. अयन प्रकाशन, संस्करण 2011, पृ. 21
3. दर्शन, शुभ. संघर्ष बस संघर्ष. युक्ति प्रकाशन, 2011, पृ. 30
4. नायक, डॉ. सुरेश. कविता संग्रह रंग आ जाते हैं!.ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचरी पब्लिकेशन, संस्करण 2012, पृ. 11
5. नायक, डॉ. सुरेश. कविता संग्रह रंग आ जाते हैं!.ट्वेन्टी फर्स्ट सेंचरी पब्लिकेशन, संस्करण 2012, पृ. 47
6. दर्शन, शुभ. संघर्ष बस संघर्ष. युक्ति प्रकाशन, 2011, पृ. 37

ई–मेल : preetygupta.law@mmumullana.org, संपर्क सूत्र 8901189600
पता : 638, सेक्टर–9, अंबाला सिटी– 134003

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 102-105

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत और नेपाल के मध्य भाषिक और साहित्यिक सम्बन्ध

डॉ. प्रिया सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग), करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स, पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

नेपाल, भारत का एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी देश है तथा सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धों के कारण विदेश नीति में भी एक विशेष महत्व रखता है। भारत और नेपाल हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म के सन्दर्भ में बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के साथ समान सम्बन्ध साझा करते हैं जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। नेपाल पाँच भारतीय राज्यों– उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए सांस्कृतिक और आर्थिक आदान–प्रदान का एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु भी है। दोनों देश न केवल एक खुली सीमा और लोगों की निर्बाध आवाजाही साझा करते हैं, बल्कि विवाह और पारिवारिक सम्बन्धों के माध्यम से भी उनके बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हैं, जिन्हें रोटी–बेटी का रिश्ता के नाम से जाना जाता है। भाषा के स्तर पर नेपाल में हिन्दी और नेपाली बोली जाती है। बोलियों की बात की जाए तो हिन्दी भाषा की मैथिली, भोजपुरी और अवधी बोलियाँ नेपाली भाषा के साथ निकटतम सम्पर्क रखती हैं। "सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो मैथिली मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी सीता की जन्मभूमि मिथिला की बोली है। सीता संस्कृत और हिन्दी के काव्य ग्रन्थों में मैथिली के नाम से जानी जाती हैं। राम की जन्मभूमि अवध है। अवध की बोली अवधी का गहन सम्पर्क भी भाषा के साथ है, किन्तु नेपाल से लगा अवधी का क्षेत्र अपेक्षाकृत कम विस्तार वाला है।"

नेपाल में हिन्दी के व्यवहार के प्राचीनतम रूप का अनुमान शिलालेखों तथा उपलब्ध हस्तलिखित सामग्रियों से लगाया जा सकता है। पश्चिम नेपाल की दांग घाटी में प्राप्त आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व के शिलालेख में दांग के तत्कालीन शासक रत्नसेन की एक रचना 'दंगीशरण कथा' मिलती है। यह कृति नेपाल में हिन्दी के व्यापक प्रयोग और गहरी जड़ों की पुष्टि भी करती है। पाल्पा के सेन वंशीय नरेशों तथा पूरब में मोरंग और अन्य कई राज्यों के तत्कालीन नरेशों ने तो हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। काठमाण्डू उपत्यका के मल्ल राजाओं में से अनेक ने हिन्दी में रचनाएँ की। इस प्रकार हिन्दी नेपाल में कम से कम सात सौ वर्षों पूर्व से ही बहुसंख्यक लोगों की प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में चलती आ रही है। वर्तमान स्थिति देखें तो डेढ़ करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग पचहत्तर प्रतिशत लोग किसी न किसी रूप में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। बाकी आबादी में हिमालय की ऊपरी या सुदूर उत्तरी सीमा पर रहने वाले तिब्बती या उनके मिश्रित नस्ल के लोगों को लिया जा सकता है जिनका सम्पर्क निचले भाग के लोगों से नहीं हो पाता किन्तु ये लोग भी सामान्य व्यवहार की हिन्दी की समझ तो रखते ही हैं। नेपाल में हिन्दी भाषा का व्यवहार मुख्यतः तीन

रूपों मे होता है– प्रथम, तराई के लगभग 80–85 लाख लोगों की पहली भाषा है, ये क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा से लगे हुए हैं। द्वितीय, वहाँ पहाड़ों तथा पहाड़ी नगरों में निवास करने वाले बहुसंख्यक लोग द्वितीय और सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नेपाल की आबादी के लगभग 90 प्रतिशत लोगों के लिए हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं सम्पर्क भाषा है।

जैसे–जैसे भारत में हिन्दी का विकास हुआ इसका सीधा प्रभाव नेपाल पर भी पड़ा। विद्यापति, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा आदि कवियों के पदों का प्रचलन नेपाल में भी हुआ। संस्कृत की भाँति हिन्दी ने भी नेपालियों को मोहित किया, नेपाल में हिन्दी को पक्की भाषा कहा जाता है। "नेपाल का कोई व्यक्ति जब साधु–संन्यासी बन जाता है तो उसे हिन्दी बोलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह नेवारी अथवा नेपाली भाषा में कोई उपदेश देता है तो उसकी 'भाषा कच्ची' कहकर उसके उपदेशों को महत्व नहीं दिया जाता है। टूटी–फूटी हिन्दी में भी यदि वह प्रवचन करता है तो उसे देववाणी अथवा प्रमाणिक बात मानकर नेपाल निवासी उसके उपदेशों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं।" नेपाल में हिन्दी का प्राचीनतम रूप नेपाल के उपत्यका रुचिर चर्या पदों तथा मोरंग में रचित पदों में देखने को मिलता है। कविता का दूसरा तथा वास्तविक चरण 'अत्यका' में मल्लों के शासनकाल में आरम्भ होता है। बिहार के दरिया साहब से प्रेरणा प्राप्त कर नेपाल में निर्गुण मत सम्बन्धी 'जोसमणी' मत की स्थापना हुई जिसके संस्थापक पश्चिमी नेपाल के शशिधर स्वामी थे, अगमदिल, ज्ञानदिलदास, प्रेयदिल, सतदिन, रामबहादुर आदि इस मत के अनुयायी कवि थे। इन सभी कवियों की भाषा सधुक्कड़ी हिन्दी थी जिसमें नेपाली शब्दों का पुट भी प्राप्त होता है। नेपाल का तराई प्रदेश हिन्दी भाषी प्रदेश होने के कारण हिन्दी काव्य रचना का केन्द्र रहा तथा कबीर एवं नानक के भजन को यहाँ विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। जहाँ भारतीय हिन्दी संत काव्य का निर्माण– भारतीय ब्राह्मणवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद, सूफियों के भावनात्मक और हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद तथा प्रपत्तिवाद के मेल में हुआ है वहीं नेपाली संत काव्य का निर्माण भी इन्हीं तत्वों से हुआ है, वे भी एकेश्वरवाद के मत का समर्थन करते हैं।

भारत की ही भाँति नेपाल में भी हिन्दी में कृष्ण काव्य की रचना हुई साथ ही जयदेव तथा विद्यापति के गीतों का भी कई शताब्दियों से प्रचार रहा। आज भी नेपाल के काठमाण्डू, पाटन और भक्तपुर नगरों के अनेक हिस्सों में जयदेव और विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। कालान्तर में सूरदास के पदों का भी प्रचलन नेपाल में हुआ जिसके परिणामस्वरूप वहाँ अनेक लोगों ने हिन्दी में कृष्ण काव्य की रचना भी की। नेपाल में कृष्ण काव्य का प्रथम रचयिता नरहरि को माना जाता है। कृष्ण काव्य लिखने वालों में नेपाल के नारायण भक्त, बरुत बहादुर श्रेष्ठ, मथुरा दास, रामअधार दास, देवनारायण झा आदि प्रमुख हैं। इन्होंने वात्सल्य, शृंगार वर्णन, विप्रलम्भ शृंगार, गोचारण, बाल चेष्टाओं, माखन चोरी आदि श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का मार्मिक चित्रण किया है। "नेपाल का हिन्दी कृष्ण काव्य हमारे हिन्दी कृष्ण काव्य से पूर्णतः प्रभावित है। यह काव्य भी फुटकर पदों और गीतों में मिलता है। नेपाली कवियों ने भी ब्रजभाषा को कृष्ण काव्य का माध्यम बनाया है, परन्तु अष्टछाप के कवियों जैसी भाषा में निखार नहीं है और सूरदास जैसा विशद् शृंगार वर्णन किसी कवि ने नहीं किया है।"

नेपाल में रामकथा का विकास मुख्य रूप से वाल्मीकि तथा अध्यात्म रामायण के आधार पर हुआ है। नेपाली काव्य और गद्य साहित्य में रामकथा पर बहुत सी रचनाएँ प्राप्त होती हैं। नेपाल के राष्ट्रीय अभिलेखागार में वाल्मीकि रामायण की दो प्राचीन पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित है। इनमें से एक पाण्डुलिपि के किष्किंधा काण्ड की

पुष्पिका पर तत्कालीन नेपाल नरेश गांगेय देव और लिपिकार तीरमुक्ति निवासी कायस्थ पण्डित गोपति का नाम अंकित है।

नेपाली साहित्य में भानुभक्त कृत रामायण को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नेपालवासी इसे ही अपना आदि रामायण मानते हैं जबकि इनसे पूर्व भी रामकाव्य परम्परा में गुमनी पंत और रघुनाथ का नाम उल्लेखनीय है। रघुनाथ कृत रामायण सुन्दरकाण्ड उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में लिखा गया। नेपाली साहित्य में प्रथम महाकाव्य रामायण के रचनाकार भानुभक्त का उदय एक महत्त्वपूर्ण घटना है, नेपाल का ऐसा कोई गाँव या कस्बा नहीं है जहाँ उनकी रामायण की पहुँच न हो वस्तुतः भानुभक्त कृत रामायण नेपाल का रामचरितमानस है। इनकी रामायण की कथा अध्यात्म रामायण पर आधारित है। इसमें भी सात काण्ड हैं जो इस प्रकार हैं– बाल काण्ड, अयोध्या काण्ड, अरण्य काण्ड, किष्किन्धा काण्ड, सुन्दर काण्ड, युद्ध काण्ड और उत्तर काण्ड। बाल काण्ड का आरम्भ शिव–पार्वती संवाद से होता है, युद्ध काण्ड में राम का अयोध्या प्रत्यागमन, भरत मिलाप और राम राज्याभिषेक का चित्रण है। जबकि उत्तर काण्ड में राम द्वारा लक्ष्मण के परित्याग के उपरान्त उनके महाप्रस्थान के बाद कथा की समाप्ति होती है। इनके अतिरिक्त रामअधार दास, रामधर दास, गोकुल गिरि, ओरी लाल कुलपति त्रिपाठी, धरनीदास, मंगल कुमार, खेतुबाल, विकलदास आदि कवियों के रामभक्तिपरक पद मिलते हैं।

इस सम्बन्ध में रुद्रेन्द्र नाथ शर्मा लिखते हैं– "नेपाल के संत और कृष्ण काव्य की ही भाँति यहाँ का हिन्दी राम काव्य भी भारतीय हिन्दी राम काव्य के ही अनुकरण पर रचित है। नेपाल का राम काव्य प्रायः उन सभी विशेषताओं से पूर्ण है जो भारतीय हिन्दी राम काव्य मे मिलती है। नेपाल के रामपरक कवियों ने प्रायः तुलसीदास के राम काव्य के अनुकरण पर ही राम काव्य की रचना की है। भारतीय हिन्दी काव्य में सभी रसों का प्रयोग हुआ है, परन्तु नेपाल के राम काव्य में सभी रस नहीं मिलते हैं। इसमें शांत रस की प्रधानता है। भारतीय हिन्दी राम काव्य की तुलना में नेपाल का हिन्दी रामकाव्य अत्यल्प है।" किन्तु तुलना करते हुए हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि नेपाल का राम काव्य जिन कवियों द्वारा रचा गया उनका हिन्दी जगत से अधिक सम्पर्क नहीं रहा है।

भारत में नेपाली भाषा के आगमन के ठोस प्रमाण के रूप में सन् 1815 में अंग्रेज शासित भारत और नेपाल के मध्य युद्धोपरांत हस्ताक्षरित सुगौल सन्धि है, जिसके अन्तर्गत नेपाल को अपना वृहत् भू–खण्ड भारत को सौंपना पड़ा था। उस भू–खण्ड में रहने वाली नेपाली जनता भारत का हिस्सा बन गई। इसके अलावा गोरखा फौज, आजाद हिन्द फौज, सिक्ख फौज, राजघरानों के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध, काशीवास के लिए भारत आना, शैक्षिक कारण आदि भी भारत में नेपाली भाषा के मूल कारण के रूप में सामने आते हैं। सन् 1950 में भारत–नेपाल के मध्य हस्ताक्षरित भारत–नेपाल मैत्री सन्धि ने भी भारत–नेपाल की जनता के लिए आवागमन की खुली सीमा ने दोनों देशों की जनता के आवागमन की क्रिया को सरल बनाया। अनुसन्धान से प्राप्त तथ्य के अनुसार भारतीय नेपाली साहितय की शुरूआत सन् 1744 में कहलुर, हिमाचल प्रदेश के निवासी रघुनाथ भाट की पद्य रचना से होतीहै। यह लेखन अनवरत् रूप से चलता रहा। नवजागरण काल में धरणीधर शर्मा द्वारा रचित निम्नलिखित पंक्तियाँ भारतीय नेपाली जनता में जातीय जागरण के साथ–साथ स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने का आह्वान भी करती हैं :–

"जाग न अब जाग जाग

लाल उन्नति विषे अब लाग
घोर नींद अब त परित्याग
भो भयो जति सुव्यौं अब जागा।"

पश्चिमी साहितय से आई रोमांटिक विचारधारा का प्रभाव सभी भारतीय साहित्य पर तो पड़ा ही साथ ही नेपाल के कवियों पर भी इसका प्रभाव अगमसिंह गिरी, नरेन्द्र कुमाई, वीरेन्द्र आदि की रचनाओं पर दिखाई देता है :–

"कोकिल को कूक सुनिन्छ
हांस्छन मनोरम चाँदनी
सरस संगीत सरिताको
सुनिन्छ मृदुल पवनमा पनि।"

भारतीय नेपाली साहित्य की प्रत्येक विधाओं के ऊपर समीक्षा लिखने के साथ ही साथ इतिहास लेखन का कार्य भी जोर–शोर से किया गा। गद्य साहित्य के साथ–साथ पद्य साहित्य का भी बहुमुखी विकास हुआ। डायरी, रिपोतार्ज, संस्मरण, यात्रा वृत्तान्त जैसी विधाओं की ओर भी रचनाकरों की लेखनी सक्रिय होती दिखाई देती है।

सदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. प्रो0 रामदेव शुक्ल, भारत और नेपाल की सांस्कृतिक एकता, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 2008, पृ0 18
2. डॉ0 रुद्रेन्द्र नाथ शर्मा, नेपाल का हिन्दी साहित्य, प्रिया प्रकाशन, लखनऊ, 2010, पृ0 1
3. वही, पृ0 155
4. डॉ0 रुद्रेन्द्र नाथ शर्मा, नेपाल का हिन्दी राम काव्य, 17 शंकर नगर, लखनऊ, 2010, पृ0 177
5. महानन्द पौड्याल, विचरण आपनै क्षितिज भित्र, पृ0 88
6. सम्पा0 महानन्द पौड्याल, कवि नरेन्द्र कुमाई, कृतित्व व मूल्यांकन, पृ0 30

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 106-109

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में सरकारी नीतियों का योगदान

डॉ. राजेन्द्र कुमार

असि0 प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, संघटक राजकीय महाविद्यालय भदपुरा, नवाबंगज (बरेली)

आज सम्पूर्ण विश्व मंहगाई के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी दिग्गज वैश्विक संस्था को भारत में चमक नजर आ रही है। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान लिया है। यह सब एक दम यूं ही नहीं हुआ है इसके पीछे भारत की दशकों की मेहनत और कार्यशैली है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में बैकिंग व टैक्स के क्षेत्र में अनेक बदलाव किये है जिससे जरुरतमन्दों के खाते में सीधे पैसे भेजे गये हैं। इससे भ्रष्टाचार में गिरावट आई और सरकार का राजस्व भी बढ़ा इसका लाभ आम आदमी को मिल रहा है। आज भारत की विकास यात्रा को सम्पूर्ण विश्व उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है।

सूदृढ़ अर्थव्यवस्था में सरकारी नीतियां :-

चीन पर निर्भरता कम करने पर जोर :- भारत सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे भारत चीन के उत्पादों पर निर्भर नहीं रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग पर लगने वाली टैक्स की दरों को न्यायसंगत बनाया गया है। इससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे अनेक राज्य केन्द्र सरकार के साथ मिलकर उद्योग लगाने की मुहिम में है। इस मुहिम के जरिए सरकार का पूरा फोकस देश में उत्पाद बढ़ाकर आयात घटाने पर है। जिससे देश में रोजगार बढ़ेगा और देश आर्थिक रुप से समृद्ध भी होगा। टैक्स की दरें न्यायसंगत होने से कारोबारियों की पूंजी की बचत होगी जिसका निवेश वे कारोबार को बढ़ाने में कर सकेंगे। देश में स्टार्टअप का भी विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जिससे भविष्य में भारत न केवल स्वयं के लिये बल्कि वैश्विक स्तर पर बड़ा निर्यातक बनकर सम्पूर्ण विश्व में अपने उत्पादों का लोहा मनवाने में कामयाब हो सकता है।

आयात घटाने पर जोर :- सरकार का मानना है कि जिन क्षेत्रों में हमारा आयात अधिक है। सरकार की नीतियों द्वारा उन्हीं उत्पादों की दिशा में आत्मनिर्भर बनने की कवायद की जा रही है। मुख्यतः रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने से भारत सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत होगा साथ ही आयात घटने से खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा भण्डार की भी बचत होगी। इस मुहिम से रक्षा क्षेत्र के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल, दवा, चिप उत्पादन सहित अनेक क्षेत्रों में न केवल प्रोत्साहन दिया जा रहा है बल्कि इनके आयात को भी मंहगा किया जा रहा है ताकि भारत में बने उत्पादों को प्राथमिकता मिलें।

आत्मनिर्भरता का मंत्र :- वैश्विक महामारी के दौरान भारत ने निर्भरता का मंत्र दिया इस दिशा में ऑटोमोबाइल एण्ड ऑटोकम्पोनेन्ट, चिकित्सा उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग एवं फार्मास्युटिकल्स, टैक्सटाइल

सेक्टर, कोविड किट, कोविड वैक्सीन, फूड प्रोडक्ट सेक्टर, सोलर सेक्टर, कैमिकल सेल बैट्री, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलोजी प्रोडक्शन, ए0सी0 एवं एल0ई0डी0 के क्षेत्रों में भारत पूर्ण शक्ति का पदर्शन करेगा। सरकार के मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्वच्छ भारत अभियान, एक जिला एक उत्पाद आदि अभियानों ने एक ऐसा कारोबारी माहौल बनाया जिससे भारतीय उत्पादों को न केवल बड़ा बाजार मिला बल्कि वैश्विक पहचान भी मिली। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में प्रोत्साहन देने से रोजगार के अवसर सृजित होंगे साथ ही स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर होने वाला खर्च भी घटेगा। इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों का विकास होगा और गांव से शहरों की तरफ होने वाला पलायन भी रूकेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन देश के भीतर होगा तो ऐसे में उत्पादों का दाम भी किफायती होने की पूर्ण सम्भावना रहेगी।

मुक्त व्यापार करार :– भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से तेरह देशों (पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, थाईलैण्ड, सिंगापुर, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मालदीब) से मुक्त व्यापार समझौता किया। इस मुक्त व्यापार करार से भारत के उत्पादों को एक निश्चित विस्तृत बाजार उपलब्ध होगा अर्थात यदि भारत में उत्पादन बढ़ेगा तो उसके खरीददार वैश्विक स्तर पर मौजूद रहेंगे। भारत के उत्पाद किफायती दामों में मिलें, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।

पर्याप्त तरलता :– अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बताया कि जून 2019 के बाद से सिस्टम में पर्याप्त तरलता है अर्थात भारतीय बाजार में तरलता की कमी नहीं है। यदि आर्थिक मंदी के हालात बिगड़ते हैं तो इस समस्या को दूर करने के लिये तरलता को बढ़ावा देने की सम्भावना कम है। शेयर बाजार ने अनुमान लगाया कि ''कैपिटल गेन्स टैक्स'' को वापस लिया जाये। शायद इसी बजह से 23 अगस्त 2019 को वह 6 प्रतिशत ऊँचाई पर पहुँचकर बन्द हुआ किन्तु 26 अगस्त 2019 को जब बाजार खुला तो बाजार को बढ़त हांसिल हुई। समयबद्ध जी0एस0टी0 रिफन्ड सरकारी ठेकों का तेजी से भुगतान जैसे कदम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं।

वैश्विक आर्थिक हालात के मध्य भारत :– कोविड–19 महामारी के पश्चात अमेरिकी और यूरोपीय देशों में व्याप्त आर्थिक सुस्ती रूस–यूक्रेन युद्ध से धीरे–धीरे मन्दी में परिवर्तित होने लगी है। इसके नुकसान से सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है लेकिन भारत कुछ मामलों में बेहतर है। यहाँ स्वयं का एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है जिसमें उत्पादन की खपत बनी हुई है और आर्थिक चक्र की गति पश्चिमी देशों की तुलना में बेहतर है जब पश्चिमी देशों के हालात सुधरेंगे तो निर्यात के मामले में भारत अग्रणी राष्ट्र हो सकता है। भारत कई उत्पादों के निर्यात की मजबूती से तैयारी कर रहा है इस दिशा में भारत की कई देशों के साथ करार पर बातचीत काफी आगे बढ चुकी है।

भारत की बदलती सुधरती नीतियों का असर :– भारत की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं जिनके दम पर उसने अपनी महंगाई पर दुनिया के मुकाबले पहले काबू पा लिया है। विगत आंकडों से पता चलता है कि महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक के कम्फर्ट जोन में है जिसकी वजह से आने वाले समय में कर्ज मंहगा होने की रफतार में ब्रेक लग सकता है।

गति शक्ति मिशन :– सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हृए सरकार द्वारा गति शक्ति मिशन को

आरम्भ किया गया। इसमें उत्पादों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की व्यापक योजना तैयार की गई है इससे वैश्विक ग्राहकों को देश के किसी भी जिले से कोई भी सामान मगाना आसान हो जाएगा और उपभोक्ता यह भी जान सकेंगें कि उनका समान कब और कितनी देर में उनके पास पहुंच पाएगा। इसका मकसद उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की लागत को घटाना भी है क्योंकि मौजूदा समय में यह लागत देश की जी0डी0पी0 का 14 फीसदी है जिसे घटाकर 10 फीसदी से कम करने की कवायद की जा रही है। यदि ऐसा सम्भव हुआ तो भारत के उत्पाद अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में सस्ते होंगें। यदि उत्पाद सस्ते हुए तो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा होगा। इससे हमारे देश का कारोबार बढ़ेगा। कारोबार बढ़ने से न केवल रोजगार के अवसर सृजित होंगें बल्कि लोंगों का आर्थिक स्तर भी बेहतर होगा और यदि सब सम्भव हो सका तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था अपने 05 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर सकेगी।

अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहल सराहनीय है। हाल ही मुम्बई के दौरे में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुम्बई के दो दर्जन से अधिक बड़े–बड़े उद्योगपतियों (रिलायन्य, टाटा सन्स, अडानी, गोदरेज, विरला, पिरामल, वेदांता, पालें, हिदुंजा, लोढ़ा एवं रैमकी) के साथ मीटिंग की। उन्होंने अपने रोड शो के दौरान दिग्गज उद्योगपतियों से कहा कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने की राह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है आप यू0पी0 आइए। यू0पी0 में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां निवेश की सम्भावनाएँ न हों। उनका मानना है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस समृद्ध आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है उसकी राह उ0प्र0 से होकर जाती है। यू0पी0 में पोटेंशियल है, विजन है और अपार सम्भावनाएँ भी हैं उन्होनें उ0प्र0 में सभी निवेशकों को जरुरी संसाधन और हर सम्भव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया।

उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि मैं आज आप सभी से यह कहने आया हूँ कि उ0प्र0 में हम आपको हर सम्भव सहायता देंगे, बेहतर माहौल देंगे। बैकिंग संस्थायें हमारी एम0एस0एम0ई0 ईकाईयों, कृषि, एफ0पी0ओ0, स्टार्टअप आदि को मजबूत बनाने में हमें सहयोग दें। आज हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश का उ0प्र0 राज्य अकेले 01 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का यह दौरा सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चार चांद लगाने वाला साबित होगा उन्होंने विभिन्न बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों (एस0रमण, चेयरमैन एण्ड एमडी सिडबी, स्मिता मोहती, जी0एम0, नाबार्ड, आशीष चौहान, एम0डी0 एण्ड सी0ई0ओ0, नेशनल स्टॉक, एक्सचेंज, उदय कोटक, सी0ई0ओ0 कोटक महेन्द्रा, ए0बी0 विजय कुमार, एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अजय खन्ना, एक्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर बैंक ऑफ बड़ौदा, दिनेश कुमार खारा, सी0एम0डी0, एस0बी0आई0, तुलस्यान, सी0ई0ओ0, व एम0डी0, मोती लाल ओसवाल प्राईवेट इक्विटी एडवाइजर्स, गौरव त्रेहन, पार्टनर एण्ड सी0ई0ओ0, के0के0आर0, दीपक गुप्ता, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, कोटक महेन्द्रा बैंक, मनीश जैन, एम0डी0 स्टैण्डर्ड, चार्टर्ड बैंक, प्रशान्त कुमार, सी0ई0ओ0, यश बैंक, राकेश शर्मा, सी0ई0ओ0, आई0डी0बी0आई0, हर्षा बांगरी, एमडी इण्डिया एज्जिम बैंक, तरुण शर्मा, सी0जी0एम0 एण्ड सी0एफ0ओ0, इण्डिया एज्जिम बैंक, रमेश अय्यर, एम0डी0 महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा फाइनेंशियल, कार्तिक रेड्डी, फाउंडर, ब्लूम बेंचर्स) से भेंट की। उनके इस दौरे से प्रभावित होकर हीरानन्दानी ग्रुप के सी0ई0ओ0 दर्शन हीरानन्दानी ने कहा कि हमनें ग्रेटर नोएडा में विश्वस्तरीय डेटा सेंटर पार्क की स्थापना

की है। पूर्ण बर्चुअल प्रोसेस के साथ इतनी बड़ी परियोजना मात्र 24 माह में पूरी हो गई यू0पी0 जो कहता है, वही करता है मेरे मुम्बई के साथियों को यू0पी0 जाना चाहिए। कोटक महेन्द्रा बैंक के सी0ई0ओ0 उदय कोटक ने कहा कि यू0पी0 का ट्रांसफार्मेशन काबिले तारीफ है। सिडबी के एम0डी0 एवं चेरयमैन एस. रमण ने कहा कि उ0प्र0 इंडस्ट्रियलाइजेशन में एम0एस0एम0ई0 मुख्य भूमिका निभा रहा है। एज्जिम बैंक की एम0डी0 हर्षा बांगरी ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस विकास करना है। उ0प्र0 को 01 ट्रिलियन इकोनमी बनाने में बैकिंग समुदाय का सहयोग अपेक्षित है मुख्यमंत्री ने भी ऐसी ही मंशा जाहिर की है। एस0बी0आई0 के सी0एम0डी0 दिनेश कुमार खारा ने कहा कि उ0प्र0 में सेफ्टी व सिक्योरिटी का जो माहौल बना है उससे औद्योगिक घरानों का विश्वास बढ़ा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वापसी पांच लाख करोड़ निवेश के साथ हुई। रिलायन्य इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने यू0पी0 में 5 जी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स की मदद से उ0प्र0 के गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाऐं मुहैया कराने सहित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एवं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया। वहीं अडानी ग्रुप ने पी0पी0पी0 मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ–साथ नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार सरकार व सरकारी नीतियां निरन्तर सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिये अग्रसर हैं।

निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि सुदृढ अर्थव्यवस्था में सरकारी नीतियां कारगर सिद्व हो रही हैं। आज वैश्विक पटल पर मुख्यता अमेरिका और यूरोप की आर्थिक स्थिति उनकी खराब नीतियों की वजह से खस्ताहाल होती जा रहीं हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते वहां सस्ते ईंधन की आपूर्ति पर रोक लगी है। पूर्व में कोविड–19 और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने लम्बे समय से वहां के आर्थिक हालात को खराब करना शुरू कर दिया है इसका सीधा असर मांग, ट्रांसपोर्ट, आवश्यक उत्पादों, कृषि उत्पादों एवं विद्युत उत्पादन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। आलम यह कि यूरोपीय संघ भी कहने पर मजबूर है कि उसके संघ से जुड़े देशों को लम्बे समय तक खराब आर्थिक हालात का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के बीच भारत लगातार प्रगति कर रहा है। वर्ष 2022 की सितम्बर माह की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इस मुकाम को हांसिल करने के लिए अपनी कार्य शैली को बेहतर बनाया है। भारतीय कार्य शैली का नतीजा यह रहा कि भारत का आर्थिक चक्र आज दुनिया के मुकाबले बेहतर ढंग से चल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आँकड़ों में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर आंकी गई, जबकि इस आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर की रही। यदि गत एक दशक की बात की जाये तो भारत इस रैकिंग में लगातार सुधार कर रहा है। भारत 11वें स्थान से सुधार करता हुआ आज चौथे पायदान पर पहुंचा है जोकि अर्थव्यवस्था के लिये शुभ संकेत है।

सन्दर्भ :–

1. दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र।
2. दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र पेज नं0 9 दिनांक 22 दिसम्बर 2022
3. दैनिक जागरण समाचार पत्र।
4. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश रिपोर्ट सितम्बर 2022
5. दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र पेज नं0 17 दिनांक 06 जनवरी 2023

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 110-119

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

डॉ. राजेश मौर्य

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय नेहरू महाविद्यालय, सबलगढ़ जिला मुरैना।

प्रोफेसर डॉ. दिलीप कटारे

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, मुरैना।

सार :-

विश्व के विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह कहीं अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह (एफ.डी.आई.) उन आर्थिक संसाधनों की कमी को पूर्ण करता है जिनकी विकासशील देशों में कमी होती है। इसलिए यह भारत जैसे विकासशील देशों में अत्यधिक उपयोगी एवं कारगर साबित हो सकता है।

भारत ने अपने देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 1970 से वर्तमान तक, अनेक नीतियां व कार्यक्रम संचालित किये है, यह है जैसे :– भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1973 में जारी किया गया मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे वर्तमान में परिवर्तित करके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 2000, भारत सरकार की विदेश नीति आदि।देश में जिस गति से एफडीआई ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है उसके लिए सन 1990–91 का हमारा आर्थिक सुधार कार्यक्रम रहा है। जिसमें हमने उदारीकरण की नीति को अपनाते हुए देश में औद्योगीकरण हेतु लचीली लाइसेंसी व संरक्षणवाद की नीतियों को स्वीकार किया और विदेशी निवेशकों को अपने देश में विभिन्न उद्योगों व व्यवसायियों की स्थापना के लिए आकर्षित किया है। यही कारण है कि आज भारत संपूर्ण विश्व में एफ.डी.आई. की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है। अनेक विदेशी निवेशक और कंपनियां भारत में अपने उद्यम स्थापित करने आ रही हैं और भविष्य में भी इसी प्रकार से आती रहेंगी, ऐसी मनोकामना हम करते हैं।

यह शोध पत्र, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, भारत पर आधारित है जिसमें हम एफडीआई का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए यह देखेंगे कि भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में क्या स्थिति है? क्या भारत ने इस क्षेत्र में अपनी शीर्ष स्थिति दर्ज की है आदि? मुख्य बिंदु :– एफ.डी.आई. प्रवृतियां(1970–2023), प्रौद्योगिकी, आयव रोजगार के अवसर।

प्रस्तावना :-

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उस देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह पूंजी प्रवाह के साथ–साथ तकनीकी, नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित कर श्रम

बल में कौशल व दक्षता उत्पन्न करता है जिससे उत्पादन, आय व रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने चीन जैसा देश है। पिछले 10 वर्षों में चीन की जी.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) में जो वृद्धि हुई है, वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ही परिणाम है। इसलिए भारत में भी एफ.डी.आई. (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जैसा कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि–जिस प्रकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने चीन में चमत्कार किया है, ठीक वैसे ही भारत में भी चमत्कार कर सकता है।[1]

सामान्य शब्दों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वह है जिसके अंतर्गत किसी भी देश का निवेशक किसी अन्य देश में उधोगो, व्यवसायों को स्थापित करने के लिए अपनी पूंजी निवेश करता है, लेकिन इसमें केवल निवेशक ही शामिल नहीं होता बल्कि कोई भी सरकार या संगठन भी शामिल होता है, परंतु यह तभी संभव है जब उस देश कादक्षवकुशल कार्यबल होने के साथ–साथ खुली अर्थव्यवस्था हो, क्योंकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में निवेशक या संगठन या सरकार के पास निवेश करने से लेकर नवीनतम प्रौद्योगिकी, तकनीकी व नवाचारो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की शक्ति होती है।

भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 के तहत देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति प्रदान की है।[2] जैसे ही भारत में तीव्र गति से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई, वैसे ही देश के बुनियादी ढांचे में वृद्धि के साथ–साथ उत्पादन, रोजगार, परिष्कृत प्रौद्योगिकी तथा विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई थी।[3]

भारत में एफडीआई की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब पहली बार 1498 में एक पुर्तगाली वास्कोडिगामा भारत के केरल राज्य में स्थित कालीकट बंदरगाह पर आकर अपना व्यापार आरंभ किया था।[4] इसके बाद अनेक विदेशी लोगों, जैसेरू–डच, फ्रेंच, ब्रिटिश आदि आए तथा अपना व्यापार आरंभ किया था। ब्रिटिश लोगों में सर थॉमस रो पहले ब्रिटिश सम्राट थे।[5] जिनको मुगल भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। तत्पश्चात अंग्रेजों (ब्रिटिश) ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और व्यापार करना शुरू किया था। यह एक प्रकार से ब्रिटिश भारत का पहला रूप था। इसके बाद उस समय से आज तक एफ.डी.आई. में कई परिवर्तन हो चुके हैं तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नामक शब्द एक लोकप्रिय अवधारणा के रूप में प्रकट हो चुका है।

यह शोध पत्र भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अवधारणा पर आधारित है जिसमें हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह देश में कैसे आरंभ हुआ? तथा आज भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की क्या व कैसी स्थिति है?

अध्ययन के उद्देश्य :–

भारत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नामक शोध पत्र के लिए मैंने निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

1. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ एवं परिभाषा को समझना।
2. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की पृष्ठभूमि को समझना।
3. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियों को समझना।

अध्ययन की सामग्री :-

यह शोध पत्र द्वितीय संमको पर आधारित है जिसे पूर्ण करने के लिए मैंने विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध जर्नल तथा इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न वेबसाइटों से सामग्री प्राप्त की है।

उपलब्ध साहित्य का अध्ययन :-

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में जितना भी साहित्य उपलब्ध है वह एफडीआई तथा जीडीपी, क्षेत्रीय प्रदर्शन और बाहरी प्रभाव (निर्यात) जैसे कारकों पर आधारित है।

अग्रवाल और खान ने अपने अध्ययन में दो देशों, भारत और चीन का तुलनात्मक अध्ययन किया है तथा स्पष्ट किया कि–विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से देश का सकल घरेलू उत्पाद प्रभावित हुआ है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि चीन में एफडीआई में 1 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो चीन की जीडीपी में 0.07 की वृद्धि होगी। जबकि ठीक इसी प्रकार से भारत की जीडीपी में 0.02 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आंकड़ो से हमें ज्ञात होता है कि भारत की तुलना में चीन की जीडीपी में कहीं अधिक वृद्धि की संभावना है।[6]

बी.जी.ऐत्केन (1997) ने अपने अध्ययन मेंएफडीआई और बाहरी प्रभाव (निर्यात) को लेकर बांग्लादेश का अध्ययन करके स्पष्ट किया कि–जब से बांग्लादेश में परिधान (कपड़ा) निर्यात के क्षेत्र में कोरियाई बहु–राष्ट्रीय कंपनी ने प्रवेश किया है तब से देश (बांग्लादेश) में अनेक घरेलू निर्यात फर्मों की स्थापना हुई है जिससे यहाँ (बांग्लादेश) का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग बन गया है।[7]

कुमार और कार्तिका ने अपने अध्ययन में क्षेत्रीय प्रदर्शन को शामिल करते हुए स्पष्ट किया कि–आज अधिकांश मेजबान देश क्षेत्रीय प्रदर्शन को महत्व देते हुए अपने क्षेत्र का विकास करने हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उपयोग कर रहे हैं। इसमें न केवल पूंजी प्रवाह शामिल है बल्कि विदेशी प्रौद्योगिकी भी शामिल है। यही कारण है कि वर्तमान में अधिकांश विकासशील देश एफ.डी.आई. का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि यह (एफ.डी.आई.) इन देशों (विकासशील) में आय, उत्पादन, घरेलू पूंजी में वृद्धि तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।[8]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ तथा परिभाषा :-

हम सर्वप्रथम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अर्थ समझेंगे। यह तीन शब्दों जैसेरू–विदेशी, प्रत्यक्ष व निवेश से मिलकर बना है। यहां विदेशी का मतलब किसी अन्य देश से होता है जबकि प्रत्यक्ष को साधारण शब्दों में सीधे अथवा बिना किसी मध्यस्थ के माना जाता है। निवेश को अर्थशास्त्र या वाणिज्य में किसी उधमया व्यवसाय में लगाई गई पूँजी कहा जाता है। इस प्रकार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अभिप्राय हुआ किसी विदेशी व्यक्ति या निवेशक या संगठन या सरकार द्वारा किसी अन्य देश में सीधे या बिना किसी बाधा के वहां के उद्योग या व्यवसाय में पूंजी लगाना। यह पूंजी, लाभ या सर्वाधिक आय अर्जन के उद्देश्य से लगाई जाती है।

हालांकि आर्थिक नीति निर्माताओं व आर्थिक अधिकारियों का कहना है कि एफडीआई के संदर्भ में कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसे आम बोलचाल की भाषा में अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विदेशी पूंजी प्रवाह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह गैर–ऋण उत्पन्न करने वाले धन के स्रोत हैं तथा यह विशेष रूप से एक अच्छी धनराशि की वापसी पर निर्भर करते हैं।[9] एफ.डी.आई. में केवल पूंजी प्रवाह ही शामिल नहीं है बल्कि नवीनतम तकनीकी, प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कौशल, ज्ञान का हस्तांतरण इत्यादि

भी शामिल है।[10]

विकासशील देशों के संदर्भ में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आर्थिक विकास की संजीवनी बूटी कहा जाता है क्योंकि यह पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करके बंद या घाटे में संचालित उद्योगों या व्यवसायों को पुनः संचालित करने में मदद प्रदान करता है। उत्पादन तकनीकी व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है, वहां बंद पड़े आर्थिक संसाधनों को पुनः संचालित करता है। देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। आय, उत्पादन, निवेश, रोजगार आदि आर्थिक कारकों में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए इसे (एफ.डी.आई.) विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि का इंजन माना गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं :-

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (1977) के अनुसार – किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को एक विदेशी उद्यम के प्रबंधन में एक स्थाई हित तथा एक प्रभावी लक्ष्य हासिल करने के लिए स्थापित किया गया।[11]

योजना आयोग के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आम तौर पर विदेशी फंडिंग को उसके लिए पसंद किया जाता है क्योंकि वे गैर ऋण पैदा करने या गैर बासमती होते हैं। उनके द्वारा निवेश पर मिलने वाली धनराशि इस बात पर निर्भर करती है कि निवेशक वित्त पोषित परियोजनाओं में कितनी सफलता हासिल करता है।[12]

आर्थिक विकास संगठन (2008) के अनुसार – एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तब माना जाता है जब एक प्रत्यक्ष निवेशक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की मतदान शक्ति का कम से कम 10 प्रतिशत का मालिक होता है।[13]

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक विदेशी व्यक्ति या निवेशक या सरकार द्वारा किसी अन्य देश में किया गया निवेश है। इसे हम विदेशी उद्यम भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें विदेशी पूजीं शामिल होती है और यह तभी माना जाएगा जब प्रत्यक्ष निवेशक का प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की मतदान शक्ति में 10 प्रतिशत का मालिक हो।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम तथा भारत सरकार की घोषित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, जिसे संक्षेप में एफडीआई नीति का जाता है, के द्वारा प्रबंधित एवं शासित है। इसके लिए यह दोनों (भारतीय रिजर्व बैंक, एफ.डी.आई नीति) समय–समय पर अधिसूचना जारी करती है और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देती है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश :-

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विशेष रूप से विदेशी पूंजी और स्वामित्व को प्रोत्साहित करता है। इसीलिए भारत सरकार ने एफडीआई को अपनाने में काफी समय लिया था क्योंकि हम (भारतीय) अंग्रेजों की गुलामी वाला सबक सीख चुके थे। हम यह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि हमने फिर से कोई भी विदेशी आमंत्रण (धन, तकनीकी, प्रौद्योगिकी) स्वीकार किया तो हम फिर से गुलामी की अवस्था में चले जाएंगे। यही कारण है कि भारत का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में प्रवेश का वर्ष 1970 में माना जाता है।

भारत सरकार ने इस दशक (1970) में देश में विदेशी पूंजी व प्रौद्योगिकी का सहयोग हेतु विदेशी कंपनियों

की वित्तीय एवं तकनीकी मध्यस्थता के लिए वर्ष 1973 में विदेशी मुद्रा अधिनियम सहित एक अत्यधिक जटिल नियामक ढांचा विकसित किया था।[14] जिसके परिणाम स्वरुप नए विदेशी निवेश भारत में स्थापित किए गए थे। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस दशक में विदेशी इक्विटी की सीमा को 40 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था। बाद में उद्योगों के विकास हेतु इस सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया था।[15]

भारत के संदर्भ में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के संबंध में सन 1980 का दशक, वह दशक साबित हुआ था जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने ऐसे देशों से, जो तेल का निर्यात करते थे, व्यापक स्तर पर विधाई प्रतिबंधों में ढील देकर तेल निर्यात के क्षेत्र में कार्यरत विकासशील देशों से उद्योगों में नए उद्यमों की इक्विटी में 40 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई थी।[16] इस दशक में भारत सरकार ने एफडीआई को पूंजी प्रवाह की तुलना में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रमुख रूप से बल दिया था क्योंकि सरकार का यह मानना था कि यदि हमें वैश्विक स्तर पर तकनीकी व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष स्थिति प्राप्त करनी है तो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना अधिक अहम है।

सन् 1988 में भारत सरकार ने देश में व्यापक पैमाने पर एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए एक अति शीघ्र निर्णय लेने वाली समिति की स्थापना की थी, जिसमें इस बात का प्रावधान सुनिश्चित किया गया था कि जो निवेश सरकारी विभागों, विभिन्न मंत्रालयों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त निवेश प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी दी जाए इस समिति द्वारा प्रारंभ में केवल जापान व पश्चिमी जर्मनी के निवेशकों को प्रोत्साहित किया गया था। बाद में फ्रांस, यूके, यूएसए जैसे देशों के निवेशकों को भी शामिल किया गया था।[17] ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद भारत में तेजी से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि हुई थी क्योंकि इसी दशक में व्यापक पैमाने पर देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन हुआ था। जिसने नवीनतम तकनीकी के साथ–साथ विशाल मात्रा में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया, व्यापार और निवेश सेवा में वृद्धि हुई तथा धीरे–धीरे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु निजी क्षेत्रों ने प्रवेश करना शुरू कर दिया था।

सन 1990–91 का दशक एफ.डी.आई.के संदर्भ में देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ था क्योंकि इस दशक में भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी वीनरसिंह राव द्वारा आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीतियों को अमल में लाया गया था। उदारीकरण की वजह से व्यापक पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का आगमन हुआ था जैसा किएजीकैल्वो (1996)ने उल्लेख किया कि–भारत में सन 1990 के बाद तेजी से सीमा पार पूँजी प्रवाह में वृद्धि हुई थी, जिससे विकासशील देश, भारत की रचना (संरचनात्मक ढांचा) भी सार्थक तरीके से परिवर्तित हो गया था।[18] यही नहीं, बल्कि विकासशील देशों की बढ़ती भागीदारी से पोर्टफोलियो में इक्विटी प्रवाह, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बदल गया था। इसी दशक में अर्थात 1991 में भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति जारी की जिसके तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए 35 उच्च उत्पादकता वाले उद्योगों में एफडीआई को स्वतः मार्ग से 51 प्रतिशत की अनुमति दी गई तथा इसके साथ–साथ स्वतः मार्ग के तहत विदेशी तकनीकी सहयोग को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था।[19, 20] जिसका देश के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर लेखकों, सामाजिक–आर्थिक दार्शनिकों सभी, ने दिल से स्वागत किया था क्योंकि सभी देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का समर्थन कर रहे थे। इसी प्रकार के एक विद्वान और लेखक आर वर्मा तथा सलूजा (2018) में उल्लेख किया था कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ना केवल आर्थिक गतिविधियों तथा

रोजगार के अवसरों में वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, बल्कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर उद्योगों व व्यवसायियों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान करता है।[21] भारत में यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वर्णकाल वर्ष 2000 तक सफलतापूर्वक संचालित रहा था।

वर्ष 2000 से 2011 तक भारत में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए एक अहम काल या वर्ष साबित हुआ था क्योंकि इस काल अवधि में कई आमूल–चूल परिवर्तन किए गए थे। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत एफ.डी.आई. को मंजूरी दी गई थी। नवनीत टोपों (2013) के अनुसार–वर्ष 2000 से 2011 की अवधि में बीमा और रक्षा क्षेत्र को 26 प्रतिशत की सीमा तथा दूरसंचार सेवाओं के लिए यह सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई थी, जबकि एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई थी।[22] यही नहीं, बल्कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों जैसे :–लाइसेंसिंग व्यवस्था में छूट, लचीली संरक्षणवाद की नीति, न्यूनतम पूंजीकरण की स्वतंत्रता, इक्विटी पूंजी को बढ़ावा और एफडीआई से संबंधित, जो भी शर्तें थी, उन सभी में लचीली प्रणाली को अपनाया गया था, जिसके परिणामस्वरुप देश में भारी मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहन मिला था।

वर्ष 2012 में भारत सरकार ने यह महसूस किया कि देश के आर्थिक विकास की दर तेजी से बढ़ी है जिसके लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को श्रेय दिया जाता है। इसीलिए सरकार ने एफ.डी.आई. के मानदंडों में पुनः सुधार करते हुए मीडिया, चाय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्रों को शामिल करने की बात की गई थी।[23] देश में इन क्षेत्रों में एफडीआई का रास्ता खुलने से भारत को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि–वर्ष 2000 से 2013 के बीच कुल 8969, 13 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।[24] इस अवधि (2000 से 2013) के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु विश्व के अधिकांश देशों ने भारत में निवेश करना शुरू कर दिया था, जिनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ देश तालिका में दर्शाए गए हैं।

वर्ष 2010 से 2013 की अवधि में विश्व के 10 देशों द्वारा किया गया विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

क्र.	देश	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (यू.एस.ए मिलियन डॉलर में)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत
1.	मॉरीशस	341125	38%
2.	सिंगापुर	90182	10%
3.	यूनाइटेड किंग्डम	80459	9%
4.	जापान	70094	8%
5.	यूएसए	50923	6%
6.	नीदरलैंड	42378	5%
7.	साइप्रस	32328	4%
8.	जर्मनी	25512	3%
9.	फ्रांस	16865	2%
10.	यूएई	11307	1%

Source :- Government of India (2013) FDI statistics, ministry of commerce and industry, Department of industrial policy and promotion.

भारत में वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गई धन राशि एक तालिका में दर्शाई गई है।

भारत में वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक एफ.डी.आई. से प्राप्त की गयी धनराशि

क्र.	वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गयी धनराशि (यू.एस.ए मिलियन डॉलर में)
1.	2013–14	24299.33
2.	2014–15	30930.05
3.	2015–16	40000.98
4.	2016–17	43478.27

Source :- Patil, J. and Purohit, D. (2019) Role of FDI in the Process of economics development; world business economy, Vol.12, March 2019.

भारत सरकार देश में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठा रही है। जैसे :– बीमा मध्यस्थों में 100% कि एफडीआई की अनुमति प्रदान करना, एक वर्ष, 2017 में, एक और नीति, जिसे तीव्रगति अनुमोदन प्रक्रिया, सिंगल विंडो कहा जाता है, को अपनाने के लिए उद्योगों एवं व्यवसायों को अनुमति प्रदान की है। इसी प्रकार वर्ष 2018 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% तक की निवेश अनुमति दी है।[25]

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2020 व 2021 में प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गई धनराशि क्रमशः 64.36 बिलियन डॉलर व 44.4 बिलियन डॉलर प्राप्त की गई है।[26]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास (उद्योग, व्यवसाय) तथा तकनीकी व प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु भारत सरकार सतत रूप से प्रयत्नशील रही है।

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृतियां।

मैंने भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश की प्रवृत्तियों को तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

भारत में वर्ष 1975 से 1987 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गई धनराशि

तालिका नं. 1

क्र.	वर्ष	कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की धनराशि (बिलियन डॉलर में)
1.	1975	87 बिलियन डॉलर
2.	1977	36 बिलियन डॉलर
3.	1979	49 बिलियन डॉलर
4.	1980	79 बिलियन डॉलर
5.	1981	92 बिलियन डॉलर
6.	1982	72 बिलियन डॉलर
7.	1983	6.0 बिलियन डॉलर
8.	1984	19 बिलियन डॉलर

9.	1985	106 बिलियन डॉलर
10.	1986	117 बिलियन डॉलर
11.	1987	142 बिलियन डॉलर

Source :- OECD, Geographical Distribution of financial flows to developing countries, 1989 and Various earlier issues.

तालिका नं. 2

भारत में वर्ष 1991-92 से 2013-14 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गई धनराशि

क्र.	वर्ष	कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की धनराशि (बिलियन डॉलर में)
1.	1991–92 से 1995–96	4488 बिलियन डॉलर
2.	1996–97 से 2000–01	15024 बिलियन डॉलर
3.	2001–02 से 2005–06	30499 बिलियन डॉलर
4.	2006–07 से 2010–11	172126 बिलियन डॉलर
5.	2011–12 से 2013–14	116900 बिलियन डॉलर

Source :- Secretarist for Industrial Assistance, Various FDI Fact Sheets.

भारत में वर्ष 2014–15 से 2022–23 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गई धन राशि इस प्रकार तालिका में दर्ज की गयी है।

तालिका नं. 3

वर्ष 2014-15 से2022-23 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से प्राप्त की गई धनराशि

क्र.	वर्ष	कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की धनराशि (मिलियन डॉलर में)
1.	2014–15	45148 मिलियन डॉलर
2.	2015–16	55559 मिलियन डॉलर
3.	2016–17	60220 मिलियन डॉलर
4.	2017–18	60974 मिलियन डॉलर
5.	2018–19	62001 मिलियन डॉलर
6.	2019–20	74391 मिलियन डॉलर
7.	2020–21	81973 मिलियन डॉलर
8.	2021–22	84835 मिलियन डॉलर
9.	2022–23	22347 मिलियन डॉलर

Source :- RBI's Bulletin for August 2022, 18/08/2022 (Table No.34-Foreign Investment Inflow).

तालिका नंबर 1 में दर्ज आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रारंभिक वर्ष अर्थात 1975 में एफडीआई से प्राप्त धनराशि 87 बिलियन डॉलर थी जो कि वर्ष 1985, 86, 1987 में बढ़कर क्रमशः 106, 117, 142 बिलियन

डॉलर तक पहुंच गई थी। हालांकि इस के मध्य के वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में उतार–चढ़ाव की स्थिति बनी रही थी, लेकिन बाद के वर्षों में देश में अच्छी प्रगति दर्ज की थी।

तालिका नंबर 2 से हमें यह ज्ञात होता है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में उक्त सभी वर्षों में बढ़ती हुई दर से प्रगति हासिल की है। इसका कारण हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम (वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण) रहा है, जिसमें हमने विशेष रूप से एफडीआई को आकर्षित करने के लिए उदारीकरण की नीति को अपनाया और विश्व के लगभग सभी देशों के लिए हमने अपने देश में विभिन्न उद्योगों व व्यवसायियों को स्थापित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का दरवाजा खोला, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण देश में स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं।

तालिका नंबर 3 में भी भारत एफडीआई के मामले में अपनी अच्छी स्थिति में रहा है। इस तालिका में ऐसा कोई भी बरस नहीं है जिसमें हमने बढ़ती हुई दर से एफडीआई ना प्राप्त की हो। अर्थात उक्त सभी वर्षों में एफडीआई के क्षेत्र में बढ़ती हुई दर से धनराशि अर्जित की है।

भारत का एफ.डी.आई. के क्षेत्र में जबरदस्त प्रयास इस बात की ओर इशारा करता है कि हमने एफ.डी. आई. के क्षेत्र में कितनी अधिक प्रगति हासिल की है यह हमारे विकास के स्तर को दिखाता है और यह व्यक्त करता है कि हमारा देश तेजी से विकास के स्तर के पैमानों को छु रहा है। इसलिए आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवें स्थान पर आ गई है और अब वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व में प्रथम स्थान पर होगा।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हालांकि भारत ने बहुत समय बाद अपने देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया था। लेकिन फिर भी यह कहा जा सकता है कि भारत ने जिस दर से या धनराशि की दृष्टि से, एफडीआई के क्षेत्र में अपनी प्रगति दर्ज की है, काबिले तारीफ है। इसके लिए न केवल भारत सरकार प्रशंसा के पात्र है बल्कि हमारे देश के उद्योगपति, व्यवसाई व निवेशक भी जिम्मे भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण क्षमता व योग्यता के बल पर देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने में पूर्ण सहयोग दिया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश न केवल देश के आर्थिक विकास के स्तर को बढ़ाता है बल्कि नवीनतम तकनीकी व प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित करता है जिससे देश में उत्पादकता के स्तर में वृद्धि होती है, कौशल व दक्षता को प्रोत्साहन मिलता है, नए–नए उद्योगों व व्यवसायों की स्थापना होती है और देश में आय के स्तर में वृद्धि के साथ–साथ नौकरियों का सृजन होता है। यही कारण है कि भारत में सतत रूप से एफडीआई के क्षेत्र में एक उच्च प्रगति हासिल की है और भविष्य में भी इस क्षेत्र में उच्च स्थिति प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना हम करते है।

Reference :-

1. Indian Express, November 11, 2005.
2. Role of FDI in the Economic Development of India. (www.tradingbell.com), 10 April, 2018,
3. https://www.fdi.finance/blog/role&of&fdi&in&indian&growth.
4. Dr. Hiremath, B.M. and Patil, R. (2021) Impact of FDI on Indian Economy; An International Journal of Creative Research Thought; Vol.9, Issue 10, October 2021.

5. IBID.
6. Basu, P. Nayak N.C. Archana (2007) Foreign Direct Investment in India :- Emerging.
7. Aitken, B.G. Hanson and A.E. Harrison (1997) Spillover, Foreign Investment and Export Behavior; Journal of International Economics, 43, PP.103-132.
8. Horizon, Indian Economic Review, Vol. XXXXII, No. 2.
9. FDI, as defined by the Oxford dictionary is investment by a company in a country other than that in which company is based.
10. Planning Commission of India; 2002, Report of the Steering Group on Foreign Direct Investment :-Foreign.
11. International Monetary Fund (1977) Balance of Payments Manual; (Washington D.C. IMF, 4th Edition)
12. Singh, S. (2019) Foreign Direct Investment (FDI) Inflows in India; 41-53.
13. OECD, (2008) OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th Edition, Organization for Economic Cooperation and Development.
14. Kumar, K.P. (22 May 2013) Foreign Direct Investment in India : Some Emerging Trends; Munich PersonalRePEc Archive, MPRA Paper No. 47143, 22 May 2013.
15. Toopo, N. (2013) Role of FDI in India : An Analysis All Telecom, Automobiles and IT/ITES Sector, Novel Publishers, Low Book Publisher, 2013.
16. To see The Reference Number (14)
17. To see The Reference Number (14)
18. Calvo, G.A. Leiderman, and C.M. Reinhart (1996) Inflows of Capital to Developing Countries in The 1990's; Journal of Economic Prospects; 10 (2) 123-139.
19. CDS-KN Raj Library; India FDI Inflows Trends and Concept, Posted on February 25, 2011, by : Anita.
20. K.S. Chalapati Rao and Biswajit Dhar, India FDI Inflows Trends and Concept, by Institute for Study in Industrial Development Working Paper No. 2011/01.
21. Verma, R. and Saluja, R. (2018) A Study of Impact of FDI and Investment by Fii on Economic Growth of India, 8 (2) 54-61.
22. To see The Reference Number (15)
23. Pradipbhai, N.P. (December 2013) Role of FDI in Indian Economic Development; PARIPEX: - Indian Journal of Research, Vol.2, Issue 12, December 2013.
24. IBID.
25. Patil, J.- Purohit, D. (2019) Role of FDI in the Process of Economic Development, World Business Economy, Vol.12 (1), March 2019.
26. https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/foreign-direct-investment.

Email-id : dr.rajeshmourya1973@gmail.com
मो. 7974026551

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 120-126

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मूलनिवासी और विस्थापन का ज्वलंत प्रश्न

डॉ. राम शेख पंडित

सहायक प्राध्यापक, जे.के. कॉलेज, बिरौल, दरभंगा।

विस्थापन और पुनर्वास दोनों कम–से–कम पर्यायवाची तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे देश में दोनों आदेश एक ही मंत्रालय की कोख से निकलते हैं जहाँ विस्थापन का वकालत बड़े ही मुखरता के साथ सरकार और कॉर्पोरेट घराने के अनुषांगिक अनुभाग, मीडिया, चैनल, प्रवक्ता, प्रिंट–मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक–मीडिया, शासन–प्रशासन और तथाकथित प्रबुद्ध विशेषज्ञ बड़े ही जोर–शोर से करते हैं। वही पुनर्वास का जब प्रश्न आता है तब भरोसा दिलाते हैं या फिर अनंत मौन धारण कर अपने उत्तरदायित्व का पालन बड़े ही अनमने और शब्दजाल के साथ करते दिखते हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश अपने विकास नीति का कार्यान्वयन अपनी समतामूलक नागरिक अधिकार के नीतियों को ध्यान में रखकर करता है, पर आजादी के इस 'अमृत–महोत्सव' काल और 70 वें दशक के बाद कुछ मुट्ठी भर लोगों के हित साधक एवं विकास को ध्यान में रखकर, खासकर के 'आदिवासियों का विनाश' की कीमत पर मुख्यधारा का विकास हो रहा है।

'भारत में आदिवासी जनसमूहों का विस्थापन व पलायन तो ऐसे सदियों पहले से ही जारी है, परंतु इधर विकास के नाम पर बरती गई नीतियों के कारण वे केवल अपनी जमीनों, जंगलों, संसाधनों व गांव से ही बेदखल नहीं हुए बल्कि उनके नैतिक मूल्यों, नैतिक अवधारणाओं, जीवन शैलियों, भाषाओं एवं संस्कृति से भी उनके विस्थापन की प्रक्रिया तेज हो गई। इस विस्थापन में सरकारी हस्तक्षेप व नीतियों के साथ–साथ तथाकथित मुख्यधारा के समाज द्वारा उनके संसाधनों पर कब्जा करके उन्हें बेदखल कर देना भी उनके विस्थापन व पलायन का मुख्य कारण रहा है।'[1]

आदिवासी जीवन में 'विस्थापन' जैसा की व्यवस्था ने उनके लिए 'नियत' ही बना दी हो! विस्थापन जैसा कि शब्द ही 'क्रूर' हो! ऐसा लगता है–एक अज्ञात और खौफनाक भय अपनों से बिछुड़ने का टिस देंगे। विस्थापन सिर्फ व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों–समाजों के समूह का ही नहीं होता, यह कटकर टूटना होता है अपने जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर। वे टूट जाते हैं अपने परिवार, समाज, जल–जंगल–जमीन, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, विचार एवं उससे भी बढ़कर अपनी 'जननीजन्मभूमिश्चस्वर्गादपिगरीयसी' के उन तमाम भावनात्मक–यादृच्छिक संवेदनाओं से। जब एक व्यक्ति, परिवार या समाज अपनी मातृभूमि से पृथक होता है, कटता है, टूटता है तो उसके सामने जो सबसे क्रूर और वीभत्स समस्या आती है वह रोजी–रोटी, कपड़ा और मकान का, अपने बच्चों के परवरिश का, बूढ़े माता–पिता एवं नवजात शिशु के देखभाल का, अपने समाज और रिश्तेदार का, जिनके साथ वे पुस्त–दर–पुस्त भावनात्मक और सरोकारी संबंध में रहा होता है का दर्द। इन सबको कुठाराघात करता है

विस्थापन का दंश! उन्हें सामना करना पड़ता है नए मुसीबतों से, व्यवस्थाओं से, अपरिचित और अज्ञात लोगों से, नए परिवेश, माहौल, समाज, लोग, संस्कृति, भाषिक आक्रामकता का। उन्हें बाहरी बनकर अभिशापित होकर रहना पड़ता है अपने ही देश मे, तथाकथित मुख्यधारा के समाज में।

हम आज से 4–5 पीढ़ी पहले तो आदिवासी ही थे। हाँ, यह सच है कि सभ्यता की इस विकासात्मक दौड़ में भागते–भागते तथाकथित मुख्यधारा में हम आ पहुँचे और उनके भाग्य ने विस्थापन का दर्द जाने–अनजाने में दे डाला। संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा देश के आदिवासियों की ओर से बोलते हुए कहते हैं, 'मैं सभा से कहना चाहूँगा कि अगर देश में कोई सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार का शिकार हुआ है तो हमारे लोग हैं। पिछले 6000 सालों से उनकी उपेक्षा हुई है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ। उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहां बैठे हैं बाहरी हैं घुसपैठिए हैं।'[2]

चतुर्वर्णिक सामाजिक व्यवस्था में आदिवासी समाज न अस्पृश्य है, न सीमांत पर, नही पंचम वर्ण। उन्हें व्यवस्था और नियति ने सुदूर वनों–जंगलों और गिरी–कुहरों में रहने के लिए विवश कर दिया था। वे प्रकृति के सानिध्य में मुख्यधारा के समाज से बहुत दूर कटे रहकर अपनी पहचान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने समाज को एक नए आकार–प्रकार दिया है, लेकिन जब ये कुछ व्यवस्थित होकर रहने लगे तब मुख्यधारा के तथाकथित सभ्य आक्रांताओं को यह बात पसंद नहीं आई। तब उन्हें खदेड़ने या विस्थापित करने की सिलसिला जारी कर दी गयी। वे लगातार खदेड़े गए–युद्ध के नाम पर, देवासुर संग्राम के नाम पर, आर्य–अनार्य युद्ध के नाम पर, उससे भी बढ़कर राक्षस के नाम पर, निशाचर–प्रेत–वानर–किन्नर– असभ्य न जाने क्या–क्या कहकर। 'ग्लोबल गांव के देवता' में रणेन्द्र लिखते हैं, 'हम वैदिक काल से सप्त सिंधु के इलाके से लगातार पीछे हटते आजमगढ़, शाहाबाद, आरा, गया, राजगीर से होते हुए वन–प्रांत रकी कट, पौण्ड्रिक को कराह या चुटिया नागपुर पहुंचे। हजारों सालों में कितने इंद्रो, कितने पांडवों, कितने सिंगबोंगा ने कितनी–कितनी बार हमारा विनाश किया, कितने गढ़ध्वस्त किये, उसकी कोई गाथा किसी इतिहास में दर्ज नहीं है। केवल लोग कथाओं में, मिथकों में हम जिंदा हैं।'[3]

औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने अपनी पश्चिमी 'औद्योगिक क्रांति' को सफल बनाने के लिए उन सहृदय प्रकृति प्रेमी एवं आदिम सन्तानों को उनकी 'माँ' रुपी जंगल को सफाया कर खदेड़ा। जंगल के संसाधनों पर उनकी कुदृष्टि ने उन्हें विस्थापित होने पर मजबूर किया। बड़े–बड़े पुराने और विशाल पेडों और मजबूत लकड़ियाँ– सखुआ, शीशम, देवदार आदि लकड़ियों को काटकर अपने व्यापार के रास्ते 'रेलवेकरण' को सफल बनाने के लिए जंगल के क्रूर और निर्मम कानून लाए। जंगली संसाधनों को हड़पने पर भी आदिवासी जीवित है, कारण था वे अपनी भूमि, संस्कृति एवं आवासीय जल–जंगल और जमीन पर डटे थे। पर व्यवसायी शासक अंग्रेजों की लालची नजर उनके जंगली संपदा के साथ–साथ उनकी उपजाऊ जमीन, वनसंपदा, खनिज–खदान युक्त रतन गर्भा जमीन पर पड़ी। अपने पाल्य पुत्रों–जमींदार, महाजन एवं साहूकारों को उनके इलाके में लाकर बड़ी चतुराई से अपने तिनों हथियार– 'स्थाई बंदोबस्ती, रैयतवारी और महलवारी जिनसे अंग्रेज शासकों ने भारत की एक–एक इंच जमीन को हड़पना शुरू किया। उन्होंने जमीन से किसानों को हटाकर जमींदारों को बसाया। सूदखोर महाजन किसानों की पीठ पर सवार हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं था 'कोरफाबिली' प्रणाली ने उन्हें ऐसे लोगों की प्रजा बना दिया जो खुद भी प्रजा थे, अब जमीन उनकी नहीं थी। सैकड़ों वर्षों से जो जमीन गांव

की सामूहिक संपत्ति थी उसका नए कृषि कानूनों ने विघटन कर दिया। इस आशा के आश्वासन दिए गए की जमीन के बारे में सरकार के दावे सीमित होंगे वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं था।'[4]

भारतीय किसानों, मजदूरों एवं खेतिहर लोगों के लिए अंग्रेजों ने 1793 की 'स्थाई बंदोबस्त' की व्यवस्था की। आदिवासियों की जमीन हड़प कर जमींदार, महाजन गट्टीदार एवं दीकूओं को दे दी गई जिनकी जानकारी आदिवासियों को दूर तक नहीं थी। वे कानून के नजरों में अपनी जमीन खो चुके थे, विस्थापित हो चुके थे। अब उन पर टैक्स लेने का खेल अंग्रेजों ने अपने पाल्य–पुत्रों के माध्यम से जमींदारों के माध्यम से, सामंत–महाजन एवं शातिर दीकूओं के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से शुरू की। उसी का प्रतिरोध तिलकामांझी का 1771 से 1794 का ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबी और कभी ना समर्पण करने वाली लड़ाई रही। फिर संस्थान 'हूल' 1955। फिर बिरसा का 'उलगुलान' इस सबों के पीछे जमीन, लगान एवं विस्थापन ही रहा है। अंग्रेजों द्वारा धातुओं की चमकती सिक्कों के प्रचलन ने आदिवासियों की 'वस्तु विनिमय' प्रणाली को बिगाड़ डाला। देशी–विदेशी औपनिवेशिक दीकूओं ने चमचमाते सिक्कों का प्रलोभन देकर आदिवासियों के खाद्यान्न को खरीद कर कृत्रिम आकाल को भी उत्पन्न कर देते थे और इसी को हथियार बनाकर दिकू जमींदार, महाजन एवं साहूकारों ने आदिवासियों को कर्जे की भारी भरकम बोझ तले दबाकर उनसे उनका जमीन, जंगल–भूमि हड़प लिया। उन्हें जमीन से विस्थापित कर डाला। 'घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा रहा कि छोटे किसान अनिवार्य रूप से भयंकर कर्जे में दबते चले गए और अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिए जाने के बाद वे खेतिहर मजदूर बन गए साथ ही इसी प्रक्रिया के जरिए इन मजदूरों को 'बंधुआ' मजदूर बना दिया लिया।'[5]

उस समय विदेशी औपनिवेशिक साम्राज्यवादी गोरे सरकार अपने हित–स्वार्थों को ध्यान में रखकर बनाया गया 'भूमि अधिग्रहण कानून' आज इस बहुराष्ट्रीय निगमों की खुलकर मदद कर रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की चकाचौंध में सरकारों को आदिवासियों की जिंदगी पर छाया अस्तित्व रक्षा का संकट नजर नहीं आ रहा। सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है। इस जमीन के साथ आदिवासी समाज की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, धार्मिक सांस्कृतिक मान्यतायें और पूर्वजों की यादें जुड़ी है। यह जमीन उनके 'मांगेरूपोराब' और 'बा पोराब' की क्रीड़ा स्थली है। उनके 'बुरू बोंगा' और 'सिंगबोंगा' इसी जंगल पहाड़ों में निवास करते हैं। उनके पूर्वजों उनकी 'ससंदिरी' में सोए हुए हैं। अगर जंगल नहीं बचेगा तो उनका 'जोहार थान' भी उनके हाथों से निकल जाएगा फिर वह कहाँ अपने 'बोगाओं' की पूजा करेंगे।'[6] आज उनके सामने उनके सांस्कृतिक विस्थापन की खतरा मुँह बाए खड़ी है वह जाए तो जाए कहाँ? आज जंगल उनके लिए सुरक्षित नहीं है क्यों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह उत्तर आधुनिक युग है। पहले देवताओं की आंखेंउन्हें ढूंढ लेते थे, आज यंत्रों की आंखें उनकी कमजोरियों को ढूंढ लेते हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं उनके प्रकृति का दोहन का सवाल है।

रणेंद्र 'ग्लोबल गांव के देवता' में लिखते हैं कि सामान्य तौर पर इन आकाश चारी देवताओं को जब अपने आकाश मार्ग से या सेटेलाइट की आंखों से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों की खनिज संपदा जंगल और अन्य संसाधन दिखते हैं उन्हें लगता है कि अरे इन पर तो हमारा हक है। उन्हें मालूम है कि राष्ट्र–राज्य तो वही हैं तो हक तो उनका ही हुआ। वे इन खनिजों पर जंगलों में घूमते हुए लंगोट पहने असुर, बिरिया हो, मुंडा आदिवासी, दलित सदन दिखते हैं तो उन्हें बहुत कोफ्त होती है। वह इन कीड़े मकोड़ों से जल्द निजात पाना चाहते हैं तब इन इलाकों में झाड़ू लगाने का काम शुरू होता है।'[6] (ग्लोबल गांव के देवता पृष्ठ

संख्या 93) किसके माध्यम से यह कोई छिपी बात नहीं है।

खदेड़े जाने की आदि प्रक्रिया के क्रम में आदिवासियों का स्थान समाज के सीमांत से बाहर सुदूर जंगलों के अंचलों में किसी तरह नसीब हुआ। उन्हें क्या पता था की जिस सुदूर अंचलों को, प्राकृतिक वातावरण को हम चुन रहे हैं वह सही अर्थों में पृथ्वी की 'रत्नगर्भा–रूपनी' साबित होगी, और आने वाले दिनों में एफ डी आई के ग्लोबल सौदागरों के द्वारा राष्ट्र के विकास के नाम पर उन्हें साजिशन विस्थापित या खदेड़ दिए जाएंगे। एक ओर आदिकालीन अमानवीय मिथकों से उन्हें सामना करना पड़ रहा है जो उनके चेहरे पर राक्षस, निशाचर, वानर, यक्ष व किन्नरों आदि के रूप में चस्पा है। दूसरी ओर उन्हें अपने अस्तित्व के लिए देवासुर के रूप में प्राणों की आहुति देने से लेकर वर्तमान समय में तथाकथित लोकतांत्रिक ढंग से उन्हें विस्थापित करने के लिए सरकार देशी–विदेशी कॉर्पोरेट लोभियों के द्वारा उन्हें विस्थापित करने की अंधाधुन प्रक्रिया अपनाए हुए है। प्रमोद मीणा लिखते हैं, 'भूमि अधिग्रहण के कारण स्वतंत्र्योत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के चलते प्रतिवर्ष 5 लाख लोग अपनी भूमि से खदेड़े जाते हैं। आज भूमंडलीय निगमों के निरंकुश उत्पीड़न से नव–उपनिवेशवादी दौर में ये आंकड़े खतरनाक स्तर को छूने लगे हैं। जल–जंगल–जमीन पर पूर्णतः निर्भर आदिवासियों की तादाद इन विस्थापित लोगों में सर्वाधिक सोचनीय है। यह आदिवासी समुदायों की त्रासदी ही है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध होना ही उनकी जमीन के लिए अभिशाप का कारण बन गया।'[7]

प्रख्यात आदिवासी लेखिका महाश्वेता देवी जी 'चोटी मुंडा एवं उसके तीर' में लिखती हैं, 'उनका मन टूट गया। उसके मिट्टी खोदने पर कोयला अभ्रक क्यों निकलता हैं और साथ ही साथ आ पहुंचते हैं अंग्रेज–बंगाली–बिहारी लोग। इसका कारण क्या है? उसे कहीं शांति से रहने को क्यों नहीं मिलता? वह कैसी ही निर्जन जगह क्यों न जाए, वहाँ की मिट्टी के नीचे कुछ–न–कुछ जरूर निकलता है और वहाँ अच्छी–खासी बस्ती बन जाती। उसकी मुंडा धरती और भी छोट्टी हो जाएगी। उसे तो कुछ नहीं चाहिए बस एक छोटा–सा गाँव हो, जहाँ सब वाशिंदे आदिवासी हो– हरम देवता की पूजा करने वाले। पहान के अनुगत।'[8] आखिर चोटी मुंडा जैसे सहृदय प्रकृति जीवी के लिए यह धरती बसने के लिए छोटी क्यों पड़ जाती है? क्या प्रागैतिहासिक काल से इन्होंने इस धरती को अपनी माँ के समान प्यार नहीं किया है, अपने नस्लों–अग्रजों को आगे नहीं बढ़ाया है, भले ही वह आज विकास के दौड़ मेंआदिम जीवन ही क्यों न जी रहे हों? बढ़ाया है। आज उन्हीं के विशाल पेड़ की अनेक शाखाएं मुख्यधारा के रूप में विराजमान है। आज उन्हीं के सन्तान अपने आप को विकसित एवं उत्तर आधुनिकता के वशिंदे बताते हैं। वे धरती की गोद में तो जरूर बसे हुए हैं, लेकिन अपने चारों तरफ कंक्रीट का जंगल खड़ा कर यह देख कर खुश भी हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारा अंतिम ठहराव कहाँ पर होगा? उन्हें पता नहीं है मानवीय सभ्यता को विनाश से कौन बचा सकता है, क्या बचाने वाले के लिए यह धरती छोटी पड़ जाएगी? कहीं हम अपने आदिम पूर्वजों को विस्थापित करते–करते अपना विस्थापन का अर्थ ही न खो दें!

यह आकाशचारी देवताओं और ग्लोबल गांव के तथाकथित सभ्य लोगों ने आदिवासियों के जीवन को दुर्भाग्य में धकेल दिया। दुर्भाग्य देखिए इन बेचारे आदिवासियों के जीवन में कि जहाँ वे रहते है हैं, खनिज संपदा अच्छे मिलते हैं कोयला, अभ्रक बॉक्साइट, लौह–अयस्क आदि अभागे आदिवासियों के पहाड़ों–जंगलों में छुपा पड़ा है, जो आज इनको जीना दूभर कर डाला है। आज देशी–विदेशी एफडीआई वाले कॉरपोरेट दिकूओं–व्यापारियों की बुरी नजर इनके जंगली संसाधनों पर लगी है जिनका खामियाजा इन्हें विस्थापित होकर,

तथाकथित विकास के रूप में देना पड़ रहा है। 'एक अनुमान के मुताबिक 90 के दशक तक 13.3 लाख आदिवासियों को विभिन्न विकास परियोजनाओं के चलते अपने पुरखों की जमीन से बेदखल किया जा चुका था और उनमें 3.13 लाख लोग अकेले खनन के कारण अपनी जमीन से, अपनी जीवन स्रोतों से वंचित हुए हैं।'[9]

आज विस्थापित आदि संतानों के पुनर्वास के नाम पर सरकारी संवेदनाओं के झुनझुने मिलते हैं। सहृदय और अनपढ़ आदिवासियों को विस्थापन के बदले जेल और मौत मिलती है या फिर रेल पटरियों के किनारे झुग्गी–झोपड़ियों के नाम पर स्वयं का पुनर्वास। जो कभी जंगलों के अस्थाई वासी भू–पति, कभी किसान बाद में विस्थापित 'बंधुआ' मजदूर, खेतिहर मजदूर एवं फिर भीखमंगे बना दिए गए। यही है तथाकथित मुख्यधारा के तथाकथित स्वर्णिम विकास का स्वर्णिम पुनर्वास योजना! 'सावधान नीचे आग है' उपन्यास में संजीव लिखते हैं की चंदनपुर कोयला खदान दुर्घटना की हृदय विदारक दृश्य दिखाया है, जब मानवीय लापरवाही के कारण खदान दुर्घटना होती है और 'पिट' के अंदर 'ड्राइवेज' में पानी भर जाने के कारण 900 रिकॉर्डडेड मजदूरों की मौत हो जाती है, तब सत्तारूढ़ शासक दल जांच कमीशन के नाम पर लाश के ऊपर राजनीति करती है। यह व्यवस्था से मिलकर मौत का सौदागर बन जाता है और अपने रिपोर्ट में सिर्फ 351 मजदूरों की मौत दिखाकर सारे मुआवजे की राशि का बंदरबांट कर लेते हैं। यही है असली पुनर्वास। और उधर आदिवासी जीवन चीत्कार के साथ वातावरण को मार्मिक बना रही है। कमीशन के सामने आदिवासी माँ–बहनें अपने पालकों और संतानों, कमौउआ पुत्रों के लिए, रिश्तेदारों–समांगों के लिए उनसे जोहार कर रही है। मुआवजे के लिए प्रार्थना कर रही है। उन्हें पता है कुछ मिलेगा तो हम अपने नस्लों को पोश–पाल सकेंगे। 'औरतें छाती पीट रही है, बच्चे चीख रहे हैं। कुछ औरतें जमीन पर लोट रही है, कुछ बेहोश है, कुछ सीधे चाणक में कूदने को दौड़ती है। जाँघे खुली, खुले झूलते स्तन, छितराये–केश–कपालिनी देवी की सैकड़ों जोगनियाँ ! मोटे–रस्से से ठेलने पर पिलपिलाते पानी में भीड़ गिरती है बार–बार।'[10]

इससे किसे फर्क पड़ेगा? समाज को, व्यवस्था को, सरकार को, कॉर्पोरेट ... किसी को नहीं फर्क पड़ेगा क्यों, क्योंकि यह असुर हैं, राक्षस हैं, आदिम हैं, बर्बर हैं। भले ही उनकी आकृति मनुष्य से मिलता हो, ब्लड ग्रुप मिलता हो, मुख्यधारा के लोगों की तरह आँख, मुंह, कान, जबड़ा हो, लेकिन है तो अनपढ़–गँवार, असभ्य और प्रकृति पूजक ही न! और प्रकृति पूजने के कारण, प्रकृति से प्रेम करने के कारण पिछड़े हैं। उन्हें तो हाईटेक होना चाहिए था। तभी तो मैंला आंचल के गांव वाले साथ में बलदेव भीषकि संस्थान बाहरी लोग हैं और उसे अपनी जमीन से खदेड़ दिया जाता है, संस्था लोग तहसीलदार बिसनाथ प्रसाद के 40 बीघवा वाले बीहन के खेत में मारे जाते हैं। 'आश्चर्य है जो यहां के मूल निवासी है, वे बाहरी कैसे हो गए? कहीं 1793 ई. की 'स्थाई बंदोबस्ती' का असर तो नहीं या फिर जाति–वर्ण और स्तरीकरण का खेल तो नहीं? आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है मिथकों के सहारे, भाषा–संस्कृति के सहारे, जल–जंगल और जमीन के सहारे और यह सभी कार्य दशी–विदेशी औपनिवेशिक सत्ता के सत्ता–तंत्र के गठजोड़ के सहारे कॉरपोरेट, मीडिया, दलाल एवं सत्ता–पोषित दिकूओं के सहारे हो रहे हैं। उन्हें बेदखल किया जा रहा है लोक–मानस के बीच से। अब बौद्धिक–अकादमिक जगत भी उनके प्रति वाइस रखने लगे हैं। अवधारणा बना रखा है उन्होंने कि 'आदिवासी समाज एक आदमी समाज है, वह बर्बर और पिछड़ा है, वंचना का शिकार है, आदिवासी समाज एक खत्म होता हुआ समाज है, उसे हर हालत में खत्म हो ही जाना चाहिए। भौतिकता और आंधी भौतिकता दोनों स्तरों पर आदिवासी समाज विकास

से कोसों दूर है। आदिवासियों के पास सुधर कुछ भी नहीं है जो भी है रफ और मनगढ़ है। आदिवासी जुबान विहीन है, वॉइसलेस है, आदिवासियों के बारे में यह पूरी अवधारणा संकट से उपजाई गई है।'[11]

आज आदिवासी को मुख्यधारा के प्रमुख बुद्धिजीवियों द्वारा 'वनवासी' कहा जा रहा है, वे प्रकृति पूजक होते हैं, सामूहिकता उनकी सबसे बड़ी हथियार है। लिंग भेद का जहां प्रश्न ही नहीं उठता है। आज उनकी सामूहिकता से विस्थापित मुख्यधारा में स्तरीकरण की सबसे बड़ी औजार 'जाति' में डालकर किया जा रहा है। उन्हें जबरन जाति–प्रथा की बंद दीवारों में कैद कर विस्थापित कर शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ उन्हें एकाकीपन, संत्रास, गरीबी, भय, भुखमरी और भेदभाव के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। अनुज लुगुन लिखते हैं– 'उदारवादी दौर में जितनी तेजी से कॉलोनियों और औद्योगिक शहरों का विस्तार होना शुरू हुआ है उतनी तेजी के साथ आदिवासी समाज का उपनिवेशीकरण तेज हुआ है। नव–उदारवादी भारत की कथित विकास की परिभाषा में आदिवासी समाज के प्रति भयानक संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। इस कथित विकास ने अब सीधे रूप में आदिवासियों की ओर उनके स्वर को सुनना बंद कर दिया है। अब आदिवासियों के लिए एक ही बात सामने है कि यदि आप सहमत हैं तो हमारे साथ 'हाँ' मिलाइए अन्यथा आप 'देशद्रोही' समझे जाएंगे क्योंकि आप देश के विकास में बाधक हैं। हाल के दिनों में सरकार द्वारा लाया गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश और साथ ही नक्सलियों के नाम पर चलाये जा रहे ऑपरेशन 'ग्रीन हंट' इसका ताजा उदाहरण है।'[12]

यह समाज हमेशा सामूहिकता में जिया है और सामूहिकता में ही रहकर प्रतिकार भी किया है। संविधान के डिबेट में जयपाल जी ने कहा कि श्हम सब तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमें बराबरी का हक नहीं मिलता 'रमणिका जी' 'आदिवासी विकास से विस्थापन' के संपादकीय अंश में लिखती हैं, 'आदिवासी और जनजातीय लोग जिनकी आबादी 7 करोड़ से भी ऊपर है क्रूर पूँजीवादी और अर्धसामंती शोषण के शिकार हैं, जमीन उनके हाथ से निकल गई है, जंगल के अधिकार छीन गए हैं और वे ठेकेदारों तथा भू स्वामियों के लिए सस्ती और बंधुआ मजदूर के स्रोत बन कर रह गए हैं। पूँजीवादी, भू–स्वामी, ठेकेदार गठजोड़ इनके नेतृत्व को कुछ रियायतें देकर उनकी परंपरागत एकजुटता को भंग करने की कोशिश करके उनके जायज अधिकारों से न केवल उन्हें वंचित करता है उन्हें बर्बर ताकत के साथ कुचलता भी है।'[13]

इस प्रकार से आदिवासी औपनिवेशिक काल से ही देशी और विदेशी–सत्ता शोषण के शिकार रहे हैं। वे एक साथ कई मोर्चे पर शोषण से जूझते आ रहे हैं। आज के युग में उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से उनका सब कुछ लूट कर फुटपाथ के भीखमंगे बना दिए जाने की योजना बंद कमरे में लिखा जा चुका है। और इस योजना पर सरकार–प्रशासन, ठेकेदार, महाजन, कॉरपोरेट सभी–के–सभी, रणेंद्र के शब्दों में 'आकाशचारी देवताओं' का संयुक्त गठजोड़ उन्हें अजगर की भाँति निकल जाना चाहते हैं। आदिवासी जीवन का वर्तमान चित्र सबके मन में निराशा उत्पन्न करता है। जहाँ मुख्यधारा के समाज आज विकासवादी लोकतांत्रिक मूल्यों से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके समग्र विकास की समीक्षा कर मेंनस्ट्रीम के साथ लाया जा रहा है, उनके जीवन खुशहाल एवं परिवर्तित हुए हैं, वही आदिवासी समाज आज भी प्रागैतिहासिक युग–सा जीवन जीने को अभिशप्त है। ऐसा क्यों? सबका विकास और आदिवासी अपवाद! यह मानवीय संवेदित भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? क्या यही है 'सबका साथ सबका विकास? वर्तमान उत्तर आधुनिकता के युग में, नवउदारवाद के युग में अगर वे जिंदा ही हैं तो यह भी व्यवस्था के लिए आश्चर्य की बात है।

संदर्भ सूची :-

1. रमणिका गुप्ता, आदिवासी विकास से विस्थापन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ संख्या– 7
2. गंगा सहाय मीणा, आदिवासी चिंतन की भूमिका, अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 2021, पृष्ठ संख्या– 87
3. रणेंद्र, ग्लोबल गांव के देवता, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ संख्या– 43
4. महाश्वेता देवी, भारत में बंधुआ मजदूर, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2013, पृष्ठ संख्या– 20
5. वही, पृष्ठ संख्या– 51
6. रणेंद्र, ग्लोबल गांव के देवता, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019, पृष्ठ संख्या– 93
7. अनुज लुगुन, आदिवासी अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाशन, 2022, नई दिल्ली, पृष्ठ 51
8. महाश्वेता देवी, चोटी मुंडा और उसका तीर, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ संख्या– 7
9. अनुज लुगुन, आदिवासी अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाशन, 2022, नई दिल्ली, पृष्ठ 49
10. संजीव, सावधान नीचे आग है, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृष्ठ संख्या– 179
11. वंदना टेटे, आदिवासी दर्शन और साहित्य, नेशनल प्रेस डॉट कॉम, 2021, पृष्ठ संख्या– 91
12. अनुज लुगुन, आदिवासी अस्मिता प्रभुत्व और प्रतिरोध, अनन्य प्रकाश, नई दिल्ली, 2022, पृष्ठ 11
13. रमणिका गुप्ता, आदिवासी विकास से विस्थापन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ 16

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 127-131

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ENVIRONMENT PROTECTION LAWS IN INDIA AND NEPAL : COMPARATIVE STUDY

Dr. Reena Uniyal Tiwari

Associate Professor, Dept. of Teacher Education, DAV (PG) College, Dehradun, U.K.

ABSTRACT :-

Our country India has an ancient tradition of protecting the environment. Mother earth, trees, rivers, mountains were considered as God and Goddesses and worshipped as sacred. Environmental protection is a practice of protecting the natural environment by individuals, private organisations, corporations and at government levels for the benefit of both the environment and human beings. Conservation and protection of the environment have been an inseparable part of not only the Indian Heritage and Culture and but also in culture of our close neighbouring countries like Nepal and Bhutan too. The present paper discuss in detail about the laws and provisions for environment protection in India and Nepal and tries to compare them to find the differences if any.

Keywords :- Environment, Environmental Protection, Laws, Provisions, Constitution, India, Nepal.

INTRODUCTION :-

"A nation that destroys its soils destroys itself. Forest are the lungs of our land which purify the air and give fresh strength to our people." -Franklin D. Roosevelt

Environmental protection and improvement is a vital issue which affects living beings as well as non-livings. Due to urbanisation, opening of new factories& deforestation, polluted rivers, negative impact of economic development, the environmental hazards has assumed threatening proportions. More than 75% of population lives under substandard environmental conditions which causes diseases. The protection of environment is the duty of each and every citizen of any country as well as the state, country and World Organisations.

The main objectives of environmental protection are- Protecting &balancing eco-system, maintenance and protection of environmental quality, controlled, restricted &mindful use of natural resources, working out on the pollution problems and environment awareness among the people, to mention a few.

1. CONSTITUTIONAL MANDATE AND CENTRAL LEGISLATIONS RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION :

1. Preamble of the Constitution :-

a) Declared India to be a democratic republic in which people have the right to participate in government decisions and access to information of Government policies which is very important for the success of environmental policies.

b) Added the world socialist by 42nd amendment of the constitution which mean attention to social problems by state and basic aim of socialism – to provide decent standard of life to all. This is possible only in pollution free environment.

2. Federal System of Government :-

In India having a federal system of government, Article 245 and 246 of constitution divides the subject area of Legislation between centre and state by 3 list- Union, State and Concurrent.

a) Union List - Subjects related to Environment such as atomic energy and mineral resources, air traffic regulation, industries, mineral oil resources and development of inter-state rivers and fisheries.

b) State List :- Includes public health and sanitation, hospitals and dispensaries, ponds, water supply, agriculture, irrigation and drainage , etc. These subjects have local environmental impact.

c) Concurrent List :- Both centre and state have jurisdiction to make laws for local as well as national level. It includes forest, protection of wild animals and birds, population control and family planning, minor ports and factories.

3. Fundamental Duties :-

Part 4th A, Article 51A of 46nd amendment of constitution act 1976 deals with respect to environment. "It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures."

4. Directive Principals of State Policy :-

The constitution's 46nd amendment act 1976 added a new directive principal in Article 48A dealing specifically with protection and improvement of environment which provides: "The state shall endeavour to protect and improve the environment and to safe guard the forest and wildlife of the country."

5. Constitution's Amendments 73 and 74 :-

The above amendments have added part 9th and 9A in 1992.

a) Part 9 - The panchayats are assigned with the powers to perform functions related to environments- Minor irrigation, water management, animal husbandry, dairy and poultry, fisheries,

drinking water, fuel and fodder, non conventional energy sources, health and sanitation.

b) 12TH Schedule - Following subjects related to environment are to be taken care by the municipalities.- Urban planning, water supply, public health, sanitation, solid waste management, protection of environment and protection of ecological aspects, prevention of cruelty to animals.

6. Parliamentary Acts and Laws :-

All the constitutional provisions are supported by a number of laws, acts, rules and notifications. In India to ensure a healthy environment for the people, in 1980 the department of environment was established. This became the ministry of environment and forest in1985 and in 1986 the environment act came into force. The laws can be classified into-

A) General - The environment protection act 1986 authorises the central government to protect and improve environmental quality, control and reduce pollution from all sources. The hazardous waste rules 1989, The National environmental Tribunal Act 1995, the National Environment Appellate 1997, The biomedical waste management and handling rules 1998 and the municipal solid waste management and handling rules 2000 are for environment protection.

b) Forest and Wildlife - The wildlife protection act rules 1973(amendment 1991) provides for the protection of birds and animals. The forest conservation act and rule 1981 provides for protection and the conservation of forest

c) Water - The water prevention and control of pollution act 1974 establishes standards for water quality and effluent .

d) Air - The air(Prevention and Control of Pollution) Act 1981 provides for the control and abatement of air pollution. Its amendment act 1987 empowers the central and state pollution control boards to meet with great emergencies of air pollution. The atomic energy act 1982 deals with the radioactive waste.

To protect environment, National Green Tribunal Act 2010 enables creation of a special tribunal to handle the expeditious disposal of the cases pertaining to environment issues. As a result of judicial activism, the right to pollution free environment has been included under Article 21 of the constitution

2. LEGAL PROVISIONS FOR ENVIRONMENT PRTECTION IN NEPAL

The preservation of the environment is a worldwide concern. In order to protect ecological interest Nepal's parliament passed the environment protection act in 2009. The federal, provincial and local governments are obligated to safeguard and conserve the environment under this green law. The previous 1997 act demanded initial environment examination as compared to the 2019 Act which prohibits the development work that does not conform to environment study report. The 2019 act provides ample powers to the 2nd and 3rd tiers of government to adopt plants and policies for the

conservation of the environment.

a) Section 3(2)(b) of 2019 Act says that the environment study report shall be submitted to the provincial government in cases where the development falls under the jurisdiction of provincial law

b) Section 3(2)(C) directs the local government to oversee environmental study report and initial Environmental examination in case of proposals relating to development falling under the jurisdiction of local levels.

c) Section 18 - Under this section, both federal and p-provincial government shave powers to establish laboratories to study, test or examine the samples collected to analyse pollution. The Act envisages that the provincial government would give priority to the issues of biodiversity, climate change or strategies to mitigate pollution in developing plans and policies for the province.

D) Section 30 - Under this section, the federal government has power to declare an environment protection area in consultation with provincial and local government.

CONCLUSION :-

In view of the aforesaid study it can be stated that in India,the concern for environmental protection has not only been raised to the status of fundamental law but also basic human right of every individual to live in pollution free environment with full human dignity.Though we have many legislation on this issue ,difficulty arises in their enforcement.Therefore there is a need to have a comprehensive and integrated law on environmental protection .For effective enforcement of the laws :-

1. Itis necessary to set up environment courts with one judge and at least two technical experts.
2. The pollution control boards need to be given enough powers to punish the violators.
3. Every individual association and corporation must undertake the task of tapping the natural resources with requisite attention and care so that ecology and environment are not affected in any serious way.
4. To boost the existing environmental protection movement,greater emphasis is urgently required on environmental education through social awareness.

It can be said that Nepali environment laws are more progressive than India.In India, the Environment Protection Act(1986)does not confer power on the state governments to adopt plans and policies or establish laboratories or inspect any plant.In Nepal, provincial and local governments are empowered to adopt measures to fight against climate change and pollution.They can establish laboratories to test the samples to analyse the quality of air or wateror natural environment.The Nepali law does not confer power on the provincial government on the matters of national importance,climate

change,carbon trading.It appears that the role of provincial government is rather secondary.The provincial and federal governments are obliged to act according to the directions and policies issued by the federal government.Nepal has ample constitutional and legal provisions to promoteenvironmentalism.The government just needs to implement them in an effective manner.

To sum up, what we need is social awareness from below and not laws from above.No law works out smoothly unless the participation and interaction is voluntary.Environmental protection is a global problem and the whole international community needs to make efforts so that our Earth becomes and remains a beautiful and safe place to live in.Therefore, not only the governments,private organizations,corporations andNGO but every citizen of India,Nepal and all countries must undertake this responsibility.

REFERENCES :-

1. Basu, Durga Das, Introduction to the constitution of India ,New Delhi.
2. Chandra,Bipin,India since independence,Penguin India,New Delhi.
3. Fadia, B.L- Indian Government and Politics, Sahitya Bhavan, Agra.
4. Har Govind,- Recent Developments in Environmental Protection in India, Ambio. Vol.18.No.8, 1989.
5. Jaswal, P.S- Environmental Law, Pioneer Publication Delhi.
6. Johri, J.C- Indian Government and Politics, Vishal Publications, New Delhi.
7. Kashyap, Subhash, C. -Reforming the constitution, New Delhi,1992.
8. Laxmi Kanth,M- Indian Polity, Mc Gran Hill, 2013.
9. Pandey, J.N- Constitutional Law of Indi, Allahabad, 1997.
10. Tripathi, S.C.- Environmental Law, central law Publication, Allahabad, 2005.
11. Environmental Issues of India- Wikipedia.
    The Environmental Protection Act 1986(PDF) Ministry of Environment and Forest.
12. Jha Jivesh, "Laws versus realities: Where is Nepal failing in environment protection?"
    5June, 2022.
13. https: www.nepallivetoday.com
    1Retrieved on 2nd June 2023.
14. Upreti, Anup Raj, Environment Protection Act, 2019.
15. Leading law firm in Nepal
16. https:pioneerlaw.co
17. Retrieved on 2nd June 2023.
18. The environment Protection Act 2019(2076)
19. https: lawcommision.gov.np
    Retrieved on 2nd June 2023.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 132-136

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

नारी अस्मिता के विविध आयाम : मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के संदर्भ में

डॉ. रम्या एल.

असिस्टेन्ट प्रोफसर, हिन्दी विभाग, श्रीअय्यप्पा कॉलेज, इरमल्लिक्करा, चेन्गान्नूर

सुरेन्द्र वर्मा जी हिन्दी साहित्य के वर्तमान संचालकों में अग्रणी है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना चमत्कार दिखाया है। यद्यपि साहित्य की विभिन्न विधायें उनकी प्रतिभा से प्रकाशपूर्ण है फिर भी नाटक साहित्य सर्वाधिक आलोकित रहा। एक प्रयोगशील नाटककार और नाट्यचेतना संपन्न कुशल रंगकर्मी के रूप में उन्होंने हिन्दी नाट्य–जगत में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। लेकिन सुरेन्द्र वर्मा की साहित्य प्रतिभा अपनी संपूर्ण चारुता के साथ 'मुझे चाँद चाहिए' उपन्यास में प्रस्फुटित हुई। इस एक मात्र उपन्यास ने साहित्य जगत में सुरेन्द्र वर्मा के मूल्य को सौ गुना बढ़ा दिया और हिन्दी उपन्यास को नवोन्मेष प्रदान किया। अतः वर्तमान हिन्दी साहित्य सुरेन्द्र वर्मा जी का ऋणी है।

हिन्दी उपन्यास साहित्य में सुरेन्द्र वर्मा का जो स्थान है उसका कारण उनके बहुचर्चित उपन्यास 'मुझे चाँद चाहिए' है। यह उपन्यास वर्तमान परिस्थिति को लेकर लिखा गया है। वर्तमान युग में नारी की स्थिति प्राचीन काल से उतनी सुधरी नहीं है। आज भी नारी पुरुष के अधीन में रहने विवश है। लेकिन आधुनिक शिक्षित नारी अपने व्यक्तित्व को पुरुष के समक्ष समर्पित करने तैयार नहीं है। इसलिए वह आज भी अपनी अस्मिता के लिए संघर्षरत है। नारी के इस संघर्ष को अपने उपन्यास में उतारने का प्रयत्न सुरेन्द्र वर्मा ने किया है। जीवन के सारे क्षेत्र में नारी को संघर्ष करना पड़ता है। बचपन से लेकर जीवन के अन्त तक नारी अपने अधिकारों से वंचित है। जिस नारी में इस सामाजिक व्यवस्था से लड़ने की शक्ति है वही नारी जीवन में अपनी अलग पहचान रख सकती है। अपने उपन्यास में उपन्यासकार ने आज की इसी स्थिति को अत्यन्त कलात्मक ढंग से चित्रित किया है। उपन्यास के नारी पात्र जीवन के हर क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करते है, खासकर नायिका। इस प्रतिष्ठा के लिए उसे जिन–जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज की नारी भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के लिए बाध्य है। इस सामाजिक सत्य को लेकर लिखे गये प्रस्तुत उपन्यास का विषय अत्यन्त प्रासंगिक भी है।

पारिवारिक जीवन में नारी अस्मिता की स्थापना :–

जीवन के हर क्षेत्र में अपनी अस्मिता के लिए कटिबद्ध वर्षा घर–परिवार के कठोर बन्धनों को तोड़कर पारिवारिक जीवन में नारी अस्मिता की सुरक्षा करती है। यशोदा शर्मा (वर्षा) प्रत्येक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी

है जहाँ किसी तरह बेटी की शादी कराकर ही अपनी पगड़ी को सुरक्षित समझा जाता है। हरेक भारतीय परिवार की अपनी जड़ परंपरा होती है जो मानव के सुन्दर जीवन को विरूप बनाने में अपने ढंग से भूमिका निभाती है। इस स्थिति में प्रत्येक, सजग और स्व की पहचान के लिए प्रयत्नशील, व्यक्ति को आवाज उठाना अनिवार्य हो जाता है। अपनी अस्मिता के लिए कर्मरत यशोदा शर्मा यह आवाज उठाती है, माँ–बाप के दिये गए नाम को तजकर। लेकिन माँ–बाप को नकारने के लिए वह नाम बदलना नहीं चाहती। बात केवल अपनी पसन्द–नापसन्द की है जिसका अधिकार नारी को जन्म के साथ मिलना चाहिए। पिताजी के पूछने पर वह कहती है 'यशोदा शर्मा नाम में कोई सुन्दरता नहीं"[1] इसलिए उसने अपना नाम बदल दिया 'वर्षा वशिष्ठ'। अपना घरेलू नाम 'सिलबिल' उसके लिए सह्य था लेकिन 'यशोदा शर्मा' उसके लिए असहनीय नाम था। अतः उसने अपना नापसन्द नाम छोड़ पसन्दीदा नाम स्वीकार किया। इस प्रकार अपना नाम तजकर वर्षा ने नारी की इच्छा और पसन्द माने अस्मिता के पथ पर पहला कदम उठाया।

एक कट्टर हिन्दू परिवार का सदस्य होते हुए भी विवाह के सिलसिले में पारिवारिक बन्धनों के सामने घुटना टेकने वर्षा तैयार नहीं रही। फिर भी वह अपने परिवार को प्यार करती है और परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती है। एक लड़की अपने परिवार को जितना स्नेह कर सकती है विद्रोह के बावजूद वर्षा अपने परिवार को उससे कम नहीं चाहती। वह अपने पिता के अधूरे दायित्व को निभाती है उसके दायित्व का एक सिरा सतत घर से जुड़ा रहता है। स्पष्ट है कि वर्षा का विरोध पारिवारिक संबंध के प्रति नहीं बल्कि सड़ी–गली पुरानी पारिवारिक धारणाओं से है जो नारी अस्मिता की सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में अपने अस्तित्व के लिए स्वरूप सृजन के लिए, अपनी अलग पहचान के लिए वर्षा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

आजीविका में नारी अस्मिता की प्रतिष्ठा :–

प्रस्तुत उपन्यास की नायिका वर्षा आजीविका की अस्मिता के लिए अनथक प्रयत्न करती है। जो हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहती है। इसके लिए उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन संघर्षों का विस्तृत चित्रण प्रस्तुत उपन्यास में है। बी.ए. पढ़ते समय दिव्या की सहायता से उसे ट्यूशन मिली तो पिता ने उसे अनुचित माना। उनकी परंपरा में लड़कियाँ काम करने के लिए बाहर नहीं गयी थी। पिता के अनुसार ष्इस वंश की सात पीढ़ियों में काम करने वाली वह पहली कन्या थी।"[2] लेकिन इन पुरातन पंथी विचारों को तोडकर मन के अनुरोध पर घर के बाहर आजीविका ढूँढने वह निकलती है। अपने परिश्रम से अपना जीवन ढालने के लिए वह दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश पाती है। यहाँ उसे अनेक संघर्षो को झेलना पड़ता है। रिपर्टरी कंपनी के पहले साल के बाद उसका जीवन एक कामकाजी युवती का बन गया। वह ग्रेड 'सी' में 450–750 वेतनमान की अभिनेत्री बन गयी। धीरे–धीरे अपने कठिन परिश्रम और अनेक संघर्षों से उसे 'ए' ग्रेड मिलता है। वह एक श्रेष्ठ अभिनेत्री बन गयी। लेकिन उसकी सहेली रीटा अपनी शादी के कारण आजीविका में अस्मिता को बनाए रखने असफल होती है। पर वर्षा कैरियर को छोड़ने कभी तैयार नहीं रही। अभिनेत्री के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने उसे पूर्ण सफलता मिलती है।

सिनेमा जगत में पहुँचते ही वर्षा उस जगत की चालाकी समझ लेती है। वर्षा सबसे पहले कला फिल्म में अभिनय करती है। पहली सिनेमा के बाद वह समझ लेती है कि एक श्रेष्ठ अभिनेत्री या लोकप्रिय अभिनेत्री

बनने के लिए कला फिल्म के साथ व्यावसायिक फिल्मों में भी अपना योगदान देना है। वह अभिनय को अपनी आजीविका के रूप में स्वीकार करती है तो उस जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समझौता भी करती है। किसी उचित–समझौते के लिए वह तैयार है, लेकिन अनुचित समझौते से अधिक आजीविका के लिए वह अनिवार्य संघर्ष अपनाती है और विजय प्राप्त करती है। सिनेमा में काम करने के कारण वर्षा का परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। केवल छोटी बहन, छोटी भाभी और छोटा भाई उसे स्वीकार करते हैं। बड़े भैया और बड़ी बहन का विरोध अब कम हो गया है। क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अब बहुत ऊँची है। किन्तु उसके पिता अंत तक उसकी अभिनेत्री को स्वीकार करने तैयार नहीं रहे। अपने प्रति विरोध करने पर भी वर्षा परिवार की आर्थिक सहायता करती है। अनेक कठिनाइयों का सामना करने पर भी वह अभिनय की उपेक्षा नहीं करती। अपने काम में वह पूर्ण समर्पिता है। मन पसन्द काम करने से जो आनन्द मिलता है उसका अनुभव वह करती है। इस प्रकार अनेक प्रतिबन्धों को पार करके अभिनय कला की आजीविका के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान, अटल स्थान यह प्राप्त करती है।

प्रेम और काम में नारी अस्मिता :–

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ही वर्षा का परिचय हर्ष से हुआ था, जो उसका सहपाठी था। वर्षा ने हर्ष में अपने प्रेमी को देखा था। जब उसके प्रेम के बारे में पिता जी जानते हैं तब वे चौंक जाते हैं। वर्षा एक रूढिवादी ब्राह्मण परिवार की लड़की है। अतः मांसाहार खाने वाले एक व्यक्ति से उसका संबंध पिता जी सह नहीं सकते। वे उस प्रेम से वर्षाको हटाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वर्षा हर्ष में ही अपने पति को देखती है। हर्षवर्धन वर्षा के देह–मन में समाता जा रहा था। हर्ष से उसके प्रथम दैहिक संसर्ग का ताप उसमें एक नई थरथराहट भरकर उसके अनुभव एवं भावात्मक समृद्धि के अनेक बन्द गवाक्षों को खोल देता है। हर्ष के साथ के एक–एक क्षण ने उसे प्रगाढ संवेदनात्मक अनुभूति दी है। हर्ष को पाकर उसका आत्म सम्मोहन कुछ इस तरह व्यक्त हुआ– ''मेरे शरीर में ऐसी उन्मत्त बयार बन्दी थी। हर्ष ने अपने स्पर्श से ये झरोखे खोले हैं।''[3]

हर्ष का संपर्क वर्षा को भावात्मक एवं कलात्मक दृष्टि से समृद्ध करता है। कला फिल्मों की विफलता के कारण हर्ष ड्रग्स का शिकार हो जाता है। अपने प्रति वर्षा का प्यार देखकर हर्षड्रग्स का उपयोग बन्द कर देता है। लेकिन अन्त में वह आत्महत्या करता है।

प्रेम और काम की परम्परागत खोखली मान्यताओं पर वर्षा विश्वास नहीं करती। अपनी इच्छा के विपरीत किसी अप्रिय व्यक्ति से एकनिष्ठ प्रेम और आत्म समर्पण वह करती नहीं। जीवन के विभिन्न पडावों में किसी मन पसन्द व्यक्ति मिलता है तो उससे संबंध स्थापित करने वह हिचकती नहीं। इसलिए एक से अधिक पुरुषों से उसका निकट संबंध रहा है। हर्ष उसकी प्रेमी–संकल्पना की पूर्ति करता है तो तन–मन से उसमें समा जाती है। सिद्धार्थ के व्यक्तित्व के प्रति भी वह आकृष्ट रही इसलिए उसकी और भी उसका लगाव था, लेकिन हर्ष का स्थान और कोई पा नहीं सकता था। हर्ष की मृत्यु के बाद भी सिद्धार्थ का तिरस्कार वर्षा के प्रेम की पक्वता का प्रमाण है। अतः वर्षा का प्रेम और काम उसके अन्तकरण की इच्छा से, अपनी अस्मिता से परिचालित है, किसी झूठे आदर्श और मान्यता से नहीं। लेकिन प्रेम की मान्यता का वह कभी तिरस्कार नहीं करती।

अनब्याही माँ की अस्मिता की तलाश :–

वर्षा के अनब्याही माँ बनने का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। वह भी कायरता दिखाये और क्लिनिक में मुक्ति

पाकर बाहरी तौर पर धुली–पूँछी जिन्दगी जी सकती थी। लेकिन अपने गर्भ में पल रही उसकी संतान उसे जितना हर्ष का अंश लगती है उतना ही अपना भी। पंकज विष्ट के अनुसार 'इधर वर्षा अपनी प्रतिबद्धता के चलते उस महान आई.ए.एस. खानदान के अन्तिम चिराग को अपनी कोख में पनपने देने का निर्णय लेती है।"[4] हर्ष उसके अब तक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पुरुष था। अनेक झंझावतों से गुजरने के बावजूद उसके साथ का रिश्ता बहुत दृढ़ व स्थायी साबित हुआ था। अब इस संबंध का एक प्रतीक उसे मिल सकता है। हर्ष से संबंध की निरंतरता बनी रह सकती थी। यह निर्णय कंटकपथ साबित होगा, यह समझना मुश्किल नहीं था। हर्ष के आत्मसंहार को उसने कायरता मानी थी लेकिन इस प्रकार की कायरता वह दिखाती नहीं।

समाज भय और अपमान भय से वर्षा दूर नहीं है। उसने अपने को सिने पत्रिकाओं से दूर रखा। पत्रिकाओं से फोन भी आया करते थे। वर्षा के गर्भ ने राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्ज हासिल कर लिया था। बाहरी दुनिया से साक्षात विकट और दारुण था। कुछ लोग अश्लील मुस्कान देते थे, कुछ आँखें चुराते थे, कुछ ने पारिवारिक उत्सवों में उसे बुलाना बन्द कर दिया था। वर्षा ने निशब्द सब कुछ सह लिया। सबके विरोध, लांछन और अपने सारे कैरियर के बावजूद गर्भस्थ शिशु को धारण किए रहने के फैसले का मूल्य चुकाने के लिए वह तैयार थी और अन्ततः चुकाती भी है। इस प्रकार अपने कैरियर को देखे बिना सबके विरोध और परिहास के बीच वह बच्चे को जन्म देती है। वह भी पत्नी बने बिना। अनब्याही माँ वर्षा के सुनिश्चित निर्णय में नारीत्व की पवित्रता है, मातृत्व की वत्सलता है, सर्वोपरि नारी अस्मिता की चारुता है। यहाँ वर्षा वशिष्ठ अपनी सत्ता के लिए लड़ने वाली नारियों के लिए 'आदर्श' बन जाती है।

कला जगत में अस्मिता की प्रतिष्ठा :-

कला जगत में अपनी अस्मिता के लिए नारी जितना संघर्ष करती है उसका वर्णन वर्षा के माध्यम से साकार हो उठा है। कला जगत में पदार्पण करने के लिए वर्षा अपने पिता और भाई से संघर्ष करती है। अन्त में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए वह अपने परिवार को छोड़ दिल्ली चली जाती है। लेकिन मंडी हाउस के कला जगत में सब कुछ सुन्दर न था। वहाँ यातना थी। पर–पीडा, प्रतिशोध, आत्महत्या, मृत्यु, असुरक्षा और आतंक था। आर्थिक संघर्ष सबसे ऊपर था।एन. एस. डी. के प्रारंभिक दिनों में उसे असफलता ही मिली है। लेकिन वह हारने के लिए तैयार नहीं थी। रंगमंचीय सफलता पाने के लिए वह कठिन परिश्रम करती है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में वर्षा के अनुभव के बारे में मधुरेश कहते हैं– 'यहाँ विद्यालय में उसने अनुभव किया है कि कला के विचलन से बच पाना खास कठिन है। यह कठिनाई स्त्री कलाकारों के सन्दर्भ और भयावह है। एक और यहाँ रीटा जैसी लड़कियाँ हैं जिन्हें अंततः घर–परिवार की सुरक्षा से समझौता करके अपनी कला क्षमताओं की अंत्येष्टि करनी होती है।"[5]

अभिनय के चाँद को पाने के लिए वर्षा ने सतत संघर्ष किया है। एक बार अभिनय की समझ व लय पा जाने के बाद निरन्तर कठिन परिश्रम, दृढ निश्चय एवं भरपूर लगन समर्पण के भरोसे वह कला–साधना के एक–एक किले पर अपनी सफलता का झंडा लहराती चली गयी। फिल्मों में ब्रेक उसे इसीके बल पर मिला और फिर पर्याप्त व्यवहार कुशलता से वह हर मंजिल पार करती हुई बॉलीवुड तक पहुँच गयी। सिने संसार में ऊंचा स्थान पाने दूसरों की स्वभाव हत्या के लिए वह तैयार नहीं।

बंबई की फिल्मी दुनिया में वर्षा डरी और असुरक्षित थी माँग और पूर्ति का बाजारू नियम समूचे सिने तंत्र

का नियामक था। वर्षा कहती है– 'मैं लोकप्रिय सिनेमा में बेवकूफ बनी रहूँगी, पर साथ ही 'लो' बजट फिल्में भी करूँगी।'[6] 'गोसिप' फिल्मी दुनिया कीअपनी उपज है। वर्षा को गोसिप का भी सामना करना पड़ा। खोजी पत्रिकाएँ दिव्या प्रसंग के बहाने समलैंगिकता के चटखारे लेने वाले किस्से उछाल रही थीं।

इसी प्रकार ईर्ष्या और असूया के कारण वर्षा की मुठभेड़ हुई– फूहड़ ज्वलनशील कंचन प्रभा से। वह वर्षा का अपमान करती है। इस तरह अनेक संघर्षों का सामना करके यह बंबई में एक सिने अभिनेत्री के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठा और सम्मान पाती है। शाहजहाँपुर के एक सनातन ब्राह्मण परिवार से निकलकर पारिवारिक एवं सामाजिक बन्धनों को तोड़कर, कॉलेज नाटक की भूमिका से निकलकर बॉलीवुड की मशहूर लेकिन कला निपुण अभिनेत्री बनने की, यातना, वेदना, पक्षपात, अपमान, अवहेलना और तिरस्कार के बीच कला–जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ने की वर्षा की अथक यात्रा में नारी अस्मिता की चरम परिणति है।

उपन्यास में चाँद सुख का प्रतीक है, महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। मतलब है कि 'चाँद' अस्मिता का प्रतीक ही है। हर एक पात्र अपने अपने चाँद की खोज में है, वर्षा और हर्ष मुख्य रूप से। वर्षा के लिए 'चाँद' केवल असंभव की आकांक्षा या सुख नहीं अपनी इच्छा और मर्जी के अनुसार जीने, अपने अधिकार प्राप्त करने का संघर्ष भी है, अपनी अस्मिता को बनाए रखने का कठिन प्रयत्न है। हर्ष का 'चाँद' भी मूल्य और आदर्शों के साथ अपनी अस्मिता को बनाए रखना है। हाँ! 'मुझे चाँद चाहिए' उपन्यास में चाँद की खोज अस्मिता की तलाश जरूर है, खासकर नारी अस्मिता की।

संक्षेप में नारी के अस्मिता संघर्ष को, उसकी अथक अस्मिता यात्रा के विभिन्न स्तरों को संपूर्ण गौरव के साथ प्रस्तुत उपन्यास में समाहित किया गया है। 'मुझे चाँद चाहिए' उपन्यास नारी अस्मिता का 'आलोक पर्व' है जिसका आलोडन अनंत है। नारी अस्मिता का ऐसा सुचिन्तित, सुनिश्चित, संवेदनशील आलेखन अत्यल्प है।

संदर्भ :-

1. मुझे चाँद चाहिए – सुरेन्द्र वर्मा, पृ. 17
2. मुझे चाँद चाहिए – सुरेन्द्र वर्मा, पृ. 22
3. मुझे चाँद चाहिए – सुरेन्द्र वर्मा, पृ. 120
4. हंस जुलाई 1994 – पंकज विष्ट, पृ. 82
5. हिन्दी उपन्यास – सार्थक की पहचान – मधुरेश, पृ. 327
6. मुझे चाँद चाहिए – सुरेन्द्र वर्मा, पृ. 354

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 137-140

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मोहन राकेश के नाटकों में द्वंद्व की अवधारणा

रूचि कुमारी

शोधार्थी (SRF), हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मोहन राकेश आधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य को नयी दिशा देने वाले प्रसिद्ध नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। नाटक को आधुनिक परिवेश के साथ समृद्ध करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतेंदु और प्रसाद के बाद नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश की सफलता सर्वाधिक मानी गयी है। इन्होंने हिन्दी नाटकों को फिर से रंगमंच से जोड़ा। रंगमंचीय दृष्टि से उनके सभी नाटक लोकप्रिय तथा सफल रहे हैं। "मोहन राकेश, हिन्दी जगत के लिये, एक कभी न भुला सकने वाला नाम है। कथात्मक विधा और नाट्य विधा दोनों पर ही उनकी गहरी और अद्‌भुत पकड़ थी। उन्होंने आषाढ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे जैसे अपने लोकप्रिय नाटक के कारण संक्षिप्त–से जीवन काल में ही दुर्लभ ख्याति अर्जित की थी। उनकी नाट्य कृतियों से साहित्य तो समृद्ध हुआ ही, भारतीय रंगमंच को भी बहुत कुछ मिला।"

मोहन राकेश के नाटक मुख्यतः मानव मन के अन्तर्द्‌वंद्व, निराशा, अधूरापन, अजनबीपन, अकेलापन और खालीपन को व्यक्त करता है। जिससे मानव (स्त्री–पुरुष) अपने को निकालने के प्रयत्न करता है। इस आलेख में मोहन राकेश के नाटकों में द्वंद्व की भावना का अध्ययन किया गया है। द्वंद्व का अर्थ है– असमंजस की स्थिति। जब हम कोई फैसला लेने में अपने ही विचारों के बीच उलझ जाते हैं तो उस समय मानसिक द्वंद्व के गिरफ्त में आ जाते हैं। द्वंद्व की यह स्थिति मनुष्य के विकास और सही फैसला लेने में कई बार बाधक साबित होते हैं।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्राउन ने द्वंद्व को परिभाषित करते हुए कहा है कि – "मानसिक संघर्ष व द्वंद्व का अर्थव्यक्ति की उस परिस्थिति से है जिसमें दो ऐसी इच्छाएं जो एक दूसरे की इतनी विरोधी होती हैं कि उनमें से किसी एक की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा की पूर्ति संभव नहीं होती है।"[1] अतः द्वंद्व की स्थिति व्यक्ति के लिए एक अति गंभीर दुविधा की स्थिति होती है। इसमें उसके लिये प्रायः कोई निर्णय लेना अति कठोर व मुश्किल तथा पीड़ादायक हो जाता है। तब स्वभावतः ऐसी स्थिति में वह दबाव महसूस करने लगता है। यही द्वंद्व की स्थिति मोहन राकेश के नाटकों में परिलक्षित होती है। 'आषाढ़ का एक दिन' में राजसत्ता और रचनाकार का द्वंद्व है, तो 'लहरों के राजहंस' में जीवन के प्रति राग और विराग का, वहीं आधे अधूरे में सावित्री जीवन में पूर्णता के लिए हर दिन मानसिक द्वंद्व से गुजरती है।

'आषाढ का एक दिन' का नायक कालिदास एक कवि है, जो मलिका से प्रेम करता है तथा प्रेम ही उसके जीवन का सार है। जीव–जंतु, मेघ, तथा बादल प्रकृति के सभी उपादानों के साथ वो भावनात्मक लगाव रखता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जब उज्जैन के राजा द्वारा राजकवि बनने का प्रस्ताव आता है तो

कालिदास के जीवन में दुविधा की स्थिति बन जाती है। वह प्रकृति का मोह छोड़ राजदरबार का कवि नहीं होना चाहता। मलिका के आग्रह पर कालिदास उज्जैन चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सम्मान मिलता है और बहुत जल्द उसे काश्मीर का राज्यपाल बनाने की बात होने लगती है तथा वहाँ की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी के साथ उसका विवाह भी हो जाता है। इन सब घटनाओं के साथ कालिदास के हृदय और मष्तिष्क के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। प्रियंगु मंजरी से विवाह के उपरांत मलिका को अपने जीवन से नहीं निकाल पाता और मलिका से नजर मिलाने का साहस भी नहीं कर पाता। जब मलिका से मिलता है तो उससे अपने अंदर चल रहे द्वंद्व की चर्चा करता हुआ कहता है – "मैं तब तुमसे मिलने के लिये नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आँखे मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे? फिरभी उस संबंध में निश्चिंत था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आयेगा। और मैं यह आशा लिये हुए चला गया कि एक कल ऐसा आयेगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूँगा।...यह नहीं सोच कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आ कर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है।"[2]

कालिदास के लौटने के बाद पता चलता है कि मलिका का जो वर्तमान है, उसमें उसके साथ एक छोटी बच्ची है, जो मलिका का है और कालिदास उसका अतीत बन चुका है।

उज्जैन जाने और राजकवि होने से पहले कालिदास का व्यक्तित्व बहुत सामान्य–सा था, वो कवि था लेकिन उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी। सब उसे निकम्मा और व्यर्थ समझते जो महज कल्पना में जीवन व्यतीत करता हो, उसके जीवन का और जीविकोपार्जन का कोई साधन और लक्ष्य नहीं दिखता था। उज्जैन जा कर कालिदास को राजकवि होने का दर्जा मिला तथा उसे सम्मान और प्रतिष्ठा दिया जाता है, जिसकी अनुभूति कालिदास को इससे पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन ये सब कालिदास के मन को शांत नहीं कर पाता है। राजदरबार में रहते हुए भी वो अपने गांव और मलिका के तरफ खिंचाव महसूस करता है। वो अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहता है, "मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जनता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वतावरण में जा कर मैं कैसा अनुभव करूँगा। मन में कहीं ये आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा...और यह आशंका निराधार नहीं थी।"[3]

राजकवि बनने के बाद कालिदास का जीवन दुविधा और द्वंद्व में गुजरने लगा। वो राजसत्ता को छोड़कर सामान्य जीवन की ओर आकर्षित होने लगता है, "एक आकर्षक सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक–एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली।"[4] यही रूप, प्रेम और आकर्षण कालिदास को सुखी नहीं रहने देता, वो वहाँ जा कर भी, वहाँ का नहीं हो पाता, उसका मन और हृदय हमेसा उद्वेलित और अशांत रहता। खुश और सुखी रहने के लिये उसके पास एक ही रास्ता था कि वो स्वयं को बदल ले और उस वातावरण में खुद को ढाल ले, जिसका विरोध उसका हृदय कर रहा था। कालिदास मलिका से कहता है– "मैं अपने को बदल लूँ तो सुखी हो सकता हूँ। परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियाँ देश भर में पहुँच गयी, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ।...मुझे बार–बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में

पड़कर उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। ओर जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था। उससे दूर हट आया हूँ।"[5] वह वापस आ कर मलिका के साथ पहले जैसा ही जीवन व्यतीत करना चाहता है, पर जैसे ही कालिदास को मलिका के वर्तमान (उसकी बच्ची) के विषय में जानकारी होती है, तो उसके लिये वहाँ भी द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। जब मलिका उसका ध्यान इस बात की ओर ले जाती है, तो कालिदास कहता है– "मैंने कहा था कि मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। परंतु मैं देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है।...क्योंकि वह प्रतिक्षा नहीं करता।"[6] अंत में कालिदास वहाँ से चुपचाप चला जाता है।

लहरों के राजहंस में राजकुमार नंद, जिसका जीवन सांसारिक सुखों में व्यतीत होता है, जो अपनी पत्नी सुंदरी के सौंदर्य पर आसक्त है। उससे वह मुक्त नहीं हो पाता और ना ही होना चाहता है। लेकिन वो बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी आकर्षित भी होने लगता है। इस तरह वो सांसारिकता और आध्यात्मिकता के द्वंद्व में फंस जाता है। वो इन दोनों विरोधी रास्ते में से किसी एक का चुनाव नहीं कर पता है– "चुनाव की यातना ही इस नाटक का कथा–बीज और उसका केंद्र बिंदु है।"[7]

नंद बार–बार सुंदरी को विश्वास दिलाता है कि उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुंदरी ही महत्व रखती है और कुछ नहीं, लेकिन जब नंद सुंदरी का श्रृंगार कर रहा होता है तो दरवाजे पर बुद्ध द्वारा भिक्षा मांगने और लौट जाने की सूचना पा कर वह दुखी होता है और बुद्ध से माफी मांगने जाना चाहता है। सुंदरी से आज्ञा ले कर तथा आने का वचन दे कर बुद्ध के पास चला जाता है, पर जब वो लौटता है तो वह राजकुमार नंद नहीं बल्कि एक भिक्षु बन कर लौटता है। जिसे सुंदरी स्वीकार नहीं करना चाहती, इस पर नंद कहता है– "मेरे हृदय में तुम्हारे लिये अब भी वही अनुराग है। आखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है।"[8] सुंदरी के आँखों के सामने बनी नंद की आकृति नंद के द्वंद्व को और स्पष्ट करता है– "सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का!"[9] नंद का व्यक्तित्व ऐसा बिल्कुल ऐसा ही हो गया था, जिसमें वो आधा भिक्षु था और आधा राजकुमार नंद। वो ना तो सुंदरी के रूपासक्त से मुक्त हो पा रहा था ना ही बुद्ध के शरण में जा पाता था। उसका मन हमेसा इस द्वंद्व के कारण आहत होता है, "उनके पास था तो मन यहाँ के लिये व्याकुल था। अब तुम्हारे पास हूँ, तो मन कहीं और के लिये व्याकुल है। क्योंकि यहाँ हो या वहाँ, सब जगह मैं अपने को एक–सा अधूरा अनुभव करता हूँ। क्योंकि तुम हो या कोई और भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता। क्योंकि मैं यह भी हूँ और वह भी...इसमें से कोई एक नहीं, जैसा कि तुम सब अलग–अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ...!"

और फिर "वह न तो सुंदरी के रूपपाश से ही मुक्त हो पा रहा है और न सच्चे और निर्विकार मन से भगवान बुद्ध की ही शरण में जा पा रहा है।" बार–बार नंद के मन को बुद्ध का गौरव उसे अपनी ओर खींचता है और सुंदरी का अनुराग अपनी ओर। सुरेश अवस्थी के शब्दों में, "लहरों के राजहंस में एक ऐसे कथानक का नाटकीय पुनराख्यान है, जिसमें सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध तथा उसके बीच खड़े हुए व्यक्ति कर द्वारा निर्णय लेने का अनिवार्य द्वंद्व निहित है।"

आधे अधूरे नाटक में स्त्री और पुरुष के पारस्परिक संबंधों का अंतर्विरोध है। यहाँ जीवन के प्रति एक कृत्रिम और आरोपित विरोध है, जिसके कारण नाटक की नायिका सावित्री के लिये चुनाव कठिन हो जाता है।

सावित्री महेंद्र, जो उसका पति है, उसके साथ वो अपने को अधूरा महसूस करती है, इसलिए वो जगमोहन के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन वो घर को भी नहीं छोड़ पाती है। महेंद्र का दोस्त सावित्री को समझाते हुए कहता है– "असल बात इतनी ही है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिन्दगी में, तो साल दो साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिन्दगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिये जीने का मतलब रहा है– कितना कुछ एक साथ हो कर एक साथ पा कर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना।"[10] सावित्री अपने अकेलापन, अपने अधूरापन को दूर करने के लिये किसी दूसरे इंसान का सहारा लेना चाहती है, लेकिन वो इस घर को भी इतने सालों तक छोड़ नहीं पाई है। यही द्वंद्व सावित्री के जीवन का हिस्सा बन जाता है, जिसमे वो उलझ कर रह जाती है।

मोहन राकेश के नाटकों में जो द्वंद्व की अवधारणा है, वो नकारात्मक नहीं है। ना ही जो पात्र द्वंद्व में है वो दुर्बल है। मोहन राकेश के शब्दों में– "आषाढ का एक दिन का कालिदास दुर्बल नहीं है, कोमल, अस्थिर और अंतर्द्वंद्व से पीड़ित है। विलोम जो अपेक्षया सबल प्रतीत होता है, दुराग्रह की आक्रमक शक्तियों को संकेतित करता है। वह व्यक्ति अपने अंर्तद्वंद्व को खो चुका है, इसलिए अपेक्षया अधिक संयोजित है।"[11] अतः कालिदास टूटा हुआ और द्वंद्व में है, जिसका मन अस्थिर है, लेकिन वह पराजित नहीं है, "पराजित व्यक्ति टूटा हुआ कालिदास नहीं, अपने में संयोजित विलोम है।"[12] वैसे ही नंद भी कहता है कि मैं दोनों हूँ, यह भी मैं हूँ वह भी मैं हूँ। मोहन राकेश के नाटक में द्वंद्व तो है, पात्रों में मानसिक अस्थिरता भी है और वो टूटा हुआ भी है लेकिन पराजित नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक, संपादक, नेमिचंद्र जैन, राजपाल एंड सन्स प्रकाशन, वर्ष, 2006, प्रथम पृष्ठ.
2. आषाढ का एक दिन, मोहन राकेश, राजपाल प्रकाशन, वर्ष, 1997, पृष्ठ 59.
3. वही, पृष्ठ 54.
4. वही पृष्ठ 53.
5. वही, पृष्ठ 54.
6. वही, पृष्ठ 60.
7. लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, राजकमल प्रकाशन, वर्ष, 2007, पृष्ठ 7.
8. वही, पृष्ठ 94.
9. वही, पृष्ठ 95.
10. वही, पृष्ठ 102.
11. लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 07.
12. वही, पृष्ठ 07.
13. आधे अधूरे, मोहन राकेश, राधाकृष्ण प्रकाशन, वर्ष, 2011, पृष्ठ 94
14. लहरों के राजहंस, मोहन राकेश, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 22.
15. वही, पृष्ठ 23.

Address :— Param Niketan girl's Hostel, anibecent road, Ashok Rajpath, Patna, Oppsite – Patna College, pin code – 800005. Contact 7703925369, WhatsApp : 7759874363, Mail : ruchii-jnu@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 141-147

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्रेम रस के परिपेक्ष्य में दिनकर के काव्य का विवेचन

डॉ० स्नेहा कुमारी

पी०एच०डी० / यू०जी०सी० नेट / बी०एड०

(+2) हिन्दी शिक्षिका उ0 मा0 विद्यालय, बरियारपुर, सीतामढ़ी–पिन 843302

हिन्दी – साहित्याकाश में राष्ट्रकवि दिनकर का उदय एक तेजस्वी नक्षत्र के रूप में हुआ। जिस प्रकार सूर्य की रश्मियाँ अपना आलोक विकीर्ण कर पृथ्वी को दीप्तिमय बना देती है उसी प्रकार कवि दिनकर ने अपने प्रखर काव्य रश्मियों से हिन्दी साहित्य को नव्य चेतना के प्रकाश से आलोकित कर दिया। दिनकर जी को साहित्य जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए किसी प्रयास या प्रचार की आवश्यकता नहीं हुई। सच तो यह है कि उनकी कविता के राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वर ने ऐसी गूँज पैदा की जो इस युग के स्थापित काव्य स्वर से सर्वथा भिन्न होने पर भी सहृदय के मन –प्राण को बाँधने में सक्षम थी।[1]

भारतीय चेतना को अपनी ओजस्विता से आंदोलित करने वाले रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म 23 सितम्बर,1908 ई0 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गाँव में हुआ था और मृत्यु सन् 1974 ई0 में हुआ।

दिनकर मूलतः राष्ट्रीय भावधारा के कवि है। इनके काव्य के दो मुख्य स्वर हैं। पहला क्रांति, विद्रोह और राष्ट्रीयता दूसरा प्रेम और श्रृंगार। उनके व्यक्तित्व में रोमांटिक मिजाज की निर्णयकारी भूमिका है। क्रांति, विद्रोह और राष्ट्रीयता मं भी रोमांटिक स्थितियाँ होती है। प्रेम और श्रृंगार में रोमांटिक भाव सरणी तो होती ही है। जिसमें सब कुछ लुटाने की तमन्ना होती है। इसलिए प्रेम करने वाला अपने प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता है। क्रांतिकारियों के बलिदान एवं प्रेमियों के बलिदान इसके उदाहरण है।

चूँकि कविवर दिनकर छायावाद की ठीक पीठ पर आये थे इसीलिए छायावाद की उपलब्धियाँ स्वाभाविक रूप से उन्हें विरासत में मिली। छायावाद की चेतना मूलतः सौन्दर्य प्रधान रही है। लेकिन विडम्बना यह है कि छायावाद–युग में सौन्दर्य को न केवल कवि की कल्पना का आधार बल्कि जीवन की समस्याओं का समाधान भी मान लिया गया था। स्वभावतः आरंभ में सुन्दरता और कोमलता के प्रति आग्रह, कवि दिनकर की मूल प्रवृति बन गयी। परन्तु वे जिस दौड़ में पैदा हुए थे, वह भारत की गुलामी का दौड़ था। पूरे देश का युवावर्ग स्वाधीनता–आन्दोलन के संघर्षमय वातावरण में क्रांति के पथ का अनुगामी बना हुआ था।

कविवर दिनकर जी की क्रांतिधात्री कविता ने रेणुका में जागकर ऐसी हुंकार भरी कि उनके प्रशंसकों ने उन्हें क्रांति का कवि घोषित कर दिया।

उदाहरणार्थ,

''धर कर चरण विजित श्रृंगों पर झण्डा वहीं उड़ाते है,
अपनी ही ऊँगली पर जो खंजर की, जंग छुड़ाते है।''
जागरूक की जय निश्चित है, हार चुकें सोने वाले,
लेना अनल–किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले।[2]

यह सच है कि दिनकर जी के ओजस्वी व्यक्तित्व से उनकी कविता में ओजस्विता और ऊर्जा का विधान हुआ है लेकिन यह भी सच है कि अग्निधर्मा कवि के भीतर की अग्नि इसकी कविता में क्रमशः मंद होती चली गयी है और इसी के समानान्तर फूटनेवाली प्रेम की धारा क्रमशः चौड़ी होकर उर्वशी में वाद बन गई है। उनकी वास्तविक आकांक्षा 'हाहाकार' की निम्न पंक्तियों में व्यंजित है :–

''मेरी भी यह चाह विलासिनी,
सुन्दरता को शीश झुकाऊ।
जिधर–जिधर मधुमयी बसी हो,
ऊधर वसन्तानिल बन धाऊँ।।''[3]

मेरी समझ के अनुसार दिनकर जी प्रेम रस के कवि है, रूपसी के रूप पर रीझने वाले कवि है। इसका कारण उनका रोमांटिक व्यक्तित्व है। रोमांटिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भावुक होता है, उसमें आवेग की प्रधानता होती है तथा वह संकल्प–विकल्प के द्वन्द्व में डोलता रहता है। दिनकर जी का व्यक्तित्व द्वन्द्व प्रधान है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। द्वन्द्वगीत, रेणुका, कुरूक्षेत्र और उर्वशी आदि रचनाओं से अनेक उदाहरण देकर यह प्रमाणित किया जा सकता है।

डॉ0 लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखा है कि – दिनकर जी जब काव्य के क्षेत्र में आयें उस समय हिन्दी में कविता की दो धाराएँ बहुत ही स्पष्ट थी। एक धारा छायावादी काव्य की थी, जिस पर यह आक्षेप था कि वास्तविकता से ईषत दूर है। दूसरी धारा राष्ट्रीय कविताओं की थी जो वास्तविकता की अत्यधिक आराधना करने के कारण कला की सूक्ष्म भंगिमाओं को अपनाने में असमर्थ थी। दिनकर जी ने काव्य पाठकों का ध्यान विशेष रूप से इसलिए आकृष्ट किया कि उन्होंने राष्ट्रीय धारा की कविताओं में कला की सूक्ष्मातिसूक्ष्म भंगिमाएँ उत्पन्न कर दी। दिनकर जी में शक्ति और सौन्दर्य का जो मणिकांचन संयोग दिखाई पड़ा, वही उनकी कविता का आध ाार स्तंभ बना।[4]

प्रोफेसर विजेन्द्र नारायण सिंह ने उनकी काव्य चेतना के प्रकृत पक्ष को लक्षित करते हुए 'दिनकरः एक पूनर्मूल्यांकन' में सही लिखा है– ''दिनकर वस्तुतः कोमलता और सुकुमारता के कवि है।''

दिनकर का काव्य भावों का कुबेर–कोष है। जब जीवन और जगत का कोई भी कोना श्रृंगार की सजलता से रिक्त है ही नहीं, तो फिर दिग्दिगन्तव्यापी दिनकर का काव्य श्रृंगार की रसवद्विता से बिना विंधे कैसे रह सकता है।

हमारी स्पष्ट धारणा है कि दिनकर पैदाइशी रोमांटिक कवि है। रोमांटिक कवि सुकुमार वृत्ति का होता है। सुकुमारता के द्वारा उनके अधिकांश बिम्ब या तो नारी से गृहीत हैं या प्रकृति से। विपथगा कविता की प्रचंडता छद्म है।

प्रस्तुत शोधलेख में दिनकर जी के काव्य में प्रेम रस का विवेचन उद्येश्य है। दिनकर जी ने रसवन्ती की निम्न पंक्तियों में अपने व्यक्ति को उस गिरि से रूपायित किया है जो निर्झरों का भी आवास हैं–

''जग तो समझता है यही,
पाषाण में कुछ रस नहीं,
पर, गिरि–हृदय में क्यों न
व्याकुल निर्झरों का वास है?''[5]

उन्होंने अपनी कई कृतियों में एक चिंतक की भाँति तथा अनुभव सिद्ध प्रेमी की भाँति प्रेम को परिभाषित तथा व्याख्यायित करने का प्रयास किया है।

'सीपी और शंख' में वे कहते हैं :–

''प्रेम क्या है?
क्षीर का निर्झर
कि जब यह फूटता है,
हृदय नर का सन्त का आवास हो जाता।''[6]

X X X X

''काढ़ लो दोनों नयन मेरे,
तुम्हारी ओर अपलक देखना तब भी न छोड़ूँगा।[7]

रसवन्ती की प्रीति शीर्षक कविता में दिनकर जी ने प्रेम के स्वरूप पर विचार किया है। उनकी दृष्टि में प्रेम साँझ का मेघ नहीं है जो 'प्रेम धूलि लग्न' मनाकर पलभर चमककर क्षिति को सुनहले रंग में रंगकर विदा हो जाय। वह पूर्णिमा का चाँद भी नहीं है जो क्रमशः घटता चला जाए। वह नील गंभीर आकाश की तरह स्थायी और विस्तीर्ण होता है, द्वितीया के चाँद की तरह वर्धमान होता है और प्रीति का स्वाद वहीं जानता है जो ओंदी लकड़ी की तरह सुलगना जानता है–

''सीमा, बन्ध, मृत्यु से आगे वसती
कही प्रीति अहरह सखि।
प्रीति स्वाद कुछ ज्ञात उसे जो,
सुलग रहा तिल–तिल पल सखि।।[8]

जिसे इस प्रीति का चस्का लग जाता है उसके जीवन का स्वाद बदल जाता है। इस विशेषता के कारण कवि प्रेम को प्रेरणा के रूप में अनुभव करता है। प्रेम जीवन को प्रभावित करने वाला सबसे उर्जावान तत्व है।

प्रेम के सम्मोहन में पड़कर निर्जीव स्वप्न भी बोलने लगता है–

''हो उठी प्रतिभा सजग प्रदीप्त,
तुम्हारी छवि ने मारा वाण।
बोलने लगे स्वप्न निर्जीव,
सिहरने लगे सुकवि के प्राण।।''[9]

अतिशय उर्जावान होने के कारण प्रेम किसी बन्धन को नहीं मानता है।

दिनकर जी कहते है :–

''बन्धनों से होकर भयभीत,
किन्तु क्या हार सका अनुराग,
मानकर किस बन्धन का दर्प
छोड़ सकती ज्वाला को आग।

कवि की दृष्टि में प्रेम सत्य को प्रथम प्रभा है, मोहक, मतवाली नदी है, कवियों की कविता है, नक्षत्र है, पुष्प है। रेणुका की कविताओं में कवि ने प्रेम की व्याख्या में इस उपमानों को सजाने का उपक्रम किया है।

''प्रेम सत्य की प्रथम प्रभा है।

X X X X

सुन्दरता आनन्द मूर्ति है
प्रेममयी तरूणी का दृगमंद
कवियों की कविता अलवेली।''[10]

प्रेम फलगु नदी की धारा की तरह व्यक्ति के जीवन में परिव्याप्त होता है। अतः यह खोजने से नहीं मिलता जो प्रेम की खोज करते है वे या तो मूर्ख होते है अथवा प्रेमहीन होते हैं। कबीर ने ईश्वर की खोज करनेवालों से कहा कि वह कस्तूरी की भाँति मृग की नाभी में होता है। इसी तरह दिनकर जी प्रेम के विषय में कहते है वह प्रेमी में ही निहित होता हैं। 'आत्मा की आँखें की पंक्तियाँ द्रष्टव्य है–

''जहाँ प्रेम है,
उस धरातल से नीचे जाओ,
क्योंकि आत्मा प्रेम से अधिक गहरी है।''[11]

X X X X

जो स्वयं प्रेमी है,
वो हर जगह प्रेम पाते है,
और ऐसे लोग प्रेम की खोज में
कही नहीं जाते हैं।

प्रेम का संबंध वेदना से, करूणा से आत्मा की गहराईयों से होता है। प्रेमी लोगों पर दुःख कातर होते है। पर जो निर्दयी हैं, कठोर है वे सुखे काठ है, प्रेम वैष्णवता की राह है–

''वैष्णव जन तो तेने कहिए,
जे पीर पराई जाने रे।।''

दिनकर जी कहते है कि जिस दिन व्यक्ति के मन में प्रेम का निवास होने लगेगा उस दिन से उसके लिए करूणा, वेदना आदि के अर्थ और अभिप्राय अज्ञात नहीं रहेंगे। यह प्रेम मानव का विभूषण है। इसे पाकर और देकर मानव मानवता की सच्ची उपासना करता है। प्रेम करने वाला हमारा आत्मिय और विश्वासी होता है। प्रेम पुष्प है तलवार नहीं है। मनुष्य तलवार से कटे या नहीं कटे। जंजीरों से बँधे यह नहीं बँधे, लेकिन शबनम की जंजीरों से तो बँध ही जाता है। पुष्पों से तो कट ही जाता है।

''मानव मन को बेधते फूल के दल केवल,
आदमी नहीं कटता बरछों से, तीरों से।
लौहे की कड़िओं की साजिश बेकार हुई,
बाँधों मनुष्य को शबनम की जंजीरों से।।[12]

दिनकर जी की काव्य–प्रतिभा का चरमोत्कर्ष उनके नाटकीय कथा–काव्य उर्वशी में दृष्टिगत होता है। दिनकर जी की समस्त प्रेम साधना का नवनीत उर्वशी है। उर्वशी नर–नारी के बीच साकार होने वाले प्रेम की महागाथा है। पुरूरवा जितने रूपों में प्रेम को अनुभव करता है, उन सबका प्रतिफल है उर्वशी में। वह काम लुलिता नारी भी है और प्रेम की अव्यय दीपशिखा भी। वह प्रीति भी है, पावन भी है। वह प्रार्थना भी है, उपचार भी है। इससे कवि ने यह रहस्य उद्‌घाटित किया है कि प्रेम के मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से भीतर से खुलता है।

उदाहरणार्थ, यह पंक्तियाँ द्रष्टव्य है :–

''मिल भी गयी उर्वशी यदि तुझको इन्द्र की कृपा से,
उसका हृदय–कपाट कौन तेरे निमित्त खोलेगा।
बाहर सांकल नहीं जिसे तू खोल हृदय पा जाए।
इस मंदिर का द्वार सदा अन्तःपुर से, खुलता है।[13]

इस रचना में कवि ने प्रेम के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्वरूपों का आख्यान किया है। प्रेम पहले दैहिक होता है, फिर मानसिक और तब आध्यात्मिक यह क्रमशः सीमित से असीम और देह से देहेतर होता चला जाता है। कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य है :–

'' देह प्रेम की जन्मभूमि है पर उसके विचरण की,
सारी लीला–भूमि नहीं है सीमित रूधिर त्वचा तक,
यह सीमा प्रसरित है मन के गहन गुह्य लोकों में,

जहाँ रूप की लिपि अरूप की छवि आँका करती है और

पुरूष प्रत्यक्ष विभासित नारी–मुखमण्डल में किसी दिव्य, अव्यक्त कमल को नमस्कार करता है।[14]

प्रेम के इसी उदात्तीकरण की घोषण 'उर्वशी' की ये पंक्तियाँ करती हैं–

''जगता प्रेम प्रथम लोचन में तब तरंग निभ मन में,
प्रथम दीखती प्रिया एकदेही, फिर व्याप्त भुवन में।
पहले प्रेम स्पर्श होता है, तदनन्तर चिन्तन भी,
प्रणय प्रथम मिट्टी कठोर है, तव वायव्य गगन भी।।''[15]

डॉ0 कुमार विमल ने 'उर्वशी' काव्य की प्रेम भावना अर्थात् काम–भावों को परमेश्वर तक पहुँचने का साधन स्वीकार करते हुए लिखा है– 'दिनकर की उर्वशी एक ओर अपार्थिव सौन्दर्य का पार्थिकव संस्करण है तो दूसरी ओर पार्थिव सौन्दर्य (नारी) का अपार्थिव उन्नयन भी और सूक्ष्मीकरण भी। 'उर्वशी' का यह प्रेम वैष्णव भावना के अनुरूप है, जिसे प्रेम का आधुनिक स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। दिनकर 'उर्वशी' में सहजियामत के समीप पहुँचते दीख पड़ते हैं, जिसे मानने वाले लोग स्त्री–प्रेम के द्वारा विश्व–प्रेम भागवत वैष्णव रस तक पहुँचने की चेष्टा करते हैं।[16]

ऐसा प्रेम अग्नि नहीं अमृत के समान होता है। स्त्री जब इच्छा भरे नेत्रों से अर्थात् प्रेमिल दृष्टि से पुरूष को देखती है तो वह पुरूष केवल तन–मन में उद्वेलन भर नहीं अनुभव करता है, बल्कि उसके भीतर अनायास ही एक कवि पैदा हो जाता है। इसलिए दिनकर जी अपना काव्यात्मक संदेश विश्व को देते हुए कहते हैं–

''लोहें के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम के गाता चल।
नम होगी यह मिट्टी जरूर, आँसू के कण बरसाता चल।।[17]

X X X X

बदल जग का ध्येय साधन भी बदलना चाहिए।
तजकर घृणा नर को प्रणय पथ पर निकलना चाहिए।।''

निष्कर्ष :–

हम कह सकते हैं कि कवि ने जीवन–मंथन करते हुए प्रेम को ही सार रूप में, नवनीत रूप में प्राप्त किया है।

उदाहरणार्थ :– हम गंगा सहाय प्रेमी विरचित गीत की पंक्तियों में प्रेम के प्रभाव स्वीकृत करते हुए हृदयंगम कर सकते हैं:–

''प्रेम ने पशु को मानव किया, प्रेम से हीन मनुज, मनुजवाद।
प्रेम सुख केवल अनुभवगम्य, व्यर्थ है कोस वाद विवाद।
प्रेम वह सुलभ सलोनी नाव, लगा दे भवसागर के पार।
किये चल प्रेम किये चल प्रेम, प्रेम गंगा की पावन धार।।[18]

संदर्भ सूची :-

1. संसद में दिनकर–भूमिका, पृ० सं०–15
2. चक्रवाल, हुंकार– पृ० सं०–54
3. चक्रवाल, हुंकार – पृ0 सं0–48
4. दिनकर : संपादक : सावित्री सिन्हा, – पृ० सं०–89
5. रसवन्ती– पृ० सं०–3
6. सीपी और शंख– पृ० सं०–28
7. वही– पृ० सं०–8
8. रसवन्ती– पृ० सं०–3
9. रसवन्ती– पृ० सं०–28
10. चक्रवाल, रेणुका– पृ० सं०–36, 37
11. आत्मा की आँखें, पृ० सं०–13
12. चक्रवाल, नील कुसुम, पृ० सं०– 356
13. उर्वशीः तृतीय सर्ग –पृ० सं०–32, 33
14. वही –पृ० सं०–47, 48
15. वही –पृ० सं०–48
16. उर्वशी (तृतीय अंक) समीक्षा एवं व्याख्या –पृ० सं०–37
    प्रकाशक : साहित्य – डॉ0 राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी–
    सरोवर – डॉ0 गंगा सहाय 'प्रेमी' –
17. चक्रवाल, नील कुसुम–पृ० सं०–361
18. उर्वशी (तृतीय अंक) समीक्षा एवं व्याख्या –पृ० सं०–55
    प्रकाशक : साहित्य – डॉ0 राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी–
    सरोवर – डॉ0 गंगा सहाय 'प्रेमी'।

email ID –drsnehasingh3333@gmail.com

दूरभाष सं0– 8825207819

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 148-151

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

महिला सशक्तिकरण भारत और नेपाल

डॉ. सुमन कौशिक
सी. एम. आर. युनिवर्सिटी, बैंगलोर, कर्नाटक।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।... (मनु स्मृति–सूक्ति 13)

जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारी को सर्व शकितमान कहा है।

यदि हम वास्तविक रूप में भी सोचे तो नारी परिवार की एक धूरी के रूप में विद्यमान रहती है।

एक महिला दो परिवारों का नाम रोशन करती है। एक पिता के परिवार का और दूसरा पति के परिवार का तो आज हमें उसे सशक्त बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जिस महिला ने दो परिवारों की जिम्मेदारी को बड़ी ही आसानी से निभाया है वह तो अपने आप में सशक्त है। हमारे प्राचीनकाल की गाथाओं पर नजर डालें तो महिलाओं और पुरूषों को बराबरी की अस्त्र–शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी कहीं भी स्त्री को कमजोर नहीं समझा गया है। राजा जनक की सुपुत्री सीता, हिमालय की पुत्री पार्वती, दुर्गादेवी, चंडीदेवी, कालीमाँ आदि सभी को सर्वशक्तिमाना गया है सावित्री को अपना पति चुनने का अधिकार दिया गया। और उसने अपने पति के रूप में सत्यवान का चुनाव किया। अकारण सत्यवान की मृत्यु हुई लेकिन सावित्री अपने पति के प्राणों को वापिस लेकर आने के लिए यमराज से भी लड़ गई और सत्यवान को जीवित वापिस अपने घर लेकर आई। वहीं यदि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो वीरागंनाओं की वीरता से इतिहास भरा पड़ा है– रानी लक्ष्मीबाई, कितूररानी चेन्नमा, बेला पृथ्वीराज चौहान की बेटी, जयचंद की पौत्री कल्याणी, जिन्होंनें (गजनी को मारा) आदि हम कहीं–कभी नजर दौडाए हमें महिलाएं इतिहास में पुरूषों के समान या उनसे भी आगे दिखाई देती हैं। आज के समय में भी निर्णायक फैसलों में पूर्ण रूप से अपना दायित्व निभाती है। (परिवार हो या कार्य स्थल वहाँ भी स्त्रियों की भागीदारी बराबर की होती है) खेल का मैदान हो या सेना, पुलिस सभी जगह आज की आधुनिक लडकियाँ अपना परचम लहरा रही हैं।

"जिस माँ ने इस संसार में पुत्रों को जन्म दिया। अपने दूध की शक्ति दी उन्हें विश्व विजेता बनाने और संसार के अनेकों उच्चतम पदों पर पहुँचाने में अपने जीवन की सारी शक्ति लगा दी हो और आज उसी माँ को सशक्त बनने के लिए भीख मांगनी पड़े! इससे ज्यादा अशोभनीय बात शायद नहीं हो सकती।" माँ, बहन, पत्नी, बेटी सभी रूपों में नारी पुरुष वर्ग को एक शक्ति प्रदान करती है।

प्रश्न यहाँ यह उठता है कि समय के साथ समाज की सोच क्यों बदली? इसका अनुमान अनेकों प्रकार से लगाया जा सकता है जब स्त्री सदियों से सर्वशक्तिमान रही है उसे कैसे अबला का तमका पहना दिया गया?

ये एक ध्यान देने योग्य बात है। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है। समय की कुछ ऐसी ब्यार चली की महिला के सौन्दर्य को अधिक महत्व दिया जाने लगा। नायिकाओं के नख–शिख का वर्णन रचनाओं में देखने को मिलता है। इसका असर सीधा समाज पर पड़ा जिससे नारी के सौन्दर्य और कोमलता को अत्याधिक प्रधानता दी जाने लगी और महिलाओं को शकुन्तला, उर्वशी, अप्सरा आदि के रूप में ही देखा गया। दिनों–दिन यह प्रक्रिया समाज में स्त्री को दुर्बल बनाती गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह इसी का परिणाम था। कुछ ने तो स्त्री को केवल भोग की वस्तु मानकर घर की चारदीवारी में.....

"लिखत बैठी जाकी सबी गहि–गहि गरब गरू।
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।।''

नायिकायों की सुन्दरता का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। एक चित्रकार भी उनकी सुन्दरता को अपने चित्र में नहीं उतार सकता। वहीं विदेशी आक्रमणों का असर महिलाओं की स्वत्रंता पर मुख्य रूप से पड़ा, वहीं से पर्दा प्रथा का आरम्भ हुआ। उत्तर भारत में पर्दा प्रथा बहुत से राज्यों में अभी देखी जाती है। समाज की कुछ घटनाओं ने स्त्रियों की बंदिशें और भी बढ़ा दी, समाज की सोच दिनों–दिन स्त्री पर अत्याचार की ओर बढने लगी। अनेकों अन्य अधिकारों से भी स्त्री को वंचित कर दिया गया। स्त्रियों को वोट डालने और किसी राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं था। पूर्णरूप से महिला की आजादी पर प्रतिबन्ध था। यह सब भारत में विदेशी सत्ता, विदेशी आक्रमणों और भारत में उनके चलाए गये विदेशी कानूनों के कारण हुआ। कुछ कानून तो इतने कठोर बना दिए कि उन्हें बदलने में सदियाँ बीत गयी। फिर भी उनका प्रभाव आज के समाज पर प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। भारतीय फिल्मों ने भी नारी को अधिकतर फिल्मों में कमजोर और आश्रित रूप में ही दिखाया है। वह स्वछन्द विचारों से कभी सोच ही नहीं सकती। पुरुष वर्ग कभी पिता के रूप में कभी भाई के रूप में तो कभी पति के रूप में जिन्दगी के अंतिम समय में भी उस पर बेटे अपने विचारों को थोपते हैं। कैसी विडम्बना है? जो परिवार निर्माण की संजीवनी है वही कटघरे में है?

नया मोड़ दहेज प्रथा ने ले लिया। हर परिवार लड़की के जन्म से डरने लगा। लड़की पैदा होने से कितना धन इक्कठा करना पड़ेगा और लडके वालों को न जाने कितना दहेज देना पड़ेगा। इसका परिणाम भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते चले गये और देश में लड़कियों की संख्या घटती चली गयी। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो गया जब लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा। 'तो कल आप अपने सुपुत्र के लिए पत्नी कहाँ से लाओगे? कई राज्यों में यह अनुपात 60 प्रतिशत के लगभग हो गया। जब हमारे समाज की आखें खुली है। बेटियों के रक्षा के लिए अनेकों योजना बनाई गयी। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ो, का नारा दिया।

लड़कियों की जनसंख्या में कुछ वर्षो में बढौतरी हुई तो जरुर है और शिक्षा के क्षेत्र में भी लडकियाँ आगे बढ़ रही हैं साथ ही अब महिलाओं का दायरा केवल घर की चार दीवारी तक सीमित नही रह गया है अपितु कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी बढ़ौतरी देखी जा सकती है परन्तु अभी भी दहेज के मामलों में कमी नहीं आ रही है। आए दिन अखबारों में समाचार पढने को मिलते हैं दहेज के कारण नवविवाहिता को प्रताड़ित किया गया। दहेज के कारण दुल्हन की हत्या! दूसरी ओर तलाक के मामलों में भी इजाफा हुआ है जहाँ विवाह दो परिवारों के सम्बन्धों को जोड़ता है वहीं आज दहेज के लोभी और दकयानुसी सोच रखने वाले लोग अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते जिस के कारण धीरे–धीरे विवाहित जोड़े के सम्बन्धों में दरार आने लगती है और बात

तलाक तक पहुंच जाती है। जिसका नुकसान लड़की और उसके परिवार वालों को अधिक उठाना पड़ता है। समाज भी इसमें लड़की को ही ज्यादा दोषी मानता है। अपनी सोच बदलिए और परिवारों को टूटने न दें उन्हें बनाए रखने की कोशिश करें अन्यथा इसके परिणाम भविष्य में भयंकर हो सकते हैं जिसका खमियाजा पूरे समाज को प्रभावित करता है। महिलाओं के लिए सरकार भी नयी योजनाएं बना रही है और नये कानून महिलाओं के हित के लिए बनाए गये हैं। पिता की सम्पति में लड़कियों को बराबर अधिकार दिया गया है। भारत में मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक के कानून को समाप्त कर दिया गया। जहाँ महिलाएं अपने आपको सशक्त बना रही है वहीं सरकार भी उनका साथ दे रही है।

कुछ कुरीतियों ने महिलाओं को समाज में बराबरी के दर्जे से वंचित कर दिया था! इतिहास इस बात का गवाह है परन्तु भारत की महिलाओं ने समय–समय पर अपने सशक्त होने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। सावित्री बाई ज्योतिबाई फुले ने यह दिखा–दिया कि बाधाएं किसी को रोक नहीं सकती। वे भारत की पहली महिला अधियापिका थीं जिन्होनें ने महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और अन्य समाज सुधार के कार्य किए ये सब करने के लिए न जाने उन्होंनें समाज के कितने जुल्म सहे? लेकिन अपने आपको टूटने नहीं दिया। और आज उनकी प्ररेणा से हमारे देश में लाखों महिला अध्यापिकाएं कार्यरत हैं। ये वे महिलाएं हैं जो अनेकों क्षेत्रों में आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं। अरुणा आशफाली, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्म्र भारत की राष्ट्रपति हैं, इंदिरा गाँधी, सरोजनी नायडू , निर्मला सीतारमण, किरण बेदी, बछेंद्रीपाल, कल्पना चावला, जस्टिस फातिमा बीवी, '2022 में भारत की पहली बुकर पुरस्कार पाने वाली गीतांजलिश्री शर्मा।'

वहीं भारत की सबसे बड़ी परीक्षा यू.पी.एस.सी. 2022, में पहले 4 स्थानों पर लड़कियाँ रही हैं और मेरे अपने प्रदेश हरियाणा से 16 लड़कियों ने इस वर्ष यह परीक्षा पास की है। 2023 में फिर से पहले 4 स्थानों पर लड़कियों ने परचम लहराया है। महिलाएं दिनोंदिन अपनी तथा समाज की उन्नति में अपने कदम बढ़ा रही हैं। और देश का गौरव हर क्षेत्र में बढ़ा रही हैं। वहीं नेपाल की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नेपाल की पहली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, सी एनएन हीरो आफ दी ईयर विजेता अनुराधा कोइराला, पुष्पा बसनेट, माउन्ट एवरेस्ट पर चढने वाली पहली महिला पासंग लामू शेरपा, अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एथलीट मीरा राय, फूपू ल्हमू और पहली मुख्य न्यायाधीश सुशीला शामिल हैं।

आधुनिक नेपाल में समय के साथ महिलाओं की परिस्थिति में काफी बदलाव देखा जा रहा है। हमारी कोशिश ये रहे की भविष्य में ऐसा कोई रीति–रिवाज जन्म ने ले जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि आज 'हिजाब, जो काफी चर्चा में है जिसके कारण छोटी–छोटी बच्चियां जो अपने आपको सम्भालने में असमर्थ हैं। उन्हें भी हिजाब पहनने के लिऐ बाध्य किया जा रहा है। या हिजाब के कारण परीक्षा देने घरवालों ने नहीं भेजा यह उचित प्रतीत नहीं होता। यदि कोई हिजाब किसी की पढाई में बाधा हैं तो ऐसे धर्म के रिवाजों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि कोई भी धर्म पढाई के आड़े आता है 'तो याद रखिए! भविष्य में उस धर्म की शिक्षाओं को ही पढने और पढ़ाने वालों की कमी हो जाएगी, और वह धर्म इसका परिणाम अवश्य भुगतेगा। क्योंकि "इतिहास इस बात का गवाह है कि इस पीढ़ी में जो चलन बना अगली पीढ़ी में वह प्रथा बनकर सामने आ जाती है और जो प्रथा है उस पर हमारा समाज विश्वास करने लगता है। और अगली पीढ़ी में वह रुढियां बन जाती है।'' और रुढियों को तोड़ना कितना कठिन है। इन रुढ़ियों को बदलने में सदियों लग जाती

हैं और न जाने कितनी ही कुर्बानियां इन्हें तोड़ने में देनी पड़ती है। इतिहास इस बात का गवाह है। इसलिए इन बच्चियों की पढाई में किसी प्रकार का असर किसी धर्म का नहीं होना चाहिए। अन्यथा भविष्य में इसका भी परिणाम देखने को अवश्य मिलेगा।

नेपाल प्राचीन समय में भारत का ही एक भाग था। आज के समय में सीमाएं भले ही अलग हो गयी हों परन्तु संस्कृति भारत से मिलती–जुलती ही है। जैसी परिस्थिति महिलाओं की भारत में है लगभग वैसी ही नेपाल में है। लेकिन यदि कोई पुरुष भारतीय महिला से शादी करता है तो उस महिला को नेपाल की नागरिकता सात के बाद ही मिलेगी। इससे भारत के साथ जो नेपाल बेटी–रोटी का रिश्ता था वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है।

महिलाओं को सशक्त बनने में सदियों का समय लगा रहा है क्योंकि किसी भी रीति और कानून को नयापन देने में हजारों कुर्बानी देनी पड़ती है तब कहीं उसमें सुधार होता है। आने वाली पीढी सशक्त बनती है भविष्य में हमारा परिचय अनेकों सशक्त महिलाओ से होता रहे। इसी आशा के साथ .....

सन्दर्भ :–

1. मनु स्मृति, अध्याय तीन।
2. बिहारी सतसई से।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 152-159

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन–देन से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन

सुनील कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।

सार :–

भारत में, नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद रहित लेन–देन व्यापक रूप से उभरती हुई अवधारणा है। नकद रहित लेन–देन सुविधा और लेन–देन में आसानी है और नकद निकासी से जुड़े लेन–देन की तुलना में अधिक सुरक्षित है। नकद रहित लेन–देन शहरी और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खरीदारी पैटर्न और खर्च करने के पैटर्न में बदलाव लाता है।

भारत धीरे–धीरे नकद–केन्द्रित से नकद रहित इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल लेन–देन का पता लगाया जा सकता है, इसलिए आसानी से कर योग्य है, जिससे काले धन के संचलन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। पूरा देश पैसे के लेन–देन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें ई–पेमेंट सेवाएं अभूतपूर्व गति प्राप्त कर रही हैं। बड़ी संख्या में व्यवसाय, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोगों को पहले से कहीं अधिक तेज गति से नकद रहित तरीके से लेनदेन करना सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नकद रहित सभी पहलुओं में बेहतर है। यह आर्थिक विकास में भी सहायक है। यह एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और भुगतान किया जाता है। नकद रहित लेन–देन धन के प्रवाह को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, प्रत्येक लेनदेन को खरीदार, विक्रेता और साथ ही विनियमित निकायों के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे सिस्टम और अधिक पारदर्शी और अनुपालन हो जाता है।

भूमिका :–

नकद रहित लेनदेन का चलन दिन–ब–दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नकद रहित लेन–देन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार नकद रहित नीति से रोजगार में वृद्धि होगी, नकदी ले जाने के जोखिम को कम करके नकदी संबंधी डकैती को कम किया जा सकेगा। नकद रहित नीति से नकदी संबंधी भ्रष्टाचार भी कम होगा और अधिक विदेशी निवेशक देश की ओर आकर्षित होंगे। उम्मीद है कि इसका असर भुगतान प्रणाली के आधुनिकीकरण, बैंकिंग सेवा की लागत में कमी पर महसूस होगा।

आरबीआई प्रीपेड भुगतान साधन के रूप में कार्ड या मोबाइल फोन का उपयोग करके नकद रहित फंड

हस्तांतरण या लेनदेन के हर तरीके को वर्गीकृत करता है। सबसे लोकप्रिय, सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल भुगतान माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ई–वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि हैं। ये विधियाँ अधिक पारदर्शी हैं क्योंकि प्रत्येक लेन–देन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि यह अपने पैरों के निशान छोड़ देता है। कई शहरी लोगों ने नकद रहित भुगतान के नए विकल्प अपनाए। जहां ग्रामीण लोगों के लिए नकद रहित भुगतान विकल्प को अपनाना चुनौती है। क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों पर हमने पाया कि अधिकांश ग्रामीण लोग डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और बहुत कम लोग भुगतान के अन्य विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं।

भारत के सभी राज्यों में, विमुद्रीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को नकद रहित लेन–देन में सुचारू रूप से परिवर्तित करने के प्रयास एक निरंतर और व्यापक रूप से उभरती हुई स्थिति रही है। और नकद रहित लेनदेन की मदद से आम लोगों की सुविधा और लेनदेन आसान हो गया है। और लेन–देन की तुलना में नकद निकासी से जुड़े संचालन अधिक सुरक्षित होते जा रहे हैं।

ई–कॉमर्स लेनदेन और डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था की जीडीपी में वृद्धि होगी। इससे देश की साख बढ़ेगी और निवेश में वृद्धि होगी। नकद रहित का यह कदम वास्तव में बड़ी सफलता की लहरें पैदा करने वाला है।

भारत में कालाबाजारी से बचने के लिए देश धीरे–धीरे नकद–केंद्रित से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। काले धन से बचने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रकार से भारत के अन्य राज्यों और भारत के कुछ हिस्सों में आसानी से डिजिटल भुगतान के माध्यम से भुगतान करने और लेने में एक मिनट भी नहीं लगता है।

योजना के क्रियान्वयन से सरकार ने इस कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया, ताकि सरकार देश में कालाबाजारी को अधिकतम स्तर पर कम करने तथा डिजिटल भुगतान के माध्यम से नई तकनीक के साथ सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसके जरिए समय पर भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही ई–पेमेंट सेवाओं की अभूतपूर्व गति के कारण पूरा देश मुद्रा लेनदेन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

इतना ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक और निजी स्केटर्स, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नकद रहित लेनदेन कर सकते हैं।

नकद रहित हर लिहाज से बेहतर है क्योंकि कई बार नकद लेनदेन में डिजिटल पेमेंट से समय की बचत होती है। इसके अतिरिक्त इसे विधियों के साथ–साथ आर्थिक विकास में सहायक प्रक्रिया का रूप भी माना जा रहा है। यह उस आर्थिक व्यवस्था में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उचित भुगतान किया जाता है। और प्रत्येक लेन–देन के साथ नकद रहित लेन–देन को खरीदार, विक्रेता और साथ ही विनियमित निकायों के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। पैसे के प्रवाह को ट्रैक करना बहुत आसान है और आम जनता द्वारा इन प्रावधानों को एक डेस्क पर अपनाकर उचित रूप से किया जाता है ताकि लोग अपने स्वयं के पैसे का पंजीकरण कर सकें। समय का महत्व, इसकी कीमत आसानी से समझी जा सकती है। इसके साथ, सिस्टम अधिक पारदर्शी और आज्ञाकारी हो जाता है। ताकि नकद रहित भुगतान के कुछ विकल्प डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ई–वॉलेट

और अन्य आदि हैं। कम समय में आम लोगों के माध्यम से डिजिटल भुगतान। सीमित समय में इस डिजिटल भुगतान और अन्य तरीकों को अपनाना ग्रामीण व शहरी लोगों के लिए और आसान हो गया है। कम से कम समय में, अधिक से अधिक रूप में, इस पूरे भुगतान को देश और विदेश में भी उजागर किया जा सकता है।

व्यवसाय और व्यक्ति अन्य लागतों से भी बच सकते हैं। चोरी अक्सर किसी की जेब में बड़ा छेद कर देती है। चोरी का जोखिम तब तक बना रहेगा जब तक कि लोग नकदी नहीं ले जाते और नकदी रहित होकर इसे कम किया जा सकता है। यह सरकार पर भी प्रभाव छोड़ता है क्योंकि वे उस लागत को कम कर सकते हैं जो सरकार दोषियों को पकड़ने पर खर्च करती है। अमेरिका जैसे देशों में, सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक स्थानान्तरण में स्थानांतरित करने के बाद, चोरी और हमले में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, सरकार को ऑनलाइन घोटालों और पहचान की चोरी की घटनाओं को रोकने के उपाय करने होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन-देन से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन :-

आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से डिजिटल लेन–देन के प्रति लोगों की मानसिकता में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि वे कम समय में अपना काम पूरा कर सकते हैं। देश की जनता को पता चल गया है कि डिजिटल लेन–देन सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी भी है और भारत में काले धन और जाली मुद्रा की भारत में कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। नकद या नकद रहित इंडिया एक अभियान जागरूकता कार्यक्रम है जो हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया है कि भारत सरकार नकद आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, डिजिटल माध्य से नकद, और इस प्रकार, देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव। उपरोक्त विश्लेषण से, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षित और कम शिक्षित लोग नकद रहित लेन–देन के बारे में जागरूक हैं। जब हम नकद रहित लेनदेन के उपयोग पर विचार करते हैं, तो अधिकांश उच्च शिक्षित लोग अक्सर नकद रहित लेनदेन का उपयोग कर रहे होते हैं। तकनीकी प्रगति, जानकारी की कमी, रुचि की कमी, उनकी उम्र, सुविधा की कमी, खराब धारणा आदि जैसे कई कारणों से निरक्षर लोग इस अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में नहीं अपना सकते।

सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाली मुद्रा के मामलों, भीड़ और बैंक के बोझ को कम करती है। डिजिटल भुगतान तंत्र भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की दृष्टि से सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आरबीआई भुगतान साधन के रूप में कार्ड या मोबाइल फोन का उपयोग करके नकद रहित फंड ट्रांसफर या लेनदेन के हर तरीके को वर्गीकृत करता है।

नकद रहित लेन–देन एक ऐसी आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है जिसमें भौतिक बैंकनोट या सिक्कों के रूप में धन के साथ वित्तीय लेनदेन नहीं किया जाता है, बल्कि लेन–देन करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल जानकारी के हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

नकद रहित ट्रांजेक्शन शब्द का अर्थ है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन–देन के माध्यम से नकद लेन–देन और भुगतान के निपटान को कम करना। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया– दो सबसे बड़ी मुद्राएं प्रचलन से बाहर हो गईं। मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, सुविधा, नकली धन और काले धन के खिलाफ लड़ना था।

आरबीआई प्रीपेड भुगतान साधन के रूप में कार्ड या मोबाइल फोन का उपयोग करके नकद रहित फंड ट्रांसफर या लेनदेन के हर तरीके को वर्गीकृत करता है। सबसे लोकप्रिय, सुरक्षित और सबसे अच्छा डिजिटल भुगतान माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ई–वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि हैं। ये तरीके अधिक पारदर्शी हैं क्योंकि हर लेनदेन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके पैरों के निशान। कई शहरी लोगों ने नकद रहित भुगतान के नए विकल्प अपनाए। जबकि ग्रामीण लोगों के लिए नकद रहित भुगतान के विकल्प को अपनाना एक चुनौती है। क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा पर, हमने पाया कि अधिकांश ग्रामीण लोग डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और बहुत कम लोग भुगतान के अन्य विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं।

पूरा देश विमुद्रीकरण के प्रभावों को देख रहा है और हमारे प्रधान मंत्री द्वारा नकद रहित अर्थव्यवस्था पर संकेत देने से, बहुत से लोग भ्रम में रह गए हैं। नकद रहित अर्थव्यवस्था कैसे फायदेमंद होगी यह कई लोगों का सवाल है। नकद रहित ट्रांसफर जल्द ही सबसे पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है और नकद रहित होने के कई फायदे हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग करके पूंजी का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन नकद रहित ट्रांसफर कहलाता है।

लोग आसानी से अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और लेन–देन निर्धारित कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन का उपयोग करके सभी वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। नकद रहित होने से न केवल किसी का जीवन आसान हो जाता है बल्कि किए गए लेन–देन को प्रमाणित और औपचारिक बनाने में भी मदद मिलती है। इससे भ्रष्टाचार और काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

करेंसी नोटों की छपाई और परिवहन में होने वाला खर्च कम हो जाता है। भारत जैसे देश में, नकद रहित लेन–देन व्यापक नहीं है और यह तकनीकी अंतर और उचित शिक्षा की कमी के कारण है। हालांकि ये चिंता के विषय हैं, सरकार या वित्तीय संस्थानों को एक मजबूत नकद रहित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इनका समाधान करने की आवश्यकता है।

मोबाइल बैंकिंग एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है जो अपने ग्राहकों को स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके दूरस्थ रूप से वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति देती है। मोबाइल बैंकिंग आमतौर पर 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन–देन में खाता शेष राशि प्राप्त करना और नवीनतम लेनदेन की सूची, इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान और ग्राहक या किसी अन्य के खातों के बीच धन हस्तांतरण शामिल हो सकते हैं। यह आपको देश भर में किसी भी स्थान से अपनी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।

ऑनलाइन बैंकिंग, जिसे इंटरनेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली आम तौर पर एक बैंक द्वारा संचालित कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ती है या उसका हिस्सा बनती है और यह शाखा बैंकिंग के विपरीत है जो ग्राहकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने का पारंपरिक तरीका था।

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नकद रहित भुगतान का एक और तरीका है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कई उपयोगों के कारण लगातार बढ़ रहा है। डेबिट कार्ड के लाभ नकदी ले जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं, वीजा और मास्टरकार्ड मर्चेंट स्वीकृति के कारण विश्वव्यापी कार्यक्षमता, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने या कर्ज में डूबने की चिंता नहीं है, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए आवेदन करने और स्वीकार करने का अवसर क्रेडिट गुणवत्ता की परवाह किए बिना, और मुफ्त में कार्ड पर सीधे तनख्वाह और सरकारी लाभ जमा करने का विकल्प।

चेक नकद रहित भुगतान के लोकप्रिय तरीकों में से एक है। इस पद्धति में व्यक्ति किसी अन्य को विशिष्ट राशि के लिए चेक जारी करता है। व्यक्ति चेक को संबंधित बैंक में जमा करता है। दो दिनों के भीतर बैंक को राशि मिल जाती है। चेक की अधिकतम वैधता जारी होने की तारीख से तीन महीने की होती है। चेक के माध्यम से किया गया पूरा लेन–देन रिकॉर्ड हो जाता है और भुगतान का एक प्रमाण होता है। हालाँकि पर्याप्त बैलेंस न होने, हस्ताक्षर के बेमेल होने के कारण चेक के अनादर होने की संभावना होती है, चेक बुक में इन सभी मुद्दों से बचने के लिए लोग नकद रहित ट्रांजेक्शन के माध्यम से जा सकते हैं।

मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जो भुगतान कार्ड की जानकारी को मोबाइल डिवाइस पर संग्रहीत करता है। मोबाइल वॉलेट उपयोगकर्ता के लिए इन–स्टोर भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका है और इसका उपयोग मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता के साथ सूचीबद्ध व्यापारियों पर किया जा सकता है। एक मोबाइल वॉलेट आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी को आपके मोबाइल डिवाइस पर डिजिटल रूप में ले जाने का एक तरीका है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से नकद रहित लेनदेन का लाभ अब स्थिर गति से फलने–फूलने लगा है और अधिक से अधिक लोग भुगतान प्राप्त करने और करने के डिजिटल तरीकों पर स्विच कर रहे हैं। भारत धीरे–धीरे नकद–केन्द्रित से नकद रहित इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल लेन–देन का पता लगाया जा सकता है, इसलिए आसानी से कर योग्य है, जिससे काले धन के संचलन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। पूरा देश पैसे के लेन–देन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें ई–पेमेंट सेवाएं अभूतपूर्व गति प्राप्त कर रही हैं। बड़ी संख्या में व्यवसाय, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोगों को पहले से कहीं अधिक तेज गति से नकद रहित तरीके से लेनदेन करना सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपनाने में वृद्धि के साथ, विशेष रूप से ई–कॉमर्स और एम–कॉमर्स चलाने वाले, तेजी से भुगतान सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जो बदले में, वित्तीय लेनदेन करने में आसानी की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, नकदी से दूर जाने से कर अपवंचकों के लिए अपनी आय को छिपाना अधिक कठिन हो जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से विवश देश में एक बड़ा लाभ है।

नकद रहित लेनदेन की चुनौतियां :–

भारत में बड़ी संख्या में लोग अभी भी निरक्षर हैं और डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करते समय धोखाधड़ी या अन्य कदाचार का शिकार हो सकते हैं। यहां सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए प्रशिक्षण की कमी के कारण लोगों को डिजिटल पेमेंट करने का तरीका और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता। कई स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदार स्वाइप मशीनों का उपयोग करना नहीं जानते हैं। साथ ही ये उन्हें उपलब्ध नहीं

हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में स्मार्टफोन का क्या मतलब है। उनके लिए मोबाइल आज भी संचार का एक माध्यम मात्र है।

इंटरनेट सुविधाओं का अभाव और इसके बिना कोई देश डिजिटल बनने की सोच भी नहीं सकता। अभी भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जहाँ आपको 2जी नेटवर्क तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है, 3जी, 4जी को तो छोड़ ही दें। एक और मुद्दा यह है कि कभी–कभी यह नोट करना मुश्किल हो जाता है कि आपका लेन–देन सफल हुआ या नहीं। यह बीच में नेट कनेक्टिविटी के खराब होने, या धीमे कनेक्शन के कारण, या बैंक का सर्वर डाउन होने के कारण हो सकता है।

सबसे बड़ा डर पहचान की चोरी का खतरा है। चूँकि हम सांस्कृतिक रूप से डिजिटल लेन–देन के अभ्यस्त नहीं हैं, यहाँ तक कि पढ़े–लिखे लोग भी फिशिंग के जाल में फंसने का जोखिम उठाते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के साथ, हैकिंग का खतरा तभी बढ़ेगा जब अधिक लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। इसके अलावा, सरकार द्वारा 2,000 तक के ऑनलाइन लेन–देन के लिए दो–कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को हटाने के नवीनतम कदम से मदद नहीं मिलेगी। लेन–देन के आकार के बावजूद, सुरक्षा की इस अतिरिक्त परत के अभाव में हजारों लोगों को पहचान की चोरी के जोखिम का सामना करना पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। कोई एटीएम मशीन या ई लॉबी सुविधा नहीं। कई गांवों में अब तक बिजली और दूरसंचार की सुविधा नहीं है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इंटरनेट और स्मार्टफोन की पैठ है। सभी भारतीयों के पास मोबाइल नहीं है, नेट कनेक्शन तो दूर की बात है। भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई, भारत के नवीनतम आंकड़ों में बिहार, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ 70 प्रतिशत से कम टेलीघनत्व के साथ टेलीघनत्व 83 प्रतिशत था। हालांकि एक बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन (उपयोगकर्ता नहीं), केवल 30 प्रतिशत ग्राहक ही स्मार्ट फोन का उपयोग करते हैं। 370 मिलियन मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक शहरों में हैं जबकि 70 प्रतिशत भारतीय आबादी गांवों में रहती है।

छोटे व्यापारियों के साथ–साथ उपयोगकर्ताओं में भी प्लास्टिक मनी को लेकर बहुत अधिक संदेह है और उन्हें इसके उपयोग के संभावित लाभों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक मनी के उपयोग को लेकर अधिकांश भारतीयों की धारणा में रातोंरात बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जागरूकता और प्रोत्साहन योजनाओं के साथ आने की जरूरत है।

कार्ड जारी करने वाले प्राधिकरण या बैंक द्वारा एक व्यापारी द्वारा की जाने वाली प्रत्येक खरीदारी से ये प्रतिशत कटौती की जाती है। ये मात्रा पर निर्भर होते हैं और अधिक किफायती होते हैं यदि व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पाद बेचने में सक्षम होता है, जिससे बड़े व्यापारियों को फायदा होता है। छोटे व्यापारियों के लिए, यह नकदी से बदलाव करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है।

नकद रहित लेन–देन में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय :–

नकद रहित अर्थव्यवस्था के विचार को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों पर वित्तीय सुरक्षा अनिवार्य है। जब हाल ही में, लाखों डेबिट कार्डों का डेटा हमलावरों द्वारा आसानी से चुरा लिया गया था, भारतीय

वित्तीय संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा और एक्सचेंजों को सुरक्षित रखने की क्षमता सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके अलावा, एक बड़ा कारण है कि लोग नकदी को पसंद करते हैं क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी आम व्यक्ति के लिए बहुत आम और जटिल हो गई है। एंटी फ्रॉड सिस्टम में बड़ी रकम का निवेश किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए जोखिम कम करने के उपकरण काफी मजबूत हो गए हैं और अब पारंपरिक भुगतान प्रणालियों से आगे निकल गए हैं।

भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल को ध्यान में रख सकता है जो पहले ही नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं। उरुग्वे ने व्यापारियों को डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहन दिया है। भारत को भी ऐसा करने के बारे में सोचने की जरूरत हो सकती है। स्वीडन एक और उदाहरण है। पूर्ण विस्तार के बाद भी, स्वीडन जैसी पूरी तरह से वित्तीय रूप से डिजिटाइज्ड अर्थव्यवस्था अभी भी अपने नकद लेनदेन का लगभग 20 प्रतिशत नकद में करती है।

क्रेडिट सिस्टम विभिन्न भुगतान विधियों का समर्थन करता है, कार्ड से – क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और किसी भी जारीकर्ता से अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड – बैंक हस्तांतरण, प्रत्यक्ष डेबिट, फोन क्रेडिट, भुगतान खातों या इलेक्ट्रॉनिक धन जैसे विकल्पों के लिए। प्लेटफॉर्म की मोबाइल वॉलेट सुविधा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जा रहे उत्पाद या सेवा के लिए सबसे उपयुक्त भुगतान विधियों को चुनने के लिए एक साथ लाती है। प्लेटफॉर्म साझा क्षैतिज घटकों की पेशकश करता है जो न केवल अतिरिक्त परिदृश्यों को पेश करके बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को उत्पन्न करता है बल्कि वफादारी और कूपनिंग जैसी अतिरिक्त मूल्य सेवाओं को भी सक्षम करता है। क्रेडिट वैकल्पिक भुगतान पद्धति के रूप में फोन क्रेडिट की पेशकश करके डिजिटल सामान और सेवाओं की बिक्री के लिए विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं के साथ, मंच इतालवी मोबाइल–टेलीफोन ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को रेखांकित करता है। जो चीज इसे अलग करती है वह है एनरिचमेंट फंक्शनलिटी, एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता को उनके टेलीफोन नंबर के माध्यम से पहचानती है और तेज, सरल और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करती है।

निष्कर्ष :-

भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश है, नकद रहित अर्थव्यवस्था को लागू करने में कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं लेकिन इस दिशा में प्रयास शुरू करना आवश्यक है। आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से डिजिटल लेन–देन के प्रति लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है।

लोगों को पता चल गया है कि डिजिटल लेन–देन सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी भी है और भारत में नकदी में काले धन और नकली मुद्रा की कोई गुंजाइश नहीं है। नकद या नकद रहित इंडिया एक अभियान है जो हाल ही में शुरू किया गया है जिसे भारत सरकार डिजिटल मीडिया से नकद आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। उपरोक्त विश्लेषण से ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षित और निम्न शिक्षित लोग नकद रहित लेन–देन के बारे में जागरूक हैं।

जब हम नकद रहित लेन–देन के उपयोग पर विचार करते हैं, तो अधिकांश उच्च शिक्षित लोग अक्सर

नकद रहित लेनदेन का उपयोग कर रहे होते हैं। निरक्षर लोग इस अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में तकनीकी प्रगति, जानकारी की कमी, रुचि की कमी, उनकी उम्र, सुविधा की कमी, बुरी धारणा आदि जैसे कई कारणों से नहीं अपना सकते हैं। यह अवधारणा तभी सफल होगी जब सभी अपने जीवन में अमल करने लगेंगे। तभी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश कुछ हद तक विकसित है।

संदर्भ सूची :-

1. जाशिम खान और मार्गरेट क्रेग–लीस (2014), नकद रहित लेन–देन खरीद व्यवहार पर उनका प्रभाव ऑकलैंड विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र की समीक्षा, खंड 1, एन.1 आईएसएसएन 1647–1989
2. दीपिका कुमारी, नकद रहित लेन–देन मेथड्स, एप्लीकेशन्स एंड चेलेंजेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनहैंस्ड रिसर्च इन एजुकेशनल डेवलपमेंट (IJERED) वॉल्यूम। 4 अंक 6, नवंबर–दिसंबर, 2016
3. डॉ. हितेश कपूर (2016), ग्राहक संतुष्टि और ई–बैंकिंग सेवाएं ट्राईसिटी का एक केस स्टडी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अभिनव अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम। 4, अंक 10, अक्टूबर 2015, आईएसएसएन 2319–8753
4. करमजीत कौर एट अल (2016) भारत में ई–कॉमर्स पर ई–पेमेंट सिस्टम जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशन, ISSN: 2248–9622, वॉल्यूम 5, अंक 5, और (भाग 6) मई 2015, पीपी 63–73
5. सुश्री वी. कोकिला, (2017), काव इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट।
6. ओकोए, पी.वी.सी., और एजेजियो फॉर, आर. (2018) नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था के विकास में नकद रहित अर्थव्यवस्था नीति का मूल्यांकन। रिसर्च जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, 4(7), 237–252
7. सैनी, बी.एम., डिमोनेटाइजेशन – मेटामोर्फोसिस फॉर नकद रहित इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च (आईजेएसआर), वॉल्यूम 5, अंक 12, दिसंबर 2016ण

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 160-162

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

EFFECT OF HOME ENVIRONMENT ON TEENAGER'S LIFE CHOICES

Dr. Vinita Swarnkar

Assistant professor Psychology, Govt.J.Y.C.Gcollege, Raipur, Chhattisgarh

ABSTRACT :-

Children raised in chaotic and conflicting environment,often feel that normal healthy relationships are boring and doesn't feel connected unless there is drama in relationship , as they doesn't have a clue about how to function in peace and create harmony. Therefore parents must understand that parents have to provide peaceful and harmonious environment along with food, water, good education and other important things to their children.

KEYWORDS :- Home environment, parents, infidelity, responsibility, teenager.

INTRODUCTION :-

Home is not just a place of residence and comfort but also related to emotional and psychological state of comfort. Therefore recently, it is not perceived to have any physical definition, it is more psychological than physical.

Home environment is important because the family who lives in it have a place where the feel physically, socially and emotionally accepted and secure. It is imperative for healthy development and successful future of the members. Adolescent who feel connected to their caregivers and their home goes on to show fewer at - risk behavior later in their adulthood. As they say “children do what they see,rather than what they are told" . Therefore parents have to provide good home environment for their children specially teenagers as this is the most stressful age of a human life.

CASE STUDY # 1 : A 44 year old lady Mrs.H was constantly in search of a counselor for her 21 year old daughter (she ran away from home and get married to a man who have criminal records and many substances additions) . Her daughter has been married for more than 4 years now and all the police enquiries suggest that she is found happy and legally eligible for her decision and marriage. According to Mrs.H she was "A" grade students of math’s and was deserving of a brighter future, she just made a bad decision and now she is pregnant and going to suffer more. Mrs.H is constantly trying to convince

her to come back home, get an abortion,a divorce and pursue future degree in order to help managing her boutique business. Mrs.H describe her daughter's childhood personality as a happiest, cheerful and compassionate before her 16th birthday and then she turned into some silent, depressive teenager (which was a result of constant fight among parents as father had an extra marital affair.)

There are many other case studies like such where teenage boys failed there exams and become reluctant to do any job as their parents are being able to provide them forever and girls tends to ran away in search of love and affection. The parents are the one who actually need concealing and psychological treatments rather than teenagers.

Parents need to understand that in order to raise responsible and mentally healthy adults they have to provide a better home environment rather than luxury and branded clothes and equipment's. Higher socio-economic status doesn't promise a healthy home environment. If parents are not well adjusted, fighting constantly (have lower EQ), have infidelity (which is a result of lower IQ) then their ability to earn higher income is of no use. Money can buy so many things but it cannot buy mentally healthy parents or children. Parents need to understand that their children didn't asked to be born, children are born to fulfill parents wish (whatever it may be , social pressure or reason to have a bigger family etc.), if parents didn't take responsibility for their choices then how would they expect their teenager to behave?. By being irresponsible and selfish you cannot teach responsibility and thoughtfulness.

Behaviorisms in psychology suggest that Human beings learn through rewards and punishment. But in case of teenager punishment doesn't work even positive punishment have many negative results. Rewards and praise does work all the time. One's a teenager learn to perceive their parents as negative (as an impact of their parents fights and argument), it is very hard to reverse the pattern. Parents must avoid the blame game (pointing fingers at each otherfor maladjustment) and irresponsibly creating a new life after messing up the existing one.

Teenager perceives themselves being part of their parents. If parents fail to commit 100 percent to a relationship, they find it difficult for themselves too. In every area of life, parents serve as unconscious model for their teenagers.

SOME TIPS TO CREATE HEALTHY HOME ENVIRONMENT :-

1# Eat dinner together.

2# Healthy fitness activities

3# Parents need to have some compulsory weekly alone time.

4 # Religious worship or grateful exercise training together.

5 # Celebrate every small and big achievements together.

6# Parents must play the role of good cop and bad cop to form a better conditioning.

CONCLUSION :-

As they say, "family who eats and plays together stays together". Above all achievements in life, parents want their children to be happy and independent. It is necessary to accept children's freedom and decision (to a healthy extend) in order to raise a independent and responsible teenager. Yes it is also important to say no for their no sensible request in order to have a better classical conditioning time to time. parents must understand that they cannot bubble wrap their teenager's life, not they are expected to do so but in case of bad decision and maladjustment they can just be by their side.

REFRENCE :-

1. www.google.com
2. psychology.fandom.com
3. home environment - Google search
4. Modern Day Psychology- Google search
5. The 1M Club-Insta

Email ID: sdrvinita@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 163-168

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

A COMPARATIVE STUDY OF INDIVISUAL TAXETION IN INDIA AND NEPAL

Prof. Anurag Agarwal

Head, Faculty of Commerce, S.S. (PG) College, Shahjahanpur (UP) India

Affiliated to M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly

ABSTRACT :-

Tax is a very important source of government revenue. Ideal tax structure has both type of taxes- Direct and Indirect Tax. Income Tax is a major direct tax which is imposed on income of a person. In India and Nepal tax system is progressively imposed on income also have little different. This paper focused upon the individual income tax structure of India and Nepal.

Keywords :- Income Tax, Tax Rates, Individual, Person

Introduction & History of Income Tax in Nepal :-

The history of Nepal shows the different types of taxes since ancient period. Taxes were imposed as per the religious rules. The history of income tax is not very old in Nepal. The idea of introducing Income tax in Nepal originated in the early 1950s. In 1951 the government of Nepal declared its intension to levy income tax. But the first elected government in 1959 finally introduced business profit and salaries tax act 1960. After about 3 year the government replaced the prevailing tax act by income tax act 1962. The coverage was extended in the Act. In 1974, Income Tax Act, 1974 was enacted. The Act categorized income source into five groups, (a) Agriculture, (b) Industry, trade, profession or occupation, (c) Remuneration (d) House and compound rent and (e) other sources. However, agriculture income was exempted from tax after few years. To increase revenue and improve tax system parliament of Nepal enacted income tax Act, 2002. This Act replaced income tax Act, 1974. The Government of Nepal formed income tax rules 2059 which clarified the Act. In present Nepal is adopting various tax policies under this Act.

Introduction & History of Income Tax in India :-

'Income Tax' is imposed by the Central Government of India on the income of any person.

a. Pre-independence Period :-

Income Tax Act, 1860 : For the first time in India Sir James Wilson levied the income tax in 1860. The Income Tax Act 1860 was base on the British Income Tax Act. Under this act there was four types of income- (a) Salary and Pension (b) Income from Securities (c) Income from land and property including Agriculture (d) Income from business or profession.

Income Tax Act, 1886 : To give Income Tax a permanent status, Income Tax Act 1886 was passed. In this act agricultural income was declared to be tax free.

Income Tax Act, 1918 : In this year new Income Tax Act was passed because income tax was to be used as an important source of revenue to tide over the financial difficulties arising from the First World War. Under this act focus the following four points- (a) To realize tax on the income of the current year. (b) To make causal receipts taxable. (c) To make surcharge permanent. (d) To leave tax at higher rates.

Income Tax Act, 1922 : Income Tax was made a subject of the Central Government in 1921 and in 1922 a new Income Tax Act was passed. The important features of this act were as follows- (a) Establishment of Central Board of Revenue in 1924. (b) Income of previous year to be taxed to the current year. (c) Provision of levying surcharge along with the income tax. (d) Provisions of tax rates in the finance act.

b. Post-independence Period :-

After independence, Indian constitution was implemented in 1950. Government of India passed new Income Tax Act 1961 on the basis of law commission report 1958, Direct Taxes Administration enquiry committee report 1959 and suggestion of British Economist Prof. Coldar.

The present Income tax act 1961 was applied to the whole of India including the state of Jammu Kashmir with effect from 1st April 1962. In consists of 298 sections and 14 schedules.

Under this Act, source of income are five- Salary, House Property, Business or Profession, Capital Gain and Other Sources

Personal Income Tax Rates in Nepal FY 2022-23 :-

For residents: natural person

Tax Banding	Tax Rates			
Individual	FY 2022-23 (FY 2079-80)		FY 2021-22 (FY 2078-79)	
(a) Band 1	First 500,000	1%*	First 400,000	1%*
(b) Band 2	Next 200,000	10%	Next 100,000	10%
(c) Band 3	Next 300,000	20%	Next 200,000	20%
(d) Band 4	Next 1,000,000	30%	Next 1,300,000	30%
(e) Additional Tax	Remaining above 2,000,000	36%**	Remaining above 2,000,000	36%**
Couple/Married				
(a) Band 1	First 600,000	1%*	First 450,000	1%*
(b) Band 2	Next 200,000	10%	Next 100,000	10%
(c) Band 3	Next 300,000	20%	Next 200,000	20%
(d) Band 4	Next 9,00,000	30%	Next 1,250,000	30%
(e) Additional Tax	Remaining above 2,000,000	36%**	Remaining above 2,000,000	36%**

Income Tax Rates in India

A.Y. 2022-23 and 2023-24

(A) For Male/Female Resident Individual Assessee (below the age of 60 years) or an Hindu Undivided Family or an Association of Person/BOI or an Artificial Person :

Net Income Range	Rates of Income Tax
Income up-to Rs. 250000	Nil
Above Rs. 250000 up to Rs. 500000	5%
Above Rs. 500000 up to Rs. 100000	20%
Above Rs. 1000000	30%

(B) For Male/Female Individual assessee of 60 years or more but less than 80 years at any time during the Previous Year (Senior Citizen) :

Net Income Range	Rates of Income Tax
Income up-to Rs. 300000	Nil
Above Rs. 300000 uptoRs. 500000	5%
Above Rs. 500000 uptoRs. 100000	20%
Above Rs. 1000000	30%

(C) For Male/Female Resident Individual assessee who is of the age of 80 years or more at any time during the Previous Year (Super Senior Citizen) :

Net Income Range	Rates of Income Tax
Income up-to Rs. 500000	Nil
Above Rs. 500000 uptoRs. 100000	20%
Over and above Rs. 1000000	30%

Alternative Tax Regime U/S 115BAC :-

Section 115BAC has been inserted with effect from the assessment year 2021-22 to provide new optional tax regime to individuals/HUFs. Under the alternative tax regime income tax shall be computed at the option of the assessee as per the rate given in the following table:

Total Income	Rate of Tax
Up to Rs. 250000	Nil
From Rs. 250001 to Rs. 500000	5%
From Rs. 500001 to Rs. 750000	10%
From Rs. 750001 to Rs. 1000000	15%
From Rs. 1000001 to Rs. 1250000	20%
From Rs. 1250001 to Rs. 1500000	25%
Above Rs. 1500000	30%

Computation of Net Income under Alternative Tax Regime

Total income of individual/HUF is calculated under the alternative tax regime of Section 115BAC without claiming the following deduction/exemptions (which are otherwise available under normal tax regime) :

1. Leave travel concession or assistance exempt under Section 10(5).
2. House rent Allowance exempt under Section 10(13A).
3. Special allowances which are exempt under Section 10(14) other than those as may be prescribed for this purpose.
4. Daily Allowance or Constituency Allowance received by a Member of Parliament or Member of State Legislature which is exempt under Section 10(17).
5. Deduction of Rs. 1500 under Section 10(32) in case of income of a minor child for a maximum of two children which has been clubbed in the income of a parent.
6. Deduction available to SEZ unit under Section 10AA.
7. Standard deduction of Rs. 50000 under Section 16(ia)
8. Entertainment Allowance Deduction under Section 16(ii).
9. Professional Tax Deduction under Section 16(iii).
10. Deduction of interest on self-occupied house property up to Rs. 200000 under Section 24(b).
11. Additional Depreciation U/S 32(1)(iia) to an assessee engaged in the business of manufacture of any article or generation, transmission or distribution of power.

12. Investment Allowance of 15% if new plant and machinery is installed in notified backward areas in certain States as per Section 32AD.
13. Deduction under Section 33AB to an assessee engaged in the business of growing and manufacturing of Tea/Coffee/Rubber.
14. Deduction under Section 33ABA on account of deposit in Site Restoration Fund.
15. Deduction in respect of payment for scientific research U/S 35.
16. Deduction under Section 35AD in respect of expenditure on specified business.
17. Deduction U/S 35CCC in respect of expenditure on agriculture extension project.
18. Deduction for family pension under Section 57(iia) of a sum equal to 1/3rd of such family pension or Rs. 15000 whichever is less.
19. Deductions under the provisions of Chapter VI A i.e. under Section 80C to 80U other than under the provisions of Section 80CCD (2) (Deduction in respect of contribution to pension scheme of Central Government or Section 80JJAA (Deduction in respect of employment of new employees).
20. The total income of the individual/HUF is calculated without adjusting brought forward loss (and/or additional depreciation) from any earlier year. Moreover, any loss under the head "Income from House Property" cannot be set off.

Exemptions Allowed under alternative Regime :-

- Traveling Allowance
- Daily Allowance
- Conveyance Allowance
- Transport Allowance up to Rs. 3200 per month for disabled.

Special Provision for Businessman's or professionals under alternative Regime :-

If the assessee has income under the head 'Profits and Gains from Business or Profession'. Once he opts the alternative tax regime for any assessment year, it remains valid for subsequent years i.e. the option cannot be withdrawn. But, if the assessee does not have income under the head 'Business/ profession'. He can opt or withdraw this option for any assessment year.

Conclusion :-

On the basis of above discussion it can be concluded that income tax procedure of India and Nepal is different in various terms excluding tax rate, in which very little difference made. For the point of view of assessee there are major difference between India and Nepal. In Nepal assessee is classified under two categories and in India in three categories. Rebate and exemptions have much difference. in India, assessee have two option for payment of tax according to own choice and in

Nepal assessee have only single option.

So finally it can be said that Indian taxation system is much better due to tax amount will be less in same amount of Income in comparison of Nepal.

Reference :-

1. Madhav Khanal "Nepalese Tax Structure: An Analytical Perspective" JMC, Research Journal, Vol. VII, No. 1, Dec. 2018
2. JitBahadur K.C., AnantLalKarn "Personal Income Tax Structure in Nepal: An evaluation"NCC Journal, Vol. 4. No. 1 – 2019
3. Tax rates for FY 2079-80 (2022-23), PKF TR Upadhyay& Company, Kathmandu, Nepal
4. Dr. A.K. Garg, Income Tax Law & Accounts- Swati Publication, Meerut (UP) India.
5. Dr. Rup BahadurKhadka "An Evaluation of the Nepali Income Tax System" nrb.org.np
6. Taxmann's Income Tax Act, 68th Edition 2023, Delhi, India
7. Dr. H.C. Mehrotra, Income Tax Law & Accounts – SahityaBhavan, Agra (UP) India.
8. Dr. B.K. Agarwal, Income Tax Law & Accounts – Navyug Publishers, Delhi, India

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 169-173

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

हिंदी उपन्यासों में स्त्री विमर्श

अनीता शर्मा

सहायक आचार्य, रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट गुरुग्राम हरियाणा–122505

आज की नारी ने अपनी शक्ति पहचान ली है। आज वह राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभा रही है। लेकिन यह संख्या अत्यल्प है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महान उत्तरदायित्व का निर्वाह उन प्रबुद्ध स्त्रियों को करना होगा, जिन्होंने समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्त्री–विमर्श, स्त्री शोषण से मुक्ति चाहता है, ताकि वह स्वतंत्र ढंग से जी सके और सोच सके, वह पूर्ण स्वाधीन हो, समाज की निर्णायक शक्ति हो। कात्यायनी के अनुसार "स्त्री विमर्श अथवा नारीवाद पुरुष व स्त्री के बीच नकारात्मक भेदभाव की जगह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। वस्तुतः इस रुप में देखा जाए तो स्त्री–विमर्श अपने समय और समाज के जीवन की वास्तविकताओं तथा संभावनाओं की तलाश करने वाली दृष्टि है। "स्त्री–विमर्श के बारे में लता शर्मा कहती है कि "स्त्री विमर्श स्त्री द्वारा स्वयं को देखने–जाँचने–परखने का पर्याय है। आज तक हम अपने बारे में अपनी आशाओं–आकांक्षाओं के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, किसी संत–महात्मा विचारक मनीषी का लिखा हुआ है। हमें स्वयं को अपनी ही दृष्टि से तौलने, परखने का यह नवीन आयाम है। "स्त्री विमर्श से संबंधित मैत्रेयी पुष्पा का विचार इस प्रकार है कि "नारीवाद ही स्त्री विमर्श है, नारी की यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही स्त्री विमर्श है।"

हिंदी उपन्यास पर स्त्री–विमर्श का गहरा प्रभाव पड़ा है और धीरे–धीरे यह प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा आदि ने स्त्री–जीवन का प्रामाणिक अंकन प्रारंभ किया था जो बाद के उपन्यासों में और घनीभूत हुआ है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों 'कठगुलाब', 'चितकोबरा' एवं 'मिलजुल मन' में स्त्री–मुक्ति चेतना का रचनात्मक अंकन हुआ है। उन्होंने 'कठ गुलाब' में नारी–मुक्ति विषयक अपने प्रौढ़ चिंतन का परिचय देते हुए नारी शोषण के सभी रूपों और नारी के सामर्थ्य का समुचित चित्रण किया है।

प्रभा खेतान का उपन्यास 'छिन्नमस्ता' नारी जीवन की उन छुपी सच्चाइयों का उद्घाटन करता है जो अपनी समस्त विद्रूपता, विकृति और कुत्सा के बावजूद भारतीय समाज का क्रूर यथार्थ है। इस उपन्यास की केंद्रीय पात्रा 'प्रिया' मारवाड़ी समाज की घुटन भरी संस्कृति से लेकर कॉर्पोरेट कल्चर तक शोषण का शिकार होती है। परिवार, प्रेम–संबंध, वैवाहिक जीवन आदि प्रत्येक स्तर पर स्त्री किस प्रकार पुरुष शोषण का शिकार होती है, इसका अनावरण लेखिका ने स्तब्धकारी ढंग से किया है।

मैत्रेयी पुष्पा ने अपने उपन्यासों 'इदन्नम', 'अल्मा कबूतरी', 'चाक' आदि में स्त्री–मुक्ति के प्रश्न को उठाया है। इनमें 'चाक' ग्रामीण पृष्ठभूमि में अत्यन्त सशक्त रूप में स्त्री अस्मिता के स्तर को अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

'चाक' की 'रेशम' विवाह संस्था के बाहर भी 'गर्भधारण' का अधिकार चाहती है और 'सारंग' पति, पुत्र, सास–ससुर से भरे–पूरे परिवार में होते हुए भी प्रेम करने का अधिकार चाहती है। चित्रा मुद्गल का 'आंवा', मंजुल भगत का 'अनारो', नासिरा शर्मा का 'शाल्मली', गीतांजलि श्री का 'तिरोहित' आदि उपन्यासों में अपने–अपने ढंग से स्त्री–मुक्ति चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है।

नासिरा शर्मा के उपन्यास 'शाल्मली' में नायिका शाल्मली स्वतंत्र चेतना और नई सोच के साथ उभरी है। शिक्षित होने के साथ–साथ वह उच्च पदस्थ भी है। मेधावी शाल्मली पति के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दबाव के बावजूद वह सामाजिक दायरे को नकारती नहीं है। सरोज के साथ तलाक संबंधी संवाद के उत्तर में वह कहती है 'फिर एक बार मैं बता दूं कि मैं पुरूष विरोधी न होकर अत्याचार विरोधी हूँ। अत्याचारी का कोई नाम और धर्म नहीं होता, समूह में हो या ईकाई में वह हमारे सामने होते हैं और उसी अत्याचारी से हमें जूझना है।

उपन्यास के अंत में शाल्मली समस्या को परिस्थिति का हवाला देकर अपने व्यक्तित्व को संवारने में लग जाती है। अपनी विस्तृत दृष्टि और सोच को संकुचित करना या समस्या से उलझना नहीं चाहती है। वह कहती है 'तुम्हारे सामने समस्या केवल पति से निपटने और उससे मुक्त होने की है मगर मेरी नजर में नारी की प्रगति और स्वतन्त्रता समाज की सोच और स्थिति को बदलने में है। घर में रहो या बाहर निकलो हर जगह सामना पुरूष से होगा, चाहे वो सब्जी वाला हो या तुम्हारा बॉस, अखबार वल हो या तुम्हारा पति, होगा वो पुरूष ही।'

नासिरा शर्मा ने शाल्मली के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठित, शिक्षित और विवेकशील विचारों वाली नारी की सामाजिक समस्याओं का चित्र खींचा है। न ासिरा जी ने न केवल नारी की समस्याओं को चित्रित किया है अपितु बड़ी दक्षता से शाल्मली के माध्यम से उससे उबरने की राह भी सुझाई है। एक प्रगतिवादी विचाधारा जो विद्रोह नहीं एक आपसी सुलह की राह भी दिखाती है। रामकुमार गौतम जी विश्वास व्यक्त करते हुए कहते हैं, समाज में और विशेषतः स्वदेशी परिवेश के मध्यवर्गीय समाज में व्याप्त नारी पौरूष संबंधो के बीच फैली विकृति को कैश न कराकर उसे गांभीर्य प्रश्न कर एक गरिमा युक्त तलाश के लिए 'शाल्मली' को काफी लम्बे समय तक याद किया जाएगा।'

चित्रा मुदगल जी के अनुसार, 'स्त्री का आत्म संघर्ष अपनी निरंतरता में प्रत्येक युग में विद्यमान रहा है। समय के बदलते तापमान में, बदलते सामाजिक संदर्भों में अपनी अधीनस्थ की भूमिका, शोषण, असमानता से मुक्ति के प्रयत्न एवं दोहरे मानदंडों के बीच अपनी बदलती सामाजिक भूमिका के बावजूद स्त्री के प्रश्न नहीं बदले हैं। पर फिर भी वह बढती गई। अपने को होम नहीं होने दिया। प्रगति के लिए प्रयत्न करती गई।

समकालीन जीवन में नारी के अधिकारों की वृद्धि हो रही है, परन्तु वह अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति धीरे–धीरे खोती जा रही है। अपने अधिकारों की दौड़ में आज नारी अनेक कुचर्चाओं, कुशंकाओं, समाज की क्रूरता का शिकार होती जा रही है। पर आज की प्रबुद्ध नारी इन सब भावनाओं से परे है। आगे बढते जाना ही उसका ध्येय है। 'प्रगतिशीलता' के मायने भी बदल रहें हैं। भारतीय समाज समय के साथ–साथ अज्ञानता को भी दूर करे। शिक्षित नारी ही समाज में ज्ञान के साथ संतुलित विकास की दिशा की ओर हमें ले जा सकती है।

महिला उपन्यासकारों की रचनाओं के मूल में वे जीवन मूल्य हैं जो नारी समेत पूरी मानव जाति के हित में है। उन का लेखन एक उदार संवेदनशील और संतुलित बुद्धि से अपने चारों ओर के उस परिवेश का जायजा

लेगा जो उसे प्रगति की राह की ओर ले जाता है। आज की नारी स्वतन्त्र रहना अधिक पसंद करती है। नौकरी पेशा नारियों की मुख्य समस्या तथा उलझन है – घर और बाहर दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की।

नारी के आत्म–बोध, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी के आधुनिक उपन्यासों में जो नारी चरित्र उभरकर आए हैं उन्हें तीन वर्गों में उच्च, मध्य और निम्न में विभाजित कर देखा जा सकता है। नारी इनमें से किसी भी वर्ग चरित्र में हो, वह अपनी पहचान बनाती है। पहले वर्ग में यदि वह डॉक्टर, प्राध्यापक, अधिकारी, नेता है तो वह विद्रोह और रुढियों को चुनौती देती हुई महत्त्वाकांक्षिणी के रूप में चित्रित है। मध्य वर्गीय चरित्र के रूप में नारी दोहरे मानदंडों से जूझते हुए झूठी इज्जत के कारण अनेक कष्ट भोगने के लिए बाध्य है, यद्यपि वह शिक्षित है, परंतु समाज की झूठी रूढियों में फँसकर अपनी बौद्विकता से दूर रहकर समाज के अनुरूप खुद को ढालने के लिए विवश है। लेकिन तीसरे वर्ग का नारी चरित्र आज सर्वाधिक सशक्त है, वह विद्रोह और रूढियो को खुलकर चुनौती दे रहा है तथा समाज के बंधनों और मर्यादा की परवाह न करके अपनी आत्मा और स्वाभिमान की रक्षा करता है।

आधुनिक हिंदी उपन्यासों में पारंपरिक आदर्शवादी और यथार्थवादी नारी चरित्रों का अभावन हीं है। ऐसे पात्र पारंपरिक आदर्शवादिता और यथार्थ को एक साथ जीते हैं। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति तथा वैज्ञानिकता और शिक्षा प्रसार के कारण सामाजिक बंधनों की शिथिलता और स्वतंत्र चिंतन ने मानव व्यक्तित्व में परिवर्तन भी दर्शाया है तथा आदमी का अहम् भी व्यापक हुआ है। परिणामतः नारी की अहंता बढती दिखाई देती है इसलिए इन नारी चरित्रों में नौकरी की ललक, वैवाहिक संबंधों की शिथिलता, पारिवारिक विघटन का उल्लेख समाहित हो गया है। शाल्मली प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर अपना वैवाहिक जीवन विघटित पाती है क्योंकि उसकी महत्त्वाकांक्षाएं उसे आगे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। उसके अंदर का आदर्शवाद ही पारिवारिक विघटन से उसे बचा पाता है। तीसरी सत्ता की लेडी डॉक्टर के चरित्र की उपलब्धि पारिवारिक जीवन में घुटन और विवशता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परम्पराएं न तो रूढ़ियाँ हैं और न संस्कारों का भार होती हैं और न उन्हें ओढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि परंपरागत मुस्लिम परिवार की महरुख लीक से हटकर आधुनिक बनते–बनते अपनी पहचान बना लेती है।

समाज में आदर्श एवं यथार्थ दोनों की अपनी विशेषताएं हैं और उनके बीच ही विसंगतियों का विकास होता है। सामाजिक आदर्श की अपेक्षा यथार्थ की ओर व्यक्ति का झुकाव होता है और वह परंपरागत रूढियों एवं मान्यताओं को तोड़ने को कटिबद्ध होता है। आधुनिक उपन्यासों के नारी चरित्रों में एक संघर्षात्मक स्थिति का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है। महरुख कारफत के साथ विवाह से पहले जाना मुस्लिम परंपरा के विरुद्ध है किंतु बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षा देने जाने में परंपरा की परवाह नहीं की है। इसी प्रकार काली आँधी की मालती का घर की दीवारों से बाहर आना, नेता बनना आदि तत्कालीन यथार्थवादी परिस्थितियों की देन है। तभी यह चरित्र सफल नेता के रूप में समाज की उपलब्धि है। शाल्मली का चरित्र भी यथार्थ रूप में उभरता है। वह अपने पति को इज्जत देती है किंतु कर्तव्य के बीच में आने पर यथार्थ का बोध कराते हुए कह देती है–सभी औरतें यदि इस प्रकार अर्जी देने लगें तो हो चुका काम। वह पति की नहीं, सरकार की नौकरी है।

मध्य वर्ग के नारी चरित्र मूलतः शिक्षित, पारंपरिक और विद्रोही तो हैं ही, पर इनमें अशिक्षित नारी चरित्र भी हैं। यद्यपि मध्य वर्ग में वर्ग चेतना का रूप सबसे कम लक्षित होता है। इस वर्ग में व्यावसायिक मित्रता, आर्थिक

स्थिति और भूमिका में भिन्नता भी द्रष्टव्य है। पर यह वर्ग–चेतना अंतर्मुखी है। आधुनिक उपन्यास के अध्ययन से यह देखा जा सकता है कि इन नारी चरित्रों के पास सीमित साधन होते हुए भी अधिक से अधिक अच्छे ढंग से जीना चाहती हैं तथा वे महत्त्वाकांक्षी भी हैं।

मध्यवर्गीय नारी चरित्रों में घरेलू, कामकाजी, वैयक्तिकता, सामाजिकता आदि का अंतः संघर्ष उभरता है। मध्यवर्गीय ये नारी चरित्र प्रायः काम–काजी हैं, जो उनके जीवन के लिए मजबूरी है। अतः घर और बाहर दोनों ही क्षेत्रों में काम संभालते–संभालते थक जाती हैं। बेघर (ममता कालिया) की नायिका मानसिक परेशानियों से बचने के लिए घर से निकलकर भागा–दौड़ी के कारण जीवन का सुकुन समाप्त कर लेती है। पतझड़ की आवाजें (निरूपमा सेवती) की नायिका शिक्षित होने के साथ अपनी विशिष्ट भावनाओं और महत्त्वाकांक्षाओं के रूप में बॉयफ्रैण्ड की रेस्पेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पाती। क्योंकि उसकी मध्यवर्गीय नैतिक चेतना चरमराने लगती है।

आधुनिक हिंदी उपन्यासों में नारी चेतना के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र अस्मिता के संघर्ष के प्रति जागरूकता, विवाह, परिवार और समाज के प्रति उनकी भूमिका तथा मानवीय चेतना की प्रतिष्ठा का चित्रण किया गया है। यह अकेलेपन की स्थिति पाश्चात्य संस्कृति की देन ही है, जो परिवेश जन्य परिस्थिति से उत्पन्न होता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में 'वसुधैव कुटुंबकम्' का ही चिंतन रहा है। आज पाश्चात्य चिंतन की आयातित मानसिकता ने अकेलेपन का सूत्रपात किया है। आज अति परिचय जन्य कुंठाओं की अतिशयता ने पारस्परिक संबंधों को खोखला कर दिया। व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी बढ़ा दी है। यहाँ हमारे अकेलेपन के मूल में औद्योगीकरण, यांत्रिकता की वृद्धि बढ़ती हुई जनसंख्या, बेकारी, आर्थिक संकट, अराजकता और भोगवादी स्थितियाँ भी प्रमुख कारण हैं।

महिला उपन्यासकारों ने स्त्री की पारम्परिक रूढ़ियों को तोड़ने के लिए खड़ी होने, संघर्ष करने का जिक्र किया है। जो ढांचे उसके विकास के मार्ग में बाधक है, उन्हे तोड़ना ही होगा दर्शाया है। स्त्री सारे संघर्षों को सहकर भी अपना भविष्य संवारती है, अवरोधों को हटाती है, साहस और स्वाभिमान से विकल्प तलाशती–तराशती है। विरोध से मुकाबला करना, शिक्षित होना, स्वावलम्बी बनना, आत्मविश्वास का परिचय देना, सुख–दुःख की अभिव्यक्ति करना जीवन का पर्याय बनाया है। महिला उपन्यासकारों ने जीवन के संघर्षों और उलझनों को उभारते हुए स्त्री का राह बनाना सराहा है। जीवन में संघर्ष बहुरंगी है, असामान्य परिवेश से साक्षात्कार होता है। अस्तित्व व अस्मिता के लिए स्त्री को सम्मान कैसे, कब, किसके द्वारा मिलेगा? मुक्ति की घोषणा कब तक? कितनी सफलता? विश्व बाजार में कितनी सुरक्षा? कौन–कौन से खतरे? सब पर बेबाक कलम चलाई गई है।

सन् 1947 में तत्कालीन भारत को दो स्वतंत्र इकाईयों– भारत तथा पाकिस्तान में बांटना एक राजनैतिक निर्णय था, जिसके फलस्वरूप दोनों देशों में साम्प्रदायिक वैमनस्य तो बढ़ा ही, अपितु कई राजनैतिक तथा आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। महात्मा गांधी ने बार–बार यह कहा था कि– "देश का बंटवारा उन केशव से ही होगा" अब उन्होंने भी अपने मुख्य शिष्यों के अनुनय विनय पर निराशा तथा असहायता के सामने सिर झुका दिया और विभाजन स्वीकार कर दिया। अलका सरावगी भारत देश की एक जागरूक कथाकार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में विभिन्न समस्याओं पर उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि रखी है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की राजनीतिक घटनाओं व हलचलों का वर्णन पात्रों के माध्यम से कराते हुए अपने पाठकों को अवगत कराया है। जैसे उपन्यास 'कलिकथा' में देश की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है।

महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में भाषा, एवं शिल्प सरंचना का विश्लेषण परिदृश्य अंकित किया गया

है, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक, विचारात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, आलोचनात्मक सूत्र संकेत मात्र है। शब्द भंडार की दृष्टि से तत्सम्, तद्भव, देशज, विदेशी, एवं आंचलिक शब्दावली की मात्र बानगी को प्रस्तुत किया जा सका है। साथ ही बिम्बविधान में प्रतीक, संकेत, चित्र, एवं ध्वनिमूलक बिम्बविधान का उल्लेख भी हुआ है, जो एक प्रवृति दर्शाता है।

इस प्रकार महिला उपन्यासकारों ने अपनी उपन्यासों में स्त्री–सशक्तीकरण की भावना दिखाई देती है। नारी सशक्तीकरण में नारी ने अपने पृथक अस्तित्व, अपने अहं, अपने गौरव की अभिलाषा में पुरुष के स्वामित्व के समक्ष झुकने से इन्कार कर दिया है। नारी सशक्तीकरण नारी के प्रति होने वाले शोषण के विरुद्ध सशक्त विद्रोह है। महिला उपन्यासकारों ने अपनी उपन्यास में नारी से संबंधित मूलभूत प्रश्नों को उठाकर उनके आलोक में बदलते परिवेश, बदलती स्त्री और बदलते मानदण्डों द्वारा नारी सशक्तीकरण को रेखांकित किया है।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1. अग्रवाल, बिन्दु, हिन्दी उपन्यास में नारी चित्रण, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1968
2. कस्तवार, रेखा, स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
3. काँकरिया, मधु, सलाम आखिरी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
4. काँकरिया, मधु, सेज पर संस्कृत, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
5. कालिया, ममता, बेघर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018
6. कास्तकार, रेखा, स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
7. खान, एम.फिरोज, नारी विमर्श दशा और दिशा, आकाश पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, गाजियाबाद, 2013
8. खेतान, प्रभा, स्त्री उपेक्षिता, हिंदी पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली, 2008
9. खेमानी, कुसुम, लावण्यदेवी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
10. गर्ग, मृदुला, कठगुलाब उपन्यास, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2016
11. गर्ग, मृदुला, चितकोबरा, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2013

पता : सी–501 अंसल हाइट्स सेक्टर 92 गुरुग्राम हरियाणा 122505

Email ID: Tripathi.vimal@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 174-178

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मैथिलीशरण गुप्त की "भारत–भारती" में स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश प्रेम का जीवंत दर्शन

आपी लंकाम

सहायक प्रोफेसर, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, तेजू, लोहित, अरुणाचल प्रदेश।

शोध सार :–

मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक हिन्दी के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। उन्होने अपने साहित्य में राष्ट्रीयता के उत्थान का स्वर व्यक्त किया है। "भारत–भारती "मैथिलीशरण गुप्त की सर्वाधिक प्रचलित कृति है। इस कृति में स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश प्रेम का जीवंत दर्शन प्रकट किया गया है। यह काव्य 1912 में रचा गया और संशोधन के साथ 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें वह संजीवनी शक्ति है जो किसी भी भारतवासी को उत्साह जागरण की शक्ति का वरदान दे सकती है। इस कृति ने ही गुप्तजी को राष्ट्र कवि के पद पर सुशोभित किया। इसका एक मुख्य उद्धेश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करते हुए उन्होने कहा है– जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं हैं, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह काव्य तीन खण्डों में विभक्त है :–

1. अतीत खंड में पूर्वजों का गौरव गान है।
2. वर्तमान खंड में वर्तमान की दुर्दशा दर्शाया गया है।
3. भविष्य की नवोत्थान की बात की गयी है।

निष्कर्षत : राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त ने स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश प्रेम का स्मरण कर लोगो में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया है। वर्तमान की स्थिति में अतीत गौरव का गुणगान और स्वदेश प्रेम का बखान कर लोगों को प्रोत्साहित किया। उनका मानना है कि वर्तमान में अतीत की चेतना जागृत करने पर ही देश की समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस प्रकार भविष्य की मंगलकामना कर सकते हैं।

अतः भारत–भारती में स्वर्णिम अतीत का गौरव और स्वदेश प्रेम की आवश्यकता अतीत खंड , वर्तमान खंड और भविष्यत खंड तीनों खंडों में जीवंत रूप से विद्यमान हैं।

बीज शब्द :– स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना, अतीत गौरव, प्रोत्साहन, नवोत्थान।

मूल आलेख :–

मैथिलीशरण गुप्त आधुनिक हिन्दी के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे वह पद्मा भूषण के तीसरे

सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान के प्राप्तकर्ता थे। उन्होने अपने साहित्य में राष्ट्रीयता के उत्थान का स्वर व्यक्त किया है। गुप्त जी का जीवन राष्ट्रवाद और गांधीवाद से प्रभावित था। गांधी जी ने उन्हे 'राष्ट्रकवि' की उपाधि से अलंकृत किया। भारत–भारती, मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्यकृति है। मैथिलीशरण गुप्त जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच–बस गए और राष्ट्र कवि कहलाए, वह कृति भारत–भारती ही है। भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जागृति में इस पुस्तक का हाथ रहा है। यह ग्रंथ देश की विशालता और उसकी एकता का सुंदर परिचायक है। यह स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश–प्रेम दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। जिस समय भारत का स्वतन्त्रता आंदोलन अपने पूरे जोड़ पर था उस समय गुप्त जी ने अपनी काव्य रचना 'भारत–भारती लिखकर भारतीय जनमानस के सम्मुख उसके अतीत वर्तमान और भविष्य का ऐसा सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया कि नवयुवक अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए स्वतन्त्रता आंदोलन में कूदने लगे। भारतीय नव युवकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करते हुए गुप्त जी लिखते हैं :–

अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है।

मैथिलीशरण गुप्त जी की भारत–भारती तीन खण्डों में विभक्त है :–

1. अतीत खण्ड, 2. वर्तमान खण्ड 3. भविष्यत खण्ड।

1. अतीत खण्ड में भारतवर्ष के प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से बखान किया गया है। भारतियों की वीरता, आदर्श, विद्या–बुद्धि, कला–कौशल, सभ्यता–संस्कृति, साहित्य–दर्शन, स्त्री–पुरुषों आदि का गुणगान किया गया है। अर्थात अतीत खंड में ही प्राचीन गौरव और स्वदेश प्रेम विद्यमान हैं।

2. वर्तमान खण्ड में भारत की वर्तमान अधोगति का चित्रण है। इस खण्ड में कवि ने साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि क्षेत्र में होने वाली अवनति, रईसों और उनके सपूतों के कारनामें, तीर्थ और मन्दिरों की दुर्गति तथा स्त्रियों की दुर्दशा आदि का अंकन किया है। अर्थात् इसमें स्वर्णिम अतीत और स्वदेश प्रेम का जीवंत दर्शन प्रकट किया गया है।

3. भविष्यत खण्ड में अपने ज्ञान, विवेक और विचारों की सीमा को छूते हुए गुप्तजी ने समस्या समाधान के हल खोजने और लोगों से उसके लिए आह्वान करने का भरसक प्रयास किया है। अर्थात स्वर्णिम अतीत और स्वदेश प्रेम के जीवंत दर्शन के द्वारा ही भविष्य में मंगल कामना की संभावना बताया गया है।

'अतीत खण्ड' भारत–भारती का पहला भाग है। इस भाग में कवि ने प्राचीन भारत की प्रत्येक क्षेत्र की उन्नत अवस्था और सुख–समृद्धि का वर्णन किया है। गुप्त जी सोये हुए भावों को जगाने का संकल्प लेकर यह बताया है कि भारत चरम उन्नति के बाद अवनति का शिकार जरूर हो चुका है। फिर भी ऋषि भूमि अर्थात भारत के निवासियों और भारत का महत्व कम नहीं है :–

भू – लोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला–स्थल कहाँ?
फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहां।
सम्पूर्ण देशों से अधिक किस देश ला उत्कर्ष है?
उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है।।

कवि ने सभ्यता संस्कृति का आरंभ–विकास भी प्राचीन भारत से ही स्वीकार किया है। यहीं कारण है कि

भारत को संसार का 'सिरमौर' कहा जाता है। कवि ने भारत को ही आदर्शजनों का केंद्र भी स्वीकार किया है। अतीत नारियों को आदर्श माँ, पत्नी, बहन, शिक्षिका और वीरांगनाओं के रूप में याद किया है। इस प्रकार भारतीय सभ्यता उन्नत होकर सम्पूर्ण विश्व के लिए भी आदर्श और विकास का मूल मंत्र देने वाली बन सकी। भारत साहित्य ने वेद, उपनिषद, गीता धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत जैसे ललित काव्य, कालीदास आदि के काव्य नाटक, इतिहास आदि रचकर संसार का इस क्षेत्र पर भी मार्ग प्रशस्त किया है। अन्य ललित कला, गीत–संगीत, चित्रा कला, नाट्य–कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और अभिनय आदि सिर्फ भारत का ही देन स्वीकारा गया है।

जितने भी वीरता का रूप माने गए हैं, सभी का उत्कृष्ट अतीत भारत में ही पाए जाते हैं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ वीरता का उत्कृष्ट उदाहरण है – सिकन्दर–सेल्यूकस तक को पराजित करने वाले महावीर भारत में ही पाए जाते हैं। दान में सर्वश्व देकर कंगाल बन जाने वाले, शरीर का मांस तथा हाथ का ग्रास तक दान देने वाले दानवीर भी भारत में ही पाए जाते हैं। भारतीय राजत्व अपनी शासन, शक्ति का उपयोग प्रजा को 'संतान' मानकर किया करता था। कवि का मानना है कि यहा शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों तक आया करते थे। इसका एक उदाहरण निम्नलिखित है –

सब देश विद्या–प्राप्ति को संतत यहाँ आते रहे,
सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे –
है! धन्य भारतवासी, धन्य भारतवर्ष है,
सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है।

इस प्रकार कवि ने लगभग वैदिक काल से आरंभ करके अतीत खंड के अंतर्गत भारत की उन्नत दशा का वर्णन करते हुए वर्तमान तक स्वर्णिम अतीत और स्वदेश प्रेम का जीवंत दर्शन चित्रण किया है।

वर्तमान खण्ड में दरिद्रता, अव्यवस्था और आपसी भेदभाव से जूझते उस समय के देश की दुर्दशा को दर्शाते हुए सामाजिक नूतनता की मांग रखी गयी है। देश की संस्कृति अनेकता में एकता को फिर से स्थापित करने की मांग जोर पकड़ रही है। उनका मानना है कि सामाजिक नूतनता तभी प्राप्त होगा जब भारतवासियों में अस्तित्व का चेतना जागृत होगा। अपने अतीत का पहचान करने पर ही चेतना का पहचान भी होगा। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए और पारस्परिक सहयोग बनाए रखने के लिए समाज को अपने पूर्वजों को याद करने की अवश्यकता है। इस प्रकार वे लोगों को प्रेरित करते हुए लिखते हैं –

जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं।
रखते अभी तक नाड़ियों में पूर्वजों का रक्त हैं।।

कवि भारतवासियों को मिलकर विचार करने को कहते हैं, कि हम कौन थे? आज हम क्या हो गए हैं और आगे चलकर हमें क्या होना होगा या बनना है। तात्पर्य यह है कि आज सारे भारतवासियों को मिलकर सींचने–देखने की जरूरत है, कि हमारा अतीत या भूतकाल कितना उन्नत और समृद्ध था, अपने वर्तमान में और अधीन और अवनत क्यों हो गए हैं? और भविष्य में किस राह पर चलकर अपनी वर्तमान दुरावस्था से छुटकारा प्राप्त करना है।

निम्नलिखित पंक्तियों में अपने अतीत गौरव को लेकर यानि पूर्वज से वर्तमान तक और वर्तमान से भविष्य तक का ज्ञान का प्राप्त होना दर्शाया गया है –

हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी,
आओ, विचारें आज मिलकर ये समस्याएँ सभी।
यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त हुआ है नहीं,
हम कौन थे, इस ज्ञान को, फिर भी अधूरा है नहीं।।

अंग्रेजों ने भारतियों के साथ एक षड्यंत्र खेला। वह यह था कि भारतियों को धार्मिक आधार पर बांटकर राज करना। अंग्रेजों की इस षडयंत्र में भारतवासी आ गए। इस प्रकार भारत आजाद होने के बावजूद विभाजित हुए। ऐसी स्थिति में मैथिलीशरण गुप्त ने भारतवासियों को अतीत का याद दिलाकर लोगों को एकता में बांधने का काम किया और सबको जोड़े रखने का प्रयास किया –

राम रहीम बुद्ध ईसा का, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ।
हिन्दू मुसलमान सब भाई, नित नवीन जय–गाँ उदार।
वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि हम उस पर हिंसा करें कि प्यार।

गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता का स्मरण कर अंग्रेजों के अधीन में रहने वाले भारतवासियों को जगाने का प्रयास किया। निम्नलिखित पंक्तियाँ 'हम कौन थे' नामक कविता से उद्धृत हैं–

यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है इसके निवासी 'आर्या' हैं,
विद्या, कला – कौशल सबके जों प्रथम आचार्य हैं।
संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े,
पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े।

भविष्यत खण्ड में भारतीयों को उद्बोदित किया गया है तथा देश के मंगल की कामना की गई है, ताकि स्वर्णिम अतीत और स्वदेश प्रेम के द्वारा विश्वास और आशा की भावना हो और इसके अनुरूप भविष्य में भारत प्रगति करें और भारत भविष्य का आदर्श निर्माण कर सकें। उदाहरण के रूप में –

सबकी नशों में पूर्वजों का पुण्य रक्त–प्रवाह हो।
गुण, शील, साहस, बल, तथा सब में भरा उत्साह हो।
सबके हृदय में सर्वथा संवेदना का दाह हो।
हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो।।

कवि रूढ़िवादिता छोड़ कर नए ज्ञान–विज्ञान को अपनाकर परिश्रम करके जीवन बनाने को कह रहे हैं। आलसपूर्ण उस नींद को त्याग देने को कहा है जिसने वर्तमान को पराधीन बनाया है। दुर्गुणों को त्याग कर सद्‌गुणों को अपनाने की बात कही है। इस प्रकार राष्ट्र जागरण होने पर ही देश में जागृति आएगी और सुखद भविष्य का निर्माण करना संभव हो सकेगा। इस पर एक उदाहरण निम्नलिखित हैं :–

बीती नहीं यद्यपि अभी तक है निराशा की निशा,
है किन्तु आशा भी कि होगी दीप्त फिर प्राची दिशा।।

भारतीय अपने आदर्शों को अभी तक पूरी तरह भुला नहीं चुके हैं। अनेको भारतवासी राष्ट्रोत्थान में लगे हुए हैं। इन लोगों ने यहा भारत की अतीत से ही प्रेरणा प्राप्त हुए हैं।

कवि भारत की उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास करते हैं। और इस प्रकार उन्नत जीवन की कामना करता है।

निष्कर्ष :-

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त की भारत–भारती में अतीत खंड से वर्तमान खंड तक और वर्तमान खंड से भविष्यत खंड तक कवि ने स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश प्रेम का जीवंत दर्शन प्रकट किया है। स्वर्णिम अतीत गौरव और स्वदेश प्रेम से ही देश उन्नत हो सकते हैं और देश को उज्ज्वल बना सकते हैं। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की यह कविता आज भी देश के प्रति स्वाभिमान जगाने के लिए काफी है और इस तरह से यह एक जीवंत दर्शन के रूप में सफल और सम्पन्न काव्य कृति है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त एवं उनकी काव्य कृति भारत–भारती, हरीश प्रकाशन मन्दिर, आगरा–10, ISBN - 9 788195 626045
2. आधुनिक काव्य–माला, पूर्वायण प्रकाशन, पान बाजार, गुवाहाटी, ISBN : 978-93-92699-58-0
3. हिंदी साहित्य आधुनिक काल, रचना प्रेस, हजारीबाग।
4. https://hi.m.wikipedia.org
5. https://m.sahityakunj.net

apilangkam1986@gmail.com

मोबाइल न० 9862857587

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 179-184

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

A STUDY OF ROLE OF ICT IN NEP-2020 FOR UPPER PRIMARY EDUCATORS

Vishal Kumar Rajenderasing Parmar
(M.Sc, M.Ed, GSET)
RESEARCH SCHOLAR, DEPARTMENT OF EDUCATION,
SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY, GODHARA (GUJARAT)

ABSTRACT :-

For expansion and revolution, the Indian primary education sector has to boost. Effective integration of ICT in present education system is very challenging for government as well as upper primary educators also. Specially, ICT is like a blessing for upper primary educators for explaining principles and topics from various maths-science and others subjects like Social Science and others languages. The horizon of Indian upper primary education system should be mainly focused on skill and technology-based thinking which makes learners and educators innovative and inventive by the help of ICT in NEP-2020. This research paper presents provisions and highlights of NEP-2020 connected with ICT usage in some upper primary schools in central Gujarat along with some challenges for implementation. Finally, some suggestions are put forward forsuccessful implementation of ICT in upper primary.

Keywords :- NEP-2020, Upper primary educators, ICT, Implementation.

Introduction :-

The NEP-2020 (National Education Policy 2020) approved by the union cabinet of India on July-29, 2020. Currently we are following the last education policy (NEP-1986), which was launched in 1986, it means the past education policy (NEP-1986) is following since last thirty-four years. In present condition different drastic changes are occurrence in the world and science & technology is growing speedy and influencing to each sector. To make India "Viswa-Guru" we have to do needful changes in our education systems aswellas in our education policy. Most of educator saregiving tutoring by the traditional Chalk & talk methods in our country till date but it is not dynamic for learners and educators. The most aims are to "Ensure that educational institutions are given the highest

quality of instruction in content, pedagogy and moving the teacher's tutoring system into multidisciplinary faculties, NCERT and SCERT establishing Nistha-app, SWAYAM and others online portals offered by such multidisciplinary higher education modules, for the primary educators get more information in this in-service programs" In present occasion for use ICT (electronic communication technologies) for improvement of upper primary education in our country. E-learning usage for upper primary educators in schooling process with different altitudes will be come the major skill of this 21th century.

DEFINITION OF TERMS :-

- **NEP-2020 :-** The National Education Policy of India-2020 (NEP-2020), which was started by the union cabinet of India on 29-July-2020, summarized the vision of new education system of India.
- **ICT :-** Information and Communications Technology (ICT) can collision learner education when educators are digitally educated and appreciate how to combine technology it into educational curriculum.
- **Upper Primary Educators :-** An upper primary educator means In NEP-2020 professional educators who teach in standard 6 to 8 learners.

OBJECTIVES OF STUDY :-

- To findout the present status of ICT usage inupper primary schools of Central Gujarat.
- To explore the NEP-2020 of various provisions for ICT in upper primary education.
- To examine the challenges for implementation of ICT according to NEP2020 in upper primary schools.
- Suggestions for effective implementation of ICT for upper primary education.

SAMPLE AND SAMPLING TECHNIQUE :-

100 Upper primary educators from various Granted and Non-granted upper primary schools of central Gujarat which were divided into two groups with their experience and they have participated in this study. The researcher used purposive sampling techniques for data-collection from upper primary educators.

TOOLS :-

Are searcher used a self-prepared questioner for data collection. It contains mix-questions both open-ended and close-ended question's.

DATA-COLLECTION :-

The researcher went to several upper primary schools from central Gujarat and took the permission from principals and management for the study.

DATA-ANALYSIS :

The collected data were analyzed frequency counting, qualitatively and percentage, through content analysis of the data.

TABLE-1

No.	Experience	Smart-TV	Smart-Phones	Laptops	Projectors	Other ICT-Tools
1	Less than 5 years	15%	42%	13%	22%	8%
2	More than 5 years	7%	55%	20%	17%	1%

METHODOLOGY :-

Some grated and non-granted upper primary schools in central Gujarat using ICT, but some upper primary institutions and educatorscan't.There searcher discussed on the different provisions of NEP 2020 in the relation with ICT to the upper primary educators and proposals are given stands on the challenges for useful implementation of ICT.

CURRENT STATUS OF ICT USAGE IN UPPER PRIMARY SCHOOL IN CENTRAL GUJARAT :-

Usage of ICT platform like Google Classroom, Microsoft teams, Zoom app, G-Shala app, Diksha apps, GVS (Gujarat Virtual Shala), Home learning and others are one of the top most way by which upper primary educator can accomplish effectively to their trainees and schooling. In the ICT process where teacher can utilize ICT tools to get benefits of curriculum, assessment, content, and instruction. To check the current status of ICT used for E-Learning in central Gujarat's upper primary school the researcher checking the availability of new educational technology related aids like projectors, smart televisions, smart phones, laptops, social media, PPTs or PDFs, tablets, ICT tools, E-content of classes, E-books, are used for educational purpose, also internet connectivity like Wi-Fi access, broadband connectivity and mobile internet connectivity available or not. The researcher had selected respondents who were around two type's educators which have less than 5 years experience another more than 5 years experience educators from upper primary schools of central Gujarat. In this study, researcher takes 50 respondents for both age group of educators and took the permissions from the concern upper primary school authorities.

Pie-Chart : 1

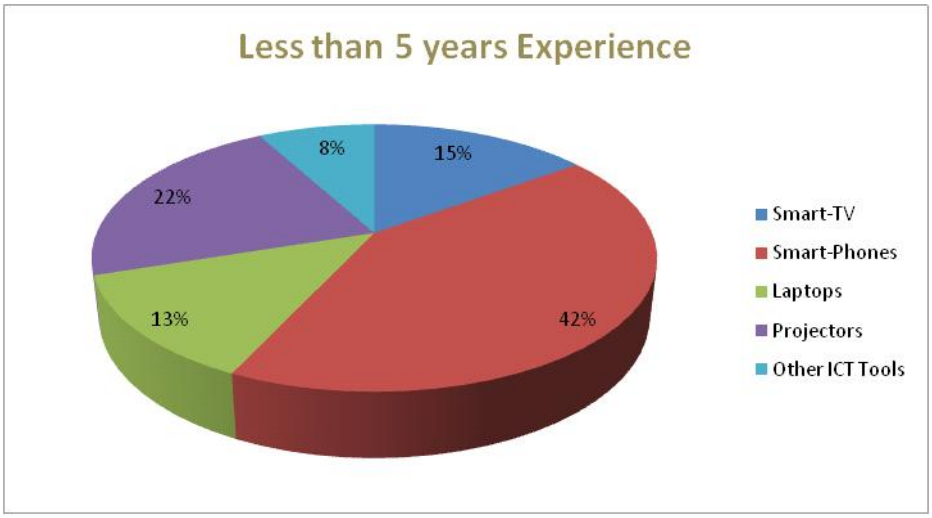

Pie-Chart : 2

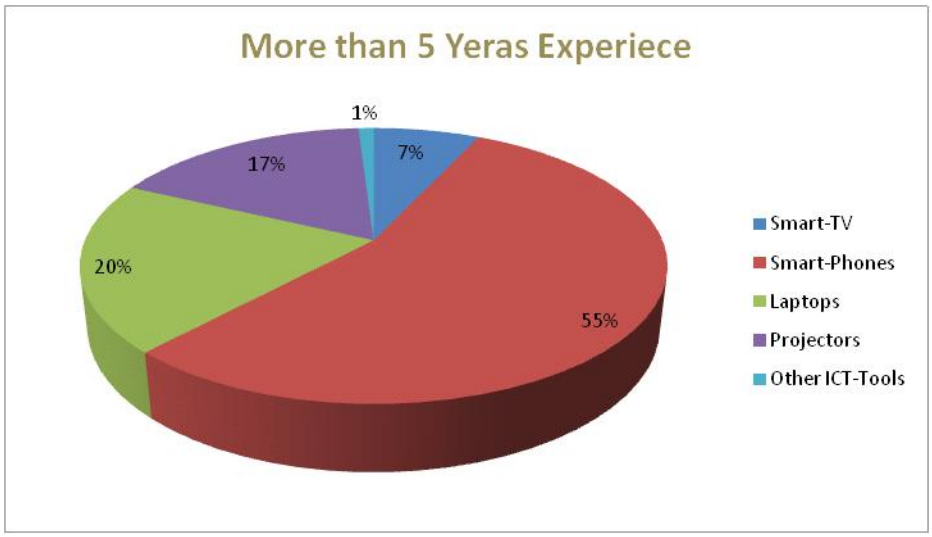

VARIOUS PROVISIONS IN NEP 2020 FOR E-LEARNING :

The NEP-2020 recognizes digital platforms. In Primary educators used advantages of technology is focusing point of NEP-2020.In Covid-19 pandemics we felt the demand of ICT based educational initiatives E-Learning platforms oronlineeducationalsowhich was carefullydesigned.

I. According to NEP-2020 that educational Software will be available for both educators and learners and it is offered for disable learners and remote area's learners. Setting of E-Content for schooling and learning developed by all states in their regional languages and by CBSE, NCERT, NIOS, etc. will be uploaded on the DIKSHA platform, G-shala Apps and others online platforms.

II. According to NEP-2020, the use of ICT platform such as DIKSHA & SWAYAM for online training of educators will be encouraged to standardize within a short span oftime.

III. The NETF (National Educational Technology Forum) will be formed to provide a platform

like SSA website (www.ssagujarat.org) for free exchange of ideas on the use of ICT for E-learning assessment, planning, administration etc. for both primary school and high school education. It will also provide correct data related to admissions, attendance, assessmentsetc.

IV. NEP-2020 focused on the need of specialists in ICT to convey high quality E-Learning vibrant, E-content, online assessment, digital pedagogy and E-governance etc. For pilot studies of online education NEP-2020 recognized agencies like SSA, NCERT, NIOS, SCERT, etc. They evaluate the benefits of integratingupper primary education.

V. Appropriate existing use for ICT platforms Such as SWAYAM will be extended to provide educators with a structured, User-friendly rich set of assistive tools for observing Progress oflearners.

VI. According NEP-2020 to createdigital ICT platforms, existing mass media such as radio telecast, television, and online broadcasts etc. and it should be prepared available for 24/7 in different regional languages.

VII. According NEP-2020 existing ICT platforms will support for building virtual-labs so that all learner have equal access to quality practical and hands on experiment- based learning experiences.

VIII. According NEP-2020 to became high quality online E-Content Creator educators them selves using ICT platforms andvarious ICT tools.

IX. According NEP-2020 make online assessment and examination platforms. Appropriate bodies, such as the proposed National Assessment centre of PARAKH, different states School boards, NTA etc. will design and implement assessment frameworks and analytics.

CHALLENGES FOR IMPLEMENTATTION AS PER NEP 2020 :-

Some new challenges for preparing teacher- educators and future teachers are in need toadopt the new styles of learning method in the E-Learning process. Some of the main challenges for implementation of E-Learning in teacher institutions as per NEP-2020 are as follows :-

- Lack of basic information for using ICT amongUpper primary Educators.
- Lack of proper ICT lab and equipment and full-fledged technology in primary schools and high-schools.
- Poor internet network connectivity and as mallernumber of Wi-Fi access in huge school campuses.
- Overfull classrooms and shortage of ICT instruments and latest technology.
- Need to update ICT related subjects in upper primary education.
- As per NEP-2020 lack of specialists and professionals to frame propercurriculum.
- Lack of economic support from government, educational departments and administrators.

SUGGESTIONS FOR EFFECTIVE IMPLEMENTATION :-

ICT can empower upper primary educators and learners in their success educationists, academics and policy makers are actively working to make our schooling- learning system victorious and some implications are as follows :

- Upper primary educators and learners ratio (1:30) should be maintained.
- Institutions should provide latest ICT tools & instruments.
- Course content should be re-structuring as per NEP-2020 and should be based on action-oriented.
- Proper ICT equipments like LCD projector, computers, smart-TV, e-white boards, Internet access, etc should be provided to the upper primary schools.
- Supply proper facilities of software and hard ware to upper primary educator sby professional trainers and update them.
- Upper primary educators should be aware of the global teaching- learning modifications.

CONCLUSION :-

Upper primary educator has key role in ICT process. ICT has probable to remove barriers of low rate of education by learners and a smaller number of upper primary educators as well as poor quality of education in our country.TheNEP-2020 recognizes the significance of new educational technology and carefully designed online/digital education-based plat form for educating to all.

REFRENCES :-

1. Achary, M.(2019). Methodology of educational research. Ahmadabad: Akshar publication.
2. Dhimmar, Shefali.(2022).“Expectations and experiences of school teachers on online teaching” Compendium, National Seminar of PM e-Vidhya in IITE Gandhinagar.
3. Dr. Reddy P.N.,(2020) “National Educational Policy 2020 challenges and opportunities on educational system” International Journal of Science and Research 10(11), 927-930.
4. Parmar V.R & others,. (2022). ICT and development. Bhopal: AGPH Books
5. Singh, J.D.(2020).“Major Challenges and Possible Enablers of ICTs Integration in TE”– Dr. J.D. Singh Ph.D, Sen. Lecturer, GV College of Education (CTE), Sangaria-335063 (Rajasthan).
6. Usou, Rokuonuo. & Joseph, Sunny. (2022): NEP 2020 and ICT in teacher education.
7. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload,files/mhrd/files/nep/nep final english.pdf referred on10/08/2020.
8. https://www.ssagujarat.org

MAIL: parmar.vishal22@gmail.com

MO. +919714314307

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 185-191

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Indo-Nepal Politics, Education and Literature

Dr. Ajaypal Singh

Department of Geography, Kisan P.G. College, Simbhaoli, Hapur

Introduction :-

The relationship between India and Nepal, two neighbouring countries in South Asia, has been shaped by historical, cultural, and geographical factors. Indo-Nepal relations are characterized by a complex interplay of politics, education, and literature, which have played significant roles in shaping the bilateral ties between the two nations.

The political relationship between India and Nepal has evolved over centuries, driven by geopolitical considerations, shared cultural heritage, and the intertwined interests of both countries. The 1950 Treaty of Peace and Friendship laid the foundation for bilateral cooperation, emphasizing non-interference, close consultation, and mutual respect. Political developments in both nations have influenced the nature of their relations, including security cooperation, trade and economic partnerships, resolution of political challenges, and people-to-people relations.

India and Nepal have diverse education systems with distinct policies and practices. A comparative analysis reveals similarities and differences in their approaches to education. Collaborative initiatives, such as exchange programs and scholarships, have facilitated educational cooperation between the two nations. Language and cultural influences are also evident in educational institutions, fostering a deeper understanding of each other's heritage and traditions.

Literature has served as a powerful medium for cultural exchange between India and Nepal. The shared historical and cultural heritage has influenced the literary traditions of both nations. Indian literature has had a profound impact on Nepali literature, while Nepali literary works have found recognition and readership in India. Translation and publication of literary works have further facilitated the exchange of ideas and narratives, promoting cross-cultural understanding.

The intertwined nature of politics, education, and literature in the Indo-Nepal relationship highlights their importance in fostering bilateral ties. Politics shapes the overall trajectory of the relationship, while education acts as a bridge for knowledge exchange and skill development. Literature plays a crucial role in promoting cultural understanding, fostering empathy, and nurturing a shared

sense of identity.

Research Objectives :-

1. To examine the historical and cultural context of Indo-Nepal relations, with a specific focus on the interplay between politics, education, and literature.
2. To analyse the political dynamics between India and Nepal, including the impact of geopolitical factors, bilateral agreements, and political changes on the overall relationship.
3. To explore the education systems in India and Nepal, comparing their policies, practices, and the influence of language and cultural factors on educational institutions.
4. To investigate the literary exchanges between India and Nepal, considering the influence of shared cultural heritage, translations, and the impact of Indian and Nepali literature on each other's literary traditions.
5. To examine the socio-cultural factors and public perceptions that shape the Indo-Nepal relationship in the domains of politics, education, and literature, including media representations, cultural festivals, and the role of the diaspora.
6. To identify the challenges and opportunities in the fields of politics, education, and literature in Indo-Nepal relations, and propose recommendations for strengthening cooperation and understanding.
7. To contribute to the broader discourse on bilateral relations between India and Nepal by providing a comprehensive analysis of the multifaceted nature of their relationship, with a focus on politics, education, and literature.

By addressing these research objectives, the paper aims to provide a deeper understanding of the complexities and interconnections between politics, education, and literature in the Indo-Nepal relationship, highlighting the opportunities for collaboration and cooperation in these domains.

Historical Perspective of Indo-Nepal Relations :-

The historical perspective of Indo-Nepal relations provides valuable insights into the deep-rooted ties and interactions between these two neighbouring nations. Spanning centuries, the relationship has been shaped by political alliances, cultural exchanges, and shared socio-economic interests. This article delves into the historical context of Indo-Nepal relations, highlighting key milestones and factors that have influenced their dynamics over time.

- **Early Interactions :** The historical ties between India and Nepal can be traced back to ancient times. Both regions have witnessed the rise and fall of various kingdoms and empires, fostering cultural exchanges and diplomatic relations. The Licchavi Dynasty in Nepal and the Gupta and Maurya Empires in India were particularly influential during this period.

- **The 1950 Treaty of Peace and Friendship :** A significant milestone in Indo-Nepal relations was the signing of the Treaty of Peace and Friendship in 1950. This treaty marked a new phase in bilateral ties, emphasizing non-interference, close consultation, and mutual respect. It established a framework for political, economic, and social cooperation between the two nations.
- **Political Developments and Bilateral Agreements :** Over the years, Indo-Nepal relations have been influenced by political developments in both countries. Nepal's transition from a monarchy to a democratic republic in 2008, for example, had implications for the bilateral relationship. Additionally, several bilateral agreements have been signed, covering areas such as trade, security, and transit rights.
- **Changing Dynamics in the 21st Century :** The 21st century has witnessed a dynamic shift in Indo-Nepal relations. Economic cooperation, cross-border trade, and infrastructure development projects have gained prominence. However, there have also been political challenges and occasional strains, reflecting the complexities and sensitivities of the relationship.
- **Cultural and Socio-economic Factors :** Shared cultural heritage, linguistic similarities, and religious ties have played a significant role in shaping Indo-Nepal relations. The open border and people-to-people contacts have facilitated cultural exchanges and cross-border migration. Additionally, socio-economic factors, such as remittances from Nepali migrant workers in India, have influenced the economic interdependence between the two countries.
- **Challenges and Opportunities :** Indo-Nepal relations have faced challenges related to border disputes, cross-border crime, and differing political priorities. However, there are also numerous opportunities for cooperation, including trade facilitation, hydropower development, tourism, and educational collaborations. These opportunities can contribute to mutual growth and prosperity.

Politics in Indo-Nepal Relations :-

- **Geostrategic Importance and Security Cooperation :** The geographical proximity of India and Nepal lends strategic significance to their relationship. Historically, both nations have recognized the importance of cooperation in areas of mutual security concern. Cooperation on border security, intelligence sharing, and defence ties have been key components of their bilateral relations, ensuring stability and peace along the shared border.
- **Trade and Economic Relations :** Economic cooperation has been a crucial aspect of Indo-Nepal relations. India is Nepal's largest trading partner, and both countries have sought to enhance trade ties through bilateral agreements and initiatives. Issues related to trade facilitation, transit rights, and reducing trade barriers have been key topics of discussion. Economic collaboration has the potential to drive growth, investment, and employment opportunities for both nations.

- **Political Challenges and Conflict Resolution :** Indo-Nepal relations have encountered various political challenges over the years. These challenges include border disputes, disagreements over treaty interpretations, and periodic political tensions. Managing these challenges requires diplomatic engagement, dialogue, and a commitment to resolving differences through peaceful means. Bilateral mechanisms, such as Joint Commission Meetings, have played a significant role in addressing political issues and fostering cooperation.
- **Impact of Political Changes in India on Nepal :** Political developments in India have often had repercussions on the Indo-Nepal relationship. Changes in leadership, government policies, and political ideologies can influence the nature and direction of bilateral ties. Shifts in political power and priorities necessitate continuous engagement and understanding between the two countries to maintain a stable and constructive relationship.
- **Cross-Border Migration and People-to-People Relations :** The open border between India and Nepal has facilitated significant people-to-people interactions, including migration, tourism, and cultural exchanges. Nepali citizens working in India contribute to both countries' economies through remittances, while cross-border tourism promotes cultural understanding and boosts local economies. Managing migration-related challenges and ensuring the well-being of migrant workers remain important aspects of the political agenda.

Education Systems in India and Nepal :-

- **Educational Policies and Frameworks :** India and Nepal have distinct educational policies and frameworks. India's education system follows a federal structure, with the central government and individual states playing significant roles. The Right to Education Act in India emphasizes free and compulsory education for children aged 6 to 14. Nepal's education system has undergone significant reforms, focusing on increasing access, improving quality, and promoting inclusive education.
- **Primary and Secondary Education :** Both countries provide primary and secondary education. India follows a 10+2 system, consisting of ten years of primary and secondary education followed by two years of higher secondary education. Nepal follows a 8+2 system, with eight years of primary and secondary education followed by two years of higher secondary education. Both countries face challenges related to access, quality of education, infrastructure, and teacher shortages.
- **Higher Education :** India and Nepal have well-established higher education systems. India has numerous universities, both public and private, offering a wide range of courses and degrees. The Indian Institutes of Technology (IITs) and Indian Institutes of Management (IIMs) are renowned globally. Nepal has also made strides in higher education, with universities and colleges providing various

disciplines. However, both countries face challenges related to funding, research, faculty development, and quality assurance.

- **Language and Cultural Influences :** The influence of language and culture is significant in the education systems of both India and Nepal. In India, there is a diverse range of regional languages and a strong emphasis on multilingual education. In Nepal, Nepali is the primary language of instruction, but efforts have been made to promote multilingual education and preserve ethnic languages. Cultural influences are reflected in the curriculum, textbooks, and teaching methods, fostering a sense of identity and heritage.
- **Challenges and Opportunities:** Both India and Nepal face common challenges in their education systems, including access to quality education, ensuring equity, addressing infrastructure gaps, and enhancing teacher capacity. Additionally, issues such as gender disparities, vocational education, and skill development require attention. However, there are also opportunities for cooperation and collaboration in areas such as teacher training, curriculum development, exchange programs, and research partnerships.

Literary Exchanges between India and Nepal :-

- **Shared Historical and Cultural Heritage :** India and Nepal share a deep historical and cultural heritage, rooted in ancient civilizations, religions, and traditions. This shared heritage has influenced the literary traditions of both countries, leading to similarities in themes, motifs, and storytelling techniques. Epics like the Ramayana and the Mahabharata hold a central place in the literary canons of both nations, with various regional adaptations and interpretations.
- **Influence of Indian Literature on Nepali Literature :** Indian literature, spanning various languages and literary traditions, has had a profound impact on Nepali literature. Works of renowned Indian authors like Rabindranath Tagore, Munshi Premchand, and Bankim Chandra Chattopadhyay have been widely read and appreciated in Nepal. Indian literary movements, such as the Bengal Renaissance and the Progressive Writers' Movement, have also inspired Nepali writers, shaping their writing styles and thematic choices.
- **Translation and Publication :** Translation plays a crucial role in facilitating literary exchanges between India and Nepal. Works of Nepali authors have been translated into Indian languages, enabling a wider readership in India. Similarly, translations of Indian literary works into Nepali have made Indian literature accessible to Nepali readers. Translation initiatives, literary festivals, and publishing collaborations have contributed to the dissemination of literary works across borders.
- **Recognition and Readership in India :** Nepali literary works have found recognition and readership in India, reflecting the growing interest in Nepali literature. Prominent Nepali authors

like Laxmi Prasad Devkota, BP Koirala, and Parijat have gained acclaim in the Indian literary scene. Nepali writers have been invited to literary festivals in India, providing platforms for cultural exchange and dialogue.

- **Promotion of Cross-cultural Understanding :** Literary exchanges between India and Nepal serve as powerful tools for promoting cross-cultural understanding. Through literature, readers gain insights into the histories, traditions, and social realities of both nations. Literary works explore common themes such as identity, love, social issues, and the human condition, fostering empathy and nurturing a shared sense of humanity.
- **Literary Festivals and Collaborations :** Literary festivals, such as the Jaipur Literature Festival in India and the Nepal Literature Festival in Nepal, provide platforms for authors, poets, and literary enthusiasts from both countries to interact and exchange ideas. These festivals facilitate dialogue, readings, and discussions, promoting cross-cultural understanding and collaboration among writers and literary communities.

Socio-Cultural Factors and Public Perception :-

- **Media Representations :** Media plays a significant role in shaping public perception and understanding between India and Nepal. The portrayal of each other's countries in news coverage, television programs, films, and social media platforms influences the way people perceive and interpret events. Biases, stereotypes, and the amplification of negative incidents can contribute to misperceptions and misunderstandings, affecting the overall public sentiment.
- **Cultural Festivals and Exchanges :** Cultural festivals and exchanges provide opportunities for people from India and Nepal to engage in cultural interactions and gain firsthand experiences of each other's traditions and practices. Festivals such as Diwali, Holi, Dashain, and Tihar are celebrated in both countries, fostering cultural exchanges and promoting mutual understanding. Cultural events and performances further strengthen the socio-cultural bonds, challenging misconceptions and building bridges between communities.
- **Influence of the Diaspora :** The Indian and Nepali diaspora communities have a significant influence on shaping public perception and fostering connections between the two countries. Diaspora communities act as cultural ambassadors, maintaining strong ties with their home countries and sharing their experiences and knowledge with their host communities. Their contributions to various fields, including education, arts, and business, highlight the shared heritage and potential for collaboration.
- **Historical and Geographical Interdependencies :** The historical and geographical interdependencies between India and Nepal contribute to the socio-cultural factors that shape public perception. Centuries of cultural exchanges, migration, and shared religious practices have created a

sense of interconnectedness. The open border and ease of travel between the two countries facilitate people-to-people interactions, deepening socio-cultural bonds and fostering mutual understanding.

- **Education and Language :** The role of education and language in shaping public perception should not be underestimated. Educational curricula, textbooks, and language policies influence how each country's history, culture, and relationship with the other are presented to students. Language, particularly Nepali and Hindi, acts as a linguistic bridge, facilitating communication and cultural exchange between people of both nations.
- **Cross-Border Cooperation and People-to-People Relations :** Cross-border cooperation initiatives, such as joint cultural projects, educational exchanges, and tourism, contribute to positive public perception and mutual understanding. People-to-people relations, facilitated by tourism, business collaborations, and social connections, foster personal interactions that challenge stereotypes and promote cultural appreciation.

References :-

1. Adhikari, R. (2019). Nepal-India Relations: A Complex Interplay of Politics and Geopolitics. Journal of Indo-Pacific Affairs, 2(2), 33-54.
2. Aryal, K. P. (2021). Politics, Policy and Pedagogy in Nepal: Education for Social Transformation. Routledge.
3. Bhattarai, B. (2020). Nepali Literature in the Global Context: A Socio-Political Perspective. Journal of Contemporary Literature, 55(3), 76-91.
4. Jha, P. K. (2022). Education in Nepal: Historical Development, Current Challenges, and Future Prospects. Journal of Comparative Education, 46(3), 321-342.
5. Khanal, R. (2019). Literature and Politics in Contemporary Nepal. Contributions to Nepalese Studies, 46(1), 85-102.
6. Pokhrel, B. R. (2021). Education Policy in Nepal: Context, Challenges, and Reforms. Education Policy Analysis Archives, 29(57), 1-26.
7. Pyakurel, U. (2018). Literature, Nationalism, and Democracy in Nepal. Studies in Nepali History and Society, 23(2), 263-285.
8. Thapa, P. (2019). The Politics of Literature: Cultural Activism in Nepal. Himalaya, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies, 39(2), 120-138.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 192-196

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

A COMPARATIVE STUDY OF ACADEMIC ACHIEVEMT AND LEVEL OF ASPIRATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Dr. Vineeta Chaudhary

Associate Professor, D.W.T. College, Dehradun

Abstract :-

Academic achievement is influenced by many traits among the children. The purpose of the present study is to find out the correlation between academic achievement and level of aspiration . A study conducted on the sample of 500 student of class IX and was sample taken from different schools of urban and rural areas in the Garhwal region in Uttarakhand state. A scale for level of aspiration by Shah and Bhargava was selected in order to find the data. Scores obtained by the children in final examinations were use as their academic achievement. Correlation was calculated by applying the Pearson's Product Movment of correlation. Thus the obtained results were discussed under the proposed hypotheses.

Key Points :- Academic, Achievement, correlation , Data ,Urban ,Rural

INTRODUCTION :-

It has been found out that everyone in the present decade, aims at reaching a definite goal for excellence. In today's world of competitiveness there is not a single individual who is devoid of ambition in some or other form. Everyone is ambitious for their future excellence in performance and in doing so. The set of desire for destination which has an inner structure is known as level of aspiration (LOA). Students' decision-making processes about their future are important considering that aspirations have been found to be one of the main predictors of actual educational and occupational attainment (Armstrong & Crombie, 2000; Schoon & Parsons, 2002).

The concept of level of spiration was first introduced by Hoppe (1930) and Dembo (1931), in reference to the degree of difficulty of the goal towards which a person is striving.

The term level of aspiration is an individual's future expectation, which is the standard measure by which a person judges his performance as good or bad. Various studies were advanced to find out

the relationship between achievement motivation and academic achievement, level of aspiration with creativity, personality, etc. The studies conducted on level of aspiration and performance of the students have indicated that students having high level of aspiration, scored higher only on academic achievement. On the other hand students having low level of aspiration were found to be scoring lower on the academic achievement (Atkinson, 1958).

REVIEW OF RELATED LITERATURE :

In decades the review of related literature of the revealed a number of studies to formulate the present investigation. Eysenck (1953) concluded that the academically successful students were found to be persistent, emotionally stable and had level of aspiration not far from too removed from reality, the unsuccessful students of similar intelligence lacks of persistence, was unstable and his level of aspiration was unreasonably high or low. Lowel, L. (1959) found that students with small discrepancy scores tended to be successful; the level of aspiration measures was successful in differentiating graduates from nongraduates among students who had averages above C. The intercorrelations among the predictor variables suggest they measure a common factor.

In the study conducted by Sinha (1970) found that the general overall level of aspiration secured higher among the low achievers who were also more flexible. Rai (1974) conducted study on 1000 students of science group and revealed that the level of aspiration was not a significant correlate of achievement but it was desirable that students fixed up high-goals commensurate with their ability and tried to achieve it. Low goal setting was in no way a desirable characteristic for better achievement; it drove the students into academic activities. Sharma (1981) concluded that level of aspiration did not appear to influence academic- achievement. On the other hand, the differences in academic achievement were significantly related to level of aspiration. Sharma (1979) also found that the level of aspiration did not influence academic-achievement. There was a strong tendency in girls to set their level of aspiration below their achievement whereas boys showed on opposite trend. In his study Hussain (1977) found that the effect of level of aspiration on academic achievement was different in both high and low achievers. The academic performance of the groups showing moderate goal discrepancy was better than that group showing either high or low goal discrepancy. Gupta and Paul (1998) found that, the level of aspiration of urban students were better than rural students and the level of aspiration of the female students was found to be better than male students.

On the basis of researches reviewed, the present investigation on urban and rural students has been tried out.

OBJECTIVES :-

To find out the correlation between level of aspiration and academic – achievement among the

urban and rural students.

HYPOTHESES :-

There is no significant correlation between academic achievement and level of aspiration of the urban and rural boys and girls.

METHODOLOGY

SAMPLING :-

The present study was carried out on the stratified random sample of 500 students studying in class IX of different secondary schools of District Tehri (Garhwal Region) in the state Uttarakhand. The children included both urban and rural population of different socio-economic status both boys and girls. The sample consisted of the children from lower classes, middle class and high classes of different caste group. The age group of the selected sample ranged between 13 to 18 years.

TOOLS AND TECHNIQUES OF THE STUDY :-

In order to collect data on the dimension 'level of aspiration' , Shah and Bhargava's revised ed., 1996 test was administered among the students The marks of class IX annual examination were recorded, in order to collect information about academic-achievement of the students. Regarding the reliability and validity of their examinations may be cited by the study by Sharma (1968) who found the reliability and validity of school marks as satisfactory for use in research studies.

STATITICAL TECHNIQUES USED :-

Pearson' Product Movment method of correlation was used for ascertaining the relationship between there two variables.

ANALYSIS AND INTERPRETATION OF RESULTS

After the collection of the data with help of implemented test , the obtained data were tabulated systematically, recorded, processed and interpreted logically.

Table –1

Correlation between level of aspiration and academic achievement among boys and girls of urban and rural areas.

Area	Group	'N'	'r'	Level of Significance
Urban Area	Boys	139	0.11	<0.05
	Girl	124	0.06	<0.05
Rural Area	Boys	116	-0.01	<0.05
	Girl	121	0.07	<0.05

Required r at N 500 = 0.12 (0.05 level)

= 0.15 (0.01 level)

From the Table –1 results shows that the correlation coefficient values for the two variables (level of aspiration and academic achievement) among urban boys is found to be 0.11 and the correlation coefficient for these two variables among urban girls is 0.06 respectively. No significant correlationship was found between these two variables of urban boys as well as girls. The result is supported by Sinha (1970) who found that the overall level of aspiration secured higher among the low achievers.

Whereas correlation coefficient values for the variables - level of aspiration and academic achievement, among boys and girl of rural area were found to be –0.01 and 0.07, respectively. It reveals that there is no significant correlation between these two variables of boys and girls of rural areas. Vidler (1976) found that the curiosity has slightly negative though non significant correlation with academic achievement scores.

RESULTS AND DISCUSSION :-

The results on the basis of the analysis of above study shows that ,the level of aspiration is not a significant correlate of academic achievement. But on the other hand it is desirable that students has to fixed up high goals commensurate with their ability and tried to achieve it. From the different studies, it was observed that, the Low goal setting is not a way for desirable characteristic for better achievement. The reason behind the unexpected results could be that, there is poor parental education, lack of support of their family, negligence of parents for the children and parents overburden of work. Because most of the children of the sample belongs to lower and lower middle class families. Parents consider their children as hyperactive and harsh their activities in academic areas.

The overall picture emerged from the above discussion, it is concluded that the present study is very useful for the researchers, teachers and teacher educators. Such studies may be undertaken on large sample of VI to XII grade students or for graduate students through investigation procedures using other useful measurement ,plans and procedures and with case studies.

REFERENCES :-

1. Anna W., Heta T., Anna T., Johan K.(2020.): Gendered pathways from academic performance, motivational beliefs, and school burnout to adolescents' educational and occupational aspirations, Learning and Instruction, Volume 66.
2. Armstrong P.L.and Crombie G. (2000): Compromises in adolescents' occupational aspirations and expectations from grades 8 to 10. Journal of Vocational Behavior, 56 (2000), Pp. 82-98, 10.1006/jvbe.1999.1709.
3. Atkinson, C.E. (1958): Practical Hand Book for school Councellers, New York; Ronald Press.
4. Eysenck, H.J. (1953): Uses and Abuses of Personality, Paguin Book Ltd.

5. Gupta, V. and Paul, S. (1998): A comparative study of Self-concept and Level of Aspiration of Secondary School Trainees Before and After The Teaching Practices, Progress of Education, Vol. (LXXII). No.6.
6. Hoppe, F. (1930) : Erflog and Misserfold (underguchungen Zur Handlunger–Und Affecto- Psychologie, IX Ed., By Kart Lew in) Psychol: Forsh, 14:1-62.
7. Hussain, M.G. (1977): Creativity and Sex Differences, Psychological Studies, Vol. 19 (2).
8. Rai, P.N. (1974) : A Comparative Study of Few Differential Personality Correlates of Low and High Achievers : Ph.D. Edu., Agra University.
9. Shah, M.M. and Bhargara,M. (1996): Test of Level of Aspiration Published by- Agra : National Psychological Corporation.
10. Sharma, R. (1981): Self Concept, Level of Aspiration and Mental Health as Factors in Academic Achievement. Indian Educational Review.
11. Sharma, R.N. (1968): Principles of Sociology, Asia Publishing House, P. 125.
12. Sharma, S.C. (1979):Correlates of Creative Functioning, Ph.D. Psy., Merrut University.
13. Sinha, D. (1970) :Academic Achievers and Non-Achievers. United Publishers, First Edition.
14. Vidler, D.C. (1976): A study of Curiosity, divergent thinking and test anxiety. Journal of Psychology, 90 (2), 237-243.
15. Worell, L. (1959). Level of aspiration and academic success. Journal of Educational Psychology,50(2),47–54. https://doi.org/10.1037/h0045273

drvineeta173@gmail.com

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गुगनराम सोसायटी रजि. के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर गीना प्रकाशन, 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड भिवानी–127021 (हरि.) से वितरित की।

ISSN 2395:7115